राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] नवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का बत्तीसवां दिवस [संख्या 15

सोमवार

दिनांक 25 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक मध्याह्न पूर्व 11. 00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

पुलिस थाना जैतारण का क्षेत्राधिकार

104. **श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के रायपुर तहसील के कौन-कौन से राजस्व गांव व ग्राम पंचायत मुख्यालय, पुलिस स्टेशन जैतारण के क्षेत्राधिकार में लिए हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जैतारण थाना के अन्तर्गत रायपुर तहसील के गांव लेने का ऐतराज जन प्रतिनिधियों द्वारा पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार रायपुर तहसील के इन गांवों को रायपुर थाना क्षेत्र में देगी, तथा वहां नया थाना सृजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, गृह (श्री शांतिलाल चपलोत) : (1) रायपुर तहसील की विभिन्न पंचायतों के थाना जैतारण के अधीन कुल 11 गांव हैं। गांवों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	गांव का नाम	पंचायत का नाम
1.	हाजीवास	हाजीवास
2.	कुशालपुरा	कुशालपुरा
3.	बगियाड़ा	लिलम्बा
4.	निम्बेड़ा कलां	निम्बेड़ा कलां
5.	बासनी दधवाड़ियास	निम्बेड़ा कलां
6.	करमावास	करमावास
7.	रामपुरा कलां	रामपुरा कलां
8.	सिगला	रामपुरा कलां
9.	बासनी कवियान	रामपुरा कलां
10.	नोख	रामपुरा कलां
11.	देवली कलां	देवली कलां।

(2) राज्य सरकार को इस प्रकार का एतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत सरकार से

(श्री हीरासिंह चौहान)

और गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि सन् 1982 में रायपुर थाने के दो भाग करके सैंदड़ा थाना बना दिया था। रायपुर थाने के पास 10 पंचायतें हैं जबकि जैतारण थाने में 30--40 पंचायतें हैं। उसका क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसके कारण ढंग से रायपुर तहसील के गांवों की व्यवस्था नहीं हो पाती है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रायपुर तहसील की अलग से मुंसिफ कोर्ट बर में है और जैतारण थाने का जुरिस्डिक्शन जैतारण है। इसलिए सिविल मुकदमे तो बर में होते हैं और क्रिमनल केसेज का चालान जैतारण में होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जन-हित को ध्यान में रखते हुए यह गांव जो जैतारण थाने में हैं उनको रायपुर में करने की कृपा करें।

गृह मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर दुबारा जांच करा लेंगे और हो सका तो निश्चित रूप से कर दिये जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह भी निवेदन है कि जैतारण थाना बहुत पुराना थाना है और वर्षवार 200 से भी ज्यादा नये केस दर्ज होते हैं। तो क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उसको अपग्रेड करने का विचार सरकार रखती है? एक जैतारण में आसपास का बहुत लम्बा चौड़ा एरिया लगता है तो क्या जैतारण थाने में और चौकियां स्थापित करने का विचार भी सरकार रखती है?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई विचार नहीं है।

प्रश्न संख्या 105

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 106

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 107

श्री श्रीचन्द कृपलानी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 108

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्रीराम फर्टिलाइजर को अनापत्ति प्रमाण--पत्र

109. **श्री सालिग राम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने श्रीराम फर्टिलाइजर को एक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने के लिये उसी काम्पलेक्स कोटा में लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है?

(2) क्या इस पर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल द्वारा आपत्ति की गयी थी?

(3) क्या राज्य विधान सभा में इस प्रकरण पर वाद विवाद में यह आरोप भी लगाया गया था कि राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र राज्य के वरिष्ठतम

(श्री सालिगराम)

अधिकारी के प्रभाव से तकनीकी एतराज के बावजूद भी जारी कर दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल प्रारम्भ में परीक्षण हेतु दिया गया था परन्तु उद्योग ने इस दौरान व्यावसायिक उत्पादन किया ?

(5) यदि हां, तो विभाग द्वारा उद्योग के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?,

उद्योग मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (1) जी नहीं। राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा दिनांक 24-12-82 को जारी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर एवं भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस-नोट संख्या-9 (1984) दिनांक 21-6-84 के अनुसरण में उद्योग निदेशालय द्वारा मैसर्स श्रीराम केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स, श्री रामनगर, कोटा को सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हेतु साइट क्लीयरेंस का प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

(2) राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा 28-6-85 को जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति उद्योग निदेशालय को पृष्ठांकित करते हुए केन्द्रीय प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा जारी मार्गदर्शिका के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।

(3) जी हां। राज्य सरकार ने इस प्रकरण में जांच कराने का आश्वासन दिया था। जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है तथा उनके द्वारा जांच की जा रही है।

(4) जी हां, राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा परीक्षण के तौर पर 3 माह की अवधि के लिये अनुमति दी गयी थी, तदापि उद्योग द्वारा व्यावसायिक उत्पादन किया गया।

(5) दिनांक 27-7-89 को उद्योग को दिनांक 30-6-90 तक की अवधि के लिए राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा सम्मति दी गयी थी। अतः इस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। दिनांक 27-7-89 से पूर्व उद्योग द्वारा उपयुक्त प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण नहीं लगाये जाने के कारण राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा उक्त उद्योग को समय-समय पर नियमानुसार नोटिस दिये गये एवं कार्यवाही की गयी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो जांच के आदेश आपने दिये हैं वह किस स्तर के अधिकारी से जांच करायेंगे ? जांच के टर्म्स आफ रेफरेंस क्या है और जांच कब पूरी करने के आदेश दिये हैं ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि 30-6-90 तक की सहमति पहले दी हुई थी और मैंने 29-6-90 को प्रश्न किया था तो आप से निवेदन किया कि आप इसको सहमति न दें। मुझे उम्मीद है कि आपने सहमति नहीं दी होगी। दी है तो बतायें किस कारण

(4)

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

से दी है ? नहीं दी है तो क्या उद्योग का उत्पादन बन्द कर दिया गया है ?

तीसरा प्रश्न यह है कि पूर्व में जो बगैर सहमति के ही इस उद्योग ने उत्पादन किया है उसके विरुद्ध जैसा आपने कहा कार्यवाही कर रहे हैं। अब क्या कार्यवाही हुई ? उसमें कौन लोग दोषी पाये गये जिससे यह उद्योग बगैर सहमति के उत्पादन करता रहा ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जैसा स्वयं माननीय सदस्य ने कहा, उन्होंने यह प्रश्न इसी सदन में 29-6-90 को उठाया था और उस पर खूब चर्चा हुई थी। जो मुद्दे अभी उठाए हैं वह सारे मुद्दे विस्तृत रूप से उस समय उठा लिये गये थे। उसके आधार पर मैंने विश्वास दिलाया था और आश्वासन दिया था कि जो मुद्दे माननीय सदस्य ने सर्टिफिकेट देने के सम्बन्ध में, एन. ओ. सी. देने के सम्बन्ध में, जो उद्योग चलाया उसके सम्बन्ध में, इसमें किसकी कमी रही, गलती रही उसके सम्बन्ध में, इन सारे प्रश्नों की जांच करा ली जायेगी और उसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने आदेश पी (21)/15/उद्योग/1/90, दिनांक 16-11-90 से जे. पी. सिंह, जो कि राजस्थान वित्त निगम के सी. एम. डी. हैं, को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। उनकी जांच चल रही है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आयेगी, कार्यवाही करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इसमें राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी और राजस्थान के उद्योग सचिव के ऊपर आरोप हैं, क्या इन अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जांच निष्पक्षता से कर पायेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जैसा मैंने आपसे कहा, आप विश्वास करके चलिए। मैं इस प्रश्न को इसलिए नहीं उठाना चाहता हूं और उत्तर इसलिए नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि जांच विचाराधीन है। आप विश्वास रखिए कि जांच अधिकारी सक्षम हैं और जांच अधिकारी द्वारा अगर इन सारे पहलुओं पर किसी की रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करने की है, तो निश्चित रूप से की जायेगी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं यह नहीं कहता हूं कि जांच नहीं कर सकते हैं। मैं आपके मातहत हूं और मेरे को आपकी जांच दे दें तो ? कि गोयल साहब की जांच गोविन्द सिंह करेगा, जो डिप्टी मिनिस्टर है, तो मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं फिर कह रहा हूं, जैसा मैंने उस वक्त भी कहा था, यह प्रश्न 1985, 1986 व 1987 का है जब आपकी सरकार थी, आपके उद्योग मंत्री थे, आप स्वयं पर्यावरण मंत्री थे, उस समय का मामला है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैंने पहले भी कहा था मेरे समय में यह मामला मेरे ध्यान में नहीं आया था। अब पहले का हो गया सो हो गया। मैं इन्क्वायरी की बात कर रहा हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप निश्चित रूप से मानकर चलिए कि जांच होगी। जांच अधिकारी आई. ए. एस. केडर का है। जो भी व्यक्ति होगा उसकी रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपको लोकायुक्त से जांच कराने में एतराज है क्या ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : लोकायुक्त से जांच कराने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि जांच कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : लोकायुक्त की बात है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जांच के बाद भेज देंगे लोकायुक्त के पास ?

जे. पी. सिंह की जांच के बाद अगर कुछ पाया तो आप लोकायुक्त के पास भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष : काल्पनिक प्रश्न है।

प्रश्न संख्या 110

श्री नवनीत लाल नीनामा।

(अनुपस्थित) कृपया आगे देखें)

श्री प्रभुराम गरासिया।

नगरपालिका क्षेत्र पाली में छपाई के अवैध कारखाने

111. श्री प्रभुराम गरासिया (पिण्डवाड़ा): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पाली नगरपालिका क्षेत्र में 1 जनवरी, 1985 से छपाई के किस-किसके कितने-कितने अवैध कारखाने कब-कब से चालू हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन कारखाना मालिकों ने कृषि भूमि में कारखाने लगाये हैं और ऐसी भूमि का अभी तक रूपान्तरण भी नहीं कराया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कारखाना लगाने की नगरपालिका, उद्योग विभाग तथा पर्यावरण विभाग से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की ?

(4) क्या यह भी सही है कि इन कारखानों से प्रदूषण फैल रहा है ? यदि हां, तो ऐसे कारखानों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री लालचन्द डूडी): (1) राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा माह जुलाई-अगस्त, 1989 में कराये गये सामान्य सर्वेक्षण के समय जल अधिनियम, 1974 की धारा 25-26 की अवहेलना करते हुए 331 छपाई उद्योग पाली नगरपालिका क्षेत्र में मण्डल की बिना पूर्व सम्मति के कार्यरत हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। कृषि भूमि पर चल रहे कारखानों के मालिकों ने भूमि रूपान्तरण नहीं कराया है।

(3) जी हां।

(श्री लाल चन्द डूडी)

(4) जी हां। तहसीलदार पाली द्वारा कृषि भूमि पर चल रहे कारखानों के मालिकों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25-26 की अवहेलना करने के लिये राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा 166 मुकदमे दायर किये जा चुके हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री लक्ष्मी नारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानकारी चाहूंगा कि पाली शहर के जितने भी व्यापारी व उद्यमी हैं, उनसे प्रति गांठ 25 रुपये प्रदूषण विभाग की तरफ से प्रदूषण निवारण के लिये ट्रीटमेंट प्लाण्ट की तरफ से लिया जाता है और यह पैसा मात्र मण्डिया रोड पर स्थित फैक्टरियों से वसूल किया जा रहा है जबकि अन्य क्षेत्रों के अन्दर यह ट्रीटमेंट प्लाण्ट का पैसा न तो खर्च किया जा रहा है, न ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाया जा रहा है। तो उन लोगों से पैसा क्यों वसूल किया जा रहा है ? क्या यह कारण है कि मण्डिया रोड पर नगर-परिषद् के अध्यक्ष की फैक्टरी आई हुई है इसलिये उस फैक्टरी के हिसाब से यह पैसा वसूल कर वहां खर्च किया जा रहा है।

दूसरा, मेरा प्रश्न है कि सुमेरपुर रोड और तालाब के किनारे और सोजत रोड पर उद्यमियों और व्यवसायियों ने जो वहां टेबिल लगाई है, क्या राज्य सरकार के द्वारा या जिला कलक्टर के द्वारा और प्रदूषण निवारण विभाग की तरफ से उनको परमिशन दी गई ? क्या उद्योग विभाग के द्वारा उनको फैक्टरी चलाने के लिये परमिशन दी गई ?

तीसरा मेरा प्रश्न है कि वहां जो अतिक्रमी हैं, उन अतिक्रमियों में से राजस्व विभाग ने कितने लोगों को वहां से बेदखल किया, कितने लोगों के खिलाफ पैनल्टी लगाई और कितने लोगों को दण्डित किया। यह जानकारी मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि लिस्ट में बता रखा है, प्रदूषण निवारण विभाग ने 166 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किये। तहसीलदार ने नम्बर कितना है, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है लेकिन जिन लोगों ने राजस्व जमीन पर कारखाने लगा रखे हैं उन सभी के खिलाफ 90-ए के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू कर दी है। कुल कितने हैं, उसकी मैं जानकारी लेकर माननीय सदस्य को बता दूंगा।

अब वह 25 रुपये ट्रीटमेंट प्लाण्ट के लिये जो प्रति गांठ लिया जा रहा है, यह काफी पहले का डिसिजन हुआ है। इस में प्लाण्ट जो लगेगा काफी कीमती प्लाण्ट है। उसमें आधा पैसा वहां के व्यापारी इकट्ठा करके और आधा पैसा रीको की तरफ से, इस तरह मिलाकर के ट्रीटमेंट प्लाण्ट वहां पर सामूहिक लगाने का है। अब कौनसे एरिया के लिये है, अगर कोई बात है, जैसा आपने बताया कि किसी अध्यक्ष का उसमें इन्वाल्वमेंट है, कोई ऐसी बात है तो उसकी

(श्री लालचन्द डूडी) ..

जानकारी लेकर किसी के खिलाफ किसी तरह की बात नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था करेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जल प्रदूषण के विषैले प्रभाव के कारण सुनेई गांव के अन्दर बच्चों, स्त्री और पुरुष के ऊपर समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। कुबड़ापन हो रहा है, नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। गत विधान सभा सत्र के अन्दर भी माननीय मंत्री महोदय से इस प्रकार की जानकारी चाही थी। आज 70 गांवों के काश्तकारों की जमीन वहां प्रदूषण से जहरीली हो चुकी है। पानी वहां पर विषयुक्त हो चुका है। नाना प्रकार की वहां बीमारियां फैल रही हैं। राज्य सरकार के द्वारा अभी तक उन लोगों को न तो किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी गई है और न ही प्रदूषण निवारण के लिये किसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। मैं, मंत्री महोदय, चाहता हूं कि जो काश्तकार इससे प्रभावित हो रहे हैं, नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, इसकी जांच कर उनको आर्थिक सहायता और जिन काश्तकारों की भूमि इस प्रदूषण से ग्रसित हुई है, उन लोगों को मुआवजा दिलाया जाय। लोगों की ज़िन्दगी खराब हो रही है, लोग अन्धे हो रहे हैं, कुबड़ापन हो रहा है, जवानी में बुढ़ापा आ रहा है और नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। इसके लिये तत्काल राज्य सरकार कोई न कोई प्रबन्ध कोई व्यवस्था करें।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि इस प्रकार की प्रदूषण फैलाने वाली जो फैक्टरीज हैं, उनको नगर पालिका की अनुमति नहीं, उद्योग विभाग की अनुमति नहीं, कृषि भूमि पर बना लिया और रूपान्तरण भी नहीं कराया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे कारखानों के विरुद्ध कार्यवाही करके उनको बन्द कराया जायेगा ? यह फैक्टरीज एक रात में तो बनी नहीं। कृषि भूमि पर ऐसी फैक्टरीज बन गईं तो किन अधिकारियों की मिली भगत से यह काम हुआ ? उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? अध्यक्षजी, यह सवाल आज का नहीं है, पिछले काफी अरसे से यह सवाल उठ रहा है और प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार ऐसे कौन से कारगर तरीके उठायेगी, इस समस्या को हल करने के प्रयत्न करेगी जिससे इस तरह की फैक्टरीज भविष्य में नहीं लगें और कानून की अवहेलना न हो ?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 199 मुकदमे बनाये गये। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 199 मुकदमे बनाये थे, 126 अवैध फैक्टरीज चल रही हैं, क्या वह कारखाने जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गये हैं, बन्द हैं या चालू हालत में हैं ? अगर चालू हालत में हैं, तो उनको बन्द करने का कब तक सरकार विचार रखती है ?

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें लीगल लेकूना है। इसमें आप समुचित व्यवस्था नहीं कर पाये।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। आप इसमें कुछ अमेन्डमेंट्स मूव करिये, समरी ट्रायल्स कीजिये, वरना छः साल बाद चालान करने से कोई भी एविडें प्रोड्यूस नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : दस बारह साल से पैंडिग है यह मामला।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, माननीय पंडितजी ने जो बात कही, उसके लिये तो मैं आपको आश्वासन दे दूं कि बहुत जल्दी प्रदूषण बोर्ड कायम किया जा रहा है, जिसमें सैशन्स जज कैडर के अधिकारी नियुक्त होंगे और उनकी अलग से कोर्ट्स होंगी। साथ ही लम्बी अवधि से जिन पर कार्यवाही नहीं हुई है, वह तुरन्त करेंगे।

अब यह पाली की समस्या है, यह बहुत बड़ी और बहुत वरसों से चल रही है। स्थिति इसमें यह है, अध्यक्ष महोदय, कि लोग अपने ट्यूबवैल्स लगाते हैं, जिसके अन्दर यह काम करते हैं जो आगे जाकर जमीन को खराब करता है। किसान भी अपने ट्यूबवैल लगाते हैं, वह सोचते हैं कि खेती से तो कम मुनाफा है और इसको अगर ठेके पर दिया जाता है तो उसमें ज्यादा मुनाफा है। तो किसान भी ट्यूबवैल खुदवाकर जमीन ठेकेदार को देते हैं। इसी तरह शहर के अन्दर भी घर-घर के अन्दर, बिना जानकारी के, यह काम हो रहा है। और यह जो समस्या है, वह बजाय घटने के बढ़ती जा रही है।

मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि एक सक्षम अधिकारी, चाहे वह जोधपुर के कमिशनर को ही ले लें, उनको नियुक्त करें कि वह इस सारे मामले की जांच करें कि इसमें कितना नुकसान हो रहा है और किस प्रकार का हो रहा है और इस को किस तरह से रोका जा सके। इसकी जांच करके अपने सुझाव दें, ऐसा हमने सोचा है और ऐसा सरकार करेगी।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अभी जो आपने बताया कि जोधपुर के सम्भागीय आयुक्त द्वारा जांच करा रहे हैं, तो जोधपुर और बालोतरा की जांच भी इसमें करवा लें।

प्रश्न संख्या 112

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अचला राम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ शर्मा।

बेरोजगारों को रोजगार

113. **श्री केदारनाथ शर्मा** (श्री गंगानगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने वर्ष 1989-90 व 1990-91 में कितने पढ़े-लिखे बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाया ?

(2) क्या यह सही है कि रोजगार कार्यालय बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिये प्रेरित करता है ? यदि हां,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

तो अब तक कितने व्यक्तियों को सलाह दी गयी ?

राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन (श्री बाबूलाल खाण्डा) : (1) रोजगार कार्यालय के माध्यम से वर्ष 1989 में 7388 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा वर्ष 1990 में 5481 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(2) जी हां, रोजगार कार्यालय बेरोजगार आशार्थियों को मार्गदर्शन देकर, स्वरोजगार के लिये प्रेरित करते हैं। रोजगार कार्यालयों द्वारा वर्ष 1989-90 में 76038 आशार्थियों को स्वरोजगार अपनाने की सलाह दी गयी। इसी प्रकार वर्ष 1990 में अप्रेल, 90 से दिसम्बर, 90 तक 47270 आशार्थियों को स्वरोजगार अपनाने की सलाह दी गयी।

श्री केदारनाथ शर्मा : 31 जनवरी 1991 तक कितना बैकलाग था, टोटल बैकलाग राजस्थान का, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और अभी रोजगार नहीं मिला। क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कोई कमेटी बनाई है एम्पलायमेंट के लिये, और क्या यह सही है कि 1990 में आपने सात हजार आदमी सरप्लस कर दिये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाये उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक समिति नियुक्त की है। समिति इसका पूरा अध्ययन कर रही है। यह बात स्पष्ट है कि बेरोजगारी की समस्या का केवल सरकारी सेवाओं में नियुक्ति करके समाधान नहीं किया जा सकता। प्रयत्न यह किया जा रहा है कि लोग अपना काम शुरू करें और राज्य सरकार उनको सहायता दे या अन्य इस प्रकार के सामूहिक रूप से काम खड़े करें जिसमें लोगों को रोजगार मिले। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, कितना बैकलाग था, कितना नहीं था, तो आंकड़े तो माननीय मंत्रीजी ने आपको बता दिये होंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार उद्योग, कृषि, टूरिज्म, इन सब पर एक इस प्रकार की योजना बनाने पर विचार कर रही है, जिससे पूंजी के आधार पर रोजगार उपलब्ध हो सके और उसी दृष्टि से वह समिति विचार कर रही है। उसमें श्री विजय कृष्ण व्यास, जो एक एक्सपर्ट हैं, इन चीजों पर अध्ययन कर रहे हैं, रोजगार कार्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं और बाकी के राज्यों में भी वह अध्ययन कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद उसकी कार्यवाही की जायेगी।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, कुछ महकमे ऐसे हैं, जैसे पी. डब्ल्यू. डी., इरिगेशन, जो बिना एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज को रिकग्नीशन दिये हुए अपने ढंग से नोर्म्स तय कर देते हैं। क्योंकि यह स्टेट की पालिसी के खिलाफ है, आपने इस पर कोई विचार किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पालिसी के तो खिलाफ है, इसमें तो कोई संदेह ही

(10)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं है। प्रश्न यह आता है कि नियुक्तियां किस प्रकार से हुईं। मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि फारेस्ट डिपार्टमेण्ट और इरिगेशन डिपार्टमेण्ट में वर्कचार्ज के नाम से काफी व्यक्तियों को नियुक्तियां दे दी गयी हैं और कई वर्षों से वर्कचार्ज के नाम पर वह चलाये गये हैं। जब उनको कन्फर्म नहीं किया गया तो हाईकोर्ट में चले गये, सुप्रीम कोर्ट तक गये और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उन सबको लेना पड़ेगा। फारेस्ट डिपार्टमेण्ट में इसी प्रकार से काफी संख्या में लोग लिये गये। अन्य विभागों की भी यही स्थिति है। वर्कचार्ज के सम्बन्ध में राज्य सरकार नियम बना रही है और नियम लागू कर रही है, ताकि सरकार की नीति के विरुद्ध किसी आदमी को इस प्रकार की नियुक्ति न मिल सके और वर्कचार्ज में जिन लोगों को ले लिया गया, उनमें मेरिट के आधार पर लोगों को किस प्रकार से परमानेन्ट बनाया जा सकता है, उसके सम्बन्ध में भी निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी, जो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने का इरादा रखती है या नहीं, यह बताने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी नहीं है।

श्री केदारनाथ शर्मा : राइट टू वर्क को फण्डामेण्टल राइट बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और मुख्य मंत्रीजी उसके मैम्बर थे, क्या वह समिति सेण्ट्रल लेवल पर एग्जिस्ट करती है, या वह पिछली सरकार के साथ ही समाप्त हो गयी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे ध्यान है कि उस समिति का मैं सदस्य रहा हूं, लेकिन शायद ही एक बार उस समिति की बैठक हुई होगी। अब उसकी प्रजेण्ट पोजीशन क्या है, मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 1989-90 और 1990-91 में कितने शिक्षित बेरोजगारों का अभी तक चयन किया गया और उनको किस-किस पद पर किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना लोन दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य जी।

श्री हीरालाल आर्य : मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि रोजगार कार्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने बेरोजगार दर्ज हैं ? मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति का सरकारी नौकरियों में जो बैकलाग पड़ा है, क्या सरकार उस बैकलाग को भरने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के लिए एक विशेष अभियान चलाकर

(श्री हीरालाल आर्य)

बैकलाग को पूरा करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहला प्रश्न तो आप अलग से पूछें, तो ज्यादा उचित होगा। जहां तक एस. सी. और एस. टी. के बैकलाग का प्रश्न है, राज्य सरकार उस पर विचार कर रही है कि जिन-जिन सेवाओं में इन लोगों को नहीं लिया गया है, उन स्थानों पर इनकी नियुक्ति किस आधार पर किस प्रकार से की जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

जयपुर का जवाहरात उद्योग

114. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खाड़ी युद्ध के कारण जयपुर का नगीनों व जवाहरात का उद्योग करीब-करीब बन्द होने की स्थिति में है ?

(2) क्या इस कारण करीब दो लाख मजदूर बेकार हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा मजदूरों की आजीविका के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो सरकार ऐसे मजदूरों के हितों के लिए क्या प्रयास करने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्री (श्री कृष्णकुमार गोयल) : यह उद्योग विभाग पर ही अंकित है। 25 फरवरी को ही इस सम्बन्ध में, उद्योग विभाग ने श्रम विभाग को लिख दिया था कि यह प्रश्न उससे सम्बन्धित है, और पुनः इसकी जानकारी 22 मार्च को की गई है।

श्री अध्यक्ष : तो श्रम विभाग कह देगा। 25 फरवरी को दिया है ना आपने।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 25 फरवरी को लिख दिया था इसके बाद....

श्री अध्यक्ष : श्रम विभाग के मन्त्री जी बोलिये।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : (1) इस प्रकार की स्थिति नहीं हुई।

(2) जयपुर में इस प्रकार के बेरोजगारों की जो संख्या बतायी गयी है, वह सही नहीं है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मुझे दिया ही नहीं गया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मुख्य मंत्रीजी, आपने बहुत हल्के रूप से इसको लिया है। इस सवाल की जो इम्पार्टेन्स थी उसको नकार गये, ऐसा नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और आपकी कार्यकुशलता, आपकी दक्षता....

श्री अध्यक्ष : आ गया, साहब, अब आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, नयी परम्परा आज इस सदन में डाली गई है इस प्रश्न का उत्तर देकर। इस प्रश्न का उत्तर दिया नहीं गया, मुख्य मंत्रीजी ने देखा कि बड़ी एम्ब्रेसिंग पोजीशन हो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जायेगी तो स्वतः ही अपने मन से ही उत्तर दे दिया। मैं जानता हूं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंत्री जी सक्षम हैं। लेकिन राजस्थान विधान सभा के इतिहास में यह पहली दफा ऐसा हुआ है कि इस प्रकार का उत्तर, जिस उत्तर की प्रतिलिपि एडवांस में यहां भेजी नहीं गई, उत्तर डिपार्टमेण्ट के द्वारा तैयार नहीं किया गया और मुख्य मन्त्रीजी ने इस प्रकार से उत्तर दिया। इस पर मैं आपका डायरेक्शन चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर प्रश्नकाल के अन्दर कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा नहीं सकता, इसलिए आपका इस पर क्या निर्णय है? क्या इस प्रकार के उत्तर भविष्य में दिये जायेंगे, वह अवगत करा दें, अन्यथा उत्तर पहले प्राप्त होता, तो उसी उत्तर के आधार पर सप्लीमेण्टरी प्रश्नों की तैयारी कोई सदस्य कर सकता था। चूंकि उत्तर यहां उपलब्ध नहीं था इसलिए सप्लीमेण्टरी....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, आप बिराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका डायरेक्शन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पंडित जवाहरलालजी जब प्रधान मंत्री थे, तो एक प्रश्न आया था कि हिन्दुस्तान में कितने चूहे हैं कि जो हमारी फसल को बरबाद करते हैं। सारे डिपार्टमेण्ट को उन्होंने पूछा? कि साहब, यह कैसे संभव है? बोले संभव नहीं है, कोई बात नहीं। जब सवाल आया तो पंडितजी ने खड़े हो करके यह संख्या बता दी कि इतने अरब, इतने करोड़, इतने चूहे हैं। अब प्रश्न समाप्त हो गया, डिपार्टमेण्ट ने पूछा कि यह आपने कहां से बोल दिया। बोले, जिस संख्या का पता गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया नहीं लगा सकती, एक सामान्य सदस्य क्या लगा सकता है। इसलिए मैंने जो कह दिया, वह कह दिया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह चूहों का नहीं आदमियों का सवाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आस्ट्रेलिया की पार्लियामेण्ट में लिखित प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता। वहां पर सदस्यों को पालिसी के मामले में, वहां की जो पालिसी है, उस मामले में या मोटे पैरामीटर्स के आधार पर पहले सूचना नहीं देनी पड़ती। एक एक मिनिस्टर का डे तय होता है और उसी डे पर मैम्बर्स खड़े होकर प्रश्न करते हैं, जिनकी पहले कोई जानकारी नहीं है। अब एक तरफ तो पार्लियामेण्ट में इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है और यहां आपके आग्रह पर मैंने....

श्री हेतराम बेनीवाल : हम संतुष्ट हैं। हम सवाल पूछें तो आपके मंत्रियों से जवाब दिला दीजिए, हम मान जायेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित कर दें, यही आपसे मेरा निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बता देंगे। लेकिन अगर आंकड़े पूछोगे तो बताना मुश्किल है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अपनी विधान सभा के नियम बने हुए हैं, हमारी विधान सभा के नियम बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अब यह प्रश्न स्थगित किया जाता है। चलिये श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : सवाल ही नहीं है, आपका।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 114 में।

श्री अध्यक्ष : 114 स्थगित कर दिया गया है।

झुन्झुनू जिले में नये औषधालय

115. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनू) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनू जिले के आयुर्वेदिक औषधालयों में वैद्यों-उपवैद्यों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं उनमें से कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) क्या झुन्झुनू जिले में आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार नये औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री जोगेश्वर गर्ग) : (1) झुन्झुनू जिले में संचालित आयुर्वेद औषधालयों में कुल स्वीकृत पद निम्न प्रकार हैं :—

चिकित्सक-152 पद, नर्स/कम्पाउण्डर-146 पद; परिचालक (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) - 125 पद। रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) चिकित्सकों एवं नर्स/कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा रहा है। परिचारक के रिक्त पदों को सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि के अधिशेष कर्मचारियों से भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) वित्तीय वर्ष 1991-92 में राज्य में 25 नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित है। इनका स्थान चयन करते समय झुन्झुनू जिले के प्रस्तावों पर भी विचार कर लिया जायेगा।

(सूची के लिए, कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि झुन्झुनू जिले में आयुर्वेद चिकित्सकों यानी वैद्यों, उपवैद्यों के कितने पद सृजित हैं लेकिन स्वीकृत नहीं हैं ? दूसरा, जो परिचारक के रिक्त पद हैं उनके बारे में मंत्रीजी ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशेष कर्मचारियों से भरे जायेंगे, आयुर्वेद विभाग में नियुक्ति नहीं की जायेगी, ऐसा क्यों ? सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशेष लोगों से क्यों भरे जायेंगे ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि सृजित हैं किन्तु स्वीकृत नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न में तो नहीं है सृजित का।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सप्लीमेण्ट्री है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद पद सृजित किये जाते हैं इसलिए सृजित और स्वीकृत में कोई अन्तर नहीं है। दूसरा, परिचारक के बारे में जो इन्होंने कहा, उसमें राज्य सरकार से सीधी नयी भर्ती पर अभी पाबन्दी है इसलिए सीधी भर्ती नहीं कर सकते। दूसरे विभागों सार्वजनिक निर्माण विभाग या अन्य किसी विभाग में जहां भी सरप्लस हैं उनसे सूची प्राप्त करके हम उनको अपने विभाग में पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद जगह खाली बचेगी तो राज्य सरकार से स्वीकृति लेकर नयी भर्ती करेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसा नहीं है। मैंने विगत मई सत्र में यही प्रश्न दिया था तब आयुर्वेद मंत्री महोदय के स्थान पर स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने जवाब दिया था। उसमें इन्होंने कहा था कि आपके इस प्रश्न से हमारे सामने एक तथ्य सामने आया है कि झुंझुनू जिले में आयुर्वेद के वैद्यों और उपवैद्यों के पद आजादी के बाद से सृजित तो हैं लेकिन आज तक स्वीकृत नहीं किये गये। अब हम इसकी तुरन्त जांच पड़ताल करवाकर अतिशीघ्र स्वीकृत करवाकर इन खाली पदों को भरने का काम करेंगे। आज माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी कह रहे हैं कि सृजित और स्वीकृत में कोई अन्तर नहीं हैं क्योंकि वित्त विभाग से स्वीकृति लेने के बाद ही पद सृजित किये जाते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इन दोनों में विरोधाभास कैसे है, कृपया इस सम्बन्ध में बतायें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, झुंझुनू जिले में आयुर्वेद के 149 अस्पताल हैं। उनमें 152 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं। इससे ज्यादा हो नहीं सकते और बिना चिकित्सालय के पद स्वीकृत हो नहीं सकते।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपके दोनों जवाबों में अन्तर है, आपका पिछला जवाब देखिये न।

श्री अध्यक्ष : आप उसको ऐसा मान लीजिए कि 152 सृजित हैं, 149 स्वीकृत हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : 149 औषधालय हैं, 152 स्वीकृत पद हैं।

श्री अध्यक्ष : वह हो गया न, 149 तो स्वीकृत हैं, सृजित 152 हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि उपवैद्यों के मामलों में ऐसा है कि जिला बोर्डों से हमें जो औषधालय प्राप्त हुए थे उनमें उपवैद्यों के पद थे ही नहीं। उनमें हम क्रमशः हर साल कुछ कुछ पद सृजित करते हुए भर रहे हैं। 19 पद झुंझुनू जिले में ऐसे हैं उपवैद्यों के, जो स्वीकृत नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री लक्ष्मी लाल।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कब से 19 पद रिक्त पड़े हैं ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : जब से औषधालय जिला बोर्डों से प्राप्त हुए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आजादी से लेकर आज तक ? 1952 से ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : जी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कोई फिगर तो होगा, कब से हैं ?

श्री अध्यक्ष : जो आपने पूछा वह हां भर ली।

नैक्स्ट, श्री लक्ष्मी लाल।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : प्रश्न संख्या 116.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं जातिवादी व्यवस्था का बड़ा विरोधी हूं। पहले सालिगराम जी और गोविन्दसिंहजी, अब लक्ष्मीलाल जी और गोविन्द सिंह जी। यह बता दिया जाय कि क्या जाति के आधार पर ही क्वेश्चन को क्लब किया जाता है या दूसरी जाति के साथ बैठने में इनको नफरत है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : पहले मैं आपके साथ मिलकर किया करता था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय आपका स्वभाव ठीक था।

श्री अध्यक्ष : अब ये जोर लगा रहे हैं अपना कि पिछड़ों में आ जायं एक-साथ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और जवाब देने वाले भी गुर्जर।

श्री सम्पत सिंह (कृषि मन्त्री) : मैं तो इन्सान हूं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : प्रश्न बनाकर तो मुख्य मंत्रीजी ही देते हैं।

श्री केदार नाथ शर्मा : इस उम्र में कम्पनी चाहिए, इसलिए हमेशा कम्पनी रखते हैं।

कृषि उपज मण्डी के सचिवों को प्रशिक्षण

116. **श्री लक्ष्मी लाल** (आसीन्द) व **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में कृषि उपज मण्डी समिति के सचिवों के लिए प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्तमान में कई कृषि उपज मण्डी समितियों में अप्रशिक्षित सचिव लगा रखे हैं जब कि प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हैं ? क्या उन्हें कृषि उपज मण्डी समिति के सचिव के पद के अलावा दूसरे पदों पर लगा रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी समितियों के सुचारू रूप से कार्य-संचालन हेतु तत्काल प्रशिक्षित व्यक्तियों को सचिवों के पद पर नियुक्त करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री सम्पत सिंह) : (1) जी हां, राज्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण

(श्री कृषि मंत्री)

की सुविधा उपलब्ध है । यह प्रशिक्षण केन्द्र सरकार द्वारा लखनऊ व नागपुर में स्थापित केन्द्रों पर दिया जाता है।

(2) जी हां, केवल तीन सचिव ही वर्ष 1986 से मण्डियों में ऐसे लगे हुए हैं जो कृषि विपणन में प्रशिक्षित नहीं हैं, पर इन्हें कृषि विपणन का पर्याप्त अनुभव है। कृषि विपणन में प्रशिक्षित व्यक्तियों को मण्डी सचिव के अलावा विभाग में उपलब्ध अन्य पदों पर भी लगाया जाता है।

(3) जी हां।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में भी प्रशिक्षण के लिए केन्द्र द्वारा एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना थी ? उसके लिए जमीन भी अवाप्त की गयी और भी कई कार्यवाही उसमें की गयी। क्या वह प्रशिक्षण केन्द्र चालू हो गया है ? अगर नहीं तो कब तक उसको चालू कर दिया जायेगा ? दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जिन लोगों को आपने प्रशिक्षित किया है उनमें कोई दस साल पहले के कोई पांच साल पहले के प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए हैं। विपणन का कार्य ऐसा है जो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। क्या रिफ्रेशर कोर्स की भी कोई व्यवस्था आपने की है ?

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रशिक्षण केन्द्र का प्रश्न है, 2 फरवरी, 1991 को निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशिक्षण संस्थान को मण्डी सचिव प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की व्यवस्था करने का निवेदन किया गया है। जहां तक रिफ्रेशर कोर्स की बात माननीय सदस्य ने कही है, निश्चित रूप से यह अच्छी बात होगी और इस पर अध्ययन करके व्यवस्था करने की कोशिश की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री लक्ष्मी नारायण दवे।

पाली जिले में एन. आर. ई. पी. व आर. एल. ई. जी. पी. के अधूरे कार्य

117. **श्री लक्ष्मी नारायण दवे** (सोजत) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. के तहत जो कार्य आरम्भ किये गये थे वे अभी तक अधूरे व क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार ने एन. आर. ई. पी. व आर. एल. ई. जी. पी. के तहत अपूर्ण कार्यों को जे. आर. वाई. में पूर्ण करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो स्वीकृति का क्या मापदण्ड रखा ? क्या उक्त योजना के अपूर्ण कार्यों को नजरन्दाज कर जे. आर. वाई. में नये कार्यों को सम्मिलित किया है ? यदि हां, तो कौन कौन से ?

(3) क्या राज्य सरकार ने पाली जिले के धोली दाता बांध, चिरपटिया बांध, बोरथड़ी एनीकट, चाडियाक बांध, रामासनी

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

वाला बांध को भी जे. आर. वाई. में स्वीकृत किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, सिचाई (श्री जीवराम कटारा) : (1) एन. आर. ई. पी. व आर. एल. ई. जी. पी. योजनाएं वर्ष 1984-85 में प्रारम्भ हुई व मार्च, 1989 में बन्द हो गयीं। पाली जिले में इन योजनाओं के तहत 59 कार्य स्वीकृत हुए थे, जिनमें से एक कार्य निरस्त हो गया था। इस योजना के अन्तर्गत उस समय 19 कार्य पूरे किये गये थे। बाद में शेष रहे 39 कार्यों में से अन्य मदों में 20 कार्य पूरे किये जा चुके हैं एवं कार्य 12 प्रगति पर हैं। गत वर्ष की अतिवृष्टि के कारण तीन पूर्ण हुए कार्य व एक अधूरा रहा कार्य क्षतिग्रस्त हुआ है।

(2) जी हां, राज्य सरकार ने एन. आर. ई. पी. व आर. एल. ई. जी. पी. योजनाओं के अपूर्ण कार्यों को जे. आर. वाई. में पूर्ण कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के मापदण्ड के अनुसार जे. आर. वाई. के बजट का 80 प्रतिशत पंचायतों के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान है व शेष 20 प्रतिशत में विभिन्न विभागों के एन. आर. ई. पी. व आर. एल. ई. जी. पी. के अधूरे कार्य व अन्य कार्य लेने हैं, अतः कार्यों की उपयोगिता, आकार व लागत एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर डी. आर. डी. ए. द्वारा कार्यों की स्वीकृति जारी की जाती है। एन. आर. ई. पी. व आर. एल. ई. जी. पी. के अपूर्ण रहे कार्यों में से 23 कार्य जवाहर रोजगार योजना में स्वीकृत किये गये जिनमें से 14 कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं व बाकी कार्य प्रगति पर हैं। इस प्रकार अपूर्ण कार्यों को नजरन्दाज करके नये कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं, धोलीदाता बांध एक बड़ी योजना होने के कारण लघु सिंचाई में सम्मिलित कराने के प्रयास जारी हैं। चिरपटिया बांध, दोरनाड़ी एनीकट, बामड़िया बांध, रामासनी वाला बांध एन. आर. ई. पी./आर. एल.ई. जी. पी. के अधूरे कार्य नहीं होने के कारण जे. आर. वाई. में स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पाली जिले में एन. आर. ई. पी. या आर. एल. ई. जी. पी. में कितने एनीकट और कितने बांध स्वीकृत नहीं हुए हैं ? दूसरा मेरा प्रश्न है कि एन. आर. ई. पी. या आर. एल. ई. जी. पी. के कितने कार्यों को डी. डी. पी. के तहत स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी और डी. डी. पी. योजना के अन्दर क्या नये कार्य एन. आर. ई. पी./आर. एल. ई. जी. पी. के अपूर्ण होने के पश्चात् नये कार्यों को स्वीकृति दी गई ? तीसरा मेरा प्रश्न है कि धोलीदाता और गजनई बांध क्या एन. आर. ई. पी./आर. एल. ई. जी. पी. के अधूरे बांध हैं ? क्या इन बांधों की स्वीकृति एन. आर. ई. पी./आर. एल. ई. जी. पी. को कम्पलीट करने के लिये 1990-91 के अन्दर राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत लेनी चाहिये थी ? यह मेरे प्रश्न हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री विजय सिंह झाला) : अध्यक्ष महोदय, कुल 28 काम अधूरे थे उनमें से 23 कार्य ले लिये गये हैं, एक कार्य निरस्त हो गया है और धोलीदाता बांध, जिसके लिये पूछ रहे हैं, वह कार्य पड़ा है, उसको माइनर इरिगेशन में लेने की कोशिश की जा रही है। बहुत सी जगहों पर, जहां पर एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. के कार्य नहीं थे वहां पर डी. डी. पी. के कार्य भी जे. आर. वाई. में लिये गये हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. के अधूरे कार्य हैं; पाली जिले में ऐसे 20-30 कार्य हैं जो एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. के इनकम्पलीट कार्य हैं, जिनको जे.आर. वाई. योजना में लेना था। धोलीदाता बांध, गजनई बांध, दोलड़ी एनीकट, मण्डला एनीकट, रामासनी बाला एनीकट यह भी एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. के इनकम्पलीट वर्क थे। मैं माननीय मंत्रीजी को जानकारी देना चाहता हूं कि आपके अधीनस्थ अधिकारियों ने एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. के जो अधूरे कार्य थे उनको कम्पलीट बताया है। दोलड़ी जो एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. का कार्य था, जो क्षतिग्रस्त है, वह आज 6 साल से इनकम्पलीट पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानकारी करना चाहता हूं कि एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. के कार्य में जो सड़कें थीं वह जे. आर. वाई. योजना द्वारा पूरी करवाई गई हैं लेकिन डब्ल्यू. बी. एम. करके छोड़ दी गई हैं, इन सड़कों पर कौन से कार्यक्रम के अन्तर्गत कराई जायेगी, किस से करवाई जायेगी, विभाग बी.टी. से करवाई जायेगी और कब तक करवाई जायेगी ? वरना सड़कें उघड़ जायेंगी। दूसरा, मेरा निवेदन है कि कुछ जिलों में एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. के अधूरे कार्य थे, जे. आर. वाई. योजना में जिन्हें ले लिया गया है तो उन जिलों में क्या आने वाले बजट में से राज्य सरकार जे. आर. वाई. अकाल राहत, कैश स्कीम योजनाओं के अधूरे कार्य हैं उनको लेने की मंशा रखती है या नहीं रखती है ? यह दो सवाल हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल परमार।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाली के पास कोटल्या बांध पर 70 लाख रुपए खर्च किये जा चुके हैं, चार-चार बार निवेदन करने के बावजूद वह काम चालू नहीं हुआ है। 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है उस बांध पर और काम अभी भी बन्द पड़ा हुआ है। ठेकेदार आता नहीं है, ठेकेदार पहले की रेट्स पर काम करना नहीं चाहता है। इस बांध के बन्द होने के कारण 2 साल से हमारे क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है। अभी बरसात का मौसम आ रहा है, वापस किसानों की समस्या वह की वह खड़ी हो जायेगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बांध को कब तक पूरा

(श्री अमृतलाल परमार)

करवा दिया जायेगा, सिर्फ रपट बनानी बाकी है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष की अतिवृष्टि के कारण ओड़ा बांध में बहुत तेजी से ओवर फ्लो हुआ, है जो उसकी लिंक रोड थी, सड़क की रपट टूट गई है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों से और सरकार से बार-बार निवेदन करने के बावजूद वह सड़क ठीक नहीं करवा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसी पर भी फिक्स नहीं हो रही है। यह एन. आर. ई. पी. में बनी थी या आर. एल. ई. जी. पी. में बनायी गई थी या अकाल राहत में बनायी गयी थी, या सिंचाई विभाग ने बनायी थी, कोई भी उस रपट का मालिक नहीं है, गांव वाले बड़ी तकलीफ में हैं, यह पुलिया कौन बनायेगा, कब बनेगी और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जायेगी ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी मंत्रीजी से चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमान् मंत्री महोदय।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों का प्रश्न है इसका जवाब तो पी. डब्ल्यू. डी. वाले देंगे लेकिन जहां तक अतिवृष्टि से सिंचाई विभाग में जो क्षति हुई है कुल साढ़े छः करोड़ की, वह बारिश के पहले पूरी करने की कोशिश की जायेगी। बहुत से कार्य पड़े हुए हैं उनके लिए टेंडर्स मंजूर किये जा रहे हैं, कुछ राशि भी सरकार से स्वीकृत हो चुकी है। जहां तक कोटला बांध का प्रश्न है वह माइनर इरिगेशन से सम्बन्धित है, ठेकेदार ने उसका कार्य बन्द कर दिया था, उसकी आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है। जहां तक जे. आर. वाई. के कार्य डी. डी. पी. योजना के या अन्य विभाग के चालू करने का प्रश्न है, आज के दिन 400 कार्यों पर काम चल रहा है जिन पर 38,000 मजदूर काम कर रहे हैं, जिनमें से 150 कार्य जून के पहले पूरे हो जायेंगे और 125 कार्य 31 मार्च के पहले पूर्ण हो जायेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी।... पहले नये आदमी को पूछने दें।... आपका तो चल रहा है, खतम कहां हो रहा है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मेरा पहले उत्तर तो आये...

श्री अध्यक्ष : आ जायेगा ना आपका।

श्री रतनाराम चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अतिवृष्टि में, जालौर जिले में भी बहुत-सी नदियां बहती हैं—अजमेर, पाली और जोधपुर वगैरह होती हुई जालौर जिले में से वह निकलती हैं, इसलिये ज्यादा बांध जालौर जिले में टूटे हैं, उनका एस्टिमेट बनाकर स्वीकृति हेतु सरकार को भेजा जा चुका है परन्तु अभी तक एक भी बांध पर, जो टूटे हैं उन पर काम चालू नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में बरसात दो महीने में

(श्री रतनाराम चौधरी)

आने वाली है, यदि दो महीने में बांध पूरे नहीं होंगे तो ठेकेदारों को बहाना मिल जायेगा कि हमने तो काम करवा दिया, क्या करें मिट्टी पानी के साथ बह गई। और वह पेमेन्ट उठाते रहेंगे और सरकारी धन का दुरुपयोग करेंगे। इसलिये मंत्री महोदय से यह आश्वासन दिलाने की कृपा करें कि जालौर जिले में जो बांध टूटे हैं उनको कब तक चालू कराने के आदेश प्रदान कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है। डी. डी. पी. योजना के तहत जो कार्य क्षतिग्रस्त हो गये थे, बाद में जो कार्य इन्कम्पलीट थे क्या राज्य सरकार उन इनकम्पलीट कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवायेगी? या नये कार्यों को पहले स्वीकृत करेगी?

दूसरा, एन.आर.ई.पी. और आर. एल. ई. जी. पी. के जो कार्य हैं राज्य सरकार उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवायेगी? मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे यहां चिरपटिया, मण्डला बांध, कोटलिया बांध, यह डी. डी. पी. के कार्य इनकम्पलीट कार्य हैं, चिरपटिया 1982 में क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके पश्चात् इसकी जांच बैठी थी, इन्क्वायरी समाप्त हो चुकी है। चिरपटिया बांध, कोटलिया बांध, मण्डला बांध 1991-92 के प्लान में है, कार्य कब पूर्ण करवायेगी?

तीसरा मेरा प्रश्न है कि जो घोलीदाता बांध है, एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. का कार्य है, इनकम्पलीट कार्य है और राज्य सरकार की योजना के तहत अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने के लिये राज्य सरकार प्राथमिकता देगी, जैसा मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है। तो माननीय मंत्री महोदय घोलीदाता बांध, चिरपटिया बांध, मण्डला बांध, गजनई बांध, कोटलिया बांध के कार्यों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर देगी? यह मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सर, मेरा तो उत्तर ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। पहले मंत्रीजी।

श्रीमती तारा भण्डारी : यही सवाल है, साहब, उत्तर ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट आ रहा है। आप बैठें। (व्यवधान)

बैठिये आप। जो प्रश्नकर्ता हैं, मूल-प्रश्नकर्ता हैं उनका....जवाब आना चाहिये। बैठिये आप। आप मूल प्रश्नकर्ता नहीं हैं।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि के कारण जो कार्य क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जून के पहले अधिकांश कार्य पूर्ण कराने का प्रयास किया जायेगा और उसके लिये सरकार ने बजट दे दिया है।

(श्री विजय सिंह झाला)

जहां तक पाली जिले में 59 कार्य एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. में प्रारम्भ हुए थे उनमें 39 कार्य पूर्ण हो चुके थे। 28 अधूरे थे उनमें से 23 कार्यों को ले लिया गया है और 4 कार्यों को और उसमें लेने का प्रयास किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित।

सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन के ग्रामों में भू-जल विभाग द्वारा सर्वे

118. **श्री गुलाबसिंह** (सुमेरपुर), **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही), एवं **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन के ग्रामों में भू-जल विभाग द्वारा सर्वे कराया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त पंचायत समितियों के ग्रामों की भूमि का सर्वे करवाकर परीक्षण के तौर पर पाताल तोड़ कुआं खुदवाने की योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री भू-जल (श्री मानधाता सिंह) : (1) जी नहीं। पंचायत समिति सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन (खारची) में प्रारम्भिक भू-जल सर्वेक्षण के उपरान्त वर्ष 1973-74 में अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण किया गया, तत्पश्चात जिले के विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण (वर्ष 1976-83) करते समय भी उक्त दोनों पंचायत समितियों के ग्रामों का विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण किया गया। वर्तमान में हर वर्ष आधारभूत कुओं के जरिए भू-जल आंकलन निरन्तर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन पंचायत समितियों के ग्रामों का अलग से भू-जल सर्वेक्षण कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। पाली जिले के भू-जल सर्वेक्षण के अन्तर्गत उक्त पंचायत समितियों के ग्रामों में आवश्यकतानुसार 35 परीक्षणात्मक नलकूप बनवाये गये। अब ऐसे और नलकूपों की कोई आवश्यकता नहीं महसूस की जाती।

श्री गुलाब सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्रीजी ने बताया 1973-74 और उसके बाद सम्पूर्ण जिले का 1976-83 में भू-जल सर्वेक्षण करवाया गया और अभी ऐसा कोई प्रस्तावित नहीं है। मात्र आधारभूत कुओं के आधार पर यह इसका आकलन करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में इस बार पानी बरसा और पानी के जो सोर्स थे, जहां खारे पानी की ऐसी समस्या थी वहां पर इस समय अगर उसका सर्वेक्षण करवाया जाए तो निःसन्देह मीठा पानी उपलब्ध होगा। मैं बताना चाहता हूं मंत्री जी को कि गत वर्ष सुमेरपुर क्षेत्र में एक पालड़ी गांव है जहां पर चालीस साल में एक भी हैण्ड पम्प

(श्री गुलाब सिंह)

नहीं खोदा सिर्फ इसलिए कि वहां पर पानी खारा है। मैंने जिला परिषद की बैठक में उनसे आग्रह करके दो हैण्ड पम्प स्वीकृत करवाये और दोनों में मीठा पानी निकला। इसलिए मेरा निवेदन है कि भू-जल सर्वेक्षण वापिस करवाया जाकर उन लोगों को मीठा पानी उपलब्ध करवाये। ऐसे जो क्षेत्र पूरे पाली जिले में हैं उनमें जो खारे पानी की समस्या बनी हुई है वहां पाताल तोड़ कुआं अगर खोदेगी सरकार और इस तरह अगर एक बार पैसा लगा दिया और जनता को, काश्तकारों को मालूम पड़ गया कि यहां मीठा पानी है तो वह कुआं खोदने की हिम्मत कर लेंगे और निःसन्देह उनको लाभ होगा, मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री जी ने बताया है दोनों पंचायत समितियों का विस्तृत सर्वे करवाया गया। मेरा यह प्रश्न है कि उक्त सर्वेक्षण की क्या रिपोर्ट आयी? नम्बर दो, 35 नलकूप कहां-कहां खोदे गये, कितने गहरे खोदे गये, उन नलकूपों से प्राप्त जल की क्या रिपोर्ट आयी, वह भू-जल स्वच्छ था, फ्लोराइड इत्यादि से युक्त था?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि 1976-83 के तहत जो भू-जल सर्वेक्षण करवाया गया था क्या उसके आधार पर जो तीन चौथाई डार्क जोन है उसको हटाने के बारे में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को सिफारिश की है? तीसरा मेरा प्रश्न है 1991 में सोजत विधान सभा क्षेत्र के बीस गांव राजोला कलां, चौपड़ा, नापावास, भाणियां, पोटलियां, रूपावास, बिलावास, धाकडी, इन गांवों का आपने सर्वे करवाया, अगर हां, तो इसकी सर्वे रिपोर्ट क्या आयी?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री मानधाता सिंह : अध्यक्ष महोदय, ट्यूबवैल खुदवाने के लिए माननीय सदस्य ने कहा, अगर वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे तो ट्यूबवैल खुदवाये जायेंगे। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी फरमाया सर्वे रिपोर्ट का, सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको उपलब्ध करवा दूंगा कि डार्क जोन है या व्हाइट जोन है या ग्रे जोन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब वह सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध करवा देंगे। उसमें सारी बातें हैं। उसमें पानी कैसा है क्या है....(व्यवधान) सर्वे रिपोर्ट में सारी चीजें मालूम पड़ जायेंगी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में डार्क जोन की वजह से जो कर्जा मिल रहा है, किसानों की हालत बहुत खराब हो रही है....

श्री अध्यक्ष : आप भी ले लेना, सर्वे रिपोर्ट से मालूम पड़ जायेगा ।

नैक्स्ट, श्री हुक्माराम ।

कैदियों हेतु फलों की खरीद

119. **श्री हुक्माराम** (सिवाना) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जेलों में कैदियों के लिए फलों की खरीद में लाखों रुपये के गोलमाल की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किस--किस जेल की ?

(2) गत तीन वर्षों में राज्य के विभिन्न जेलों में खरीदे गये फलों की विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(3) फलों की खरीद में हुए घोटालों में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, कारागार (श्री जीवराम कटारा) : (1) जी नहीं ।

(2) गत तीन वर्षों में राज्य की विभिन्न जेलों में कैदियों हेतु खरीदे गये फलों की विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) व्यक्ति विशेष की कोई शिकायत नहीं है ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह जो मुझे सूची दी गई है पिछले तीन सालों की, यह पूर्ण नहीं है । इसमें यह स्पष्ट नहीं होता है कि किन सालों में कितने-कितने फल किस दर से किन-किन पार्टियों से खरीदे । तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जेल नियमों के अनुसार किन कैदियों को फल उपलब्ध करवाये जाते हैं ? दूसरा मेरा प्रश्न है कि वर्ष 1988-89 में केवल जयपुर जेल में कितनी तादाद में उचित दर से और किस फर्म से सेव, केला तथा नींबू खरीदा गया ? क्या यह भी सही है कि वर्ष 1988-89 में खरीदे गए सेव, केले और नींबू जो पिछले साल 1987-88 में खरीदे गये उसके बनिस्बत ऊंची दर पर खरीदे गये । तीसरा....

श्री अध्यक्ष : आपने फलों का पूछा है तो उसमें पूछ लेते केले कितने, नारंगी कितनी, सेव कितने ? अब यह कैसे बतायेंगे कि सेव कितने थे उसमें....

श्री हीरालाल आर्य : यह उनको बताना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : कैसे बताना चाहिए, खोल कर देखते कि केला कितना था, नारंगी कितनी थी ? देखिए, यह ह्यूमनली पासिबल नहीं है । आपने फलों का पूछा तो टोटल फलों का दे दिया । अब आप केले का पूछ रहे हो, नारंगी का पूछ रहे हो....

श्री हीरालाल आर्य : एक साल का तो दे रखा है बाकी सालों का नहीं दे रखा । प्रश्न स्पष्ट है इसलिए उत्तर भी स्पष्ट ही आना चाहिए था । तो कृपया

(श्री हीरालाल आर्य)

बताएं कि 1988-89 में कितनी-कितनी तादाद में कितनी दर से किस फर्म से....

श्री जीवराम कटारा : अध्यक्ष महोदय, जो फल जिस फर्म से खरीदे गये हैं वह सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दी गई है उसमें लिखा हुआ है। आपने तीन सालों का पूछा है, तीन साल की दे रखी है और 1988-89 में जो फल खरीदे गये हैं वह सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दी गई है।

श्री हीरालाल आर्य : वह सूची स्पष्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसमें नाम दिया हुआ है, रुपए दिये हुए हैं, दर दी हुई है, इस सूची में केला भी दिया हुआ है, मौसमी भी दी हुई है। (व्यवधान)

प्रश्नकाल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बाली (पाली) के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति

105. **श्री अमृतलाल परमार** (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाली जिला पाली के 110 गांवों के 80 स्कूलों में अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो इनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(2) ट्रेण्ड अध्यापक होते हुए भी उन्हें क्यों नहीं नियुक्त किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

(2) प्रक्रिया जारी है।

नील गायों द्वारा बरबाद फसल का मुआवजा

106. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर के डीग क्षेत्र के अन्तर्गत मांडेरा, रूंध में वन विभाग द्वारा माह दिसम्बर, 90 में भरतपुर के घना क्षेत्र की छोड़ी गई नील गायों ने आसपास के किसानों की काफी फसल बरबाद कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) मांडेरा रूंध क्षेत्र के आसपास जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को सुरक्षित रखने हेतु सरकार क्या शीघ्र कार्यवाही करने का विचार रखती है एवं भविष्य में किसानों की फसलों की ठोस सुरक्षा व्यवस्था को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? समय सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। फसलों की रक्षा किसानों को स्वयं ही करनी होती है।

निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय

107. **श्री श्रीचन्दकृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी पंचायत समितियों के अधीन कितनी प्राथमिक शालायें हैं ? जिनमें वर्तमान में कितने-कितने अध्यापक कार्यरत हैं ?

(2) ऐसे कौन-कौन से विद्यालय है जो कि अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़े हैं तथा ऐसे कौन से विद्यालय हैं जिनको एक दो अध्यापक ही चला रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी पंचायत समितियों के अधीन :—

प. स.	विद्यालयों की संख्या	कार्यरत अध्यापकों की संख्या
1. निम्बाहेड़ा	88	163
2. छोटी सादड़ी	75	174

(2) अध्यापकों के अभाव में दोनों पंचायत समितियों में कोई भी प्राथमिक विद्यालय बंद नहीं है। ऐसे विद्यालय भी कोई नहीं है जहां अध्यापकों की सैंक्शन्ड स्ट्रेन्थ 3 से अधिक हो और एक या दो अध्यापक ही स्कूल चला रहे हों।

(3) जिला स्थापना समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा चयन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। पंचायत समिति निम्बाहेड़ा में केवल 15 पद एवं पंचायत समिति छोटीसादड़ी में केवल दो पद ही रिक्त हैं जो शीघ्र चयनित व्यक्तियों द्वारा भरे जावेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

वक्फ बोर्ड में स्वीकृत पद

108. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचौर) : क्या वक्फ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वक्फ बोर्ड में किस-किस श्रेणी के अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं तथा उक्त पदों के लिये क्या-क्या योग्यता होनी चाहिये ?

(2) क्या वक्फ बोर्ड में सहायक सचिव का भी पद है ? यदि हां, तो कितने तथा इस पद के लिये क्या योग्यता होनी चाहिये ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री नवाबअली तत्कालीन सहायक सचिव को अयोग्य होने के बावजूद भी सचिव के पद पर नियुक्ति दे दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इस पर पुनर्विचार का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान मुस्लिम वक्फ रेगूलेशन 1964 के अन्तर्गत बोर्ड में पदों को निम्न प्रकार श्रेणी बद्ध किया गया है।

(1) प्रथम श्रेणी (2) द्वितीय श्रेणी (3) तृतीय श्रेणी। इन पदों के लिये वांछित योग्यतायें निम्न प्रकार है :—

(1) प्रथम श्रेणी :— स्नातक एवं उपयुक्त प्रशासनिक अनुभव

(2) द्वितीय श्रेणी :—हाई स्कूल

(3) तृतीय श्रेणी :–तकनीकी पदों के लिये (तकनीकी योग्यता) ओवरसियर के लिये इन्जीनियरिंग डिप्लोमा और असिस्टेन्ट इन्जीनियर हेतु इन्जीनियरिंग स्नातक) का प्रावधान राज. मुस्लिम वक्फ रेगूलेशन में है।

(2) राजस्थान मुस्लिम रेगूलेशन नं. 30 (3) के अन्तर्गत सलेक्शन कमेटी को यह अधिकार दिया गया है कि प्रथम श्रेणी के पदों के लिये विशेष प्रकरणों में अर्हता एवं अनुभव के आधार पर शैक्षणिक योग्यता के संबंध में रियायत दे सकते हैं। इस समय वक्फ बोर्ड में सहायक सचिव का कोई पद नहीं है।

(3) जी नहीं श्री नवाब अली को सचिव के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई है।

(4) पुनर्विचार का प्रश्न नहीं उठता।

माइन्स (मार्बल) के पट्टे

110.**श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर में माइन्स (मार्बल) की खदानें चालू हैं? यदि हां, तो कौन–कौन से गांवों में किस–किस जाति के व्यक्तियों द्वारा खदानें चलाई जा रही हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गांव पालकटेव पंचायत पण्डयावाड़ा तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर में आदिवासी किसानों के खेतों व मकानों के बीच खसरा नम्बर 553, 109, 1437 पर माइन्स की खदानें जबरन अन्य लोगों को पट्टे दिये जाकर पाल कटेव गांव के आदिवासी किसानों को बेघर करने की योजना चल रही है? यदि हां, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही कि पाल कटेव के मूल निवासी प्रकाश चन्द मुडा, कालु, प्रेमशंकर, लालु पिता मेगा, कोदरलाल, नानजी आदि कई किसानों ने अपनी निजी जमीन में खदान योजना हेतु खनिज विभाग को प्रार्थना-पत्र दिये जाने के बावजूद खदान की अनुमति दिये जाने से वंचित किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या उन आदिवासी किसानों को सरकार अपनी निजी भूमि पर माइन्स (मार्बल) खदान के लिये पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, एवं उदयपुर में मारबल के स्वीकृत खननपट्टों का विवरण, संबंधित गांव, व्यक्ति एवं उसकी जाति की सूचना परिशिष्ट "अ" "ब" "स" एवं "द" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। गांव पाल कटेव पंचायत पण्डयावाड़ा तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर में आदिवासी किसानों के खेतों व मकानों के बीच खसरा नम्बर 553, 109 व 1437 पर मार्बल की माइन्स किसी भी व्यक्ति को पट्टे पर नहीं दी गयी है। आदिवासी किसानों को बेघर नहीं किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। पाल कटेव के मूलनिवासी प्रकाश चन्द मुडा, कालू, प्रेमशंकर लालु पिता मेगा, कोदरलाल, नानजी आदि किसानों ने अपनी निजी भूमि में खननपट्टा आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं इसलिए अनुमति से वंचित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) आदिवासी किसानों से अपनी निजी भूमि पर खननपट्टा हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी तथा निजी भूमि पर पट्टा देने में रोक नहीं है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम नाडोल (पाली) 132 के. वी. का ट्रान्सफार्मर

112. **श्री अचला राम** (देसूरी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्राम नाडोल (पाली) में 132 के. वी. का ट्रान्सफार्मर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू करवाने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नाडोल क्षेत्र के आसपास भार में उचित वृद्धि के बाद ही इस योजना पर विचार किया जायेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर शहर में अवैध निर्माण

181. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचौर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में जयपुर नगर में अवैध व अनधिकृत भवन के निर्माण के कितने मामले सरकार के सामने आये ?

(2) उपरोक्त मामलों में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के कितने मामले हैं और उनमें प्राधिकरण ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर में अजमेर रोड पुल से लेकर गवर्नमेंट होस्टल तक की दूरी में पिछले 10 सालों में

(28)

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

अवैध व अनधिकृत निर्माण हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर प्राधिकरण ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध व अनधिकृत भवनों के निर्माण के कुल 5220 मामले एवं नगर परिषद् क्षेत्र में 2596 मामले सामने आये हैं ।

(2) विगत दो वर्षों में प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण व अनधिकृत निर्माण के 5220 मामले सामने आये । इन मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गयी है ।

(3) जी, हां । इन मामलों में नगर सुधार अधिनियम 1959 एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गयी ।

सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन जोधपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण

182. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, जोधपुर, के न्यायलय नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत प्रकरण क्रमांक 21/76, 196/76 एवं 197/76 सम्बन्धित राज्य सरकार बनाम किशनसिंह, राज्य सरकार बनाम हर्षवर्द्धन सिंह एवं राज्य सरकार बनाम दिग्विजयसिंह क्रमशः विचाराधीन रहे हैं ? यदि हां, तो इन सभी प्रकरण में से कौन--कौन से निर्णीत हो चुके हैं और कौन--कौन से अभी तक लम्बित हैं ? यदि निर्णीत हो चुके हैं तो उनके निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त तीनों प्रकरणों में उक्त अधिनियम की धारा (6) (1) के तहत जो स्टेटमेट प्रस्तुत किये गये हैं उनके सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं अलग--अलग सदन के पटल पर रखें :—

(क) स्टेटमेंट प्रस्तुतकर्त्ता का नाम, पता व दिनांक 9-3-1976 को उम्र ?

(ख) दिनांक 9–3–1976 को स्टेटमेंट प्रस्तुतकर्ताओं के पास कितने क्षेत्रफल की रिक्त भूमि एवं भवन की भूमि धारण की गई दर्शायी गई है और कहां स्थित है ?

(ग) उपरोक्त रिक्त भूमि में से कितनी रिक्त भूमि अधिकतम सीमा 1, 500 वर्गमीटर से अधिक दिनांक 9–3-1976 को प्रत्येक स्टेटमेंट प्रस्तुतकर्ता के पास धारण की हुई दर्शायी गयी है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमिधारकों ने उक्त अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत कुछ रिक्त भूमि की छूट हेतु आवेदन पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत

(29)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

किये थे ? यदि हां, तो इन आवेदन-पत्रों के अनुसार यदि छूट दी गई है तो छूट के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) यदि उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत रिवीजन का मामला राज्य सरकार के पास अथवा धारा 33 के तहत अपील का मामला संभागीय आयुक्त, जोधपुर के पास विचाराधीन है, तो उसकी पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, तीनों प्रकरण 21/76, 196/76 एवं 197/76 राज्य सरकार बनाम श्री किशन सिंह, राज्य सरकार बनाम श्री हर्षवर्धन सिंह एवं राज्य सरकार बनाम दिग्विजय सिंह में सक्षम अधिकारी जोधपुर द्वारा निर्णीत किये जा चुके हैं। निर्णय की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) (क) (I) ले. कर्नल किशन सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह	12 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर	जन्म दिनांक 13-12-24
(II) श्री हर्षवर्धनसिंह पुत्र श्री किशनसिंह	12 रेजीडेन्सी रोड जोधपुर	विवरण 6/1 में आयु नहीं दर्शायी गई
(III) श्री दिग्विजयसिंह पुत्र श्री किशनसिंह	12 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर	विवरण 6/1 में आयु नहीं दर्शायी गयी
(ख) ले. कर्नल किशन सिंह	धारित भूमि मय भवन	8497. 13 व. मी. रेजीडेन्सी रोड, रातानाड़ा
श्री हर्षवर्धनसिंह	,, ,,	8331 वर्ग गज (2×2)
श्री दिग्विजयसिंह	,, ,,	8331 वर्ग गज (2×2)

(ग) तीनों प्रकरणों में सीमा से अधिक रिक्त भूमि समर्पित करने हेतु विवरण 6 (1) में नहीं दर्शायी गयी है।

(3) श्री हर्षवर्धन सिंह एवं श्री दिग्विजय सिंह द्वारा रिक्त भूमि की धारा 20 के तहत छूट हेतु आवेदन पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये थे। दोनों को 1594–1594 व. मी. रिक्त भूमि की राज्य सरकार के आदेश प. 19 (11) नविग्रा/ ग्रुप–2/89 दिनांक 17-1-90 द्वारा छूट दी गई है। छूट आदेश की प्रति संलग्न है। ले. कर्नल किशनसिंह द्वारा छूट आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता है।

(नगरीय विकास मंत्री)

(4) उपरोक्त भूमि धारियों में से केवल श्री किशन सिंह के प्रकरण में सक्षम अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित आदेश 19-12-90 को धारा 34 के तहत रिवीजन हेतु प्रकरण विभाग के पत्र एफ. 7 (985) जन/सीलिंग/नभूभक/91/83 दि. 18-2-91 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है (प्रति संलग्न है)।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नाहरसिंह हत्था सैण्ट्रल स्कूल योजना जोधपुर की स्वीकृति

183. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर में "नाहरसिंह हत्था सैण्ट्रल स्कूल योजना" नगर सुधार न्यास द्वारा कब स्वीकृत की गई थी ?

(2) इस क्षेत्र के कितने प्रार्थना-पत्र नगर सुधार न्यास व नगर परिषद् जोधपुर को अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए उनमें से कितने विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बहुत से प्लान नगर सुधार न्यास व नगर परिषद् द्वारा अनुमोदित नहीं हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर में "नाहरसिंह हत्था सैन्ट्रल स्कूल योजना" नगर सुधार न्यास द्वारा वर्ष 1983 में स्वीकृत की गई थी।

(2) इस क्षेत्र के 26 प्रार्थना-पत्र नगर सुधार न्यास के अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए। उनमें से 4 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है। नगर परिषद का इस योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(3) जी हां। 220 भूखण्डों के लिये प्लान नगर सुधार न्यास द्वारा अनुमोदित नहीं हुए ये मामले विचाराधीन हैं।

(सूची के लिए परिशिष्ट 3 देखें।)

जोधपुर के मास्टर प्लान में ग्रीन बैल्ट

184. **श्री पूनम चन्द विश्नोई** (फलौदी): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर भूमि एवं भवन कर विभाग जयपुर ने अपने पत्र संख्या 97 दिनांक 23-4-1988 द्वारा उप पंजीयन अधिकारी, जोधपुर को सूचित किया कि जोधपुर नगर परिषद् की सीमा में स्थित मदवासियां ग्राम के खसरा संख्या 74/2, 69, 71, 76 की भूमि का जोधपुर के मास्टर प्लान में भू-उपयोग ग्रीन बैल्ट दर्शाया गया है ? यदि हां, तो इस पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त खसरों में से खसरा संख्या 74/2, 69 व 71 का वास्तविक मास्टर प्लान में भूमि

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

उपयोग औद्योगिक है, अतः उपरोक्त पत्र अवैधानिक है जिसके आधार पर इन खसरों की भूमि के हस्तान्तरण के अभिलेख जो नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधान से प्रभावित होते हुए भी पंजीयन हो गये ?

(3) यदि हां, तो उपरोक्त अवैधानिक हस्तान्तरण के अभिलेख कब तक निरस्त घोषित किये जायेंगे एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक क्या दण्ड की कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) वरिष्ठ नगर नियोजक, भूमि एवं भवन कर विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 23-4-88 को 97 नम्बर का कोई पत्र जारी नहीं किया। 97 नम्बर का पत्र दिनांक 26-4-88 को जारी हुआ है जो कि उप पंजीयक जोधपुर को संबोधित नहीं हैं। 97 नम्बर का पत्र जो कि 26-4-88 को जारी हुआ है तथा जिसकी प्रति संलग्न है वह निदेशक नगर भूमि एवं भवन कर, राजस्थान जयपुर को सम्बोधित है तथा उस पत्र से मासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजा गया था। किन्तु उप पंजीयक, जोधपुर द्वारा कथित पत्र की फोटो प्रति भेजी गई है। मूल पत्र न तो उप पंजीयक के कार्यालय में उपलब्ध है और नहीं वरिष्ठ नगर नियोजक जयपुर की पत्रावली में। वरिष्ठ नगर नियोजक के कार्यालय डिस्पेच रजिस्टर क्र. सं. 94 पर दिनांक 23-4-88 पर एक पत्र उस पंजीयक, जोधपुर को जारी करना अंकित है परन्तु उक्त पत्र की मूल प्रति उपलब्ध नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता कि उपपंजीयक द्वारा प्रेषित फोटोकापी उसी पत्र की है। यही नहीं उप पंजीयक ने फोटोप्रति की प्रमाणित फोटो प्रति भेजी है जिसमें स्पष्ट रूप से काट-छांट कर ग्रीन बैल्ट अंकित किया गया है। यही नहीं उप पंजीयक ने अपने पत्र क्र. 88/134 दि. 28-3-88 में सिर्फ नं. 74/2 व 76 के सम्बन्ध में ही भू-उपयोग की रिपोर्ट चाही गई थी जबकि कथित पत्र में ख. नं. 74/2,69, 71 व 76 की रिपोर्ट की गई है। पत्र का जारी होना तथा जेनुइन होना संदेहास्पद है अतः जांच उपरान्त ही वस्तुस्थिति का पता लग सकता है। सम्बन्धित पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

(2) जी, हां। ख. नं. 74/2,69 एवं 71 का वास्तविक मास्टर प्लान में भूमि उपयोग औद्योगिक है। जहां तक उक्त भूमि के हस्तान्तरण के अभिलेखों के पंजीकरण का प्रश्न है तथाकथित पत्र संख्या 97 दिनांक 23-4-80 या संख्या 94 दिनांक 23-4-88 को मूल प्रति प्राप्त किये बिना केवल फोटोस्टेट काफी के आधार पर जिस में 'ग्रीन बैल्ट' शब्द काटफांस कर लिया गया हैं पंजीयन करना उचित नहीं था।

(3) इस सम्बन्ध में जांच कराने के आदेश दिये जा रहे हैं। जांच उपरान्त ही कार्यवाही की जायेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्वास्थ्य अधिकारी, नगर परिषद्, जोधपुर के विरुद्ध कार्यवाही

185. **श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई)**

(श्री रामकिशोर सैनी)

एवं **श्री हरिश चन्द्र** (नावां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि गत 12 माह में वर्तमान में कार्यरत स्वास्थ्य अधिकारी नगर परिषद्, जोधपुर ने नगर का कचरा, परिषद् ट्रकों के द्वारा अपनी अवैध भूमि खसरा संख्या 58/2 ग्राम मदवासिया पर खड्डों के भरने के लिए डलवाया है ? यदि हां, तो इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या उपरोक्त मामले की सरकार जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उपरोक्त खसरा 58/2 के स्थान पर कितना क्यूबिक मीटर कचरा पड़ा हुआ है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 186

(स्थगित)

जोधपुर जिले में पेयजल समस्या

187. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की राजडाल काली जल योजना के ग्राम बरीसगा-कानेका गांव-स्वामी का गांव-नेगरड़ा चक नेगरड़ा-ग्रामों में पीने का पानी महीनों तक नहीं जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार कमीशन ग्रामों में पीनेकेपानी की तत्काल व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित ग्रामों में से ग्राम नेगड़दा एवं चक नेगड़दा में वितरण सामान्य है। योजना के अन्तिम छोर के ग्रामों बरसिगा, कानेका गांव एवं स्वामी का गांव में स्त्रोत में जल की कमी एवं विद्युत में व्यवधान के कारण वितरण सामान्य नहीं है।

(2) स्वामी के गांव में निर्मित नये नलकूप को चालू किये जाने की व्यवस्था की जा रही है जिसके पश्चात् उपरोक्त ग्रामों की जल वितरण व्यवस्था में सुधार हो सकेगा।

ब्यावर शहर की पेयजल व्यवस्था

188. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने राज्य के सभी शहरों और गांवों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी है ?

(2) क्या ब्यावर शहर के लिए 15 लाख गैलन पानी की आपूर्ति आवश्यक है ?

(श्री चम्पालाल जैन)

क्या इसकी पूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ? अब कब तक वांछित मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 की जनगणनानुसार राज्य के कुल 34968 आबाद ग्रामों में से जनवरी 1991 तक 33346 ग्रामों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पेयजल सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। राज्य के 201 शहरों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था पूर्व समय से ही उपलब्ध है।

(2) ब्यावर हेतु प्रतिदिन कुल 25 लाख गैलन पानी की आवश्यकता के विरुद्ध वर्तमान में 11.5 लाख गैलन मात्रा की वर्तमान में आपूर्ति की जा रही है। इसका मुख्य कारण योजना के जल स्त्रोतों में पानी की कमी होना है। निर्माणाधीन बीसलपुर योजना के पूर्ण होने के पश्चात् वांछित मात्रा में जल उपलब्ध करवाया जाना सम्भावित है।

नगरपालिका सूरतगढ़ की राशि का गबन

189. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गुलाब चन्द बंसल, वरिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध नगरपालिका की 7400/- रुपये की राशि के गबन करने के आरोप में स्थानीय नागरिक श्री राम कुमार शर्मा द्वारा 11-1-1988 को स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई थी ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या आरोप था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त गबन की राशि से सम्बन्धित आरोपों की जांच तात्कालिक अधिशाषी अधिकारी श्री एल. के. सक्सेना ने की ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्री सक्सेना ने जो विभागीय जांच की वह सी. सी. ए. रूल्स के अनुसार नहीं की, न ही श्री बंसल को आरोप-पत्र दिया व न ही जांच से पूर्व उसे निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस प्रकरण की पुनः निष्पक्ष जांच कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। एफ. आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) श्री सक्सेना द्वारा विभागीय प्रारम्भिक जांच की गई। सी. सी. ए. रूल्स के अनुसार नहीं की गई एवं न ही श्री गुलाब चन्द बंसल को आरोप पत्र दिया एवं न ही उन्हें निलम्बित ही किया गया। प्रारम्भिक जांच में मामला भविष्य में चेतावनी देकर समाप्त कर दिया। श्री एल. के

(34)

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

सक्सेना द्वारा की गई जांच के सम्बन्ध में उप निदेशक, क्षेत्रीय स्थानीय निकाय जोधपुर द्वारा जांच करवाई जाने के आदेश दिये जा रहे हैं।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जवाहर रंगमंच अजमेर का निर्माण

190. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1987 में अजमेर नगर सुधार न्यास द्वारा प्रस्तावित जवाहर रंगमंच का तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो रंगमंच के निर्माण की अब तक क्या प्रगति है ?

(2) रंगमंच निर्माण की इस योजना की कुल लागत क्या है, और अब तक इस पर कितनी राशि खर्च हो चुकी है ?

(3) क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में रंगमंच के लिए विशेष आबंटित करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि रंगमंच का आधार घटाकर कम कर दिया गया है एवं इसके डिजाइन पर विवाद चल रहा है ?

(5) क्या पिछले एक वर्ष से रंगमंच निर्माण का कार्य बन्द है ? यदि हां, तो इसे सरकार कब तक पुनः प्रारम्भ कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। नगर विकास न्यास कार्य करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(2) रंगमंच की लागत 61.00 लाख रुपये आंकी गई है। रंगमंच के निर्माण पर अब तक 2.25 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। 5.00 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(3) जी हां।

(4) पूर्व में रंगमंच के डिजाइन में शापिंग काम्पलेक्स का प्रावधान था। अब उसके स्थान पर आर्ट गैलरी का प्रावधान रखा गया है। एयरकन्डीशन की व्यवस्था भी थी, अब एयर कन्डीशन को हटा दिया गया है। यह निर्णय न्यास की बैठक दिनांक 14-2-91 में ले लिया गया है। नगर विकास न्यास के अनुसार डिजाइन के बारे में अब कोई विवाद नहीं है।

(5) जी हां। नगर विकास न्यास द्वारा कार्य करने की कार्यवाही शुरू करदी गई।

जोधपुर व भोपालगढ़ में चोरी तथा कतल

191. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर व भोपालगढ़ में पिछले वर्ष कितनी चोरियां व कतल की घटनाएं हुईं ?

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(2) पुलिस इन घटनाओं में कितनी घटनाओं के अपराधियों को पकड़ने में सफल हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) चोरियों के मामले में क्या-क्या बरामदगी हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में 317 चोरियां हुई एवं 18 कतल की घटनाएं हुई। इसी प्रकार भोपालगढ़ में 17 चोरियां व 6 कतल की घटनाएं हुई। पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) जोधपुर शहर में चोरी की 73 घटनाओं में पुलिस 91 अपराधियों को पकड़ सकी। इसी प्रकार जोधपुर शहर में कतल की 15 घटनाओं में 59 अपराधियों को पकड़ सकी। भोपालगढ़ में चोरी की 9 घटनाओं में 16 अपराधियों को पकड़ने में सफल रही। इसी प्रकार भोपालगढ़ में कतल की 2 घटनाओं में 9 अपराधियों को पकड़ने में सफल रही। पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) जोधपुर शहर में 2403213/- रुपये की सम्पत्ति चोरी गई जिसमें से रुपये 15,50,692/--की सम्पत्ति बरामद की गई। भोपालगढ़ में 11,600/--की सम्पत्ति चोरी गई जिसमें से 10,100/- रुपये की सम्पत्ति बरामद की गई।

भारत एन्टरप्राइजेज ब्यावर द्वारा ठगी

192. श्री सालिगराम (बयाना) एवं श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या "भारत एन्टरप्राइजेज" के नाम से कोई दुकान ब्यावर महाविद्यालय के सामने अक्टूबर में दक्षिण भारतीयों द्वारा खोली गई थी ?

(2) क्या उक्त दुकानदार करीब 10 लाख रुपये की धनराशि को ठग कर फरार हो गये ?

(3) इस संबंध में ठगी के शिकार व्यक्तियों द्वारा ब्यावर सिटी थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 86,170/--रु. की राशि की ठगी कर दुकानदार फरार हो गये।

(3) ठगी के शिकार व्यक्तियों द्वारा ब्यावर थाने पर अपराध सं. 269/90 अन्तर्गत धारा 420/406 भा. द. स. पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया। अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। स्थानीय पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है। विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

कोटा जिले में हरिजनों पर अत्याचारों में वृद्धि

193. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में पिछले तीन वर्षों में हरिजनों पर अत्याचार के कितने मामले पंजीकृत हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) हरिजनों पर अत्याचारों में वृद्धि के क्या कारण रहे तथा इसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जिले में पिछले तीन वर्षों में कुल 970 अभियोग पंजीबद्ध हुए वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिले में हरिजन अत्याचारों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। हरिजनों पर अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नाम से लागू किया है। सभी स्तर के अधिकारियों को हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों पर प्रभावी एवं तुरन्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। अलग से न्यायालय स्थापित किये गये हैं ताकि ऐसे मामलों में जल्दी सुनवाई की जाकर अपराधियों को दण्डित किया जा सके। कोटा जिले में कोटा मुख्यालय पर वर्ष 1980 से विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अलावा बारां, अटरू, छबड़ा एवं रामगंज मण्डी में विशेष न्यायालय (मोबाइल) 1983 से कार्यरत है। इन विशेष न्यायालयों के अतिरिक्त एम. जे. एम. इटावा एवं सांगोद को अनुसूचित जाति/जन जाति पर अत्याचार से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई के विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सवाईमाधोपुर जिले में दर्ज अपराध

194. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1988 से अब तक कितने अपराध दर्ज हुए थानावाइज अपराधों के प्रकार सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस जिले में सरकार डाकू उन्मूलन के लिये कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या सरकार द्वारा टोडाभीम में नया थाना भवन बनवाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) थाना में सिपाही एवं उन्नत किस्म के शस्त्र बढ़ाने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1988, 1989, 1990 व जनवरी, 1991

(गृह मंत्री) :

तक कुल भारतीय दण्ड संहिता के 14643 व विविध एक्ट के 1357 अपराध दर्ज हुए हैं। अपराधों के प्रकार सहित सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) पुलिस द्वारा डाकू उन्मूलन के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। डाकू ग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस व आर. ए. सी. की नई चौकियां बनाई जाकर निरन्तर गश्त जारी रहती है। गोपनीय सूत्रों से जहां कहीं भी डकैतों के छिपने की, उपस्थिति होने की सूचना पर तत्काल पुलिस व आर. ए. सी. की माकूल व्यवस्था की जाकर डकैतों को आत्मसमर्पण हेतु बाध्य किया जाता है। यदि वे पुलिस का विरोध कर मुठभेड़ करते हैं तो उन्हें मार गिराये जाने का प्रयास किया जाता है। डकैती जैसी भीषण एवं जटिल समस्या को जड़ से समाप्त करने हेतु पूर्ण प्रयास जारी हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

थानों में एफ. आई. आर. दर्ज न होने की समस्या

195. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य के थानों में प्रायः एफ. आई. आर. दर्ज आसानी से नहीं होती है? ऐसी स्थिति में क्या एफ. आई. आर. की सूचना न्यायालय या राजपत्रित अधिकारी या अन्य एजेन्सी द्वारा दर्ज करवाने की व्यवस्था पर सरकार विचार करना चाहती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

प्रत्येक थाने पर धारा 154 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कोई भी नागरिक अपराध घटित होने की सूचना दर्ज करवा सकता है। असंज्ञेय अपराध होने की स्थिति में परिवादी को सूचित कर दिया जाता है व रोजनामचा आम में शिकायत दर्ज कर ली जाती है।

धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कोई भी मजिस्ट्रेट अपराध अनुसंधान का आदेश दे सकता हैं। धारा 154 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक या उसके उच्च स्तर का अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या डाक से परिवाद प्राप्त होने पर स्वयं या किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी से अभियोग दर्ज करवा कर अन्वेषण कर या करवा कर दर्ज करवा सकता है।

वर्तमान व्यवस्था समुचित एवं सन्तोषजनक है।

अपना गांव अपना काम के तहत पाली जिले में स्वीकृत कार्य

196. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) "अपना गांव अपना काम" योजना के अन्तर्गत जवाहर रोजगार

(श्री हीरासिंह चौहान)

योजना के अलावा किस-किस जिले में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधायकों द्वारा 10 लाख रुपये के प्रस्तावित कार्यों की क्रियान्विति के लिये जिला कलक्टरों को सरकार ने क्या निर्देश जारी किये हैं ?

(3) "अपना गांव अपना काम" योजना के अन्तर्गत पाली जिले के विधायकों द्वारा प्रस्तावित कौन-कौन से कार्य स्वीकार किये गये ? स्वीकृत कार्यों के आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) "अपना गांव-अपना काम" योजना के अन्तर्गत (जवाहर रोजगार योजना के अलावा) चार करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। जिलानुसार आबंटित धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जारी निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) "अपना गांव-अपना काम" योजना के तहत पाली जिले में दो कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृति आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में अध्यापकों के रिक्त पद

197. **श्री प्रभुलाल (सपोटरा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में चल रहे हायर सैकण्डरी व सैकण्डरी स्कूलों में अब तक कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? स्कूल वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) सपोटरा क्षेत्र के किन-किन स्कूलों के भवन अपर्याप्त हैं ? क्या सरकार जहां पर पर्याप्त भवन की व्यवस्था नहीं है, वहां पर भवन निर्माण का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ? अपर्याप्त भवनों के स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का स्कूलवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

(3) अपर्याप्त भवनों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अपर्याप्त भवनों में अतिरिक्त निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उप-

(शिक्षा मंत्री)

लब्धि के आधार पर वरीयतानुसार विचार किया जाना होता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

राज्य में उर्दू अध्यापकों को प्रशिक्षण

198. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर तथा एस. आई. ई. आर. टी. उदयपुर द्वारा अन्य विषयों की भांति उर्दू अध्यापकों के अल्पकालीन प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राजस्थान के उन विद्यालयों में जिनमें उर्दू तृतीय भाषा के रूप में वर्षों से पढ़ाई जा रही है, वहां 11 वीं व 12 वीं कक्षा में उर्दू (ऐच्छिक) विषय खोलने की मांग की जा रही है ? क्या माणक चौक सी. हा. सै. स्कूल, जयपुर, दरबार सी. हा. सै. स्कूल, जयपुर व सी. हा. सै. स्कूल दौसा में उर्दू (ऐच्छिक) विषय के रूप में खोलने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) एस. आई. ई. आर. टी. उदयपुर द्वारा उर्दू के अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा इस प्रकार के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अध्यापकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिये जाने का सामान्यतः कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

(2) राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऐच्छिक विषय खोलते समय छात्र संख्या एवं मांग के आधार पर अन्य प्रस्तावों के साथ इन विद्यालयों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय केकड़ी की क्रमोन्नति

199. **श्री शम्भू दयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय केकड़ी को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

(2) माध्यमिक विद्यालय को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के क्या-क्या मापदण्ड हैं ? केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के कितने विद्यालय मानदण्डों की पूर्ति करते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में वर्ष 1991-92 में कुल 25 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु बजट प्रावधान है। विद्यालय क्रमोन्नति के समय अन्य प्रस्तावों के साथ राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय,

(शिक्षा मंत्री)

केकड़ी के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।

(2) गांव की जनसंख्या, विद्यालय की छात्र संख्या, भवन व्यवस्था, फीडिंग स्कूलों की स्थिति, उपलब्ध वित्तीय प्रावधान, क्षेत्रीय मांग आदि के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है। वर्ष 1991-92 के प्रस्तावों पर अभी विचार नहीं किया गया है।

उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय सोजत सिटी की क्रमोन्नति

200. **श्री प्रभुराम गरासिया** (पिण्डवाड़ा) एवं **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय सोजत सिटी को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालय में रिक्त पड़े पदों को भरने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सोजत सिटी में कोई राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय नहीं है जिसे क्रमोन्नत करने पर विचार किया जावे।

(2) उपरोक्त के आधार पर पदों के रिक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर परिषद किशनगढ़ की शिवाजी नगर योजना

201. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद, किशनगढ़, अजमेर द्वारा शिवाजी नगर में एक आवासीय योजना बनाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय योजना में भूतपूर्व सैनिकों हेतु भी भूखण्ड आरक्षित थे ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा भूखण्ड आबंटन हेतु जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा ? प्रार्थना-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त भूतपूर्व सैनिक को भूखण्ड आबण्टित कर भूखण्ड का वास्तविक कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब उन्हें भूखण्ड का कब्जा कब तक दे दिया जावेगा ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त भूतपूर्व सैनिक को भूमि आबंटन करने हेतु जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आदेश दिये गये तथा नगर परिषद द्वारा भी अपनी साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर भूखण्ड देने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कृपया उक्त निर्णयों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसे नियम बनाये हुए हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के प्रार्थना पत्र पर 10 दिनों में कार्यवाही हो जानी चाहिए? यदि हां, तो उक्त आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त आदेशों के बावजूद उक्त भूतपूर्व सैनिक को अब तक भूखण्ड आबंटन न करने में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या सरकार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, राजस्थान नगरपालिका भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम 17 वीं के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत भूखण्डों का आबंटन आरक्षित हैं।

(3) जी हां। दिनांक 17-4-82 को श्री एल. एन. गुप्ता का साधारण प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। प्रार्थना पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) नगर परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 27-11-90 में प्रस्ताव पास किया है। कब्जा दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी हां, निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी नहीं।

(7) भूतपूर्व सैनिकों को नगर परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 27-11-90 में भूखण्ड को नियमित करने का निर्णय लिया है। स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसलिए किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं है।

(प्रार्थना पत्र व निर्णय की प्रति के लिए परिशिष्ट 6 देखें।)

जगर बांध (सवाईमाधोपुर) का कार्य

202. **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई-माधोपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990 में सिंचाई विभाग द्वारा जगर बांध (सवाईमाधोपुर) हेतु वर्क आर्डर जारी किये गये? यदि हां, तो कब-कब व कितने रुपये के? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या वर्ष 1990 में जगर बांध के कार्य हेतु टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे? यदि हां, तो किस-किस ठेकेदार ने क्या-क्या रेट दी थी? क्या उनसे कार्य करवाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1990-91 में जगर बांध व नहरों के कार्य हेतु 24-9-90 से 11-10-90 तक 8 वर्क आर्डर 78353/- रु. के जारी किये गये। पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(५२)

(सिंचाई मन्त्री)

(2) जी हां, वर्ष 1990-91 में जगर बांध की नहरों के मरम्मत कार्य के दो टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे जो निम्न प्रकार ठेकेदारों को आबंटन किये गये।

क्र. सं.	नाम ठेकेदार	न्यूनतम प्राप्त दर
1.	श्री घनश्याम मीना	1.40% बिलों (Below)
2.	श्री मंगतीलाल गुप्ता	3.84% बिलों (Below)

उक्त दोनों ठेकेदारों द्वारा कार्य किया गया।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

बाड़ी मानसरोवर बांध निम्बाहेड़ा का कार्य

203. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निम्बाहेड़ा में बाड़ी मानसरोवर बांध का काम चल रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) इसके लिए सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है और यह कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

उत्तर

(1) जी हां । यह कार्य फरवरी, 1990 से चल रहा है ।

(2) इस कार्य की अनुमानित लागत 491.6 लाख रुपये है । वर्ष 1990-91 में 40.00 लाख रु. का बजट का आवंटन किया गया है । आवश्यक बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर परियोजना को 1995-96 में पूर्ण कर लिये जाने की सम्भावना है ।

माही परियोजना के अन्तर्गत लिफ्ट योजना

204. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या माही परियोजना बांसवाड़ा की तरफ से नाथपुरा कलां एवं बदरेल जिला बांसवाड़ा में लिफ्ट योजना की सर्वे हुई है ? यदि हां, तो स्कीम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई ? सरकार कब तक इसे पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

(2) बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के अन्तर्गत लिफ्ट योजना की स्कीम कहां-कहां बनाई गई है इसमें कितनी लागत आयेगी तथा कितने हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी और कितने किसानों को लाभ होगा ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नाथपुरा एवं बदरेल लिफ्ट योजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण कर तख्मीना बना लिया गया है एवं माही बजाज सागर परियोजना की द्वितीय इकाई के संशोधित तख्मीने में सम्मिलित कर केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति हेतु जनवरी, 1991 में भेज दिया गया है । स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त लिफ्ट योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा ।

(सिंचाई मन्त्री)

(2) उपरोक्त लिफ्ट योजनाओं के अतिरिक्त बायीं मुख्य नहर से कुल 10 लिफ्ट योजना द्वारा लगभग 20635 हैक्टर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इन 12 लिफ्ट योजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 4509.64 लाख रुपये है तथा संलग्न प्रपत्र के अनुसार बायीं मुख्य नहर से निकलने वाली 9 लिफ्ट योजनाओं से लगभग 5000 कृषक लाभान्वित होंगे एवं अन्य, नाथपुरा बदरेल एवं कुशलगढ़ लिफ्ट योजनाओं के द्वारा लाभान्वित कृषकों की संख्या ज्ञात करना शेष है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में स्वीकृत एनीकट

205. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया से कितने एनीकट अभी अधूरे हैं? एनीकट का नाम, उस पर व्यय राशि, एनीकट स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भीमा सागर व जवली का नाका एनीकट अभी अधूरे हैं? यदि हां, तो इस कार्य को प्रारम्भ कर बीच में ही अधूरे छोड़ जाने का क्या कारण है?

(3) क्या सरकार अधूरे एनीकट को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (झाडोल) तहसील में 19 कार्य जो कि पूर्व के वर्षों में विभिन्न स्वीकृतियों द्वारा अकाल राहत मद में कराये गये हैं, अधूरे हैं। एनीकट का नाम व्यय राशि तथा स्वीकृति आदेश की दिनांक व राशि संलग्न प्रपत्र में दर्शाये गये हैं। स्वीकृति आदेश की प्रतियां लगाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(2) जी हां। दोनों अधूरे कार्य पूर्व में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत चालू कराये गये थे व अकाल राहत कार्यों के बन्द हो जाने के कारण अधूरे रह गये।

(3) भीमा सागर के कार्य की जीवनधारा मद में स्वीकृति जारी हो गई है तथा कार्य चालू कर दिया गया है, अन्य अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के प्रस्ताव विभिन्न मदों के तहत स्वीकृति जारी कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

शाहबाद किशनगंज में लघु सिंचाई परियोजना

206. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शाहबाद किशनगंज में नवेली, अहमदी, लघु सिंचाई परियोजना पर बजट आवंटित किया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना?

(2) क्या इसका कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? इनके

(श्री हेमराज)

आवंटित बजट लैप्स के लिये कौन उत्तरदायी हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि नवेली व अहमदी (कोटा) में जंगलात के कारण काम प्रारम्भ नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसका क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 में अहमदी लघु सिंचाई परियोजना पर 20.00 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। नवेली परियोजना पर कोई राशि नहीं दी गई है।

(2 व 3) इन दोनों परियोजनाओं के बांध स्थल वन भूमि क्षेत्र में आते हैं। अहमदी परियोजना के लिए 228.76 हैक्टेयर भूमि हस्तान्तरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रकरण दिसम्बर, 1990 में केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा है। स्वीकृति अपेक्षित है। नवेली योजना का प्रकरण तैयार किया जा रहा है। बजट का उपयोग नहीं होने के लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं है।

झालावाड़ जिले की लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का सर्वे

207. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले की कौन-कौन सी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का सर्वे किया जा चुका हैं ?

(2) इनमें से कितनी लिफ्ट सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की गई ? स्वीकृत की गई योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन योजनाओं पर कितना-कितना बजट व्यय होने का अनुमान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग के भू-मापन एवं अनुसंधान (सिंचाई) कोटा द्वारा इकलेरा तहसील जिला झालावाड़ में नेजव लिफ्ट परियोजना तैयार की गई थी परन्तु यह परियोजना तकनीकी दृष्टि से लाभप्रद नहीं पायी जाने के कारण इसे रद्द कर दिया गया।

(2) कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

नीमका थाना उप-खण्ड में बांधों का निर्माण कार्य

208. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) नीम का थाना उप-खण्ड में कितने बांधों का निर्माण कार्य चल रहा है तथा कितने बांधों का निर्माण कार्य आरम्भ करना शेष है ? कृपया मय योजना एवं समय के, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) फतेहपुरा, दीपावास, माकडी बांध (नीम का थाना) में कितना कार्य पूर्ण हो

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

चुका है तथा शेष कितना है तथा अब किस योजना में उसे पूर्ण किया जायेगा ?

उत्तर

(1) नीम का थाना उप-खण्ड के अन्तर्गत वर्तमान में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दीपावास, सिरोटी, फतेहपुरा, गावड़ी व बुजा बांध का कार्य चल रहा हैं। इन कार्यों को बजट उपलब्धि के अनुसार पूरा किया जायेगा। शेष कार्यों के बारे में विवरण निम्न प्रकार है :—

1. शिकार गढ़ बांध	वर्ष 1991-92 में मरू विकास कार्यक्रम में प्रस्तावित करने का प्रावधान हैं।
2. झालरा बांध	वर्ष 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना में प्रस्तावित किये गये हैं। स्वीकृति अपेक्षित है।
3. दरीबा एनीकट	,, ,,
4. नाकावाली एनीकट	,, ,,
5. सासावाली एनीकट	,, ,,
6. टापकेश्वर एनीकट	,, ,,
7. भैरू घाटी एनीकट	,, ,,
8. नानकवास एनीकट	,, ,,
9. मांकड़ी बांध	डी. डी. पी. में प्रस्तावित हैं।

(2) फतेहपुरा, दीपावास व मांकडी बांध के कार्य बाबत वांछित सूचना निम्न प्रकार है :—

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

राज्य में पर्यावरण सुधार हेतु व्यवस्था

209. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में पर्यावरण अदालतों की तत्काल स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इन अदालतों की संरचना कैसी होगी विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध न्यायायिक कार्यवाही के शीघ्र निस्तारण हेतु पाली में एक विशेष न्यायालय स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। इस न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी होगा। इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार पाली, जोधपुर व बालोतरा क्षेत्र होंगे।

अरावली पर्वत शृंखलाओं के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता

210. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

क्या यह सही है कि केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को विकसित करने के लिये केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है, लेकिन राज्य सरकार इसकी कोई योजना भारत सरकार को अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पायी है ? यह योजना क्या है ? इसका विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्रालय ने अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को विकसित करने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव नहीं किया है । राज्य सरकार ने ही अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हेतु 129.00 करोड़ रुपये की एक योजना बना कर भारत सरकार को प्रस्तुत की है कि इसकी विदेशी सहायता हेतु किसी एजेन्सी को दिया जावे । भारत सरकार ने यह योजना जापान सरकार की ओ. ई. सी. एफ. एजेन्सी को प्रस्तुत की है एवं ओ. ई. सी. एफ. द्वारा इस परियोजना का एप्रेजल किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत अरावली क्षेत्र के 10 जिलों में 1.00 लाख हैक्टेयर, वन भूमि 15000 हैक्टेयर पंचायत भूमि एवं 750 लाख पौधे कृषि वानिकी के अन्तर्गत वितरित करने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त जल संरक्षण हेतु पशु बिहारों में 150 एनीकट्स बनाने एवं 200 उन्नत शवदाह केन्द्र भी बनाने का प्रस्ताव है । इस योजना की संशोधित लागत अगले 5 वर्षों में लगभग 150 करोड़ आयेगी ।

टौंक जिले का वार्षिक व्यय

211. **श्री महावीरप्रसाद जैन** (टौंक): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टौंक जिले में वन विभाग द्वारा वर्ष 1989-90 एवं वर्ष 1990 से 15 फरवरी 1991 तक किस-किस कार्य के लिये कहां-कहां पर कितनी राशि खर्च की गई एवं प्रत्येक वर्ष में प्रशासनिक खर्चा कितना-कितना हुआ ? प्रत्येक का अलग-अलग वर्ष वार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

टौंक जिले में वन विभाग द्वारा वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में 15 फरवरी 1991 तक व्यय निम्नानुसार किया गया है । साइटवार एवं वर्षवार व्यय की सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

क्र. सं.	वर्ष	व्यय	
		विकास कार्य	प्रशासनिक व्यय
1.	1989-90	रु. 47.87 लाख	रु. 27.76 लाख
2.	1990-91 में 15 फरवरी तक	रु. 32.50 लाख	रु. 26.33 लाख

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

निर्वाचन क्षेत्र निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) के आदिवासियों का जंगलात भूमि पर नाजायज कब्जा

212. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा, (छोटी सादड़ी) के अन्तर्गत कितने आदिवासियों का जंगलात भूमि क्षेत्र पर कब्जा है ? कितनों पर मुकदमे दर्ज हैं ?

(2) क्या सरकार जंगलात की काश्तकाबिल भूमि आदिवासियों के नाम आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) छोटी सादड़ी रेंज के अन्तर्गत 73 आदिवासियों ने वन भूमि पर कब्जा कर रखा है। इनमें से 4 आदिवासियों के विरुद्ध 4 मुकदमे न्यायालय सं. व. स. में तथा 19 आदिवासियों के विरुद्ध एक मुकदमा न्यायालय सं. व. सं. एवं न्यायालय एम. जे. एम. छोटी सादड़ी में दर्ज हैं।

(2) जी हां, ऐसे कब्जों के नियमन का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राज्य में पशुओं की चराई की दरें

213. श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) एवं श्री अचला राम (देसूरी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक जिले में पशुओं की चराई की दरें अलग-अलग हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार सभी जिलों में समान चराई की दरें लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में रियासतों के विलीनीकरण के समय से ही पृथक्-पृथक् चराई की दरें विद्यमान हैं।

(2) जी नहीं।

टौंक जिले में विद्युत कार्यों पर खर्च राशि

214. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टौंक जिले में ऊर्जा (विद्युत) विभाग द्वारा वर्ष 1989-90 एवं वर्ष 1990 से 15 फरवरी 1991 तक किस-किस कार्य के लिये कहां-कहां पर कितनी कितनी राशि खर्च की गई एवं प्रत्येक वर्ष में प्रशासनिक खर्चा कितना-कितना हुआ ? प्रत्येक का अलग-अलग वर्ष वार ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

टौंक जिले में विद्युत मण्डल खण्ड टौंक द्वारा वर्ष 1989-90 व 1990-91 में (15 फरवरी तक) विभिन्न तकनीकी तथा प्रशासनिक कार्यों पर निम्न प्रकार से खर्च किया गया :—

(प्र ५४)

(ऊर्जा मन्त्री)

वर्ष	तकनीकी कार्य पर किया गया खर्च (हजारों में)	प्रशासनिक खर्च (हजारों में)
1989-90	22618.4	13235.1
1990-91 (माह फरवरी 15 तक) का	6500.5	11234.4

नाम आदि का विवरण के लिए तालिका "अ" संलग्न है।

(तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर (पाली) की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

215. **श्री गुलाब सिंह** (सुमेरपुर) एवं **श्री अचला राम** (देसूरी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सुमेरपुर क्षेत्र के बाकली तथा ढोला ग्राम में 33/11 के. वी. के दो सब स्टेशन बनाये जाने की स्कीम प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक बना दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

पंचायत समिति सुमेरपुर में बाकली ग्राम में 33/11 के. वी. का सब स्टेशन बनाया जाना स्वीकृत है, परन्तु ढोला ग्राम में 33/11 के. वी. का सब-स्टेशन बनाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बाकली सब स्टेशन का निर्माण योजना मद में आवंटित वित्त एवं वार्षिक कार्यक्रम लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में किया जाना संभव हो सकेगा।

पंचायत समिति डग (कोटा) में विद्युतीकरण

216. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डग पंचायत समिति के ग्राम बिरमाखेड़ी, सकतपुर तथा नागरगट्टी, छानन्दी तथा कन्टारी नदी के समीप है ?

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों का सर्वे डी. आर. डी. से करवाकर जवाहर योजना में लेकर विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) चूंकि यह ग्राम चालू वर्ष के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में प्रस्तावित नहीं थे, अतः इस वर्ष जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत इन ग्रामों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है। आगामी वर्षों में इन ग्रामों को विद्युतीकरण योजना मद में आवंटित राशि एवं लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये ही वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में प्रस्तावित करना सम्भव हो सकेगा।

परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु केन्द्रीय सहायता

217. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय राज्य सरकार को परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु केन्द्रीय सहायता देने के लिए तैयार है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई योजना भारत सरकार को भेजी गयी ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, भारत सरकार नई-दिल्ली को निम्न लिखित योजनाऐं स्वीकृति हेतु भेजी गई हैं :–

1. जिला जयपुर में पंचायत समिति-दूदू के नया गांव में 10 किलोवाट एस. पी. वी. पावर पैक स्थापित करने की परियोजना।

2. जिला-जैसलमेर में 110 किलोवाट का ऐरोजनरेटर स्थापित किये जाने की परियोजना।

3. जिला-जोधपुर के मथानियां ग्राम में 30 मेगावाट का सोलर थर्मल पावर प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु परियोजना।

4. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, भारत सरकार, नई-दिल्ली को वर्ष 90-91 के लिये सौर ऊर्जा से संचालित 1000 लाइटों के लिए मोड्यूल्स आवंटन करने हेतु प्रस्ताव।

विधान सभा क्षेत्र फागी (जयपुर) में गांवों का विद्युतीकरण

218. **श्री प्रकाशचन्द बैरवा** (फागी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990-91 में ओ. बी. एवं अन्य स्कीम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फागी में कितने गांवों को विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 में विधान सभा क्षेत्र फागी के 7 ग्राम विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किये गये है। सूची 'अ' संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में गांवों का विद्युतीकरण

219. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, जिला उदयपुर में कितने ग्राम वर्तमान में विद्युतीकृत है, कितने ग्रामों का विद्युतीकरण

(श्री कुबेर सिंह)

हेतु चयन किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नये ग्रामों को विद्युतीकरण में चयनित करने हेतु जन प्रतिनिधियों के पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कितने ग्रामों का और विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया ? पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन कर विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, जिला उदयपुर में 228 ग्राम वर्तमान में विद्युतीकृत हैं। अविद्युतीकृत ग्रामों में से कोई भी ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत न होने के कारण इस वर्ष के विद्युतीकरण कार्यक्रम में नहीं लिया जा सका। विद्युतीकृत ग्रामों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) इस विषय में एक पत्र दिनांक 5-2-1991 माननीय सिंचाई मन्त्री जी, एक पत्र दिनांक 23-1-1991 सरपंच, कोल्यारी एवं एक पत्र दिनांक 30-12-1990 ग्रामवासी सीसवी से प्राप्त हुआ था। विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत न होने के कारण कोई भी ग्राम इस वर्ष के विद्युतीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। पत्रों की प्रति परिशिष्ट "ब" "स" व "द" पर संलग्न हैं।

(3) जी हां। इस क्षेत्र के शेष अविद्युतीकृत ग्रामों की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है। आगामी वर्षों में योजना मद में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों, निर्धारित लक्ष्यों, क्षेत्र में उपलब्ध भूजल एवं विद्यमान विद्युत प्रणाली पर योजना का स्वीकृत होना निर्भर करता है। अतः इन ग्रामों का विद्युतीकरण शनैः शनैः होगा परन्तु इस बारे में निश्चित समयावधि अभी बता पाना संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 220)

(स्थगित)

ब्यूटी पार्लर एवं हेयर कटिंग सैलून को लघु उद्योग घोषित करना

221. **श्री किशनाराम नाई** (डूंगरगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ब्यूटी पार्लर एवं हेयर कटिंग सैलून को लघु उद्योग की श्रेणी में घोषित कर रखा है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ब्यूटी पार्लर एवं हेयर कटिंग सैलून हेतु व्यापारिक बैंक्स, जिला उद्योग केन्द्रों एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण व अनुदान स्वीकृत किया जाता है ? नियमों व शर्तों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(श्री किशनाराम नाई)

(3) क्या इस उद्योग हेतु किसी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण अनिवार्य है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) अब तक यह ऋण सुविधा एवं प्रशिक्षण किन-किन को दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) जयपुर एवं राजस्थान के अन्य मुख्य शहरों में किन-किन ब्यूटी पार्लर द्वारा यह ट्रेनिंग दी जाती है ? क्या इनसे प्राप्त ट्रेनिंग प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) शिक्षित बेरोजगार को स्वरोजगार योजना अन्तर्गत हेयर कटिंग व ब्यूटी पार्लर हेतु भारत सरकार की योजना अनुसार व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण व भारत सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से अनुदान दिया जाता है । इस कार्य हेतु राजस्थान वित्त निगम द्वारा कोई ऋण नहीं दिया जाता है ।

(3) जी नहीं ।

(4) प्रशिक्षण देने का प्रावधान नहीं है । लेकिन शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ब्यूटी पार्लर/हेयर कटिंग उद्योग हेतु अभ्यर्थियों को अवश्य ऋण स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है ।

(5) जी नहीं ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान हाथकरघा विकास निगम की स्थापना

222. **श्री रामकिशन** (भरतपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान हाथकरघा विकास निगम की स्थापना हुए जनवरी, 1991 तक कितने वर्ष माह व दिन हो गये ? निगम का मुख्य कार्यालय जयपुर में किस भवन में है ? इस भवन का वार्षिक किराया कितना है ?

(2) निगम अपने अधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य वेतनभोगी श्रमिकों को निगम की स्थापना से जनवरी, 1991 तक प्रति वर्ष कितनी धनराशि का भुगतान करता है-अधिकारी, कर्मचारी के लिए सभी भत्तों व देय सुविधाओं, जिसमें सभी प्रकार के अलाउन्स आदि सम्मिलित हैं–सम्पूर्ण विवरण सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(3) निगम के प्रदेश भर में कितने डिपो हैं ? इन भवनों के किराये पेटे निगम को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि भुगतान करनी पड़ती है, निगम की स्थापना से जनवरी, 1991 तक का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(4) निगम के पास ट्रक, मैटाडोर, कार तथा अन्य वाहन कितने हैं ? इनकी खरीद

(श्री रामकिशन)

किस तिथि को और कितने रुपयों में की गई और ये वाहन किस-किस काम में, किसके लिए उपयोग में लाये जाते हैं ? इनमें खर्च किया जाने वाला पैट्रोल डीजल व अन्य फ्यूल यदि हो, तो कितना-कितना प्रतिवर्ष खर्च किया गया है मात्रा व मूल्य सहित खरीद की तिथि से जनवरी, 1991 तक का वर्षवार ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1991 तक निगम की स्थापना हुये 6 वर्ष 10 माह 3 दिन हुये है। निगम का मुख्यालय जयपुर में चौमू हाउस में स्थित है जिसका वार्षिक किराया रुपये 1,96,020/- है। इस भवन के साथ ही एक भवन जो 'भवानी विला' के नाम से जाना जाता है वह माह अक्टूबर, 89 से किराये पर लिया गया है। जिसका वार्षिक किराया 1,58,088/- है।

(2) निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य वेतन भोगी श्रमिकों को निगम की स्थापना से जनवरी, 91 तक प्रतिवर्ष वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता अन्य भत्तों सहित निम्नानुसार खर्चा हुआ है।

वर्ष	रुपये
1984-85	19.05 लाख
1985-86	23.64 लाख
1986-87	31.27 लाख
1987-88	39.64 लाख
1988-89	51.56 लाख
1989-90	70.74 लाख
1990-91 (जनवरी, 91 तक)	60.09 लाख

(3) निगम के प्रदेश भर में 53 डिपों वर्तमान में कार्यरत हैं। निगम द्वारा समस्त भवनों (जिनमें 53 डिपों भी सम्मिलित है) के किराये पर वर्ष 1984-85 से वर्ष 1989-90 तक वर्षवार निम्न प्रकार व्यय किया गया।

वर्ष	लाख रु.
1984-85	2.88
1985-86	2.46
1986-87	3.37
1987-88	4.44
1988-89	6.26
1989-90	8.06
1990-91 (जनवरी, 91 तक)	6.65

(4) निगम के पास कार, जिप्सी, जीप तथा मिनी ट्रक सहित कुल 7 वाहन है। इनकी खरीद का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	किस्म वाहन	क्रय तिथि	क्रय मूल्य रुपयों में
1.	ट्रक आर. एन. डी. 7129	23-3-83	1,24,045.00
2.	ट्रक आई. एन. जी. 1908	18-7-87	1,67,928.34
3.	ट्रक आर. जे. 14 जी. 134	27-3-89	2,15,438.17

(उद्योग मन्त्री)

1		2	3
4.	कार आर. एन. आई. 6633	17-10-85	98,739.48
5.	कार आर. पी. एक्स 1402	3-5-89	1,24,000.00
6.	जीप आर. एन. एक्स 9219	23-7-87	1,63,259.00
7.	जिप्सी आर. जे. 14 ए 3022	5-12-89	1,47,918.15

उक्त वाहन, इस प्रकार काम में लाये जा रहे हैं :—

2 कार — अध्यक्ष, प्रबन्ध संचालक तथा निगम के 12 अधिकारियों के द्वारा
जिप्सी | निरीक्षण एवं सामान्य विकास कार्य हेतु उपयोग में आते हैं।
जीप |

ट्रक—3 :—निगम के वस्त्र/सूत लाने व ले जाने के लिये काम में आते हैं।

पैट्रोल, डीजल व अन्य फ्यूल पर वर्ष वार निम्नानुसार खर्चा हुआ—

वर्ष	1984-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91
लाख रु.	1.08	1.00	0.83	0.95	1.19	0.73	जनवरी 91 तक

काणोदा ऋण (जैसलमेर) की नमक इकाइयां

223. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर जिला काणोदा ऋण में नमक इकाइयां कब से बन्द हैं तथा इनको चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या पुनः काणोदा ऋण क्षेत्र में नये नमक के आवंटन प्लांट के विषय में विभाग की कोई योजना है ?

(3) क्या इस क्षेत्र में नमक से सम्बन्धित कोई बड़ा उद्योग लगाकर बेरोजगारों को काम देने की योजना है ?

(4) क्या जैसलमेर नगर में दस किलोमीटर की परिधि में उद्योग लगाने की स्वीकृति नहीं है ? यदि हां, तो इसके पीछे क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले के काणोद लवण क्षेत्र में वर्तमान में एक इकाई को भूखण्ड आवंटित है जिस पर गत 4 वर्षों से इकाई द्वारा उत्पादन कार्य नहीं किया गया है। उक्त इकाई को नियमान्तर्गत पुनः चालू कराने की कार्यवाही करने हेतु उद्योग निदेशालय को निर्देश दिये गये हैं।

(2) जी हां, काणोद रावलता लवण क्षेत्र में 5,220 एकड़ लवण भूमि रिक्त है, भूखण्डों के सीमांकन सम्बन्धी कार्यवाही

(उद्योग मंत्री)

की जा रही है। इसके पश्चात् आबंटन की कार्यवाही करना सम्भव होगा।

(3) वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। जैसलमेर के स्थापत्य के सौन्दर्य की रक्षा एवं पर्यटन की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सेवा, मरम्मत एवं ग्रामोद्योग जैसे :–गैर प्रदूषण इकाइयों के अतिरिक्त 10 किलोमीटर की परिधी में नये उद्योग लगाने पर रोक है।

नीमकाथाना (सीकर) में उद्योग लगाने की स्वीकृति

224. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) औद्योगिक क्षेत्र नीमकाथाना (सीकर) में अब तक सरकार ने कितने उद्योग लगाने की स्वीकृति प्रदान की है ? उनमें कितने उद्योग चालू हैं तथा कितने बन्द हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बन्द उद्योगों को पुनः आरम्भ करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? बन्द उद्योगों के मालिकों के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) औद्योगिक क्षेत्र नीमकाथाना (सीकर) में रीको द्वारा 97 भूखण्ड उद्योग स्थापित करने के लिये आबंटित किये गये हैं। उन पर 32 उद्योग उत्पादनरत हैं एवं 14 उद्योग बन्द हैं। उत्पादनरत एवं बंद इकाइयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) बंद एवं रूग्ण उद्योगों को पुनः उत्पादन में लाने के लिए राजस्थान वित्त निगम पुनर्वास सहायता, किश्तों के पुनः निर्धारण, दण्डनीय ब्याज में छूट आदि योजनाओं द्वारा सहायता करता है। इसके अतिरिक्त बन्द उद्योगों के मालिकों की सलाह से या राजस्थान वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 'अ' के तहत राजस्थान वित्त निगम उद्योग को अधिग्रहण कर और फिर विक्रय पश्चात् स्वामित्व बदल कर भी इकाई को पुनः उत्पादन में लाने का प्रयास करता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम में कार्यरत श्रमिक

225. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम के अन्तर्गत कितने बुनकर कार्यरत हैं तथा इनको क्या-क्या सुविधाएँ देय हैं ?

(2) क्या सवाईमाधोपुर जिले में कच्चे माल की उपलब्धता हेतु उत्पादन केन्द्र खुले हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन के अन्तर्गत वर्तमान में 2353 हाथकरघों पर 2353 बुनकर परिवार कार्यरत हैं। इन बुनकरों को निगम के विभिन्न आगारों के माध्यम से हाथकरघों वस्त्रों के उत्पादन हेतु कच्चा माल (यार्न) उपलब्ध कराया जाता है तथा तैयार माल प्राप्त करके निर्धारित दर पर बुनाई मजदूरी का भुगतान किया जाता है। उक्त आगारों के माध्यम से बुनकरों को करघो घर योजना के अन्तर्गत एक वर्क शैड निर्माण हेतु अनुदान, उपकरण अनुदान, थ्रिफ्ट फण्ड योजना, सामूहिक बीमा योजना एवं बिना ब्याज साइकिल ऋण आदि का लाभ प्रदान कराया जाता है। निगम के उक्त बुनकरों को आगारों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार का तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान कराया जाता है।

(2) जी हां, सवाईमाधोपुर जिले में बुनकरों को कच्चे माल की आपूर्ति हेतु सवाईमाधोपुर, भगवतगढ़, टोडाभीम, हिण्डौन एवं महुआ में आगार खोले हुए हैं।

पाली जिले के अनुसूचित जाति के बुनकरों को राजस्थान हाथ करघा परियोजना मंडल द्वारा आर्थिक सहायता

226. **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली के अन्तर्गत तहसील सोजत, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर जैतारण, पाली, बाली, सुमेरपुर, देसूरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बुनकरों को तत्कालीन राजस्थान हाथकरघा परियोजना मण्डल ने कितने करघा दिये थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मण्डल द्वारा दिये गये सभी करघों पर सरकार द्वारा अनुदान दिया गया था ? यदि हां, तो कितनी राशि दी गई थी ?

(3) क्या उन चयनित बुनकरों को जिन्हें हाथ करघों खरीद के लिये अनुदान दिया गया था उन्हें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर ब्रांच, सोजत रोड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया ? यदि हां, तो कितनी राशि ऋण के रूप में दिलाई गयी थी ?

(4) क्या परियोजना अधिकारी द्वारा चयनित बुनकरों को जो अनुदान व ऋण राशि दी गई उसका पूर्ण भुगतान बैंक को कर दिया गया ? यदि हां, तो कितनी राशि भुगतान हेतु शेष है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले के अन्तर्गत तहसील सोजत, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जैतारण, पाली, बाली, सुमेरपुर एवं देसूरी क्षेत्रों में पूर्व राजस्थान हाथकरघा परियोजना मण्डल द्वारा 214 अनुसूचित जाति के बुनकरों को हाथकरघे दिये गये थे। क्षेत्रवार सूची संलग्न है।

(2) पूर्व राजस्थान हाथकरघा परियोजना मण्डल द्वारा उपरोक्त करघों के लिए रुपये 1, 39, 562. 00 का अनुदान भुगतान किया गया था।

(उद्योग मन्त्री)

(3) उपरोक्त चयनित बुनकरों में से स्टेट बैंक ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर ब्रांच सोजत रोड़ द्वारा सात बुनकरों को रुपये 8400.00 का ऋण स्वीकृत किया गया था।

(4) पूर्व राजस्थान हाथकरघा परियोजना मण्डल द्वारा जिले के समस्त बुनकरों के लिए पूरी राशि का अनुदान भुगतान सम्बन्धित बैंकों को कर दिया गया था। कोई राशि शेष नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

सरपंच, पंचायत समिति, अरनोद (चित्तौड़गढ़) द्वारा गबन

227. **श्री रखब चन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति अरनोद में सेवना पंचायत के पूर्व सरपंच श्री चम्पालाल मीणा के विरूद्ध एक लाख पैंतीस हजार रुपयों के गबन का आरोप है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके विरूद्ध कार्यवाही करना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही कि उक्त सरपंच ने वर्तमान सरपंच को पंचायत का चार्ज नहीं दिया है ? यदि हां, तो सरकार चार्ज कब तक दिलाना चाहती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त सरपंच पर आडिट रिपोर्ट के अनुसार दस हजार रुपये रिकवरी बाकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वसूल करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, एक लाख पैंतीस हजार रुपये के गबन का आरोप नहीं है। श्री मीणा ने वर्ष 86-87 में दी गई 1,47,500 रुपये की धनराशि में से 31,005/– रुपये का हिसाब नहीं दिया है जिसकी वसूली की कार्यवाही चालू है।

(2) जी नहीं, चार्ज दिनांक 2-10-88 को दिया जा चुका है।

(3) आडिट रिपोर्ट वर्ष 86 से 89 तक के आक्षेप सं. 17 के अनुसार 8 क्विंटल 65 किलो 450 ग्राम गेहूं जिसकी कीमत 1818.60 है, की वसूली का अन्तिम नोटिस दिनांक 1–2–91 को विकास अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है। समय अवधि निकलने के उपरान्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

पाली जिले के शिक्षा केन्द्र

228. **श्री प्रभुराम गरासिया** (पिण्डवाड़ा) एवं **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की किन-किन पंचायत समितियों के किन-किन ग्रामों में सरकार ने शिक्षा केन्द्र खोले थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शिक्षा केन्द्रों के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय खोलने का सरकार

(श्री प्रभुराम-गरासिया)

विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पाली जिले में पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रोहित, सोजत, रायपुर, बाली, रानी स्टेशन, पाली, सुमेरपुर, देसूरी, जैतारण में पंचायत शिक्षा केन्द्र खोलने के आदेश दिये थे। ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नीति अनुसार जिन ग्रामों में प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय हो जाता है उनमें स्कूल खोल दिये जाते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

पंचायतों को प्रति व्यक्ति दी जाने वाली अनुदान राशि

229. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायतों को कितने रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान देय है ?

(2) क्या सरकार नगरपालिका के समान ही पंचायतों को अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायतों को 4/- रुपये प्रति व्यक्ति हिसाब से अनुदान देय है।

(2) जी नहीं। दोनों व्यवस्थाएं पृथक-पृथक हैं। इनमें समानता नहीं हो सकती।

विधान सभा क्षेत्र, रायसिंह नगर (श्रीगंगानगर) की पंचायतों को आवंटित राशि

230. **श्री रामस्वरूप मेघवाल** (रायसिंहनगर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछली पंचवर्षीय योजना में जिला श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर विधान सभा क्षेत्र में पंचायतों को कितनी-कितनी राशि किस-किस तिथि को किस-किस योजना के तहत दी गई थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में उक्त स्वीकृत राशि से पंचायतों द्वारा किन-किन गांवों में क्या-क्या कार्य किये गये ?

(3) रायसिंह नगर क्षेत्र की किन-किन पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत घर बने हुए हैं और किन-किन पंचायत मुख्यालयों पर नहीं हैं ?

(4) प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों के लिए क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं ?

उत्तर

(1) पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में जिला श्रीगंगानगर में रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में पंचायतों को दी गई राशि का

(राज्य मन्त्री, ग्रा. विकास एवं पंचायत राज)

तिथि व योजनावार ब्यौरा संलग्न सूची में दर्शायेनुसार है (तालिका नं. 2)

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में उक्त स्वीकृत राशि से पंचायतों द्वारा ग्रामों में किये गये कार्य का प्रत्येक ग्रामनुसार कार्यों का विवरण सलंग्न सूची (4) में दर्शायेनुसार है।

(3) रायसिंहनगर क्षेत्र की जिन पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत घर बने हुए है और जिन पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत घर बने हुए नहीं है उनकी सूची संलग्न है। (तालिका-3)

(4) पंचायत मुख्यालय पर सरकार द्वारा ग्रामीणों को दी जाने वाली सुविधाओं की सूची संलग्न है। (तालिका नं. 1)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

दधिमती माताजी (नागौर) के मन्दिर के मेले की कर वसूली

231. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर तहसील जायल की ग्राम पंचायत मांगलोद द्वारा दधिमती माताजी मन्दिर पर लगने वाले मेले की राशि वसूल की जा रही है ? क्या जिलाधीश, नागौर के आदेश सं. दि. /74/1443 दिनांक 19-10-1974 द्वारा पंचायत को मेले की वसूली नहीं करने तथा मन्दिर प्रबन्धकों को ही मेले की वसूली करने के आदेश दिये थे ?

(2) क्या उपरोक्त प्रकरण में मुन्सिफ न्यायालय, नागौर ने दिनांक 2-8-1988 को पंचायत को आदेश दिये थे कि मन्दिर मेले की वसूली माताजी मन्दिर प्रन्यास ही करेंगे तथा पंचायत इसमें दखल नहीं करे ?

(3) यदि हां, तो ग्राम पंचायत सरपंच के नियमों के विरूद्ध कार्य करने पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ग्राम पंचायत मेले की राशि वसूल नहीं करती, बल्कि मन्दिर प्रन्यास के बाहर गोचर भूमि में लगने वाली दुकानों का किराया वसूल करती है। जी हां, कलेक्टर ने ऐसा आदेश दिया था।

(2) जी हां, एक पक्षीय अस्थाई आदेश जारी हुआ था जो प्रन्यास क्षेत्र की दुकानों से ही सम्बन्धित था।

(3) ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है मामला अब भी कोर्ट के विचाराधीन है।

कृषि उपज मण्डी बहरोड़ (अलवर) द्वारा सड़कों का निर्माण

232. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी बहरोड़ (अलवर) द्वारा गत पांच वर्षों में कहां से कहां

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तक सड़कों का निर्माण कराया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय बहरोड़ से वाया–तलवाड़, मोहम्मदपुर, चेलावास/ग्राम पंचायत क्राकरी मोहम्मदपुर तक तथा राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 पर स्थित प्याऊ/तिराया मोलहडिया (नीमराना) से वाया–इसरीपुरा (बर्डोद-शाहजहांपुर रोड के मध्य स्थित) तिबारा, जाट-बहरोड़ तक लिंक रोड का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति बहरोड़ द्वारा गत पांच वर्षों में किसी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोई लिंक रोड निर्माण कराने का अभी विचार नहीं है ।

राज्य में भू एवं जल विकास निदेशालय की स्थापना

233. श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली), श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) एवं श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने अलग से "भू एवं जल विकास निदेशालय" स्थापित करने का फैसला किया है ? अगर हां, तो इस निदेशालय की रचना क्या व कैसी होगी ? विवरण सदन की मेज रखें ।

(2) क्या इस निदेशालय ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है, यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) हां, राज्य सरकार ने जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण निदेशालय अलग से स्थापित कर दिया है । भू-संरक्षण विभाग की विभिन्न जिलों में कार्यरत इकाइयों तथा पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त खण्ड/संभाग स्तरीय इकाइयों तथा जयपुर कृषि निदेशालय में भू-संरक्षण कार्यरत स्टाफ अब निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण के अन्तर्गत होगा इसी प्रकार एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम का स्टाफ भी उनके नीचे होगा ।

(2) इस निदेशालय ने दिनांक 30-1-91 से कार्य आरम्भ कर दिया है ।

सहायक अभियन्ता, सिवाना (बाड़मेर) द्वारा पूर्ण करवाये गये कार्य

234. श्री हुक्माराम मेघवाल (सिवाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहायक अभियन्ता (भू-संरक्षण कृषि विभाग) सिवाना द्वारा वर्ष 1989-90 में कहां-कहां कार्य करवाया गया है

(श्री हुक्माराम मेघवाल)

तथा अब कहां-कहां कार्य चल रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या भविष्य में भी सरकार द्वारा और नए काम करवाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता (भू. सं.) कृषि विभाग सिवाना द्वारा वर्ष 89-90 में करवाये गये कार्यों की सूची संलग्न प्रपत्र-1 में सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

सहायक अभियन्ता (भू. सं.) कृषि विभाग सिवाना द्वारा वर्ष 90-91 में करवाये जा रहे कार्यों की सूची प्रपत्र-2 के अनुसार है ।

(2) जी हां, अगले वर्ष की बजट राशि से अगले वर्ष कार्य कराये जायेंगे ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

डी. ए पी. इफको खाद एवं बीजों के नमूनों की जांच

235. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा डी. ए. पी. व इफको खाद एवं बीजों के नमूने किन फर्मों तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों से सन् 1989-90 में जांच हेतु लिये गये थे ? जांच अन्वेषण में किन-किन फर्मों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों के नमूने अमानक निकले ? कृपया पूर्ण विवरण जांच रिपोर्ट सहित, सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त नमूनों की अमानक रिपोर्ट प्राप्त होने पर किन-किन फर्मों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? किन-किन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई तथा किन-किन के विरूद्ध चालान पेश हुए ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा डी. ए. पी. व अन्य खाद के नमूने ग्राम सेवा सहकारी समितियों से 1989-90 में लिए जाकर जांच हेतु भेजे गये थे, उनमें अमानक नमूनों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नमूने लेने की तिथि	नमूना जहां से लिया गया	उर्वरक का नाम व खण्ड
1.	12-5-89	ग्राम सेवा सहकारी समिति, जाडन (पाली)	सी. ए. एन. 26 प्रतिशत एन
2.	31-5-89	ग्राम सेवा सहकारी समिति, डेगाना की ढाणी (उदयपुर)	एस. एस. पी. 16 प्रतिशत हिन्दुस्तान जिंक लि. उदयपुर ।

(कृषि मन्त्री)

1	2	3	4
3.	23-8-89	ग्राम सेवा सहकारी समिति, माण्डल, भीलवाड़ा	एस. एस. पी. 16 प्रतिशत हर्षवर्धन।

वर्ष 1989-90 में कृषि विभाग के विभिन्न निरीक्षकों द्वारा बीज के कुल नमूने 1125 लिये गये जिनमें से 35 नमूने अमानक पाये गये। अमानक नमूनों की फर्मों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	ग्राम सेवा सहकारी समिति का नाम	की गई कार्यवाही
1.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, जाडन (पाली)	एसीएएन 26 प्रतिशत का निस्तारण कर दिया गया है।
2.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, डेगाना की ढाणी (उदयपुर)	एस.एस.पी. 16 प्रतिशत की बिक्री बन्द कर दी गई व घटी दर पर विक्रय करने की अनुमति दी।
3.	ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डल, भीलवाड़ा	एसएसपी 16 प्रतिशत का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

बीज नियन्त्रण आदेश 1983 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी करने के कारण अमानक बीज के नमूनों पर चालान कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किये गये।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

अलवर जिले में नकली डी. ए. पी. खाद का विक्रय

236. **श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील लक्ष्मणगढ़ एवं कठूमर में नकली डी. ए. पी. खाद बेचा गया ? नकली डी. ए. पी. खाद के कारण किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है और हजारों बीघा जमीन खराब हो गई है ?

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

(2) क्या यह सही है कि नकली डी. ए. पी. बेचने पर उप-निदेशक कृषि विस्तार अलवर ने बीज एवं खाद भण्डारों पर छापे मारे और उनका अवज्ञा पत्र निरस्त कर दिया और कुछ दुकानदारों के खिलाफ पुलिस में मुकदमे भी दर्ज कराये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उप-निदेशक को नकली खाद बनाने के कारखानों की जानकारी होते हुए भी छापे केवल दुकानों तक ही सीमित रखें ? यदि हां, तो उप-निदेशक के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि अलवर जिले के कठूमर निवासी उमर सिंह एवं मोरध्वज ने भरतपुर जिले के कस्बा नदबई में नकली डी. ए. पी. खाद बनाने का कारखाना लगा रखा है ?

(5) सरकार ने अखबारों एवं लोगों की शिकायतों के माध्यम से जानकारी होने पर इस कारखाने के मालिक के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) नकली खाद के कारण किसानों को जो नुकसान हुआ है, क्या सरकार किसानों को क्षतिपूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नकली खाद से किसानों को आर्थिक हानि अवश्य हुई है। जमीन खराब होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां।

(3) खाद बनाने वाले कारखाने उत्तर प्रदेश में थे अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश को लिख दिया गया है जो इसके लिए सक्षम अधिकारी है।

(4) ऐसी कोई जानकारी विभाग को नहीं है।

(5) जानकारी नहीं होने की वजह से कार्यवाही नहीं की गयी।

(6) किसानों को क्षतिपूर्ति का उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1985 में कोई प्रावधान नहीं है।

कृषि उपज मंडी समिति, बयाना (भरतपुर) में रिक्त भू-खण्ड

237. **श्री रामप्रसाद** (वैर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की तहसील बयाना कृषि उपज मण्डी समिति "अ" श्रेणी बयाना में एक भू-खण्ड रिक्त पड़ा है ? क्या उपरोक्त भू-खण्ड हेतु श्रीमती शान्ती देवी निवासी बयाना द्वारा आवंटन हेतु वर्ष 1980-81 में आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उपरोक्त भू-खण्ड को अभी तक किन कारणों से आवंटित नहीं किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, बयाना द्वारा उक्त आवेदन-पत्र सचिव, कृषि राज्य विपणन बोर्ड, जयपुर को उप शासन सचिव, कृषि/ग्रुप 2-बी शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक -10 (58) कृषि/ग्रुप—2बी 75 दि. 13-5-81 के माध्यम से भिजवाया था ?

(श्री रामप्रसाद)

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 19-5-1981 को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ने कोई उत्तर प्रार्थियों को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो अब कब तक सरकार उक्त भू-खण्ड प्रार्थिया को आबंटित कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां ? नियमानुसार मण्डी समिति निर्माण हेतु प्राप्त की गयी भूमि का आबंटन व्यक्तिगत उपयोग हेतु नहीं किया जा सकता है अतः आबंटन नहीं किया गया।

(2) जी नहीं। उप शासन सचिव कृषि ग्रुप-2 बी द्वारा सचिव मंडी समिति बयाना को 13-5-81 को पत्र लिखा जाकर खाली भू-खण्डों के खसरे नं. की सूचना मांगी गयी थी, जिसकी प्रति विपणन बोर्ड, जयपुर को दी गयी।

(3) जी नहीं। नियमानुसार रिक्त प्लाट का आबंटन व्यक्तिगत उपयोग हेतु किये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 238
(स्थगित)

राज्य में होमियोपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति

239. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1981 से 1990 तक होमियोपैथिक के कितने चिकित्सकों को राज्य सरकार ने नियुक्ति दी व कितने डाक्टर होमियोपैथिक बोर्ड से उत्तीर्ण हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बेरोजगार होमियोपैथिक डाक्टरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके चयन का आधार चिकित्सक के डिग्री हासिल करने के वर्ष से मानने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 से 1990 तक होमियोपैथिक चिकित्सकों के पद पर नियुक्ति का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	नियुक्ति की संख्या
1982	10
1984	1
1986	1
1988	4
1989	23

इस अवधि में 1268 डाक्टर होमियोपैथिक बोर्ड से उत्तीर्ण होकर निकले।

(2) बेरोजगार होमियोपैथिक चिकित्सकों के हितों को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि नियुक्तियां योग्यता के आधार पर तो की जायें पर सूची बनाते समय उनके उत्तीर्ण होने के वर्ष के अनुसार उनको निर्धारित फार्मूले के अनुसार उपयुक्त वेटेज [Weightage] दिया जाये।

बांसवाड़ा जिले में संगमरमर की खानों का आवंटन

240. **श्री सोमा** (बागीडोरा) एवं **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में संगमरमर की कितनी खदानें अब तक किन-किन व्यक्तियों को कब-कब दी गयीं ?

(2) क्या यह सही है कि संगमरमर, की खदानों को ऐसे प्रभावशाली अफसरों व नेताओं के रिश्तेदारों को ही अधिकांशतः एक से अधिक खदानें दी गयी हैं जो बांसवाड़ा जिले के निवासी ही नहीं हैं ?

(3) त्रिपुरा सुन्दरी तलवाड़ा पंचायत समिति बांसवाड़ा क्षेत्र में कुल कितनी संगमरमर की खदानों को माही परियोजना में कार्यरत, स्थानान्तरित या सेवानिवृत्त हुए अफसरों के परिवार के सदस्य को दिया गया ?

(4) क्या संगमरमर खदानों पर कार्य करने वाले मजदूरों का खदान मालिकों द्वारा शोषण होता है ? क्या उसकी जानकारी राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को है ? यदि हां, तो खदान मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में संगमरमर के 185 खनन पट्टे आवंटित किये गये हैं जिसकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। किसी भी प्रभावशाली अफसर या नेता के रिश्तेदार होने के कारण किसी को खान आवंटित नहीं की गयी है। 185 स्वीकृत खनन पट्टों में से 88 पट्टेदार बांसवाड़ा जिले के निवासी हैं एवं 97 अन्य जिलों के निवासी हैं।

(3) त्रिपुरा सुन्दरी, तलवाड़ा पंचायत समिति बांसवाड़ा क्षेत्र में खनिज मार्बल के चार खनन पट्टे माही परियोजना में कार्यरत, स्थानान्तरित तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों के परिवार के सदस्यों को स्वीकृत किये गये हैं जिसकी सूचना परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(4) जी नहीं। बांसवाड़ा क्षेत्र में संगमरमर की खदानों पर कार्यरत मजदूरों का खान मालिकों द्वारा शोषण करने की कोई शिकायत इस विभाग एवं केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को प्राप्त नहीं हुई है इसलिए कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं (चित्तौड़गढ़) में अवैधानिक खनन

241. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में कितनी खाने अवैध रूप से चल रही हैं ?

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

(2) क्या इन अवैध खानों को वैध करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब तक क्रियान्वित हो पायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में माह दिसम्बर, 1990 तक अवैध खनन के 125 मामले बनाये गये हैं।

(2) अवैध खनन को वैध (नियमित) करने सम्बन्धित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जब जब अवैध खनन के मामले पकड़े जाते हैं, नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

भूतपूर्व सैनिकों को पेन्शन

242. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां): क्या सैनिक कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के भारतीय सेना में सेवारत रहे एवं इस समय जीवित पूर्व सैनिकों की कुल संख्या कितनी है ?

(2) उपरोक्त वर्णित पूर्व सैनिकों में से कितनों को पेन्शन लाभ मिल रहा है ? पेन्शन लाभ से वंचित पूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या सहायता दी जाती है ?

(3) पेन्शन लाभ से वंचित पूर्व सैनिकों में से कितनों की आमदनी गरीबी रेखा से कम है ?

(4) क्या पेन्शन लाभ से वंचित सैनिकों को पेन्शन या सहायता राशि दी जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के समक्ष मामला उठाया है ? यदि हां, तो कब और उसकी क्या प्रगति है ?

(5) क्या सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, कोटा द्वारा पत्र क्रमांक 236-37 दिनांक 20 जनवरी, 1990 के द्वारा पूर्व सैनिक नम्बर एम. टी. एच./796955 हवलदार नायक रामनाथ सिंह को मुख्य मन्त्री सहायता कोष से राशि दिलाने हेतु राज्य सैनिक बोर्ड को प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ?

(6) क्या उक्त पूर्व सैनिक वृद्ध एवं अशक्त है ? यदि हां, तो उसे अब कब तक सहायता राशि उपलब्ध करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) 9827 पूर्व सैनिक जीवित है।

(2) केन्द्र सरकार से संबंधित है। पेन्शन लाभ से वंचित पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार से वृद्धावस्था पेन्शन व अमलगमेटेड फंड से जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है उनको 50/–रु. मासिक सहायता स्वीकृत करायी जाती है।

(3) 9827 पूर्व सैनिकों की आमदनी गरीबी रेखा से कम है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। आवेदन पत्र में प्रार्थी की जाति मीणा, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में जाति राजपूत होना अंकित होने के कारण

(राज्य मन्त्री सैनिक कल्याण)

से जाति की पुष्टि के लिये मामला पुनः सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, कोटा को प्रेषित किया गया है। सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, कोटा द्वारा प्रार्थी की जाति के संबंध में जांच की जा रही हैं। जांच पूर्ण होने पर ही इन्हें सहायता देने के लिये कार्यवाही की जावेगी। पूर्व सैनिक रामनाथ सिंह को माह जनवरी, 1991 में सेना हितकारी निधि से 450/- की राशि की सहायता दिलायी गयी है।

(6) जी हां। अमलगमेटेड फंड से मासिक सहायता के आवेदन पत्र की पूर्ति करायी जा रही है। प्रार्थी का प्रकरण फंड के नियमानुसार पाये जाने की स्थिति में उसे मासिक सहायता स्वीकृत कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता

243. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(2) क्या यह सही है कि सियाचीन, लंका, कश्मीर व पंजाब आदि स्थानों पर जो फौज के सिपाही व अधिकारी मरे हैं या घायल हुए हैं, उन्हें सहायता देने के लिए भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को लिखा है।

(2) यदि हां, तो किस-किस को कितनी-कितनी सहायता दी गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के क्या कोई मापदण्ड या नियम हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार की नीति के अंतर्गत राजस्थान के मूल निवासी सियाचीन लंका, व पंजाब आदि स्थानों पर सेना के सिपाही व अधिकारी शहीद हुए हैं या विकलांग हुए हैं उनको राज्य सरकार द्वारा प्रचलित आदेशों के अनुसार सहायता प्रदान की जा रही है। कश्मीर में शहीद सैनिकों को देय सुविधा का प्रश्न है, अभी तक कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) देय सहायता के संबंध में प्रसारित राज्य आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झामरकोटड़ा (उदयपुर) की एकीकृत परियोजना

244 **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आर. एस. एम. एम. की झामरकोटडा एकीकृत परियोजना को 30-9-1991 तक पूरा होना था ? यदि हां, तो इसका अभी तक कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, इस योजना में राज्य सरकार ने 31--3--1990 तक कितना करोड़ रुपया दिया है और उसके

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

समकक्ष कम्पनी द्वारा कितना करोड़ रुपया व्यय किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि भामर कोटड़ा परियोजना में कंसल्टेन्सी कार्य का ठेका मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को दिया गया ? यदि हां, तो यह ठेका कितनी राशि का था और उसने कितना प्रतिशत कार्य पूरा किया है ?

(3) क्या यह सही है कि इसी योजना में मुख्य प्रोजेक्ट प्लान्ट का कार्य लार्सन एण्ड ट्यूब्रो कम्पनी को दिया गया था ? जबकि इसकी रेट दूसरी कम्पनियों से ज्यादा थी ? क्या उक्त कम्पनी को एडवांस भी दिया गया ? यदि हां, तो कितनी राशि अग्रिम दी गयी ?

उत्तर

(1) जी हां । अब तक परियोजना संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर जिसमें प्लान्ट इत्यादि संबंधित, सिविल कार्य, अन्य आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली सप्लाई, कालोनी इत्यादि का काम पूर्ण हो चुका है, एवं प्लान्ट में लगाई जाने वाली मशीनरी इत्यादि के फेब्रीकेशन तथा सप्लाई का काम लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इस परियोजना के तहत दिनांक 31-3-90 तक 28.54 करोड़ रुपये कम्पनी को हिस्सा पूंजी के रूप में प्रदान किये । इस राशि के विरूद्ध कम्पनी ने उक्त तिथि तक 19.33 करोड़ रुपये व्यय किया ।

(2) जी हां । यह ठेका कुल 3.03 रुपये का था तथा कंसल्टेन्ट ने अब तक निर्धारित कार्य का लगभग 72 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है ।

(3) जी हां । यह सही नहीं है कि इसकी रेट दूसरी कम्पनियों से ज्यादा थी । वास्तव में इस कम्पनी को यह ठेका संस्थान द्वारा प्राप्त विभिन्न निविदाओं की न्यूनतम दर पर दिया गया । उक्त कम्पनी को निविदा तथा ठेका की शर्तों के अनुसार एडवान्स भी दिया गया । कुल 3.46 करोड़ रुपये अग्रिम दिया गया ।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री हीरासिंह चौहान का उपाध्यक्ष, पद पर निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश गुप्ता ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्षजी मैं निम्नांकित प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूं कि श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री ओम प्रकाश गुप्ता को प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी गयी ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर सैनी ।

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव

(श्री रामकिशोर सैनी)

प्रस्तुत करता हूं कि श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 195) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री जियालाल।

श्री जियालाल बंशीवाल (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री रामकिशोर सैनी (विभाजन संख्या 139) ने प्रस्तुत किया है, को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष विधान सभा निर्वाचित हुए ।

(श्री हीरासिंह, चौहान, उपाध्यक्ष को माननीय मुख्य मंत्री एवं विपक्ष के नेताओं द्वारा उपाध्यक्ष के आसन पर पदासीन कराया।

श्री हीरासिंह चौहान (उपाध्यक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दल के नेता और मेरे दल के सभी सम्मानित सदस्य और विपक्ष के सारे नेतागण और सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लिए उपयुक्त समझा। मैं आपको विश्वास देता हूं कि इस पद की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए मैं मेरी तरफ से सदैव प्रयत्न करूंगा और आप सबसे भी मेरी ओर से निवेदन है कि इस सदन की जो गरिमा बनी हुई है, जो परम्पराएं हैं उनके अनुरूप चल कर जिस प्रकार का कार्य संचालन इस सदन में होता है उसमें, सदैव अच्छा सहयोग मिलता रहेगा। एक बात का मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि माननीय अध्यक्षजी का व्यक्तित्व बहुत ही उच्च श्रेणी का है। उनके नेतृत्व में रह कर और उनके साथ रह कर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ।

जय हिन्द, जय भारत।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री सुनील विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहकारिता विभाग में 10-9-1989 से 31-12-1990 तक की अवधि में कार्यरत रजिस्ट्रार द्वारा कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति तथा नेहरू सहकार समिति के रिकार्ड को बदलवा देने, नियम विरूद्ध करोड़ों का भुगतान किये जाने तथा 29 हजार वर्ग गज भूमि 51 लाख में बेच कर सहकारी शीर्ष संस्था को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामस्वरूप मीणा व दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सहायक अभियंता सिविल एवं मैकेनिकल के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने के सम्बन्ध में ।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री हेतराम बेनीवाल व दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से 6 मार्च, 1991 को संगरिया में और 22 मार्च, 1991 को अनूपगढ़ से थोड़ी दूर 86 जी. बी. की ढाणी में एक परिवार के पूरे पांच सदस्यों को आतंककारियों द्वारा निर्ममता पूर्वक मार डालने के सम्बन्ध में।

(4) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई मानसिंह अस्पताल की बर्न यूनिट में व्याप्त अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री प्रेमसिंह देहियां व दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर की पुरानी बस्ती में गणगौरी गेट के पास बम बेचते हुए पकड़े गये व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

जहां तक नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाओं का प्रश्न है इनकी संख्या अत्यधिक है और सदन में काफी अत्यावश्यक कार्य निपटाया जाना शेष है. अतः आने वाले कार्य दिवसों में इनके सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री परसराम मदेरणा। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, पहले हमने रोडवेज की ख़रीद में घोटालों को ले कर एक स्थगन प्रस्ताव एवं 131 का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। राज्य सरकार ने उत्तर दे दिया है। मैं जानना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, उसको यहां लगाया क्यों नहीं जा रहा। माननीय मंत्री महोदय उसका जवाब क्यों नहीं देते। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 295 में था...

श्री बिरधाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पंचायत समिति में विकास अधिकारी नहीं होने का एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया था 3 तारीख को और उसका सरकार से जवाब भी आ चुका है, जवाब भी मंगा लिया गया है वह अभी तक नहीं लगाया गया है उसको लगाने की व्यवस्था करें।

श्री सुनील विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मंत्री कल अनूपगढ़ जा कर आये हैं। स्वयं जानकारी करके आये हैं। इसलिए सरकार की जानकारी के लिये तो मंत्री खुद जाकर आये हैं तो क्या जानकारी करवायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं निवेदन कर रहा था शून्यकाल में 295 के अन्तर्गत एडजोर्नमेंट मोशन में किसी को आज बोलने की इजाजत नहीं है। सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य है तो कम से कम एक घंटे का समय 295 में जिन्होंने प्रस्ताव दिये, उनको मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : एक घंटे का समय सेंसर मोशन को दिया है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सेंसर मोशन आता है, इस सदन में कम से कम 8 बजे तक जीरो आवर चला है लास्ट दिनों में। वैसे ही पहले से विधान सभा का समय कम हो गया है।

श्री अध्यक्ष : आप देख लीजिए फिर भी कितना टाइम लगता है।

मेरा आपसे निवेदन है कि अधिकारों की रक्षा के लिए दो दिन में सब लगा दूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दो दिन में पता नहीं सरकार पहले ही भाग जाये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप मत भाग जाना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पूरा सदन समाप्त करने के बाद ही घर जाता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता, विरोधी दल के नेता और सारे सदन को गंगानगर जिले की स्थिति के बारे में इसलिये अवगत कराना जरूरी समझता हूं कि पिछली बार एक पखवाड़े पहले हमने इस पर जो चर्चा की इस बार की चर्चा में उसकी संख्या बढ़ी है। पूरा परिवार साफ हो गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वह घटना पंजाब के बार्डर की थी यह बहुत इन्टीरियर की है। डेढ़ सौ कि. मी. पंजाब से दूर जिस तरह की यह घटना है उसमें इन्फार्मर परिवार पुलिस से मिला हुआ था या उग्रवादियों से मिला हुआ था, पता नहीं है। मैं समझता हूं गंगानगर जिले की पुलिस को जिस तरह से पिछले साल- डेढ़ साल से इस्तेमाल किया गया है और पिछली कार्यवाही की, डेढ़ महीने से जिस तरह की उसकी स्थिति बनी है, सारे जिले में इनसिक्योरिटी की स्थिति पैदा हो गयी और इनसिक्योरिटी की स्थिति की वजह से लोग ढाणियों से जाकर शहर में और गांवों में आने शुरू हो गये। जिस तरह ढाणी में हमला हुआ मैं समझता हूं पुलिस गम्भीर नहीं है। पिछली बार भी जिक्र किया था दिन-दहाड़े पुलिस ने चौकसी नहीं रखी, चारों तरफ से निकल गये वह इस बार डेढ़ सौ कि. मी. की नाकेबन्दी के बीच में से हमारी पुलिस के होते हुए निकल गये इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुलिस प्रशासन राजनैतिक हस्तक्षेप की वजह से इस स्थिति में पहुंचा दिया गया कि राजस्थान के जो लोग वहां पहुंचे, मैं बड़ी गम्भीर बात कहना चाहता हूं कि एक विशेष तरह से वहां जिस तरह के अधिकारी लगाये गये हैं उनको न गंगानगर जिले का पता है, न गंगानगर जिले की सिचुएशन का पता है। इस तरह के डरपोक अधिकारी लगाये गये हैं। मैं पुलिस को कहना नहीं चाहता पर कहना चाहूंगा कि पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस इलाके में जाने के बजाय, उस क्षेत्र में जाने के बजाय दूसरी तरफ जाते हैं। माननीय अध्यक्षजी, तीनों बार की घटनाओं में पुलिस उलटे रास्ते गयी। जिधर से उग्रवादी गये हैं उनसे उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, यह बड़ा चिन्ता का विषय है और मेन नाके जो हैं उन नाकों पर किसी जगह भी कोई चैकिंग नहीं हुई। यह बड़ी चिन्ता की बात है। मैं चाहूंगा, हमारे

(श्री हेतराम बेनीवाल)

मंत्रीजी जाकर आये हैं, हाउस में इस बात की आज ही चर्चा होनी चाहिए। पिछली बार एक बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कही थी कि हम हथियार दे नहीं सकते, हथियार देने में हमारी बाधायें हैं।

श्री अध्यक्ष : आज चर्चा पुलिस विभाग पर ही है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उस चर्चा को इससे नहीं जोड़ा जाय। राजस्थान पुलिस के जो प्रशासन की चर्चा है इसमें जोड़कर इस मामले को अलग नहीं किया जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मेरे जिले में जो स्थिति पैदा हुई है हम जो उस जिले में रहते हैं वही जानते हैं, राजस्थान के लोग नहीं जानते हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा जिस तरह से निहत्थे उनको रखा गया है आज उस इलाके में 15 प्रतिशत आबादी के अन्दर जो वहां के सिख हैं बड़ी हिम्मत से हमारे साथ रहे आज तक। आज जो स्थिति पैदा की गयी है, मजबूर होकर इस तरह की घटनाओं को करने के कारण चुप रहना पड़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज ही इस मामले की चर्चा की जाये। मुख्य मंत्रीजी तय करें, क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर मामला है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। उन घटनाओं पर चर्चा की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : मेरा निवेदन यह था कि राज्य सरकार को सुओमोटो इस पर बयान देना चाहिए था, हमें एडजोर्नमेंट मोशन देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सेशन चल रहा है और घटना 2 दिन पहले हो गई। माननीय गृह राज्य मंत्री जी और कुछ मंत्री जी और भी गये हैं। यहाँ सुओमोटो आज ही इस पर स्टेटमेंट देते। 15-20 मिनट लेंगे, हम इस पर ज्यादा डिस्कशन करने वाले नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार गंगानगर जिले के अन्दर थोड़े अरसे के अन्दर ही दो घटनाएं हुई हैं वह सबके लिए ही चिन्ता का विषय है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार ऐसे क्या कदम उठाने जा रही है, क्या कार्यवाही कर रही है जिससे कि घटना की पुनरावृत्ति को रोक सके। मुझे इस बात का डर है कि कहीं इस प्रकार की घटनाओं में बढ़ोतरी नहीं हो और वहां लोगों का जीवन असुरक्षित हो जाय। जैसा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गृह राज्य मंत्री जी वहां होकर आये हैं, सरकार को इस मामले में यहां स्टेटमेंट देना चाहिए था। लेकिन हमारे सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री सुनील विश्नोई ने ही पहले मामला उठाया था। अनूपगढ़ उनके निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर आता है और हमारी कांग्रेस पार्टी को इस बात की बहुत चिन्ता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इस मामले में आप व्यवस्था दें क्योंकि जैसा आपने अभी फरमाया कि गृह विभाग की मांगों के सम्बन्ध में जब उत्तर आयेगा उस वक्त माननीय गृह मंत्री जी इसका उत्तर दे देंगे। यह भी सही है कि आज सदन का

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

शिड्यूल बहुत टाइट है लेकिन यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की घटना दो दफा हो गई। यहां पिछले 4-5 वर्षों के अन्दर बहुत शान्ति थी लेकिन एक शार्ट पीरियड के अन्दर दो घटनाएं होना बहुत चिन्ता की बात है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सरकार को निर्देश दें कि इस मामले में गृह मंत्री जी का वक्तव्य आये, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल झुंझुनू में भगवान राम की शोभा यात्रा के समय, जब जुलूस निकल रहा था तो लोग मकानों पर और दीवारों के छज्जों पर बैठे हुए थे, उसका दृश्य देख रहे थे। एक छज्जे पर क्षमता से ज्यादा संख्या में लोग बैठने के कारण वह छज्जा गिर गया और एक दुखान्तिका हो गई जिसमें काफी लोग घायल हुए हैं और उनमें से काफी लोगों की हालत बहुत गम्भीर है, कुछ को सीरियस कन्डीशन में जयपुर एस. एम. एस. अस्पताल में रेफर किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह सदन को अवगत करायें और पूरी वास्तविक स्थिति की सूचना दें।

श्री अध्यक्ष : अनूपगढ़ के बारे में आप पूछेंगे ?

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ के बारे में कुछ कहेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

आप बोलिए।

श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक साल में इस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है कि दिन-दहाड़े मण्डी में बीच में उग्रवादी आते हैं और वे मारकर चले जाते हैं और ऐसे जाते हैं जैसे वे कोई पिकनिक मनाने आये हों। पुलिस कुछ कार्यवाही कर नहीं रही है। अभी कुछ दिनों पहले संगरिया में मारा था, अभी अनूपगढ़ के अन्दर भी 86 जी. बी. में 5 हरिजनों को उनके घर में जाकर मारा गया। वे पैदल आये और पैदल गये लेकिन एक आदमी पकड़ा नहीं गया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह इस प्रकार का कैसा माहौल हो रहा है, यह क्या होता जा रहा है ? अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सो रही है या कुछ कर रही है ? अगर इस तरह से माहौल चलता रहा तो वहां कोई आदमी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। यह आज का घटनाक्रम नहीं है। वहां पुलिस की जो विश्वसनीयता गिरी है यह एक क्रमबद्ध तरीके से गिरी है। इस प्रकार कई वारदातें हो चुकी हैं और वहां की पुलिस इन वारदातों को लाइटली लेती है और इनको इग्नोर करती है। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी ऐसी वारदात हुयी, पुलिस को इसकी इन्फार्मेशन की, उन्होंने सोचा यह राजनीतिक स्टंट है जहां इनको मारा गया है वहां इलेक्शन के टाइम में हमारी जीप

(श्री सुनील विश्नोई)

गयी थी उसके ऊपर भी गोलियां चलायी। पुलिस वालों को हमने आकर बताया कि वहां पर आज फायरिंग हुई है। उन्होंने कहा कि आप पालिटिकल स्टंट बना रहे हैं। रिटन रिपोर्ट हमने दी थी, उसके बाद में वहां से हथियार बरामद हुए, उसी खेत से और वहां कई बार बोरियों में हथियार बरामद हो चुके हैं और पुलिस वाले कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और जब कोई मरता है या कुछ होता है तो थोड़ी-बहुत हलचल होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो पुराने आफिसर्स बैठे हैं 3 साल से या ज्यादा समय से हैं वहाँ 2 साल बाद नये आफिसर्स लगाने चाहिए क्योंकि 2 साल से ज्यादा समय के बाद वहाँ उनका इन्ट्रेस्ट डवलप हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, वहीं पंचायत समिति में सुबोधकांत जी अनूपगढ़ आये थे वहाँ कलक्टर मौजूद थे, एस. पी. वहां मौजूद थे उस टाइम पंचायत समिति के अन्दर गुण्डों ने जाकर विकास अधिकारी को पीटा लेकिन उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई, उसकी फाइल जयपुर मंगाकर सी.आई.डी. में डाल दी गयी। इसी प्रकार वहां पर सीताराम नाम का हरिजन है, सरपंच है उसको मारा गया। वे मुकलावा पुलिस थाने में 9 बजे रिपोर्ट देने गये, थानेदार ने उनको धमकाकर भगा दिया कि भाग जाओ यहां से। फिर वे एडिशनल एस. पी. के पास रात को ढाई बजे गये, उन्होंने भी भगा दिया कि सुबह आना। सुबह मैंने उनको जब फोन किया, मैंने कहा कि आपका नाम भी एफ. आई. आर. में होना चाहिए क्योंकि आप इनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं फिर वे मौके पर गये। वहां से लाश गायब हो गयी, लाश को उठाकर वे लेकर चले गये। पुलिस इसी का इन्तजार करती है कि लाश गायब हो जाय फिर हम जाय। जब लाश बरामद नहीं होगी तो कुछ केस बनेगा नहीं। वहां 2 आदमी मौके पर पकड़े गये। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि 302 के मुल्जिमानों ने सरपंच को बदला लेकर मारा है। उन मुल्जिमानों ने कहा कि खेत में निमटकर आते हैं और वे ऐसे निमटने गए कि खेत में से गायब हो गये वो इसलिए कि लाश बरामद न हो जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत बन रही है तो इस पर स्टेटमेंट होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस घटना की ओर चिन्ता व्यक्त की है। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार भी चिन्तित है और इसी के फलस्वरूप कल ही गृह राज्य मंत्रीजी, समाज कल्याण मन्त्रीजी और 2 विधायकगण मौके पर गये हैं और मौके पर जा करके सारी स्थिति को देखा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार वे आतंककारी आये और जैसे वे पैदल आये जैसा कि आप बता रहे हैं रात के करीब 12.00--12-30 बजे के बाद की घटना है और सोते हुए एक ही परिवार के 5 सदस्यों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया वह सारी जानकारी कल रात को करीब 8.00-8.30 बजे वे वहां से लौटे हैं, आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से आज ही

(श्री दिग्विजय सिंह)

एक घण्टे के बाद में इस पर सारा स्टेटमेंट दे दूंगा और आपको अवगत करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : समितियों के प्रतिवेदन।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय गृह मंत्री जी, झुन्झुनू के बारे में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मन्त्री) : झुन्झुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है वहां 2--3 बन्धु अधिक घायल हुऐ थे उनको एस. एम. एस. अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है उनका उपचार ठीक चल रहा है। प्रिंसिपल के मार्फत उनका समाचार मैंने मंगवा लिया है, वे सब स्वस्थ हैं। बाकी लोगों का उपचार भी झुन्झुनू में ठीक रूप से चल रहा है, किसी प्रकार की आगे कोई चिन्ता की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री रमाकान्त शर्मा।

समिति का प्रतिवेदन

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य, जनलेखा समिति 1990-91 समिति का 17 वाँ प्रतिवेदन, 18 वां प्रतिवेदन, 19 वां प्रतिवेदन, 20 वां प्रतिवेदन, 21 वां प्रतिवेदन, 22 वां प्रतिवेदन, 23 वां प्रतिवेदन एवं 24 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति राजकीय उपक्रम समिति, 1990-91 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (राजकीय उपक्रम समिति के द्वितीय प्रतिवेदन (पंचम विधान सभा) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1969–70 पैरा 99 (ख) 100 व 122 तथा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1968-69 व 1969-70) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक चतुर्थ प्रतिवेदन, एवं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की कोटा तापीय विद्युत परियोजना (राजकीय उपक्रम समिति, 1978-79 में छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही) विषयक पंचम प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : अध्यक्ष महोयय, मैं सभापति प्राक्कलन समिति "ख" 1990-91 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

प्रथम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख" 1985-86 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक प्रथम प्रतिवेदन,

द्वितीय, चिकित्सा एवं स्वाथ्य (औषधि नियन्त्रण संगठन) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख" 1987–88 के सोलहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक द्वितीय प्रतिवेदन, एवं

(श्री जीतमल जैन)

तृतीय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख" 1986-87 के नवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक तृतीय प्रतिवेदन ।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री हबीबुर्र रहमान ।

श्री हबीबुर्र रहमान (मूण्डवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

(1) भीनमाल पंचायत समिति जिला जालौर के पंचायत मुख्यालय बाड़ा मांडवी तक सड़क बनाकर किसानों को राहत पहुंचाने विषयक दो व्यक्तियों द्वारा उपस्थापित,

(2) जालौर जिले के भीनमाल नगर में पीने के पानी के वितरण में फ्लोराइड युक्त पानी के शुद्ध करने हेतु एन्टी फ्लोराइड प्लांट व फिल्टर हाऊस स्थापित करने विषय तीन व्यक्तियों द्वारा उपस्थापित ।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा....

सूचना

लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री, सिरोही के मजदूरों का प्रदर्शन

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन सिरोही जिले की लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर पिछले छह महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं परन्तु अध्यक्ष महोदय, आज वह सारे चल कर जयपुर आ गये हैं, हमारे दरवाजे पर बैठे हैं, हमारा रास्ता रोका, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है और वह सारे ही मजदूर अब विधान सभा के दरवाजे पर आकर बैठे हुए हैं । मजदूरों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है । कृपया इस विषय पर विचार करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास ।

व्यवस्था का प्रश्न

नियम 119 के तहत निन्दा प्रस्ताव

श्री गुलाब सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर अनुमति दी जाय....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : किस पर ?

श्री गुलाब सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पन्द्रह दिन हो गये, हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है ...

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बैठिये, पाइंट आफ आर्डर है । किस विषय पर ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : श्री सुरेन्द्र व्यास जो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं उसके बारे में ।

श्री अध्यक्ष : हां, उस पर । बोलिए ।

श्री गुलाब सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : पाइंट ऑफ ग्रार्डर रख रहे हैं, आप समझिये, विराजिए।

He is raising Point of order.

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ग्राफ ग्रार्डर यह है कि प्रक्रिया के नियम 119 के तहत मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक निन्दा प्रस्ताव के रूप में पेश किया उसमें आपकी ग्राह्यता को या आपकी व्यवस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकते, माननीय अध्यक्ष महोदय, किन्तु मैं इन तथ्यों की ओर जाना चाहता हूं कि यह प्रश्न जो है वह किस प्रकार लिये जाने चाहिए, कौन से सवाल....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब वह विचारार्थ लिया जायेगा तब उसके बाद में उनका पाइंट आफ आर्डर उठेगा उस सम्बन्ध में तो।

श्री अध्यक्ष : उसी पर पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं। मैंने इनको पुकार लिया है। मैंने अब इनको पुकार लिया है, इसी पर पाइंट आफ आर्डर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, 121 के तहत आप इसको ग्रहण करते हैं और उसमें कुछ शर्तें दी हुई हैं। उसमें शर्तें यह है कि कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिए निम्न शर्तें पूरी करना जरूरी हैं अर्थात् उसमें सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा। दूसरा है- उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद अभ्यारोपण या मानहानिकारक कथन नहीं होगा। उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसके आचरण या चरित्र का निदेश नहीं होगा। वह किसी भी हाल ही के घटित विषय पर निबंधित रहेगा। उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। उसमें ऐसे विषय की फिर चर्चा नहीं चलाई जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव लाया गया है वह प्रिजुडिस होकर लाया गया है और कोई सार्वजनिक महत्व का नहीं है। यह घटना, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा प्रस्ताव में बताया गया है, 12-3-91 को तो इन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया और इसमें एक शर्त का उल्लंघन नहीं हो कि इस सत्र में किसी प्रकार चर्चा नहीं हो सकती अगर पूर्व में चर्चा की गई हो। स्वयं ने आशंकित होकर आपसे निवेदन किया है कि इसमें स्थगन प्रस्ताव आये हुए हैं और इस निन्दा प्रस्ताव पर फिर चर्चा नहीं हो सकेगी। इसलिए आप पर यह प्रतिबन्धित करने की कोशिश की गयी कि उन प्रस्तावों को रोका जाय और स्थगन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाय क्योंकि मेरे निन्दा प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी। स्वयं, मतलब जो है, उन्होंने उसको पढ़ा है और उसमें आपसे निवेदन किया है कि उन प्रस्तावों को स्वीकर नहीं किया जाय।

चौथा मेरा सवाल यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह तुरन्त कोई घटना थी ? यह घटना है 21--12--90 की। 21-12-90 की घटना के बारे में 12-3-91 को यह प्रस्ताव दिया गया और आशंकित होकर स्थगन प्रस्तावों को भी रोकने की व्यवस्था की गयी। पहली बात तो यह है

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कि यह ऐसा कोई विषय नहीं है, यह एक ऐसा विषय है जो अदालत में भी जायेगा, न्याय से, मतलब जो है, इसका ताल्लुक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसमें कोई स्वास्थ्य मन्त्री की हैसियत से उनका जो कृत्य है वह केवल इतना है कि उन्होंने कोई जांच बैठाई। कोई उनके पास शिकायत आती है और वह उसकी जांच करवाने के लिए लिखते हैं। जांच उन्होंने वहां पर करने के आदेश दिये, इसमें निन्दा प्रस्ताव जैसी कोई बात नहीं है और मेरा इसमें एक और है कि इस सदन में किसी व्यक्ति के इन्ट्रेस्ट को, जो अदालत में और किसी जांच से सम्बन्धित रखता है उस पर कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। मैं पूर्व में माननीय अध्यक्ष के आसन से जो कई प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं, उस बारे में भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

यह 23-2-53 को एक प्रश्न उठा, उसमें व्यवस्था दी गयी थी। अलवर के किसानों पर लाठी चार्ज किये जाने सम्बन्धी संकल्प पर टीकाराम पालीवाल द्वारा यह आपत्ति किये जाने पर कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, श्री अध्यक्ष ने निर्णय दिया "मामला जबकि एक न्यायालय में विचाराधीन है और उन आदमियों के खिलाफ, जिन पर लाठी चार्ज हुआ है उनको प्रोसीक्यूट किया जा रहा है, उसमें क्या डिफेन्स लिया जाने वाला है, वह विवाद का विषय है।" मैं, न्यायालय में है-यह नहीं कहना चाहता....

श्री हेतराम बेनीवाल : न्यायालय में नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि यह विषय न्यायालय में विचाराधीन है। मैं केवल उन शब्दों को उद्धत कर रहा हूं कि उसमें जिस प्रकार यह कहा गया है कि "उसमें क्या डिफेन्स लिया जाने वाला है, यह विवादास्पद विषय है और रिज्योलूशन को स्वीकर करते समय ऐसी कोई रेखा नहीं खींची जा सकती कि अमुक सीमा तक इसका डिस्कशन सीमित रहेगा या अमुक सीमा तक वह नहीं आ सकेगा। ऐसी सूरत में चाहे जितनी सतर्कता से बहस करें, यह अदालत को प्रभावित किये बिना नहीं रहेगी। अतः रूल्स आफ प्रोसिजर के नियम 156 के उप भाग बी के अनुसार इसको मैं रूल आउट करता हूं।"

इसमें यह आशंका प्रकट की गयी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस विषय को सीमित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब जो है, इसमें जो प्रभाव पड़ने वाला है इसकी जांच पर या किसी भी अधिकारी को, जिन अधिकारियों का यह डिफेन्स ले रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि उन अधिकारियों ने यह किया और पुलिस में भी इनका एक वह है कि पुलिस ने मिलकर यह किया, कई प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। यह भी आरोप लगाया है आपने मन्त्री मण्डल के साथी श्री दिग्विजय सिंहजी को रिफलेक्ट करके और उनसे आदेश सी. आई. डी. को सौंपा गया है। क्योंकि यह जांच का विषय है, सी. आई. डी. में यह प्रकरण भी चल रहा है, सी. आई. डी. में भी है, मेडिकल बोर्ड के द्वारा भी इसका वह किया गया है और उसमें स्पष्ट राय यह आयी है कि उनके द्वारा इस प्रकार के प्राइमा फेसी केस यह बनता है

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कि वह जो मेडिकल अफसर थे, उन्होंने केवल एक रफ कागज पर कुछ नोट्स तैयार कर रखे थे और समय पर उनको जो रिपोर्ट लिखनी चाहिए वह नहीं लिखी गई। यह सारा जांच का एक विषय है जो जांच को भी रिफलेक्ट करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें माननीय सदस्य की दुर्भावना है, यदि यह सद्भावनापूर्वक लाते और वास्तव में कोई निन्दा प्रस्ताव होता तो 22-2-91 से हमारा सत्र चल रहा है और यह घटना 21-12-90 की है तो 21-12-90 के बाद और यह इन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया है 12-3-91 को, मैं समझता हूं, 18 दिन तक यह चुप रहे और किस प्रकार जो इन्होंने लोक हित का, लोक महत्व का और ऐसा मामला, लोक महत्व के मामले को लेकर इस प्रश्न को उठाया है इसलिए माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि आपके सामने सम्पूर्ण प्रकरण और इसमें न्यायिक जांच पर न्यायिक प्रक्रियाओं पर और इसमें किस प्रकार का इफेक्ट हो सकता है, इन सारी बातों पर आपने शायद विचार नहीं किया, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें जो आपने व्यवस्था दी है उसको आप रूल आउट करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कल्लाजी बोल रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले आप बोल लें।

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस पर बोलूंगा या पाइंट आफ आर्डर पर बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कल्लाजी पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं, आप किस पर बोलेगें, यह आपकी मर्जी है।

It is your choice.

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइंट आफ आर्डर उठाया है वह एब इनीशियो गलत है क्योंकि आपकी व्यवस्था देने के बाद उसको चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जो मामला इन्होंने कहा, यह स्वयं कह रहे हैं कि मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तो फिर यहां पर केवल मात्र मन्त्रीजी के आचरण पर चर्चा हो रही है, उसके बारे में न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन नहीं है और जो मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने निन्दा प्रस्ताव पेश किया है वह बाकायदा तर्कसंगत, युक्तिसंगत है और मानहानिकारक नहीं है। वह बिल्कुल इनके आचरण के ऊपर इंगित करता है और नियमों के अनुकूल है। इसके साथ-साथ इन्होंने नियम 156 का हवाला वगैरह दिया, यह उसके विपरीत भी नहीं है। नियम के अन्तर्गत इनका प्रस्ताव है इसके लिए जो इन्होंने आपकी व्यवस्था को चुनौती दी है और रूल आउट करने के लिए आपसे आग्रह किया है उसको आप निरस्त कर....

श्री अध्यक्ष : रिसेन्ट घटना नहीं है, उन्होंने कहा है- दिसम्बर में हुई है घटना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, असेम्बली जब चलेगी उसी समय जिस विषय के ऊपर विचार नहीं हुआ, इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अलग-अलग प्रस्ताव भी दिये लेकिन असेम्बली जब होगी तभी तो उसके बारे में जिक्र आयेगा। असेम्बली उसके बाद हुई है और होते ही इन्होंने अपना प्रस्ताव दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलेंगे ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य जो टोंक से आने वाले हैं उन्होंने कुछ मुद्दे उठाये, उस पर आपने इस मुद्दे को थोड़ा सा समझने की चेष्टा की शायद रीसेन्ट घटना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, रीसेन्ट घटना तो बनाते हुए जा रहे हैं, मंत्रीजी। अभी 19 तारीख की प्रेस कान्फ्रेंस के अन्दर लेटेस्ट इन्होंने अटेक किया है इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर को। यानि पंचायतनामे की क्रेडिबिलिटी भी अब यह अटेक करना चाहते हैं। उसकी क्रेडिबिलिटी खतम करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कन्टीन्युइंग आफेन्स है। आज तक उस केस के अन्दर एफ. आई. आर. रजिस्टर नहीं हुई। आपने व्यवस्था दी है, यह कतई चिन्ता नहीं करें, अध्यक्ष महोदय, कि मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप या उत्तेजना वाली बात लूंगा। सिर्फ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे फैक्ट्स रखने का तो मौका दिया कम से कम।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक मिनट मैं अर्ज कर दूं, श्रीमन्, फिर आप कह दें।

अध्यक्ष महोदय, 119 में मोशन आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। उसके बाद 121 में जो कंडीशंस हैं इसको एडमिट करने की, वह आपने देखकर इसको यहां रखा। उसके बाद 124 में आपने समय अलोट कर दिया कि इस आइटम के बाद इस चीज को लिया जायगा। तो यह इतना होने के बाद अब माननीय सदस्य जो टोंक से आये हैं उन्होंने जो आपत्ति प्रस्तुत की है उन आपत्तियों का इस स्टेज के ऊपर कोई वजूद नहीं है। इसलिये जो आपने तय किया है, उस मोशन को अलाउ किया जाय, डिस्कशंस उस पर हो। यह जो आप कहते हो, कोई केस इन्वेस्टीगेशन में है या और कोई चल रहा है, जो दलील आपने दी है कि इस तरह के केसेज पर, जो सबजुडिस हैं उनके ऊपर विचार नहीं किया जाय, उस तरह की परिभाषा में नहीं आता है। आपने यह सब बातें देखकर जो 122 में कंडीशंस हैं, 121 में कंडीशंस हैं, उन सबको देखकर आपने समय अलाट किया है, इसलिये यह आपत्ति निरस्त की जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपने जिस प्रकार की व्यवस्था दी है उसका मैं विरोध नहीं कर रहा। मैं उसके पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यह पुनर्विचार की मांग मैं इसलिये नहीं कर रहा हूं कि चिकित्सा मंत्री उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। यह मांग मैं इसलिये कर रहा हूं और पूरे सदन से मांग कर रहा हूं और सदन के माध्यम से आपसे भी मांग कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहा हूं कि रूल 119 को इस ढंग से यदि लागू किया गया तो यह एक दुधारी तलवार है। मुझे याद है कि विपक्ष में रह कर मैंने भी कई बार इस प्रकार के प्रस्ताव मंत्रियों के विरूद्ध रखे हैं। लेकिन यदि सदन की कार्यवाही से परिचित माननीय सदस्य यहां बैठे हों और यदि उस समय की कार्यवाही का अवलोकन करें तो एक बात निश्चित रूप से सामने आयेगी कि उस प्रकार के प्रस्ताव का विवरण पूरे सदन की जानकारी में लाया गया है। आरोप क्या है, आरोपों का विवरण क्या है और वह विवरण सारे मैम्बर्स में सक्यूलेट किया गया और उसके बाद में हाउस में उस पर विचार हुआ है। लेकिन इस प्रश्न में केवल पढ़ने को इतना-सा मिलता है, "हम यह प्रस्ताव करते हैं कि यह सदन माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी के इस आचरण एवं कृत्य की निन्दा करता है।"

अब ऊपर जो लिखा हैं कि एक व्यापारी के घरेलू नौकर के शव परीक्षण के सन्दर्भ में श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, चिकित्सा मंत्री के कथित आचरण के सम्बन्ध में। अब इस सदन को तो जानकारी नहीं है कि वह कथित आचरण क्या है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं करा रहा हूं जानकारी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह आप बाद में बतायेंगे। वह तो आप अपनी तरफ से बतायेंगे। लेकिन वह कथित आचरण क्या है। जैसा आज तक पहले इस प्रकार के 119 के अन्तर्गत नोटिस दिये गये हैं उनमें पूरा विवरण दिया है। प्रो. केदार यहां उपस्थित हैं, देवपुराजी उपस्थित हैं उनको जानकारी होगी कि मैंने श्री रामप्रसादजी लड्ढा और बृजसुन्दरजी शर्मा और हमारे एक साथी ने अमृतलालजी यादव, अन्य कई सदस्यों के खिलाफ इस प्रकार के प्रस्ताव रखे हैं। लेकिन उसका पूरा विवरण सदन की जानकारी में लाया गया है। अब इसमें कथित आचरण क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आया। यह प्रस्ताव क्या है वह समझ में नहीं आया।

एक माननीय सदस्य : आप समझे हुए हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं समझा हुआ हूं इसलिये कह रहा हूं। एक तो मेरी आपत्ति है कि इस प्रकार के प्रस्ताव में किसी प्रकार का कोई विश्लेषण नहीं है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो प्रारम्भ में निवेदन किया है कि दुधारी तलवार है। यहां केवल यह नहीं कि मंत्री के खिलाफ ही इस प्रकार का निन्दा प्रस्ताव आ सकता है, यह सदन के किसी सदस्य के विरूद्ध इस प्रकार का निन्दा प्रस्ताव लाया जा सकता है और सदन के किसी सदस्य के विरूद्ध इस प्रकार का प्रस्ताव आ सकता है तो मैं केवल सदन से यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह नहीं कि ललित किशोरजी के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया है उस पर चर्चा हो जाय, आरोप-प्रत्यारोप हो जायं, उससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा लेकिन इस प्रस्ताव को मंजूर करके हम एक इस प्रकार की परम्परा डालेंगे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिस परम्परा के आधार के ऊपर सदन का कोई माननीय सदस्य बचा हुआ नहीं रहेगा, और इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, चर्चा हो जाय मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति दो ही हैं। एक तो विवरण नहीं है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : विवरण मैं दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आप तो देंगे, वह ठीक है। आपके पास तो सारा मैटीरियल है। मैं इस पूरे हाउस के बारे में कह रहा हूं। मैं इंडिजुअलिस्टिक नहीं हूं। मैं पूरे सदन के लिये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पहले सक्यूलेट हुए थे उस प्रकार का सक्यूलेशन नहीं हुआ, न किसी को जानकारी है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपसे और सदन से, दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि लाइटली 119 को इन्वोक करने की बात न कहें। यह बहुत ही लाइट मैटर है जिसको लेकर 119 को इन्वोक किया जा रहा है। अगर 119 को इस प्रकार से इन्वोक किया गया तो उसकी कोई सीमा नहीं है। यही परम्परा और यही व्यवस्था अगर कोई सीमाएं हैं तो उन सीमाओं को तोड़ेगी कि इस प्रकरण के अन्दर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी, यह व्यवस्था लागू रहनी चाहिये और इस व्यवस्था के आधार पर किसी भी सदस्य के विरूद्ध 119 के इन्वोक करने के बारे में इस सदन से मांग की जा सकती है, अध्यक्ष महोदय से मांग की जा सकती है। मैं इस आधार पर ही निवेदन करना चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करले और यदि यह निर्णय कि हमें इस प्रसंग में 119 के अन्तर्गत ही विचार करना है तो सदन सर्वोपरि है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप जरा देवपुराजी....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं, एक मिनट, साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र..

श्री अध्यक्ष : आप तो बोलने हो वाले हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, बोल नहीं रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैंने लोगों के विचार के लिये...नहीं, आप तो बोलने ही वाले हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं एक दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह कतई बड़ी मुश्किल से जा करके एक इश्यू.... मैं सिर्फ फैक्ट्स के अलावा कुछ नहीं रखूंगा। मैं यह मुख्य मंत्रीजी को वचन देता हूं और सदन को वचन देता हूं....

श्री अध्यक्ष : ना, ना, ना, यह....

श्री सुरेन्द्र व्यास : और आप फैक्ट्स भी नहीं रखने देना चाहते हो, यह क्या बात है?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री आपके फैक्ट्स पर आपत्ति थोड़े ही कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फैक्ट्स पर ही आपत्ति कर रहे हैं ना, अध्यक्ष महोदय ! कैसे नहीं कर रहे ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं उनकी नहीं कर रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी जो मोशन लिया जाने वाला है उसके सम्बन्ध में नियम 119 के ऊपर कुछ व्याख्या की है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इसी नियम के अन्तर्गत और जहां तक मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने स्वीकार किया है, उनके खुद के द्वारा इस सदन में प्रस्ताव रखे गये हैं और इस सदन में उन प्रस्तावों पर विचार हुआ है और विचारों के आधार पर तत्कालीन सत्ता पार्टी ने उन मंत्रियों के खिलाफ अपने टाइम में कुछ एक्शंस भी लिये हैं। कहीं पर भी इस नियम में यह नहीं बताया गया है कि जो मोशन रखा जायगा उस मोशन को माननीय सदस्यों में वितरित किया जायगा और उनकी जानकारी में लाया जायगा। अध्यक्ष महोदय के समक्ष जरूर वह फैक्ट्स आने चाहिये कि जिससे अध्यक्ष महोदय अपने विवेक को काम में ले सकें और अध्यक्ष महोदय निश्चय कर सकें कि यह मोशन सदन में लेने लायक है या नहीं है। उसके फैक्ट्स रख दिये उसके ऊपर आपने विवेक का उपयोग किया और फैसला किया कि यह सदन में आना चाहिए। यह फैसला, यह व्यवस्था देने के बाद, रूल 124 के अन्तर्गत आपने जो निर्णय दिया है, मैं समझता हूं इस स्टेज पर इस पाइंट आफ आर्डर का कोई औचित्य नहीं रहता और माननीय सदन के नेता ने निवेदन किया उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के मामले आये हैं, उसमें कहीं भी आवश्यक नहीं है कि सदन के माननीय सदस्यों को वह सारे वितरण कर दिये जायं, फैक्ट्स वगैरह बता दिये जायं फिर मोशन हो। यह तो विवेक अध्यक्ष महोदय को अपना काम में लेना है। अध्यक्ष महोदय ने विवेक काम में ले लिया उसके बाद इसमें चर्चा होगी। मैं नहीं कहता, फैक्ट्स क्या हैं, क्या नहीं है, मैं फैक्ट्स में जाना नहीं चाहता। फैक्ट्स तो माननीय प्रस्तावक ने जो अपना प्रस्ताव दिया है उसे निवेदन करेंगे तब जो होंगे और उस पर हाउस डिसीजन लेगा कि दरअसल में यह निन्दा प्रस्ताव स्वीकार करने लायक है या नहीं। एडमिसिबिलिटी पर तो आपने डिसीजन लिया। यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय या नहीं किया जाय, सदन इसका डिसीजन लेगा। इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की जाय यह फैसला सदन का होगा। एडमिसिबिलिटी का जहां तक सवाल है, यह फैसला तो आपने कर लिया। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस पाइंट पर इस रूल को जैसा माननीय नेता महोदय ने कहा लाइटली यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि इस रूल को या किसी भी रूल को लाइटली यूज करके हम उसका दुरुपयोग करना चाहें, यह बात नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। किसी भी रूल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी सदस्य के विरूद्ध, मैं मंत्री का भी नाम लेता हूं, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं आपकी बात को कि यह रूल केवल सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं है,

(श्री हीरालाल देवपुरा)

यह रूल सारे संदन के माननीय सदस्यों के खिलाफ लाया जा सकता है। इसलिए इसको लाइटली नहीं लेकर के, क्योंकि यह रूल आम तौर पर कभी भी काम नहीं आया, कभी भी इसका उपयोग होकर के सदन में रोजमर्रा कोई डिस्कशन्स हो रहे हों, कोई ऐसी बातें आ गई हों, लेकिन जब रूल है और कभी कोई बात आ जाय, तो इस चीज को दबाने की हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस रूल को लाइटली काम में नहीं लिया जाय, यह कह करके हम तथ्यों को दबा दें और लोगों के सामने नहीं आये, यह उचित नहीं होगा। इसलिए जो व्यवस्था आपने दी है, मैं समझता हूं, बिल्कुल सही व्यवस्था आपने दी है और उसी के अनुसार हम को आगे बढ़ना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय देवपुरा साहब ने, अभी मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्नों के संबंध में बताया कि इस प्रकार के प्रस्ताव पहले भी आये। मैंने जो बात कही है उसका आधार ही पहले वाले प्रस्ताव हैं। मैं इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मैंने पहला प्रस्ताव रखा था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा के विरूद्ध, उसमें निन्दा प्रस्ताव नहीं है। दूसरा प्रस्ताव रखा था श्री रामप्रसाद लड्ढा के खिलाफ उसमें भी निन्दा प्रस्ताव नहीं है। वह प्रस्ताव दोनों एक से हैं। मैंने लिखा है— "सदन की राय है कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा ने मंत्री पद का दुरुपयोग कर, मैं आगे नहीं बताना चाहूंगा, अनुचित प्रकार से संपत्ति अर्जित करके सरकार को धक्का पहुंचा कर निन्दनीय कार्य किया है जिसकी जांच के लिए विधान सभा के तीन सदस्यों की एक समिति गठित की जाय....

श्री हेतराम बेनीवाल : और निन्दा प्रस्ताव क्या होता है (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रस्ताव तो कर ही दिया कि "निन्दनीय कार्य किया है"। उसकी जांच आप करवाना चाहते हो....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्री जी, भाषा का फर्क है, बात वह की वह है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठहर तो जाओ, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि, निन्दा प्रस्ताव के रूप में नहीं आ सकता। यह सबस्टेंटिव मोशन के रूप में आ सकता है। यह सबस्टेंटिव मोशन है कि उनकी निन्दा कर रहे हैं। हमनें जो सबस्टेंटिव मोशन दिया था वह यह था कि सारे प्रकरण की विधान सभा के तीन सदस्यों की समिति से जांच करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, आप संविधान भी देख लें, अन्य राज्यों की विधान सभाओं के नियम भी देख लें और यह सब कुछ देख लें उसके बाद कम से कम आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि निन्दा प्रस्ताव, सेंसर मोशन की व्यवस्था न तो संविधान में है और न नियमों में है। यह सीधा-सादा सेंसर मोशन है। मैं अपील कर सकता हूं कि अमुक व्यक्ति का इस प्रकार का आचरण है, उसकी जांच की जाय। वह आचरण यदि प्रूव्ड है तो जांच कराने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

सदन पर छोड़ा था कि सदन एक समिति गठित करके उस आचरण के संबंध में जांच कराये और जांच कराने के बाद रिपोर्ट आती और उसके ऊपर आवश्यकता होती तो एक्शन लिया जाता। लेकिन डायरेक्टली निन्दा प्रस्ताव इस सदन में आज तक नहीं आया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह संविधान की भी अवहेलना होगी, नियमों में भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सबस्टेंटिव मोशन नहीं हैं और सबस्टेंटिव मोशन के कंटेंट्स होने चाहिए वह सही नहीं हैं इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आप इस पर पुनर्विचार करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कही है कि वह डायरेक्टली निन्दा प्रस्ताव है, आपने सुना होगा फैसले के लिए सजेस्ट कर दिया कि समिति बना दें और फैसले के लिए सजेस्ट करना या न करना कोई जरूरी नहीं है। समिति बना कर जांच करवालें, जांच का मुद्दा अगर कोई है। जिसमें आपने आरोप लगाया है कि अर्जित की है सम्पत्ति, तो वह क्वश्चन आफ इन्वेस्टीगेशन था, एग्जामिनेशन था कि दरअसल में अर्जित की है या नहीं की है। यहां तो सरटेन फैक्ट्स ऐसे हैं जो पर्टिकूलर एक्शन किया गया है। अगर यह चीज है तो फिर इसमें जांच किस बात की करवानी पड़ेगी? इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं रहता जो प्रस्ताव पेश किया गया है।

व्यवस्था

नियम 119 के तहत निन्दा प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में यह बात तो बिल्कुल सही है कि सेंसर मोशन का प्रावधान एज सच हमारे यहां नहीं है और यह भी सही है कि रूल 119 के नीचे यहां पर सेंसर मोशन होते रहे हैं। दि. 20-8-74 को एक सेंसर मोशन इस सदन में उपस्थित हुआ है और लगभग यही आपत्तियां उसमें की गयी हैं। मैं आपको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं, 'अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचित किये जाने पर कि उन्हें मुख्य मंत्री के विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिस पर उन्होंने प्रक्रिया के नियम 119 के अन्तर्गत सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर दी है। नियम 119 के अन्तर्गत उस पर वाद-विवाद के लिए समय सीमा निधारित करते समय श्री शंकरलाल, पाली ने व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नियम 119 के अन्तर्गत केवल लोकहित के ही प्रश्न चर्चा में आ सकते हैं, प्रस्तुत विषय लोकहित का नहीं है। नियम 121 (4) के निष्कर्ष हाल ही में घटित विषय से सम्बन्धित नहीं हैं परन्तु आपने अनुमति दे दी है कि भविष्य में इसका प्रिसीडेंस कायम नहीं होना चाहिए।" इस संबंध में अध्यक्ष ने व्यवस्था दी, "जहां तक सवाल सेंसर मोशन का है इसके लिए कोई रूल लोक सभा में भी नहीं है और दूसरी स्टेट में भी नहीं है। वैसे अविश्वास प्रस्ताव और सेंसर मोशन दोनों भिन्न-भिन्न हैं इसलिए नो-कांफीडेंस की शर्तें उस पर लागू नहीं होती हैं। सदन में सेंसर मोशन पर वाद-विवाद हो सकता है ऐसी मेरी मान्यता है। जहां तक मैं समझता हूं रूल 119 के तहत मेरी मान्यता है कि पब्लिक इंपार्टेन्स से सम्बन्धित सेंसर मोशन आ सकता है इस सदन में। पूर्व में

(श्री अध्यक्ष)

भी कई बार इस प्रकार के मोशन आ चुके हैं। तो सदन की परम्परा रही है। मैं समझता हूं रूल 119 के तहत आ सकता है। जहां तक सवाल यह है कि उसकी प्रिसीडेंस कायम नहीं होगी इसके लिए मैं कोई अथारिटी नहीं हूं। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कह दूं कि भविष्य में सेंसर मोशन सदन में नहीं आयेगा।"

इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट प्रेक्टिस में भी कमोबेश यही बात की है :

"The Censure Motion can be moved against the Council of Ministers or an individual minister or a group of ministers for their failure to act or not to act, or for the policies and may express indignation or surprise of the House at the failure of the minister or ministers. The motion should be specific and self-explanatory so as to record the reasons for the censure precisely and briefly. The Speaker's decision whether the motion is in order or not for any reason, is final."

एक सवाल यह उठाया गया है कि इसको प्रसारित नहीं किया गया। नियम 119 में इस प्रकार के पूरे प्रस्ताव को प्रसारित करने की व्यवस्था नहीं है केवल इसका नोटिस प्रसारित किया जाता है जो आज की कार्य सूची में प्रसारित किया गया है। इसलिए सदन की परम्पराओं को देखते हुए मैं इस पाइन्ट आफ आर्डर को रिजेक्ट करता हूं। श्री सुरेन्द्र व्यास।

निन्दा प्रस्ताव

नियमावली के तहत श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, चिकित्सा मंत्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आज आपने मुझे अवसर दिया कि मैं सदन के सामने कुछ फैक्ट्स रख सकता हूं। मैं बहुत दिनों से प्रयासशील था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा मोशन बिल्कुल फैक्ट्स पर आधारित है। फैक्ट्स ही मैं वहां रखूंगा। फैक्ट्स को रेलिगेट करने की कोशिश मत कीजिए, डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। फैक्ट्स को डाइवर्ट मैं नहीं करने दूंगा। आप फैक्ट्स पर बात करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : रखे नहीं उसके पहले की क्या बात कर रहे हैं.... How you can Presume ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुझे बोलने तो दीजिए।

श्री अध्यक्ष : Let him complete, please, let him complete.

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रिजम्पशन इसलिए हो सकता है, अध्यक्ष महोदय, 17 मार्च को मैंने प्रेस कांफ्रेंस की और 19 मार्च को मंत्री जी ने प्रेस कांफ्रेंस की और जो इश्यू मैंने अपनी तरफ से माननीय सदस्य को....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं एक निवेदन करूं आपसे, अच्छा होगा कि आप प्रिजम्पशन नहीं करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रिजम्पशन नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये। आपने जो नोटिस दिया है उसमें भी प्रिजम्पशन कर दिया है, "पूर्वअनुभवों के आधार पर मुझे आशंका है इन स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा अथवा वक्तव्य के पश्चात् मेरा निंदा प्रस्ताव इस आधार पर निरस्त किया जा सकता है कि इस विषय पर सदन में पूर्व में चर्चा हो चुकी है जो कतई न्यायसंगत..." यह प्रिजम्पशन है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह मोशन का पार्ट नहीं है। यह कवरिंग लैटर है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह आपका ही है। हां, यह कवरिंग लैटर है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रस्ताव रखकर सदन की अवमानना की है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। मैं बोल रहा हूं। Let him speak. अब आप फैक्ट्स रखिये। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : जब सदन पर पहले ही अविश्वास कर लिया गया तो उस प्रस्ताव की क्या कार्यवाही.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, अभी टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह कहा है कि मैंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप उनका जवाब नहीं दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर पर डिस्कशन हो चुका है। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, यह केवल साजिश है। हम आपकी व्यवस्था को चैलेन्ज नहीं कर सकते, लेकिन यह केवल साजिश है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो न्यायिक मामला है, यह न्यायालय में किया जाना चाहिये। यह सदन तय नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में इस प्रकार की व्यवस्था हुई है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज महावीर जी। प्लीज सिट डाउन। हां, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, 21-12-90 की सुबह 6.30 बजे थाना बनीपार्क के अन्दर एक रिपोर्ट पेश हुई, मनमोहन अग्रवाल ने की कि साहब, मेरा जो नौकर है संत बहादुर, 4-5 साल से मेरे यहां काम करता था। सुबह गैरेज में लटका हुआ मिला और उसने आत्महत्या कर ली। मैं सिर्फ एडमिटेड फैक्ट्स रख

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, 6.30 बजे यह रिपोर्ट दर्ज कराई और यह एफ. आई. आर. लाज हुई। कम्पलेंट 174 के अन्दर दर्ज हुई 16/90, कालीचरण सराफ माननीय सदस्य, जो जौहरी बाजार से आते हैं, वे मनमोहन अग्रवाल के साथ गये थे। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। नहीं गये थे तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वे साथ गये थे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह गलत आरोप है।

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। बिराजिये। नो, प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री चम्पालाल बांठिया : वे क्या फैक्ट्स की बात कर रहे हैं? आपने उनको केवल फैक्ट्स रखने के लिए कहा है। वे कह रहे हैं, कालीचरण जी गये थे या नहीं गये थे, मुझे पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ये अपने तथ्य बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, उसके बाद नियमानुसार पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंच कर पंचनामा तैयार किया जाता है। पंचनामे में कुछ फैक्ट्स निर्विवाद रूप से सत्य नोट किये गये हैं। उनके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला तो, अध्यक्ष महोदय, अन्डरवीयर के अन्दर सीमन पाया गया है। यह पंचनामे में लिखा है। अध्यक्ष महोदय, सीमन की प्रजेंस क्या द्योतक है? सैक्स और क्राइम का इंटर रिलेशन है। यह आप भी जानते हैं, सदन भी जानता है और मुख्य मंत्री जी भी जानते हैं। मैं उसके विवरण और विवेचना में नहीं जाना चाहूंगा। मेरे लिये यह कतई उचित नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहूंगा। यह इंवेस्टीगेटिंग एजेंसी का काम है कि किसने मर्डर किया, क्या सैक्स की स्टोरी थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जो मोटिव क्राइम के लिए असेंशियल इन्ग्रेडिएंट होता है, वह पहले ही स्पाट पर मिल जाता है। दूसरा, लेफ्ट लेग के ऊपर एंकल के ऊपर ब्रूजेस के निशान हैं। अध्यक्ष महोदय, आत्महत्या में और हत्या में यह बेसिक फर्क है। हैंगिग आत्महत्या होती है। हैंगिग के अन्दर एक सैकण्ड में स्टेंटेनियस डैथ होती है और स्ट्रेंगुलेशन साइन होते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत ताकतवर इन्सान भी अगर किसी बच्चे को स्ट्रेंगुलेट करेगा तो वह हाथ पांव मारेगा और उसके अन्दर निश्चित रूप से स्ट्रेंगल के निशान आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, पंचनामे में लीगेचर मार्क क्लियर है। एक लीगेचर मार्क है, वह हैंगिग के है। एक लीगेचर स्ट्रेंगुलेशन का है। अध्यक्ष महोदय, बहुत धैर्य से इतनी सी बात को समझने की जरूरत है कि कोई भी आदमी हैंगिग होने के बाद तो स्ट्रेंगुलेट करने से रहा, स्ट्रेंगुलेट करके तो हैंग करना बड़ी आसान बात है। अगर किसी आदमी की हत्या कर दी जाय और उसके बाद में उसको

(88)

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लटका दिया जाय, यह कोई असाधारण बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, नोस्ट्रल से, ईग्रर से खून, लेफ्ट चिक पर, क्लाटेड है, पंचनामे में लिखा हुआ है। फैक्ट्स ऐसे हैं जिनमें सीधे-सीधे उसी वक्त में यह अन्दाज लगता था कि मामला हत्या का है। अब अध्यक्ष महोदय, सुबह 6.30 बजे से 8 बजे तक या 9 बजे तक कार्यवाही मुकम्मिल हो गई होगी, 12.45 बजे लाश वहां लाई जाती है एस. एम. एस. अस्पताल में 12.40 बजे पोस्ट मार्टम शुरू होता है। डाक्टर शिव कोचर और डाक्टर एल. सी. गुप्ता यह पोस्ट मार्टम करते हैं। 3.45 बजे या 4.00 बजे लगभग 2 बजे बाद यह लाश सब इन्सपैक्टर को इन्वेटीगेटिंग आफिसर के सुपुर्द कर दी जाती है और उसी वक्त ये कारण बताये जाते हैं कि ये कारण हत्या के हैं, आत्महत्या के नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये मेंडेटरी है। मोदी की जूरिस प्रूडेंस में है। पढ़कर सुनाता हूं, वर्नाक्यूलर लेंग्वेज में :

After completing postmortem examination, the medical officer should form an opinion as to the cause and manner of death based on the appearance observed by him, and should immediately give in the vernacular the abstract of his opinion to the police constable accompanying the body for communication to the investigating officer.

यह मेण्डेटरी है, अध्यक्ष महोदय। I see, no reason—यह डाक्टर कोचर ने नहीं बताया होगा। मैं बिल्कुल फैक्ट्स पर आ रहा हूं। 5.30 बजे, कोई राइटिंग में नहीं, डाक्टर कोचर ने क्या किया है, यह मैं बताता हूं अध्यक्ष महोदय, यह इसी मेडिकल जूरिस प्रूडेंस में प्रोवाइडेड है Chief Minister will kindly bear me out ऐसा कभी नहीं होता कि मुर्दाखाना के अन्दर कोई पोस्ट मार्टम रिपोर्ट लिखी जाती हो। वहां पर नोट्स ही लिये जाते हैं। उसके बाद परमिसिबल लिमिट होती है जो नोट्स से फाइनल रिपोर्ट प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा में एन्ट्री की जाती है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ललित किशोर चतुर्वेदी के खुद के निकाले हुए सर्कुलर में यह प्रोवाइडेड है कि अगर अपराह्न पोस्ट मार्टम किया जावे तो उसके नैक्स्ट सुबह दिया जायेगा। प्रोवाइडेड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा मेडिकल निर्धारित अवधि 6 घंटे के अन्दर की जानी चाहिये। उस रिपोर्ट को डी. आई. जी. पुलिस द्वारा अपने स्टाफ के माध्यम से सम्बन्धित चिकित्सालय या डिस्पेन्सरी को दी जाय और पूर्वाह्न में प्राप्त हुई रिपोर्ट निर्धारित अवधि के अन्दर दी जाती है तो अपराह्न के केसेज की रिपोर्ट अगले दिन दी जायेगी। प्लेन एण्ड सिंपल डाक्टर कोचर जो कि रिसर्च स्कालर है, उस वजह से किया और किस कारण से किया, मैं उस कारणों में बिल्कुल

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नहीं जाना चाहता, अध्यक्ष महोदय। जो फैक्ट्स हैं, वे उसके फोटोग्राफ कमरे से लिये और फोटोग्राफ मय-रील के मेडिकल जुरिस्ट के कमरे में भिजवा दिये और नोट्स लेकर घर चला गया। यह तो एडमिटेड फैक्ट्स हैं। 5.30 बजे एक कम्पलेंट पेश होती है, कहां हुई कहां नहीं हुई, मैं नहीं कह सकता लेकिन 6 बजे रिकार्ड सीज हो जाता है और 7 बजे क्रिमेशन होता है। इस स्टेज पर तीन स्थिति क्लियर करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह मानते हुए कि मन मोहन अग्रवाल वास्तव में इसको आत्महत्या का केस मानते थे और जब थानेदार ने उसका सिस्टम्स देखकर कहा होगा कि यह तो हत्या का केस है, आत्महत्या का नहीं। निश्चित रूप से ऐसा कहा होगा और कम से कम जैसा वे आरोप लगाते हैं कि अगर पैसा उसने मांगा था, अगर एक आत्महत्या के केस को हत्या के केस में परिवर्तित करने के लिए पैसे मांग लिये और 4 और 3, 7 घंटे किसने देखा। काली चरण जी माननीय सदस्य प्रभावशाली व्यक्ति हैं, मेरा भी मिलने वाला व्यक्ति हो तो एक मिनट में शिकायत करके बोर्ड कंस्टीट्यूट करवा सकता हूं। मैं तो विपक्ष में बैठा हूं फिर भी करवा सकता हूं। कोई भी पब्लिक का आदमी करवा सकता है। इसलिए इसमें बोर्ड कन्स्टीट्यूट नहीं कराया, कोई रि-एक्जामिनेशन नहीं करवाना था। लाश को जलाने के लिए दे दिया गया। इससे डाक्यूमेंटरी एवीडेंस की क्रेडिटिबिलिटी कहीं इंपीच होगी, वह तो बाद में आयेगी। और यह कहना कि उस वक्त उसने पैसे मांगे, यह बिल्कुल गलत है और, अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बात मानता हूं, एक मिनट के लिए **I do not hold brief for the doctors.** डाक्टर बेइमान है, डाक्टर बदमाश है, पैसे मांगे, उनके बीच सैटल हो गया। यों मान लीजिये, स्टोरी को यूं मान लें कि डाक्टर्स से इनकी बात हो गई और एक लाख रुपये में हो गया। उसने कहा कि लाख रुपये देंगे, कांफ्रेंस में टेप सुनाया तो यह मानकर चलिये कि सौदा तय हो गया। करीब 15,000 रुपये तो इकट्ठे कर लिये हैं और 15,000 रुपये और मिल जायेंगे, अभी इकट्ठे नहीं कर पा रहा हूं। अब एक चीज सैटल हो गयी। डाक्टर केयरफ्री था कि मामला निबट गया, कालीचरण जी साथ हैं और थानेदार हैं, यह तो हो गया। अब, अध्यक्ष महोदय, इस बात पर गौर करिये कि एक तो सब इन्स्पेक्टर फैक्चुअल रिपोर्ट बनाता है पंचनामे में, उससे ज्यादा सैंक्टिटी होती है मेडिकल ज्यूरिस्ट जो पोस्टमार्टम के वक्त नोट बनाता है, वह कोई काम नहीं होता है। They are just observation of facts. इसमें नेक ब्लड आदि के बारे में ही होता है।

Neck-not enlongated, यह बातें लिखते हैं और क्या हैं। अध्यक्ष महोदय, जो फैक्चुअल आब्जर्वेशन हैं, वे नोट लेकर, जेब में लेकर घर गया, कैमरे के फोटोग्राफ कमरे में चले गये, पंचनामा अपनी जगह मौजूद है और आपकी उस शिकायत के आधार पर कमरा सीज करवाया और पंचनामा आपके पास मौजूद है। मंत्रीजी की नीयत पर 22 तारीख तक संदेह नहीं करता रहा, बिल्कुल सन्देह नहीं करना

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

चाहिये, कोई आरोप नहीं लगाना चाहता।

(1.00 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो, उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 22 दिसम्बर, 1990 को स्वास्थ्य मंत्रीजी अस्पताल पहुंच जाते हैं। देखिये कितनी रुचि है, जनता के काम में कितना व्यस्त रहते हैं। माननीय सदस्य के मार्फत, उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि माननीय कालीचरणजी सराफ के मार्फत मेरे पास शिकायत आयी। बहुत अच्छी बात है। आपने तत्परता से काम किया। जिस कमरे के अन्दर कैमरा मय रील के रखा हुआ था उसको आपने सील्ड करवा दिया और सील को ब्रेक-ओपन करवा कर केमरा ले लिया आपने। कैमरा की आपके पास रील मौजूद है, फोटो मौजूद है, पंचनामा आपके पास मौजूद है। डाक्टर अटेण्डेन्स लगाने पहुंचता है और उसको कहते हैं श्रीमान जी, मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, बुला रहे हैं आपको। डाक्टर ने अपने नोट्स में बैठाकर रख दिया आपको। अब, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं स्पष्ट रूप से यह पूछना चाहता हूं यह मानते हुए कि डाक्टर ने, निश्चित रूप से रिश्वत की मांग की होगी। तो वह रिश्वत उसको मिली या नहीं मिली या जो भी उसको गड़बड़ी करनी थी या ट्विस्ट करना था या डिस्टोर्शन करना था, टेम्परविद् भी करना था वह स्टेज कब आता, जब वह 9 बजे जाकर फाइनल रिपोर्ट तैयार करता, तब ट्विस्ट करता। उस वक्त तक तो यह प्रश्न ही पैदा नहीं था क्योंकि उसने तो आब्जर्वेशन्स ऑफ फैक्ट लिखे थे। उस कागज में तो कोई टेम्परविद् करने का सवाल ही नहीं था। तो यह दो इश्यू, उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल अलग-अलग हो गये। वह आब्जर्वेशन ऑफ फैक्टस वह नोट्स जो डाक्टर की जेब से डाक्टर ने मंत्री के पास टेबल पर रखे जो फुल्ली कारोपोरेटेड है पंचनामे से और फोटोग्राफ से। जो फोटोग्राफ मंत्रीजी के कब्जे में पहले आ चुकी थी और जो पंचनामा सुबह पुलिस तैयार कर चुकी थी। यह जब फुल्ली कारोपोरेटेड इन दोनों बातों से है, स्ट्रगल के निशान डबल लिवेचर मार्क्स, सीमन की प्रजेन्स, ब्लड का क्लोट होना, इयर से, नोज से ब्लड का आना, नेक नोट इलोन्गेटेड यह सब कन्क्लुजिव तरीके से साबित था कि स्ट्रेंगुलेशन का केस है। यह अलग प्रकरण हो गया, उपाध्यक्ष महोदय। क्योंकि हुआ तो यही होगा ना कि मनमोहनजी को जब यह मालूम भी होगा कि मामला तो अब स्ट्रेंगुलेशन का है तो डाक्टर के उनके कोई सौदेबाजी हुई होगी। हो सकता है कि भाई ठीक है, आप भी पैसे ले लेना, नहीं ले लेना, पैसे का सौदा नहीं पटा हो। उन्होंने कहा–पैसे काहे को रोको, अपने ललित किशोरजी बैठे हैं, रिपोर्ट को वैसे ही खत्म करवा देंगे।....

(व्यवधान)

इस पर आग्रह नहीं है मेरा, मैं सिर्फ फैक्ट्स पर आ रहा हूं। मेरा कोई आग्रह नहीं है। क्या हुआ, यह तो ललित किशोर जी बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता। मैं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यह जानता हूं कि वह जो नोट्स थे, वह नोट्स आब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट थे, फुली कारोपोरेटेड थे पंचनामे से, फोटोग्राफ से। अब आपने एक जांच कमेटी बैठा दी। उपाध्यक्ष महोदय, 22 तारीख की सुबह तक तो मंत्रीजी लिहाज के अन्दर चले गये, मानवता के नाते चले गये। मंत्रीजी जैसा वरिष्ठ आदमी, उस वक्त उनके हृदय के अन्दर आत्मा ने गवाही नहीं दी कि आप क्या कर रहे हो। एक शहरी होने के नाते उन्होंने यह कर्तव्य नहीं समझा अपना।

देखिये अब आरोप नहीं लगा रहा हूं, सुनिये आप लोग यह जो आब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स है यह नोट्स है, जो फुल्ली कारोपोरेटेड है पंचनामे से और फोटोग्राफ से, तो क्या इनका एक नागरिक होने के नाते यह कर्तव्य नहीं बनता कि रिपोर्ट करा दें। आप जाने दीजिये मंत्री की बात। एक अच्छे शहरी का भी कर्तव्य है, उपाध्यक्ष महोदय। अब इनकी नीयत कहां जाहिर होती है। अब बदनीयती शुरू होती है। उसकी क्रेडिटिबिलिटी इम्पीच करने के लिए आपने एक इन्क्वायरी कमेटी बनायी। उपाध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी कमेटी बनाने के मंत्रीजी के अधिकार को मैं चुनौती नहीं देता। मंत्री महोदय इस बात की इन्क्वायरी कमेटी बनाते कि गोया डाक्टर ने पैसे मांगे या नहीं मांगे। यदि डाक्टर ने पैसे मांगें, तो इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय। मैं इससे सहमत हूं, मैं इसकी आलोचना नहीं करता। लेकिन मंत्रीजी ने यह नहीं किया। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है इन्क्वायरी कमेटी के? आपने उसके जो नोट्स है, पोस्टमार्टम की इन्क्वायरी कमेटी बनायी? लाश को पहले जलने दिया, पूरे तीन घंटे तक, 4 बजे लाश को मिलने के बावजूद 7 बजे तक आपने जलने दिया ताकि दुबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सके। उसके बाद दूसरे रोज जब नोट्स थे और वह फुल्ली कारोपोरेटेड थे पंचनामे से और फोटोग्राफ से उनकी क्रेडिटिबिलिटी इम्पीच करने के लिए मंत्रीजी ने एक कमेटी बनायी और जांच का दायरा भी फिक्स कर दिया, पूरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांग ली। 48 घंटे में, उपाध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट प्रस्तुत हो गयी और 25 दिसम्बर को फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई। चार बड़े डाक्टर इसके अन्दर थे। डाक्टर बी. एन. शर्मा, डाक्टर एस. के. पाठक, डाक्टर एस.के. शर्मा, डा. एम.आर. गोयल। उपाध्यक्ष महोदय, ये वरिष्ठ डाक्टर्स हैं और चतुर्वेदी जी की इतनी बात तो मान लेंगे, उन सब को पोस्टिंग जयपुर चाहिए लेकिन इनके कहने से इतनी किसी की आत्मा गवाही नहीं दी कि इतनी बेईमानी करें। उन्होंने क्या लिखा है रिपोर्ट के अन्दर। उन्होंने रिपोर्ट में इस आब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स को करेक्ट पाया। जब बॉडी चली गयी तो यह तो पासीबल नहीं था डाक्टर्स के लिए कि वह पूरा पोस्टमार्टम खुद ही करते। लेकिन आब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स को उन्होंने बिल्कुल यह पाया कि यह कारोपोरेटेड होते हैं पंचनामे से, फोटोग्राफ से, इसलिए स्ट्रैंगुलेशन का केस है और, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने हैंगिंग के केस को रूल आउट किया। यह 25 तारीख को पेश हुआ। 25 तारीख के बाद डाक्टर का जहां तक नोट्स का घर ले जाने का सवाल है, यह बात 22 तारीख को भी स्पष्ट थी और यह 25 तारीख को

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी तब भी स्पष्ट थी। मंत्रीजी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। इन दी मीन व्हाइल, आप मैनेज करके सी. आई. डी. में केस पहुंचाते हैं, अब जवाब जो आयेगा वही आयेगा कि नेपालियों की मांग पर सी. आई. डी. में पहुंचाया गया। मैं मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, नेपालियों की मांग थी लेकिन आगे का आचरण मंत्रीजी का और इस बात का द्योतक है कि अब आप कहां तक....(व्यवधान)

आप सुन लें। गम्भीरता से बात हो रही है। आप बैठिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह नेपालियों का बहाना आयेगा कि नेपालियों के कहने से सी. आई. डी. में ट्रान्सफर हुई। सी. आई. डी. में ट्रान्सफर हो गयी आज तक एफ. आई. आर. चॉक आउट नहीं हुई। वह अब भी कहें कि आ जायेगा कि 25 दफे थानेदार को बुलाया, वह नहीं आया। सवाल यह नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे इम्पार्टेण्ट एवीडेंस क्या है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से यह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं

Whoever knowing or having reason to believe that an offence has been committed, Lalit Kishor Chaturvedi has the knowledge and has the reason to believe that a murder has been committed.

श्री उपाध्यक्ष : किस का रेफरेंस दे रहे हैं आप ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह मैं सैक्शन पढ़ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आई. पी. सी. का या...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आई. पी. सी. का सैक्शन है। बिल्कुल स्क्वेयरली एप्लीकेबल है। मैं क्या करूं फैक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। Lalit Kishor Chaturvedi has the knowledge and has the reason to believe that a murder has been committed. Causes any evidnce of the commission of that offence to dis-appear.

वो जो नोट्स थे, उपाध्यक्ष महोदय, That is now only evidence. वह एवीडेंस हैंगिग को आल टूगेदर रूल आउट करती है, स्ट्रेंगुलेशन की एवीडेंस है, मर्डर की एवीडेंस है और आपने डिसएपीयर कैसे किया उसको, उसकी क्रेडिटिबिलिटी इम्पीच करके, जो कि आप कर नहीं सकते, कारोपोरेटेड है। अपनी जांच समिति की रिपोर्ट के बावजूद भी आप यह नहीं भेज पाते, सी. आई. डी. के अन्दर भिजवा कर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आपकी आत्मा जवाब नहीं देती, आपकी आत्मा अपील नहीं करती आपकी और आप यहां यह बात करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं है, आज नेपाल से लोग यहां आकर के रहते हैं, माइनोरिटी के लोग हैं। मेरा भी कोई मिलने वाला कभी हो सकता है। आपने तो मर्डर नहीं, आपका कोई लेना नहीं, देना नहीं। भावावेश में किसी ने कर दिया होगा, यह भी इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी का काम है लेकिन मंत्री महोदय का यह आचरण की फुल्ली प्रूवड

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नोट, जो फुल्ली कारपोरेटेड हैं उनकी एवीडेंस को इम्पीज करने के लिए आपने इन्क्वायरी डालदी और इन्क्वायरी में चार्जशीट दे दी। आप इस पर चार्जशीट देते कि घर पर नोट्स ले गये पर आज तक चार्जशीट नहीं दी। वह इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करते तो मैं उस पर आपत्ति नहीं करता। आपने क्लाउड क्रियेट किया है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर और वह आज तक भी आपने इन्क्वायरी रिपोर्ट के साथ वहां नहीं भेजी।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रेस कान्फ्रेंस हुई। मैं उनको कहना जरूरी समझता हूं क्योंकि वही बात कही जायेगी इन मुद्दों पर कुछ नहीं कहा जायेगा। 17 तारीख को मैंने प्रेस कान्फ्रेंस करी और यह सब फैक्ट्स सामने रखे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, थोड़ा शार्ट करें। काफी डिस्कशन हो चुका है, और भी सदस्य बोलेंगे। आपने जो फैक्ट्स यहां बताये, काफी विस्तृत रूप से विवेचन कर दिया पर अब इसको शार्ट करने की कोशिश करें।

श्री कालीचरण सराफ : बिल्कुल गलत और असत्य बता रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : शार्ट करूंगा। 17 तारीख को प्रेस कान्फ्रेंस में मैंने यह फैक्ट्स रखे, 19 तारीख को मन्त्रीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और, उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने दूसरे दो मुद्दे खड़े किये। वह आज खड़े किये जायेंगे इसलिए कह रहा हूं कि कहना अनिवार्य है। पहला मुद्दा यह खड़ा किया कि रघुवीर सिंह कौशल ने मुझे कहा है कि सुरेन्द्र व्यास के बहनोई का ट्रान्सफर नहीं किया इसलिए वह यह मुद्दा उठा रहे हैं। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि वह इश्यू को रेलीगेट करने का तरीका है। मैं मानता हूं, मैंने इसलिए किया है, मैं मानता हूं कि मैंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से उठाया है, इससे फैक्ट्स पर क्या फर्क पड़ता है। आपके आचरण का तो विषय है और आप ला यह रहे हैं कि सुरेन्द्र व्यास दुर्भावनापूर्ण तरीके से उठा रहा है; उठा रहा होगा, इससे क्या मतलब है। कल को आप यह भी कह देंगे कि सुरेन्द्र व्यास तो पैसे खाकर उठा रहा है। आप कुछ भी कह सकते हैं पर सुरेन्द्र व्यास का आचरण सब्जेक्ट मैटर नहीं है, सब्जेक्ट मैटर मंत्रीजी का आचरण है। आप इसको रेलीगेट करने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा सवाल यह उठाया जाता है कि डाक्टर ने पैसे मांगे, डाक्टर की पैरवी करने के लिए कौन खड़ा हुआ है?

I don't hold brief for the doctor.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लियरली कह रहा हूं कि आप डाक्टर के खिलाफ प्रोसीड करिये। लेकिन आप उस आड़ के अन्दर डाक्टर ने पैसे मांगे तो किससे मांगे, सौदा हुआ तो किससे हुआ। सामान्य प्रक्रिया के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, मनमोहन अग्रवाल को पता था कि यह हत्या किसने की है, उसकी नॉलेज में था कि कैसे हत्या हुई है। उसने आत्महत्या का केस बनाने की कोशिश की। डाक्टर के और उसके सौदा हुआ होगा और सौदा होने के बावजूद जब उसने देखा

(श्रीसुरेन्द्र व्यास)

कि यह तो पैसा बहुत ज्यादा पड़ेगा, मंत्रीजी की कृपा है, अभी सारी रिपोर्ट को ही खत्म करा दें तो पैसे काहे को खर्च करें। सवाल यह है कि अगर उनका हुआ भी है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो नोट्स टेम्परविद नहीं हो सकते थे ....

श्री उपाध्यक्ष : +++ माननीय सदस्य।

You have narratted all the facts. You have narratted all the facts.

श्री सुरेन्द्र व्यास : +++

श्री चम्पालाल जैन : आपने कोई फैक्ट्स नहीं दिये सब +++ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेट मी कम्प्लीट। .... (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पाइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, आपने ऐसा रिमार्क किया है निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि आपने इस सारे मामले को बड़ी शंका में डाल दिया है। आप खुद कह रहे हैं कि +++ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो डाक्टर वाली बात कर रहा हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : जब तक आप कुर्सी पर बिराजमान हैं, निश्चित तौर पर इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करें.... (व्यवधान)

आप इसलिए वहां नहीं बैठे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कुर्सी पर बैठकर ऐसे शब्द कहना ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं कहा गया।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप कुर्सी पर, जिस किसी पार्टी के हों, आप कोई नेता हों, इसलिए बैठे हैं कि हम सब लोगों की बात सुनें और जो यहां हाउस में डिसीजन होता है उसको केरी आन होने दें। मैजोरिटी से कुछ भी करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है। माननीय सदस्य, ऐसी बात नहीं कही मैंने।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप अपने रिमार्क्स पास करेंगे? आप फैक्ट्स सुनेंगे। आप फैक्ट्स पर कोई कमेण्टरी नहीं करेंगे। आपने कमेण्ट्स कर दिये।

श्री उपाध्यक्ष : कमेण्ट्स नहीं किये हैं मैंने, आप बिराजें।

श्री हेतराम बेनीवाल : निश्चित तौर पर यह मामला गम्भीर है। मैं समझता हूं, इस मामले में आप स्पष्टीकरण दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : आपने नहीं कहा तो निकाल दीजिए।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : हां, निकाल दो, निकाल दो।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। माननीय सदस्य जिस प्रकार डाक्टर के नोट्स के बारे में कह रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे बोल रहे है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने इनको इजाजत दे दी है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं, मैंने +++ नहीं कही। यह बात सम्भवतया है कि यह आरोप है कि पैसा लगाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पैसे वाली बात सच भी हो तो वह नोट्स टेम्परविद नहीं हुए, उसकी स्टेज नहीं आयी थी, उसका आकेजन एराइज नहीं हुआ था। वह तो जब फाइनल करते तब करता न .... (व्यवधान)

वह नोट्स, उपाध्यक्ष महोदय,

There were honest observation of facts.

ट्रूथफुल थे वह नोट्स, फुल्ली कोरपोरेटेड थे पंचनामे और फोटोग्राफ्स से, उन नोट्स की क्रेडिटिबिलिटी मंत्रीजी ने चला कर इम्पीच की है और इस तरह से इसको डिस-क्रेडिट करके मर्डर के केस की एवीडेंस को डिसएपियर किया है और इस तरह से 201 के हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, It is a plain and simple.

उपाध्यक्ष महोदय, आप, मुझे इस बात से यह सदन रोकना चाहे कि ललित किशोर चतुर्वेदीजी माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं इसलिए मैं उनको मुल्जिम नहीं कहूं Law is a same, Mr. Deputy Speaker Sir, from President to P. M. and from billionair to bagger. If he is a criminal liable, call him a criminal. He is a criminal u/s 201. इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं, मुख्य मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इतने वरिष्ठ हैं, हम आप से उल्टा मार्ग दर्शन लेते हैं, आपने विपक्ष में बैठकर आदर्श कायम किया है बड़े-बड़े मामले उठाकर, बड़े-बड़े मामले उजागर किये और आज आपने +++

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह गलत है। इसको आप एक्सपंज करिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह एक्सपंज किया जाय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या एक्सपंज किया जाय ?

श्री चम्पालाल बांठिया : इसको वापस लो। .... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी पर जो रिमार्क्स किये हैं कि +++ इसको एक्सपंज किया जाय। +++ शब्द एक्सपंज किया जाय।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : + + + ठहराने वाले आप हैं क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : + + + शब्द असंसदीय है क्या ?

एक माननीय सदस्य : + + + यह क्या जाने संसदीय असंसदीय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई असंसदीय शब्द तो है नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : केवल वह हिस्सा जिसमें + + + करने वाला है। वह एक्सपंज किया जायगा। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह असंसदीय नहीं है। आप अपने रिप्लाई में कह दें कि यह +++ नहीं हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : कल्ला साहब, असंसदीय नहीं है मगर अप्रासंगिक है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय ललित किशोर चतुर्वेदीजी के खिलाफ मेरा सबस्टेन्टिव मोशन है, और I have a right to describe him as an + + + because his action is covered up under section 201.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यू कांट। आप आई. पी. सी. को ही देखकर बता दें, +++ किस आदमी को किस समय कहा जाय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : देखिये। मुख्यमंत्री जी, आप अगर कार्यवाही नहीं करें, आप फैक्ट्स देखकर बता दें....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बतायें कि +++ किस को कब कहा जायेगा।

श्री टीकमचन्द कांत : आप आरोप लगा सकते हैं। + + + नहीं कह सकते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : +++ मैं आपको बताऊंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ इनकी पार्टी वालों से पूछ लो, इनके नेताओं से पूछ लो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I seek your protection Sir. I seek your protection Sir.

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ चाहे किसी से मालूम कर लो।

श्री टीकमचन्द कांत : आरोप लगा सकते हैं, +++ नहीं कह सकते।

श्री रामनारायण वर्मा : एक्यूज्ड और +++ में रात-दिन का फर्क है।

श्री टीकमचन्द कांत : अभी तक साबित नहीं हुआ है कि + + + इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। +++ नहीं कह सकते, आरोपी कह सकते हैं।

श्री जुबेर खान : जब बहस होती है तो खूब कह सकते हैं कि यह +++ जज नहीं कह सकते हैं कि यह + + + लेकिन जब....

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बहस होगी तब देख लेना।

श्री जुबेर खान : बहस होती है तब वकील या दूसरे कह सकते हैं। कौन कहता है कि +++ नहीं कह सकते हैं।

श्री टीकमचन्द कांत : आप इस लोकतंत्र के+++ हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : भाई अक्ल की बात हो रही है। यह बुद्धि की बात हो रही है, थोड़ा बैठ जायं।

श्री जुबेर खां : कौन कहता है कि नहीं कह सकते हैं (व्यवधान) जो आरोप लगता है उसको अधिकार है, कह सकता है। वकील जो कोर्ट में बहस करता है वह रात दिन कहता है ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरासर अन्याय है।

श्री टीकमचन्द कांत : हम भी आपको +++ कह सकते।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : कोर्ट में निर्णय के बाद ही किसी को +++ कहा जा सकता है उससे पहले नहीं कहा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप इतने नाराज क्यों होते हैं कि मैंने +++ कह दिया, +++ बात कह दी, लेकिन मुख्यमन्त्रीजी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के क्या, देश के नेता हैं, आपकी आत्मा गवाही देती है कि इस तरह का आचरण यह लोग करते हैं....(व्यवधान) आप सुनने दीजिए न। आपकी आत्मा गवाही देती है कि....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी आत्मा बतायेगी, जब बोलूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक आदमी का मर्डर हो गया और पता है उसका मर्डर केस रजिस्टर नहीं हो रहा है। उसकी एवीडेंस, डाक्यूमेंटरी एवीडेंस है उसकी क्रेडिटिबिलिटी इम्पीच करने के लिए आपका मिनिस्टर किस हद तक जाता है।

आपकी आत्मा गवाही देती है ? दो-दो फोर्ज्ड डाकूमेंट्स हैं, वह आपको पता नहीं है ? आपको पता है, आप चर्चा नहीं करें, वह बात अलग है। आपकी आत्मा गवाही नहीं देती ? आप भाषा पर इतने क्यों जाते हो ? मुख्य मंत्रीजी, +++ या नहीं है, +++ नहीं कहना चाहिये, छोड़िये इस बात को, सवाल यह है कि ये जो फैक्ट्स हैं, इनसे आप कन्विन्स्ड हैं और आपकी आत्मा गवाही देती है कि इन लोगों को आप मंत्री मण्डल में रखें।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं कि यह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की आवश्यक देन है कि मतदान के जरिये कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या जनता

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

दल सरकार के अन्दर जाती है और आती है। आम आदमी को, उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों से इतना मतलब नहीं है। मूल बात, जिसके लिये आम आदमी कन्सर्न्ड है, एवरी सिटीजन कन्सर्न्ड है, वह रूल आफ लॉ है। रूल आफ लॉ सफर्ड नहीं हो सकता। कानून की नजर में सब बराबर है। आज हम यहां बैठे हैं, अगर रूल आफ लॉ को सफर होने देंगे, कांस्टीट्यूशन को सफर होने देंगे, अगर कांस्टीट्यूशन के नार्म्स को आप कीप नहीं कर सकते तो, उपाध्यक्ष महोदय, हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। इस प्रकार के लोगों के मंत्री मण्डल में रहते हुए इनसे न्याय की क्या अपेक्षा की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल के और कोई नहीं बोलेंगे क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सब बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसे शार्ट कीजिये। रिपीटिशन हो रहा है कंटीन्युअसली।

you have narrated all the facts.

श्री सुरेन्द्र व्यास : I have narrated. Now I beg to conclude my speech with two observations.

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं, मैं इसमें इन्क्वायरी की कोई मांग नहीं करता हूं। मैं इन्क्वायरी की मांग इसलिये नहीं करता हूं these facts are fully proved. कोई इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है इसमें, सीधा-साधा मंत्रीजी ने जिस तरह क्रेडिटिबिलिटी इम्पीज की है और जिस तरह के डाक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है उपाध्यक्षजी, माननीय अध्यक्ष देख लें, कोई जरूरत नहीं है। फूल प्रूफ केस है श्री ललित किशोर चतुर्वेदी के खिलाफ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी के आचरण एवं कृत्य की निन्दा करता है।

डा. हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, इस सारे प्रकरण के मामले में जो फैक्ट्स माननीय सुरेन्द्रजी ने बयान किये हैं, कुछ बातें उनकी एडीशन में बताना चाहूंगा। मैं खुद एस. एम. एस. हास्पिटल में काम कर चुका हूं और सीनियर कैपेसिटी में काम कर चुका हूं। जब यह सब मामला सामने आया तो मैंने खुद वहां जाकर सब डाक्टरों से बात की। पोस्टमार्टम के वक्त दो डाक्टर थे, एक कम्पाउण्डर था और एक स्वीपर था। अमुमन एस. एम. एस. हास्पिटल में जो पोस्टमार्टम होता है, तो वह जो स्वीपर होता है वह बहुत एक्सपर्ट आदमी होता है क्योंकि उसने 500 पोस्टमार्टम देख लिये होंगे, एक डाक्टर 10 करता है। तो जो भी पोस्टमार्टम ये होते है, पंचनामा वहां होता है, पुलिस करती है डाक्टरों के सामने ताकि एक्सटर्नली क्या इसकी पोजी-

(डा. हरिसिंह)

शन है बाडी की और वह पोजीशन क्या फ़रदर पोस्टमार्टम से सब्स्टेंशियेट होती है कि नहीं होती है। तो इतने लोग मौजूद थे और इतने लोगों की मौजूदगी में जब मैंने सबसे बात की तो सब डाक्टर्स का एक आब्जर्वेशन था कि इस मामले में पोस्ट-मार्टम से तो हकीकत यह है कि this was a case of strangulation and he was hanged afterwards.

जो नोट्स हैं उनकी आथेंटिसिटी में किसी भी डाक्टर के दो आब्जर्वेशन नहीं है। न वहां जो स्वीपर है, न जो कम्पा-उण्डर है, न जो दूसरे सीनियर कलीग्स हैं I don't know what the enquiry has been there. My personal communication with them, I have talked to them almost all of them.

अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि इस केस में क्या तो केस दर्ज हुआ, यह तो सरकार बतायेगी कि कौन सी धारा में केस दर्ज हुआ। 302 का हुआ या सुसा-इड का केस दर्ज हुआ, और फिर सर-कार ने अभी तक इसमें क्या कार्यवाही की। मैं यह भी नहीं कहना चाहता, मैं जानता भी नहीं कि किसने मर्डर किया, किन सरकम्स्टांसेज में किया This is a matter of investigation and by this time जब यह केस प्राइमाफेसी स्ट्रैंगुलेशन का है, मर्डर का है, 302 का है तो इसमें उचित कार्यवाही हुई नहीं, अब तक जो होनी चाहिये थी। मैं यह भी जानना चाहता हूं माननीय गृह मंत्रीजी से कि यह केस किस स्टेज पर है अभी तक ? I would like to have this information. लेकिन यह मामला है "डैथ बाई स्ट्रैंगुलेशन"। अब डाक्टरों के बीच क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, सवाल इस बात का पैदा होता है, माननीय विधान सभा के सदस्य पोस्ट-मार्टम के वक्त, मेरे को बताया गया, वे मौजूद थे। करीब-करीब उस जगह, मौजूद थे। आई डोंट से कि पोस्टमार्टम करते वक्त सामने खड़े थे और बॉडी हैंड-ओवर की जिसके खिलाफ में चार्जेज है। अग्रवाल ने इसका कीमियेशन किया और उन्होंने ही रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरा नौकर रस्सी से लटका हुआ पाया गया। उन्होंने फिर यह कराई कि पैसे मांगते हैं। तो जब सारी बात है तो उस वक्त उनको यह डिमान्ड करना चाहिये था कि पोस्टमार्टम गलत हुआ है, पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट वैध नहीं थी। तो इधर तो कम्पलेंट कराने में लगे हुए हैं, उधर बाडी को डेस्ट्राय करने में लगे हुए है। जब अखबारों में भी यह आया कि डाक्टरों ने पोस्टमार्टम में पैसे मांगे तो एक ऐसी बात सामने आ गई कि यह पोस्टमार्टम ही फर्जी हुआ है। मेरे कहने का मतलब यही है कि पोस्टमार्टम किसी भी सरकम्स्टांसेज में, वह कागज कहां थे, कैसे थे लेकिन एक डाक्टर को उस तरह की बात कही जाती है, वहां डाक्टर थे दो, वहां एक था कम्पाउण्डर, वहां एक था स्वीपर। उनकी बात ही छिपा ली जाती है और वे क्या कहते हैं।

तो सारे मामले के अन्दर मेरा सरकार पर यह आरोप है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह तो सारे आपके तथ्य आ ही गये।

(डा. हरिसिंह)

इस केस के अन्दर जो कोई भी हो, जिसने इस आदमी का स्ट्रे गुलेशन किया है, मर्डर किया है, उसमें कार्यवाही नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई है, सरकम्स्टांसेज आपके सामने हैं, कैसे यह हुआ, कैसे शिकायतें हुई ।

अब जहां तक, मैंने सुना है, माननीय ललित किशोरजी ने मेरे को भी कहा है कि मेरे पास टेप है। टेप तो मैं और पूनम जी बात करके कह देते हैं कि यह प्रद्युम्न सिंह जी की बात हुई है मेरी ।

It is a matter of enquiry. You can not say authentically.

यह टेप मैं प्रोड्यूस कर देता हूं इस वक्त कि माननीय चतुर्वेदीजी यह कह रहे हैं। जब तक टेप को एक्सपर्ट से उसी को दुबारा टेप करवाकर कारयोरेट नहीं किया जाय, इस मामले को और डाइल्यूट किया जाता है। जिन्होंने मर्डर किया है, जिन्होंने यह सारी साजिश की, जिन्होंने यह सारी जालसाजी से टेप किया, ललितजी आपको भी गुमराह कर दिया उन्होंने ।

मैं नहीं कहता कि आप कितने शामिल हैं इसको रफा दफा करने में, मैं आप पर आरोप नहीं लगाता लेकिन आपने जोर-जोर से कहा है कि वह टेप है मेरे पास, मैं सब की बखिया उधेड़ दूंगा। आप क्या बखिया उधेड़ दोगे। एक आदमी मर गया, मर्डर की कार्यवाही नहीं हुई, 302 में केस नहीं चला, हत्या हो गई और आप बखिया उधेड़ने में लगे हुए हैं, डाक्टरों की इन्क्वायरी करने लगे हुए हैं।

कहने का मतलब माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह है कि आप उस मर्डर केस को खुलवायें, उस मर्डर के कलप्रिट्स को सजा दिलायें। यह मैं दावे से कहता हूं, मैं आत्मा से कन्विन्स्ड हूं इसलिये कह रहा हूं। मैं तब तक बात नहीं उठाता जब तक मैं उनसे बात नहीं करता। मुझे कुछ लोगों ने कहा तो मैंने कहा कि I will enquire myself.

मैंने खुद जाकर इन्क्वायरी की, तब मैं खुद सटिसफाई हुआ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से this man was strangulated. मेडिकल डिटेल्स आप चाहे तो मैं बता दूं कि एवीडेंस आफ स्ट्रेंगुलेशन एण्ड हैंगिंग में क्या फर्क है। इन्होंने गर्दन की बात कही और रस्सी का निशान, डायरेक्शन, स्किन के नीचे ब्लीडिंग के, बोन फ्रेक्चर व हाइड बोन का फ्रेक्चर हुआ है These are the details. I don't want to confuse this House by minor details.

पर मोटी बात यह है, अगर शक-शुबहा है तो आई केन प्रूव इट कि यह केस मर्डर का है और इसमें कार्यवाही होनी चाहिये। यह जो रफा-दफा की कार्यवाही चल रही है इतने दिन तक और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आज यह केस किस स्टेज पर है, किस धारा के तहत इसको रजिस्टर कर रखा है और इन्क्वायरी की एपेरेंट फाइंडिंग्स अब तक की क्या हैं ? मैं सरकार से जवाब चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से डाक्टर साहब से क्योंकि इस विषय का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उनको ज्ञान है, एक जानकारी करना चाहूंगा कि डाक्टर ने जो पोस्टमार्टम करते समय नोट्स लिये और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की, उनमें कोई अन्तर है क्या ?

डा. हरिसिंह : नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई अन्तर नहीं है तो मामला क्या है ?

डा. हरिसिंह : नोट्स जो है, सिर्फ एक बात थी, जब लिखते हैं, जब कच्चे कागज पर वहां लिखते हैं तो अन्त में जब करते हैं तो काज आफ डैथ है, नोट्स में काज आफ डैथ नहीं लिखते और वहां फाइनल जेप में काज आफ डैथ कन्क्लूजन लिख देते हैं। बट, जो कन्क्लूजन भी लिखा जाता है ना, वह फाइन्डिंग के आधार पर ही लिखा जाता है इसलिए यह नहीं लिखा What is the cause of death ? It is immaterial. It can be written at any time.

अगर यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे दी जाये और मुझसे पूछें What is the cause of death ? I can write it, that the cause of death is by strangulation.

तो इस डाक्टर ने नोट लिखे, वही कन्क्लूजन लिखे। वह वही लिखेगा और एनीबडी भी वही लिखेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी संत बहादुर की हत्या के बारे में जो फैक्ट्स रखे गये, इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत संक्षिप्त में ही आप बात कहें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो प्राइमरी इन्क्वायरी कमेटी माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने बैठाई, इसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। मैं इसके सम्बन्ध में 2-3 प्रश्न करना चाहता हूं कि इस कमेटी की राय में हत्या का क्या कारण था ? डाक्टरों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को इस कमेटी ने एज इट इज स्वीकार किया या नहीं ? जो डाक्टरों ने रफ नोट्स लिये थे, उन नोट्स को क्या 21-12-90 को सीज कर लिया गया था ? डाक्टरों का दूसरे दिन 22-12-90 को आने का समय क्या था और आने से पहले एक घण्टे तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनसे वार्तालाप किया और वार्तालाप के बाद जो वाद-विवाद हुआ, उनके आदेश पर एक स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। जिसको पूरा लिखने के बाद विभागाध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण सौंपने का समय अंकित किया गया या नहीं। एक टेप रिकार्ड की बात आयी, टेप रिकार्ड में जो वार्ता हुई है, उससे पहले भी क्या स्वास्थ्य मंत्री जी ने उन डाक्टरों से कोई बात की थी ? यदि बात पूर्व में की हुई है, तभी वह उनकी बात को पहचान सकते हैं। एक मेडिकल स्टूडैण्ट, एल. सी. गुप्ता, मैं समझता हूं कि एक बहुत साधारण वहां का मेडिकल स्टूडैण्ट है, उसकी आवाज को मन्त्रीजी ने कैसे पहचाना कि यह उसी की आवाज है। थाने के इन्चार्ज ने सौ व्यक्तियों की

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उपस्थिति में उसका कार्ड मांगा और एल. सी. गुप्ता ने हाथ से लिखकर दिया कि मेरा कार्ड यह है, मेरा एड्रेस यह है। प्रमोद जी उनसे कोई बात करना चाहते थे। वह कार्ड उनको दिया, यह शिकायत का प्रमुख आधार माना गया है। वह कार्ड कैसे अग्रवालजी, जो शिकायत कर्त्ता हैं, के पास पहुंचा और किस तरीके से वह वापस किसी विधायक के थ्रू स्वास्थ्य मंत्रीजी के पास पहुंचा, यह भी एक विवाद का विषय है। इसी तरीके से जो पुलिस द्वारा सीन आफ क्राइम की रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये थी, क्या वह तैयार कर ली गयी ? यदि तैयार कर ली गयी है तो सदन की मेज पर रखी जाये। दूसरा, मृतक के जो कपड़े थे, उनमें सीमन पाया गया। यह इस बात को प्रूव करता है कि मृतक की हत्या के पूर्व वह किसी यौन प्रसग में लिप्त था। कोई भी व्यक्ति, जो आत्महत्या करता है, वह निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रसंग में लिप्त नहीं पाया जाता है तो यह भी अपने आप में हत्या का एक स्पष्ट सबूत है। इसके अलावा जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मृतक के शव के पास 10 फीट की दूरी पर रक्त के धब्बे पाये गये हैं, वह भी अपने आप में एक संकेत इंगित करता है कि यह हत्या का स्पष्ट मामला है। स्वास्थ्य मन्त्रीजी के द्वारा जो प्रेस के साथ मिलने का कार्यक्रम बनाया गया, उस समय उनके पास विधायक श्री कालीचरणजी सराफ का शिकायतकर्त्ता के साथ प्रातः साढ़े सात बजे 22-12-90 को आना अपने आप में द्योतक है कि शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्त्ता है। स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने एल. सी. गुप्ता की आज पहचानने की बात भी प्रेस कान्फ्रेंस में कही। यह अपने आप में, जैसा मैंने पूर्व में बताया, सही नहीं लगती। इसके साथ-साथ डाक्टर एल. सी. गुप्ता, जो मेडिकल स्टूडेण्ट है, की शिकायत के आधार पर डाक्टर कोचर को कैसे सस्पेण्ड किया गया। डाक्टर शिव कोचर, जिन्होंने पांच हजार से ज्यादा पोस्टमार्टम इस एस. एम. एस. अस्पताल में किये हैं, क्या पूर्व में भी उनके रिश्वत लेने की कोई शिकायत, उनके खिलाफ कोई इस तरह का प्रमाण, वजूद इनको मिला। पांच हजार से ज्यादा पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर के बारे में यह आरोप लगा देना कि उन्होंने फैक्ट्स को छिपाया है, मैं समझता हूं कि तर्कसंगत नहीं लगता। हैंगिग के स्थान पर व 10 फीट की दूरी पर रक्त के धब्बे पाया जाना, निश्चित रूप से यह हूमन ब्लड है और यह बताता है कि यह मर्डर है। इसी तरीके से उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी केस में स्वास्थ्य मन्त्रीजी का वहां जाकर रिकॉर्ड को सीज करना, स्वास्थ्य विभाग के ऐसे सर्क्यूलर निकले हुए हैं कि दोपहर बाद, अपराह्न बाद कोई भी पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट अगले दिन दी जा सकती है। यदि डाक्टर वहीं पर, जहां पर पोस्टमार्टम वगैरह किये जाते हैं, उस स्थान का निरीक्षण करें तो न तो वहां कोई ताला है, फाटक टूटे हुए हैं और यदि वह रिपोर्ट वहां रख दी जाती है तो चोरी होने का भय रहता है, गोपनीयता भंग होने का भी खतरा रहता है और जो डाक्टर परीक्षण करते हैं, उनको

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

किताबों को भी पढ़ना पड़ता है, उनको फैक्ट्स के बारे में बहुत सारी चीजों को लाइब्रेरी में देखना पड़ता है, इसलिए नोट्स उसके पास थे और यह कहना कि नोट्स इसी मामले में रखे गये थे, मैं आपको उदाहरण देकर बता सकता हूं कि कम से कम एक हजार हत्या और आत्महत्याओं के मामले में नोट्स के आधार पर चालान किये गये हैं और वह नोट्स आज भी कोर्ट में और पोस्टमार्टम की रिपोर्टों के आधार पर देखे जा सकते हैं, जिनमें नोट्स के आधार पर रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई हैं और वह नोट्स फाइनल रिपोर्ट के साथ एक तरह से संलग्न, नत्थी किये हुए पाये जा सकते हैं। इसी प्रकार यह कहना कि रिपोर्ट फाइनल करने का जो दायित्व है, वह डाक्टर कोचर का था और शिकायत एल. सी. गुप्ता की की गयी थी, जो एक मेडिकल स्टूडैण्ट था। मेडिकल स्टूडैण्ट, जिनके बारे में आज तक कोई आरोप नहीं लगे हैं, उनको एक तरह से फैक्ट्स को बदलने के लिए दबाया गया। उन्होंने हत्या को आत्म-हत्या नहीं माना, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी और आज तक उनको कोई चार्जशीट नहीं दी गयी। इससे यह स्पष्ट लगता है कि चिकित्सा मंत्री का आचरण सही नहीं था, निन्दनीय था। उन्होंने डाक्टरों को दबाया कि इस हत्या के मामले को आत्महत्या के रूप में बदले। एक घण्टे तक उनकी चर्चा हुई, जद्दो-जहद हुई, डाक्टरों ने उस फैक्ट्स को नहीं माना, तब जाकर 4-5 दिन बाद उनको चार्जशीट देना, सस्पेण्ड करना, मैं समझता हूं कि यह अपने आप में इस बात का द्योतक है कि मंत्रीजी ने अपने अधिकारों के खिलाफ जाकर एवीडेन्स को दबाने की कोशिश की और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उनको देखने का मंत्रीजी को कोई अधिकार नहीं होता। उनको सीज करने के बाद वह कैसे फाइनल करते। 21/12/90 को सारे रिकार्ड सीज कर लिये गये। सक्यूलर निकले हैं, उनके आधार पर 22/12/90 की सुबह तक उस रिपोर्ट को फाइनल करने का जो प्रेसक्राइब्ड प्रोफार्मा है, उसमें रिपोर्ट देने का अधिकार रखते है। उनके खुद के विभाग के सक्यूलर निकले हुए हैं। उसके बाद यह कहना कि डाक्टरों ने कोई बात कर ली थी, केवल मात्र थाने के अधिकारी ने एल. सी. गुप्ता, जो मेडिकल के स्टूडैण्ड हैं, का कार्ड मांगा था, वह कार्ड सौ व्यक्तियों के सामने दिया, कालीचरण जी सराफ भी वहां मौजूद थे। उसको शिकायत का आधार मान कर कि इन्होंने....

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब, अब रिपीटिशन हो रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रिश्वत मांगी है, मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, यह तथ्यों से बिल्कुल परे है। दोनों डाक्टर, जो शिव कोचर हैं, वह पोस्टमार्टम करने के अधिकारी डाक्टर हैं और जैसा मैंने बताया, पांच हजार से अधिक जो व्यक्ति पोस्टमार्टम कर चुका है, उसके बारे में....

एक माननीय सदस्य : कल्ला साहब, आप कौन से डाक्टर को बचाना चाहते हो, कौन से डाक्टर को बचाना चाह रहे हो ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं तो फैक्ट्स रख रहा हूं। आप स्वास्थ्य मंत्रीजी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

को बचाना चाहते हो क्या ? मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह इन केसों में वकालात के जरिये वहां पर भी इन्वाल्व हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : वह समाप्त करने जा रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा व्यवस्था का सवाल है। एक व्यवस्था मेरी यह है....

श्री उपाध्यक्ष : क्या व्यवस्था है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरी व्यवस्था यह है उपाध्यक्ष महोदय कि, एक मिनट मेरी व्यवस्था....

श्री हेतराम बेनीवाल : आपकी व्यवस्था है या हाउस की है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : स्वास्थ्य मंत्रीजी के....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। व्यवस्था देना आपका काम है, आपका काम वह कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गोविन्दसिंह जी। माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह कह रहा हूं कि फैक्ट्स क्या अदालत तय करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : Every Member can raise a point of order.

श्री बुलाकीदास कल्ला : नियमों का, संविधान का उल्लंघन हो रहा हो तब ही पाइण्ट आफ आर्डर रेज किया जा सकता है। यहां कोई नियमों का उल्लंघन तो हो नहीं रहा है।

एक माननीय सदस्य : उल्लंघन तो हो रहा है वैसे।

श्री उपाध्यक्ष : आपको इण्टरफियर नहीं कर रहे हैं, आप चालू रखिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक ला फुल आफिसर, जो सरकार द्वारा नियुक्त है, प्रमोद गोस्वामीजी को एल. सी. गुप्ता, मेडिकल स्टूडेण्ट ने अपना कार्ड दिया, उस कार्ड को शिकायत का आधार मान लिया गया कि इन्होंने हम से रिश्वत मांगी है। मैं समझता हूं यह अपने आप में स्पष्ट है कि उस कार्ड का दुरुपयोग शिकायतकर्ता ने किया है। उसका सबसे बड़ा आधार तो यह है कि इस शिकायत के आधार पर मंत्रीजी का वहां रिकार्ड सीज करना और लाश को जलने देना। यदि इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कोई डाउट्स थे तो इनको लाश को सीज करना चाहिये था, उसका पोस्टमार्टम दुबारा जो प्राइमरी इन्क्वायरी कमेटी है उससे कराते। नोट्स से डिफरेण्ट स्थितियां आतीं तब जाकर यह कहा जा सकता था कि डाक्टरों ने कोई गड़बड़ की होगी। लेकिन लाश को जलने दिया गया। प्राइमरी इन्क्वायरी कमेटी के जो फैक्ट्स सामने आये हैं उसके आधार पर, नोट्स जो डाक्टर ने लिखे हैं वे सही

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पाये गये हैं, प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कमेटी ने डाक्टर कोचर ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को हू-ब-हू माना है और हत्या का केस माना है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी ने अपने दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप से तथ्यों को तोड़-मरोड़ने की कोशिश की है और एक हत्या के मामले को आत्महत्या में बदलाने का गलत आचरण किया है, जिसकी कि हम निन्दा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ।

श्री कालीचरण सराफ : मेरे को बाद में बोलने देंगे क्या, साहब ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, पहले फैक्ट्स रख लें ।

श्री कालीचरण सराफ : लेकिन मैं बोलूंगा ।

श्री परसराम मदेरणा : पहले मैं एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। चिकित्सा मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट डाक्टर कोचर ने दी हैं या नहीं दी है ? रफ नोट्स आपके पास हैं या इन्क्वायरी कमेटी में हैं ? इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या डाक्टर कोचर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है ? तीसरा, आपके कैमरे की जो रील है वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ है या नहीं है? आपने जो इन्क्वायरी करायी, इन्क्वायरी कराने के वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस डाक्टर को नहीं लिखने दी और आपने इन्क्वायरी इंस्टीट्यूट की । अगर रिश्वत का केस था, फिर सी. आई. डी. में ट्रांसफर किया है तो एण्टीकरप्शन में उस डाक्टर को क्यों नहीं पकड़वाया ? पैसे देकर पकड़वा सकते थे रात को ही । पैसे तो मार्निंग में देने वाला था, इवनिंग में बारगेनिंग कर रहा था वह । आपने यह तत्परता दिखायी इन्क्वायरी कमेटी बैठाकर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रोका। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद केस ट्रांसफर कर दिया सी. आई. डी. (क्राइम) को । इस केस को ट्रांसफर करने के पहले उसको पकड़वाना चाहिए था, रैड हैण्डेड, अगर इस तरह से वह रिश्वत ले रहा था। वह कार्यवाही आपने नहीं करके इस पूरे को इन्क्वायरी कमेटी में डाल दिया । इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वही आयी है कि डबल स्ट्रंगुलेशन मार्क्स थे उसमें....

श्री सुरेन्द्र व्यास : लिगेचर मार्क्स ।

श्री परसराम मदेरणा : डबल मार्क्स थे इसका मतलब स्ट्रंगुलेशन भी हुआ है और फिर हैंगिंग का बहाना बनाया गया है । पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ? कोई है या नहीं है ? इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या डाक्टर कोचर ने सब्सीक्वेंटली कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य महोदय ने फैक्ट्स, फैक्ट्स के नाम की चर्चा करके, इस प्रकार की बातें कहीं हैं जिनका फैक्ट्स से कोई सम्बन्ध नहीं है, मनगढ़न्त हैं । इस

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बात को मैं अपने वक्तव्य द्वारा आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले फैक्ट्स बता दो न।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सुनो जरा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घटना की जानकारी और मेरे से सम्बन्धित घटना की जानकारी क्या है यह मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष रख रहा हूं।

दिनांक 21-12-1990 को मृतक श्री सन्त बहादुर का शव थानाधिकारी, बनीपार्क श्री प्रमोद गोस्वामी एवं उप निरीक्षक श्री बेरीसाल पारीक द्वारा शवपरीक्षण हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय के शव-परीक्षण-गृह में मध्याह्न 12.45 बजे प्रस्तुत किया गया था। मृतक श्री संत बहादुर का शव उसी दिन 2.40 पर परीक्षण प्रारम्भ किया जाकर अपराह्न चार से साढ़े चार के बीच समाप्त किया गया। शव परीक्षण का कार्य डाक्टर एस. आर. कोचर, सीनियर डिमास्ट्रेटर, फोरेंसिक मेडिसिन द्वारा डाक्टर एल. सी. गुप्ता, रेजीडेण्ट पी. जी. के सहयोग से किया गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी दिन उसी मोचर्री में इन्हीं दोनों डाक्टरों द्वारा तीन शव परीक्षण और किये गये थे। मैं आपके माध्यम से यह भी जानकारी सदन को देना चाहता हूं कि जहां शव परीक्षण होता है उसी के पास कमरा है मोचर्री का। उसी में शव परीक्षण के पश्चात् जो रिपोर्ट लेनी होती है वह लिखी जाती है। इस कारण जब पहला शव परीक्षण हुआ, नम्बर 1442/90, श्री जितेन्द्र पुत्र हंसाराम, 26 साल, सिंधी, अग्रवाल, फार्म, मानसरोवर, 10.30 बजे प्रातः। उसी रजिस्टर में सारी फाइण्डिंग्स उस शव-परीक्षण की नोट हैं उसी समय और उसी के बाद। दूसरी रिपोर्ट नम्बर 1443/90 श्री हरी सिंह पुत्र सवाई सिंह, 40 वर्ष, राजपूत, हटवाड़ा, कच्ची बस्ती खातीपुरा रोड, 11.50 बजे प्रातः। इस शव परीक्षण के भी सारे फैक्ट्स, सारी बातें डाक्टर द्वारा ली हुई, उसी रजिस्टर में अंकित हैं। तीसरी 1444/90, श्री श्याम सिंह पुत्र गणपत सिंह, 18 वर्ष, राजपूत ढेरसर थाना गोविन्दगढ़, 1.30 बजे। इसके भी परीक्षण की सारी-सारी फाइण्डिंग्स कनक्लूजन न हो कोई बात नहीं, सारी फाइण्डिंग्स उसी रजिस्टर में रिकार्ड हैं, जो कि मोचर्री में ही रखा रहता है और जिसकी चाबी इंचार्ज डाक्टर के पास रहती है। वह डाक्टर अगर चाहता है तो अपना जो सीनियर होता है उसके पास चाबी छोड़कर जाता है। इन सब शव परीक्षणों की रिपोर्ट उसी दिन तैयार की जानी थी। वस्तुतः मृतक श्री सन्त बहादुर की रिपोर्ट के अरिरिक्त अन्य सब रिपोर्ट पोस्टमार्टम रजिस्टर में अंकित कर ली गयी थीं। इनमें से किसी भी रिपोर्ट के कोई रफ नोट्स तैयार नहीं किये गये। मृतक श्री संत बहादुर की रिपोर्ट के मामले में में क्रम संख्या 1445/90 दिनांक

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

21-12-1990 को वहां यह अंकित कर दिया उसका नाम लिख दिया, उसका पता लिख दिया और प्लीज, सी बोर्ड फाइल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड तब बनता है जब कोई डिस्प्युटेबल बात होती है। वहां के तीन बड़े डाक्टर मिलकर किसी बोर्ड की स्थापना करते हैं। जो इंचार्ज प्रोफेसर हैं उनके कमरे में बोर्ड फाइल रहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 22-12-1990 को प्रातः काल इस मामले में मेरे पास साढ़े सात बजे फोन आता है श्रीमान कालीचरण जी सर्राफ का मैं कहना चाहता हूं कि 6.30 बजे मेरे अस्पताल में पहुंचने की बात बतायी गयी है। जो फैक्ट्स की चर्चा की जा रही है उसकी चर्चा करनी चाहता हूं आपसे। 7.30 बजे फोन आता है श्रीमान कालीचरण जी सर्राफ का, कि मनमोहन अग्रवाल ने मुझे शिकायत की है कि कल जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है वे अपने पोस्टमार्टम के नोट्स को बदलने के लिए रात को एक लाख रुपए की रिश्वत हमसे मांग रहे हैं। फार दी फर्स्ट टाइम, प्रातः काल साढ़े सात बजे, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री को, 22 तारीख को, उसकी सबसे पहले सूचना मिलती है। मुझे यही पता नहीं है कि केस हुआ है या नहीं हुआ है, यहां पर चर्चा की कि उसको जलाने क्यों भेज दिया, मंत्रीजी कहां थे और रोक क्यों नहीं लिया। फैक्ट्स की चर्चा बार-बार की गई है। साढ़े सात बजे जब यह फैक्ट आ गया मेरे ध्यान में, तो मैंने कालीचरणजी से कहा कि आप तुरन्त व्यक्ति को लेकर क्योंकि—**I am very sinsetive to corruPtion.**

मुझे पता नहीं कि इसमें स्ट्रंगुलेसन है, हत्या है या आत्महत्या है। इसकी कोई जानकारी नहीं मुझे। माननीय सदस्य ने यहां पर चर्चा की जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा बाद में। साढ़े सात बजे फार दी फर्स्ट टाइम जब मुझे सूचना मिली तो मैंने उनसे कहा कि आप कृपया आ जाइये, मनमोहनजी अग्रवाल, जिनके बारे में करने की बात और उसी समय मैंने अपने सैक्रेटरी को फोन किया, सैक्रेटरी साहब दौरे पर गये थे शायद दिल्ली, मैंने कहा कि ऐसी कोई सूचना आ रही है, मैं उनसे सारी सूचनाएं ले रहा हूं, आपको देता हूं, आप कृपया उसकी जांच करवायें सैक्रेटरी से डिप्टी सैक्रेटरी मुझे मिले। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ऐसी शिकायत आई है एक लाख रुपए की, अभी माननीय कालीचरण जी आ रहे हैं, उनके साथ शिकायतकर्त्ता भी आ रहे हैं, वह शिकायत मैंने उनसे लिखकर लाने को कहा है। उस शिकायत के बारे में आपको मैं कागज भेजूंगा, आप उसकी कृपया जांच करने का प्रयास करिये। डिप्टी सैक्रेटरी से बात होती है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब माननीय कालीचरणजी मेरे पास आ गये और मनमोहन अग्रवाल उनके साथ थे, यह बज गए आठ। मैंने उनसे कहा कि क्या आप प्रार्थना-पत्र लिखकर लाये हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना-पत्र लेकर आया

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हूं। मैं आपके समक्ष उस प्रार्थना-पत्र को कोट करना चाहता हूं। मैं बैठा हुआ हूं, मुझे इस चीज का क्या हुआ है, कैसा हुआ है इसका कुछ पता नहीं-

For the first time I got the news from him.

मुझे लिखा गया-

'सेवा में,

आदरणीय हैल्थ मिनिस्टर साहब, राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय—सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिकल ज्युरिस्ट डा. एल. सी. गुप्ता एवं डा. कोचर द्वारा एक लाख रुपए की रिश्वत के मामले के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

तारीख 21-12-1990 को हमारे यहां के घरेलू नौकर सन्त बहादुर द्वारा आत्महत्या कर लेने के कारण पुलिस द्वारा लाश को अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा था। करीब दोपहर में पोस्ट मार्टम करने के लिए डा. एल. सी. गुप्ता और डा. कोचर दोनों अन्दर गए और करीब 4 बजे पोस्टमार्टम करके बाहर आकर उपरोक्त दोनों डाक्टर्स अपने अपने खड़े स्कूटर्स पर बैठ गये। बनीपार्क थाना इन्चार्ज को अपने पास बुलाया। दोनों डाक्टर्स और इन्चार्ज कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर बनीपार्क थाना इन्चार्ज श्री प्रमोद गोस्वामी मेरे पास आये। मैं उस समय पोस्टमार्टम के सामने अपनी गाड़ी के पास मेरे छोटे भाई, कंवर साहब और अपने साले साहब के साथ खड़ा था। इन्चार्ज ने एक विजीटिंग कार्ड मेरे हाथ में लाकर दिया और कहा कि दोनों डाक्टर्स आपसे इस पते पर मिलना चाहते हैं। दोनों डाक्टर्स ने बहादुर की लाश को उनके सम्बन्धियों को सम्भलवा दिया, जो अन्त्येष्टि के लिये चली गयी। उसके पश्चात् मैं डा. करणी सिंह रतनू के घर पर गया और डाक्टर करणीसिंह रतनू से मैंने कहा कि यह उपरोक्त दोनों डाक्टर्स मेरे से विजीटिंग कार्ड वाले पते पर क्यों मिलना चाहते हैं। डा. करणीसिंह रतनू ने डिप्टी चीफ मेडिकल ज्युरिस्ट डा. एम. आर. गोयल से बातें कीं और इस मामले को देखने के लिये कहा। मैं डा. गोयल के पास अस्पताल में उनके कमरे में गया और सारे वाकयात बताये। डा. गोयल ने दो घण्टे तक डा. एल. सी. गुप्ता और डा. कोचर से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन दोनों डाक्टर उपलब्ध नहीं हुए। इसके बाद मैं अपने ससुराल चला गया और साले से रात्रि 10.00 बजे तक सलाह-मशविरा करता रहा और इसके बाद विजीटिंग कार्ड पर दिये गये टेलीफोन 511665 पर टेलीफोन किया तो इस टेलीफोन पर डा एल. सी. गुप्ता मिले। डा. गुप्ता ने तुरन्त हमें अपने घर आने के लिये कहा। मैंने कहा कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विजीटिंग कार्ड भी अटैच्ड है क्या इसके साथ में ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं कोट कर रहा हूं। आप जल्दी मत करिये। फिक्र क्यों कर रही हैं। जरा क्रानीकल आर्डर में सारी घटना तो सुन लीजिये। मुझ पर चार्ज लगाया गया है। यहां पर, कहा गया कि रात को ही जप्त कर लिये, 21 को ही रिकार्ड। मैं बताऊंगा, मेरे पास बयान हैं, दोनों डाक्टर्स के मेरे पास, क्योंकि वह सस्पेण्ड हो गए हैं और उन्होंने अपने बचने के लिये क्या बयान लिखे हैं वह बताऊंगा मैं और आपके फैक्ट्स की बताकर धज्जियां उड़ाऊंगा यहां। जरा सुनिये आप।

रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैं आप से सुबह मिल लूंगा तो डाक्टर ने मुझे कहा कि बहादुर की पोस्टमार्टम रिपार्ट अभी तो खाली छोड़कर आया हूं और यदि आप नहीं आये तो सुबह तक तो रिपोर्ट आपके खिलाफ लिख दूंगा। इस पर हम चिन्तित हुए और डाक्टर का पता मकान नम्बर 2/68 I मालवीया नगर, करीब 11-11.30 बजे रात्रि को मेरे साले के साथ उनके घर पर पहुंचे। डा. गुप्ता ने हम दोनों को बैठाया तो हमने पूछा कि हमें क्यों बुलाया है, भाई उस बहादुर वाले मामले में हमारा क्या सम्बन्ध है। तो डा. गुप्ता ने कहा कि सम्बन्ध तो तुम जानते हो, हम जैसा चाहेंगे वैसा बनायेंगे। आपको एक लाख रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो इस सुसाइड के केस को हत्या का केस बना दिया जायेगा। डा. गुप्ता ने दो-तीन दिन पहले का भी उदाहरण दिया और कहा कि उन लोगों ने भी रुपया नहीं दिया तो आज भी जेल में सड़ रहे हैं। हम तो 2 लाख रुपए देकर इस पोस्ट पर आये हैं और आपसे जो लेंगे वह हमको ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। इस बात से हम दोनों डर गये। डा. गुप्ता ने उसी समय डा. कोचर से भी टेलिफोन पर बात की। डा. गुप्ता ने कहा कि एक लाख रुपए के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। हमने कहा कि हमारा इस केस से कोई सम्बन्ध नहीं है तो हम रुपए क्यों दें? डा. गुप्ता ने कहा कि घर पर चले आये, सुबह देखना कि हम दोनों डाक्टर क्या करते हैं। इसके बाद हम दोनों साले-बहनोई सलाह करने के लिए कमरे से बाहर आये और सोचा कि रुपए देने के लिए मना करते हैं तो हो सकता है कि दोनों रात को ही अस्पताल में जाकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जो खाली थी, जान-बूझकर झूठी हत्या की रिपोर्ट बना दें। इसलिए दोनों डाक्टर को अटकाये रखना है। इसके बाद डाक्टर गुप्ता के कमरे में आकर कहा-हम रुपए लेकर अभी रात को आ रहे हैं या सुबह तक पहुंचा देंगे। हम उनके घर से वापस आ गए।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी के साथ गलत अन्याय नहीं हो व गलत तरीके से झूठे हत्या काण्ड में नहीं जाय या भ्रष्टाचार न हो, अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फार द फर्स्ट टाइम, मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐसा चार्ज लगाया, रात को जप्त करने का मैं वह विधायक हूं जिसने पिछले साल कोर्ट में यह कहकर मना कर दिया कि नहीं, यह पर्चा मैंने छपवाया, जो होता है वह होता रहे, चिन्ता

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

की बात नहीं। उसका भुगतान किया मैंने। मुझे धन्यवाद देना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बचा दिया। जिन्दगी में असत्य बोलने के लिये कभी उचित नहीं है इसलिये यह बात कहना चाहता हूं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फैक्ट्स बता रहा हूं, सुन लीजियेगा। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने इतना ही नहीं कहा, यह कैसट है। इस कैसट के अन्दर उन्होंने यह कहा, वैसे तो मुझे इस कैसट की कोई आवश्यकता नहीं थी, मुझे यह भी पता नहीं था कि हत्या का केस है या आत्महत्या का केस है। मैं आगे बताऊंगा कि अगर है तो फांसी पर लटकाये उस हत्या करने वाले को, ललीत किशोर चतुर्वेदी का लेना क्या है और देना क्या है। अगर किसी ने हत्या की है तो उसको फांसी पर लटकाने की आवश्यकता है (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह इश्यू नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : महावीरजी, शान्त रहिये। फैक्ट्स पर आ रहे हैं।

श्री ललीत किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कैसट पर है उसकी आथेन्टिसिटी है या नहीं, डाक्टर की आवाज है या नहीं, कोर्ट जाने, वहां बात करेंगे। किन्तु जब मैं चिकित्सा मन्त्री के नाते बैठा हूं और एक दरख्वास्त इस प्रकार की दी जाती है, पहले क्या हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं है मुझे, और अगर कैसट सुनाकर जो इसमें रिकार्डिंग है उसको पढ़कर सुना रहा हूं मैं आपको, जो इसके अन्दर रिकार्डिंग है -हलो, आप कौन बोल रहे हैं- यह यहां से फोन किया इन्होंने (व्यवधान)

आप सुनिये तो सही, आप घबराते क्यों हैं?....

श्री सुरेन्द्र व्यास : इससे क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप इसको सुना कर बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जवाब दे रहा हूं। आ जायेंगे फैक्ट्स।

जवाब तो दे रहा हूं, सुन लीजिए। डाक्टर एल. सी. गुप्ता हैं मैं मनमोहन बोल रहा हूं, कुछ क्षण बाद डाक्टर एल. सी गुप्ता लाइन पर आ गए, डाक्टर साहिब मेरे पास व्यवस्था कुछ कम है 12 हजार, 13 हजार ही हुआ है, 10 हजार रुपए कहीं से और मंगवाए हैं, मेरे पास आने वाले हैं दस मिनिट में, डाक्टर का जवाब आता है एक बात है साहिब हमारे पास आपकी दुकानदारी तो है नहीं, डाक्टर साहिब इस तरह की टाक्स हम लाइन पर नहीं करते, मनमोहन, लिक्विडेट केस तो हाथ में होता नहीं साहब। डाक्टर यह तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था जब आप नन्दू जी का नाम ले रहे थे कौनसी ऐसी दिक्कत आ रही थी। आप जो भी बात करें पर्सनली घर आकर ही करें तो ठीक रहता, ऐसी बातें फोन पर नहीं करते। मनमोहन-मैं कह रहा हूं मेरे पास बाकी जो शार्ट है अमाउण्ट वह दस मिनिट

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

में आ रहा है तो मैं बस वह लेकर, बस इसलिए मैंने फोन किया था। डाक्टर-अच्छा, तो मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप निकल नहीं जाना साहब, कुल 10 हजार, 13 हजार, कुल 24 हजार रुपए मेरे पास हैं, डाक्टर ने कहा देखेंगे, साहब इसे निपटाना है, अच्छा देखेंगे आओ आप। 25 हजार के अन्दर अन्दर इस काम को निपटाना है साहब... (व्यवधान)...

यह इसमें रिकार्ड है। आप सुन लीजिए पूरी बात। उपाध्यक्ष महोदय, एक चिकित्सा मन्त्री के पास प्रातः काल साढ़े सात बजे से आठ बजे के बीच में यह दोनों रिकार्ड लाकर जब बताए गए, मैं सदन से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं जिसकी पहली जानकारी नहीं है, कि क्या हुआ है, किस तरह का केस है, हत्या का रहस्य क्या है कोर्ट निर्णय करेगी उसकी चर्चा करूंगा। मेरे पास क्या रह जाता है? एक ही काम रहता है कि जो करप्शन का मेरे सामने आया है, वर्तमान सरकार एक साल पहले चुनी गई है, भैरोंसिंह शेखावत उसके मुख्य मन्त्री हैं। भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खतम करके रहेंगे, सहन नहीं करेंगे, ताकत रखते है हम...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, उनकी शिकायत होने पर मैंने सर्वप्रथम स्वास्थ्य सचिव से सम्पर्क करके मामले को देखने की कोशिश की, किन्तु उनके उपलब्ध नहीं होने के कारण मैंने उप सचिव को निर्देश दिए। उनके द्वारा प्रिंसिपल एवं कन्ट्रोलर सवाई मानसिंह को निर्देश दिए गए कि इस मामले को देखें। पोस्टमार्टम के रिकार्ड का निरीक्षण करके देखें कि उसमें हेरा फेरी या भ्रष्टाचार न हो। ये है इश्यु जो इश्यु मुझ से सम्बन्ध रखता है। बाकी रखता है कोर्ट से। जानकारी ली तो कहा प्रिंसिपल एण्ड कन्ट्रोलर ने अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। यह कमेटी बनी 9 बजे जिसमें निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किए गए। डाक्टर बी. एन. शर्मा प्रोफेसर न्यूरोलॉजी, डा. एस. के. शर्मा प्रो. कार्डियोलाजी, डा. एस. के. पाठक एसोशिएट प्रो. फारेंसिक मेडिसन डा. एम. आर. गोयल एसोशिएट प्रो. फारेंसिक मेडीसिन, उक्त समिति दिनांक 22-12-90 को प्रातः काल 9 बजे गठित की गई थी। रात को जब्त हो गए कागजात, रिकार्ड, दिन में कुछ हो गया। यह 9.00 बजे तक की बात तो कह रहा हूं। सर्वप्रथम समिति गई, जाकर मोचर्री पर पहुंची, मोचर्री पर प्रातः काल 9 बजे अस्पताल शुरू होता है Dr. Kochar and Dr. Gupta were required to be there.

वह दोनों नहीं थे। ताले को उन्होंने सील कर दिया। एक बार उनकी उपस्थिति में खोलेंगे उसके पहले खोलेंगे नहीं। सील करने के पश्चात् डाक्टर कोचर की तलाश की गई, He was not awaylable. मिले नहीं, डाक्टर एल. सी. गुप्ता की तलाश की गई, मिले नहीं।

आपको सुनकर आश्चर्य होगा अब मैं उन दोनों डाक्टरों के बयानों को आपके समक्ष रख देता हूं जिससे सारे फैक्टस का पर्दा-फाश हो जाएगा। वह जो डाक्टर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

खड़े हैं ना वह तो सस्पेंण्डेड हैं। एक को तो उससे हटा दिया गया है। ऐसे व्यक्तियों ने उस जांच रिपोर्ट के बाद 22 तारीख को पहले पहुंचते हैं डाक्टर कोचर प्रातः साढ़े दस बजे और एल. सी. गुप्ता तो पहुंचते हैं ढाई बजे। बहुत ढूंढा इनको, साढ़े दस बजे जब पहुंचे तब उन्होंने अपना जो पत्र लिखकर दिया है पहला वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं (व्यवधान)

यह तो उनको है जब वह प्रातः काल जब तक नहीं मिले हैं। कारण क्या था रिपोर्ट यह है कि **they were waiting for the money upto that time.**

और इसलिए सबको ढूंढने के बाद उन्होंने जो जिक्र किया है मैं इसबात के लिए कहना चाहता हूं, मैं फिर भी कहना चाहता हूं अगर यह हत्या का केस है, हत्या का अभियुक्त कभी भी किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। आत्महत्या का केस है तो यह तो कोर्ट को तय करना है। ललित किशोर चतुर्वेदी को तब तक पता नहीं है, किसी को पता नहीं है केस क्या है मेरे सामने तो केवल भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। फैक्ट कोट कर रहा हूं माननीय सदस्य मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा। उन्होंने लिखा है शव परीक्षण रिपोर्ट के बारे में स्पष्टीकरण, यह डाक्टर कोचर का प्रिंसिपल के नाम पत्र है। जब वह साढ़े दस बजे आकर उस जांच रिपोर्ट को पहले पहल मिले हैं। "निवेदन है कि कल 21--12--90 को मैं जब ड्यूटी पर था तो तीन शव परीक्षण हेतु शव परीक्षण गृह में रखे हुए थे। मैं तत्काल शव परीक्षण गृह पहुंचकर परीक्षण का कार्य करने वाले कर्मचारियों से सम्बन्धित तैयारी आदि के लिए जैसा कि मैं सदैव ही करता हूं, करने के लिए कहा और शव परीक्षण हेतु आवेदन आते ही तत्काल शव परीक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया। लगभग ग्यारह से साढ़े ग्यारह बजे सुबह एक शव थाना बनीपार्क से एस एच. ओ. श्री प्रमोद गोस्वामी लाया गया था जिसका सबसे अधिक आखिरी में शव परीक्षण का आवेदन पत्र आया था इसलिए सबसे आखिरी में इस शव परीक्षण का कार्य आरम्भ किया गया। इसी बीच में शव परीक्षण गृह को बाहर एक प्रतीक्षालय बनाने के लिए नक्शा पी. डब्ल्यू. डी. आर्किटेक्ट, डाक्टर वी. के. माथुर से टेलिफोन पर हुई मेरी व्यक्तिगत वार्ता की सूचना डाक्टर एस. के. पाठक को देने के लिए कहा। उस दिन यानि देरी से क्यों आए हैं इसका वर्णन किया जा रहा है। उसी दिन डाक्टर पाठक ने कहा डाक्टर भार्गव से इस बारे में मेरी बात हो गई है अतः टाइपिस्ट से एक लिखित पत्र एक्स. ई. एन पी. डब्ल्यू. डी. के नाम लिखवा दो। जैसे ही मैंने पत्र टाइपिस्ट को लिखवाया, डाक्टर एम. आर. गोयल साहब मुझे विभाग से मिले और कहा डाक्टर हस्तबीचंद मेरे पास आए थे और उनके किसी परिचित के नौकर का शव परीक्षण हेतु आया है आप व्यक्तिगत रूप से इस शव का परीक्षण कार्य पूर्ण करके ही जाना। इसके पश्चात् वह पुनः शव परीक्षण गृह में गया और लगभग दो बजे मैंने डाक्टर एल. सी. गुप्ता

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

जो कि इसी विभाग में रेजीडेण्ट हैं के साथ शव परीक्षण का कार्य प्रारम्भ किया। उस समय मेरे साथ ड्यूटी पर नर्सिंग स्टाफ श्री रामचन्द्र कर्मचारी श्रीमी व रामेश्वर इस कार्य में मदद कर रहे थे। उस समय शव, शव परीक्षण गृह की सैण्टर टेबिल पर रखा हुआ था। जब मैंने ध्यानपूर्वक देखा तो शव पर फन्दे के दो निशान गले पर थे और करीबी से अध्ययन करने के बाद शव को स्ट्रेचर पर उतारकर बाहर धूप में लाया गया साथ ही मैंने उस शव को मेरे स्वयं के कैमरे से तीन चार फोटोग्राफ लिए। ऐसा मैं लगभग हर एकेडेमिक इन्ट्रेस्ट के केस में किया करता हूं। प्लीज नोट इट, मैं कहना चाहता हूं वहां व्यवस्था में पुलिस का काम है किन्तु उसकी स्थिति देखने के पश्चात आखिर कुछ करने के लिए कोई न कोई प्रूफ दबाव डालने के लिए इसलिए फोटोग्राफ लिए गए"....(व्यवधान)

पूरी बात सुनिए। लेट मी कम्पलीट (व्यवधान)

डा. हरी सिंह : यह कोई खेल नहीं हो रहा है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब आपके राइट तो रिर्जव हैं आप सवाल तो पूछ ही सकते हैं (व्यवधान)।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपका मैन्युपुलेशन करता हैं कि नहीं। आप बीच बीच में खड़े हो रहे है। आप उनको पढ़ने दीजिए....(व्यवधान)

डा. हरीसिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम के दौरान या पोस्ट मार्टम करने से पहले तस्वीर लेना पोस्टमार्टम के लिए अनिवार्य है और उसका पार्ट है और अपने यहां यह नहीं होता है यह कमी है। अदर वाइज पोस्टमार्टम से पहले पोस्टमार्टम जिसका किया जाता है तस्वीर बहुत आर्थेन्टिक चीज है वह होनी चाहिए। (व्यवधान) दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक केस मेरी व्यक्तिगत नोलेज में है। पुलिस ने गणपत कंवर वाले मामले में बटके मरने की बात लिखी है, पोस्टमार्टम में जो तस्वीरें ली गयीं उसमें साफ था कि इनसाइड वूण्ड्स थे। जहां तक तस्वीर का मामला उठा रहे हैं, अगर ले ली गयी थी सबसे बढ़िया काम हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिलेवेन्ट पोर्शन पढ़ रहा हूं। शव परीक्षण का कार्य पूरा करके मैंने मृतक के अभिभावकों को लाश सुपुर्द करने के पश्चात् खाना खाने आर. डी. होस्टल की मैस में गया। मैस बन्द हो चुकी थी इसलिए डा. एल. सी. गुप्ता को साथ में लेकर उनकी दुकान में होटल पर खाना खाने के लिए चले गये। लगभग 6 बजे वहां से फ्री हुये उसके पश्चात मुझे कुछ व्यक्तिगत काम थे वे निपटाने के पश्चात् मैं लगभग 8.40 पर मानसरोवर स्थित मेरे घर पर पहुंचा तो मुझे मेरी भाभी ने कहा कि अस्पताल से डाक्टर गोयल के

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) ..

दो-तीन बार फोन आये थे। क्योंकि डॉक्टर गोयल ढूंढ रहे थे कि चौथी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गयी है। मैंने अन्दाजा लगाया कि डॉक्टर गोयल साहब इसी रिपोर्ट के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं इसलिए यह बात टेलीफोन पर करना उचित नहीं समझा। मैंने आगरा फोर्ट ट्रेन पर मेरी पत्नी के समाचार देने के लिए स्टेशन गया, मैंने सोचा था कि जाते समय गोयल साहब से बात कर लूंगा चला जाऊंगा परन्तु सड़क पर ट्रेफिक जाम होने के कारण मैं विलम्बित हो गया, 'सा दी स्टोरी', लेकिन मैं सीधा ही स्टेशन पर पहुंच गया और डाक्टर गोयल साहब से बात नहीं कर पाया। जब मैं स्टेशन से वापस पहुंचा तो काफी रात होने के कारण तथा गहरी नींद में घर पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो पास ही मैं दूसरे मकान में रात को सो गया यह फोन (व्यवधान)

किसी बात का भाभीजी को पता नहीं होने के कारण उन्होंने भी जब डॉक्टर गोयल का रात को फोन आया तो कहा कि डॉक्टर कोचर रात को घर पर नहीं आये। गर्म कपड़े आदि दूसरे मकान में होने के कारण सुबह 6-7 बजे मुझे गहरी नींद आ गई। उसके पश्चात मैंने घर पर से तैयार होकर हॉस्पिटल आने की सोची तो लगभग 10 बज चुके थे। सुबह ही जप्त हो गये, सील कर दिया कमरे को। यह 10 बजे की कह रहे हैं। फैक्ट्स की चर्चा कर रहे थे माननीय सदस्य, इसके कारण समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया। तभी मुझे डा. एल. सी. गुप्ता ने फोन किया। अब देखिये अलग-अलग बयान वहीं के वहीं लिखाये गये हैं 11 बजे कमेटी के द्वारा इसमें लिखते हैं तभी मुझे डॉ.एल. सी. गुप्ता ने फोन किया कि आपका ऑफिस सील कर दिया गया है अतः आप तुरन्त अस्पताल आ जाओ। यह गुप्ता ने लिखा है वह एल. सी. गुप्ता ढाई बजे तक नहीं पहुंचे उन्होंने फोन तो कर दिया कोचर को किन्तु वह खुद नहीं पहुंचे डर के मारे कि because he has to face the problem.

इस बात का ज्ञान हुआ और डॉ. पाठक, डॉ. गोयल आदि कॉटेज वार्ड की गेलेरी में आते हुये मिले उन्हें तत्काल मुझे समक्ष पेश कर दिया गया। ये साढ़े दस बजे की बात हो गयी। साढ़े 6 बजे साढ़े 7 बजे कहने वाले माननीय सदस्य को मैं फैक्ट्स की चर्चा करना चाहता हूं जिन फैक्ट्स को बार-बार कहकर सील करने की चर्चा कर रहे थे वे फैक्ट्स देख लें। यह मेरा बयान नहीं है यह बयान उस डॉक्टर का है जो पकड़ा गया है, जो भ्रष्टाचारी है, जिसको बचाने की साजीश लगातार की जा रही है। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कोई सदस्य खड़ा नहीं हुआ है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पोस्टमार्टम का कमरा और रिकार्ड सील कर लिया गया। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अस्पताल गया। मैं गया था 11 बजे आई. सी. यू. में दो मरीजों को देखने के लिये पहुंचा था 11

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बजे मैं जैसे पहुंचा 11 बजे मेरे साथ डाक्टर, प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज वाले मेरे साथ ऊपर गये। ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं चाय पीकर, कॉफी पीकर जाइये आप। उनके कमरे में चला गया। आप आश्चर्य करेंगे उसी समय इन्क्वायरी रिपोर्ट वाले डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर कोचर उस कमरे में आये और उन्होंने पूछा सम्बन्धित शव परीक्षण रिपोर्ट जो मेरे पास तैयार की गयी थी मैंने डॉक्टर पाठक को जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर दी। मैंने पूछा, तब उन्होंने जेब से रफ नोट निकाल कर सवा ग्यारह बजे दोनों, तीनों, चारों डॉक्टर्स को जो रिपोर्ट करने वाले थे उनको रिपोर्ट दी। इतनी चर्चा केवल मात्र हुई। तो मुझे लगा कि जांच चल रही है मैं वहां से चला आया। मेरे ऑफिस में, उन्होंने आगे लिखा, उन्होंने जो लिखा है वह बता रहा हूं क्योंकि वह बात लिखते हैं जो बात हो जाती है। मेरे ऑफिस में वह केमरा जो मैंने शव के फोटोग्राफ खैंचे थे व शव परीक्षण रिपोर्ट सुरक्षित रखी हुई है। मैं आपको इसी समय दे सकता हूं। मेरा शव परीक्षण रिपोर्ट में कोई परिवर्तन आदि करने का ध्येय निहित नहीं है चूंकि मेडिकल ज्यूरिस्ट डिपार्टमेंट की प्रत्येक रिपोर्ट इस विभाग में समाचार पत्र की तरह उपलब्ध हो जाती है। जिसका मैं विभागाध्यक्ष को कई बार उल्लेख कर चुका हूं। विभागाध्यक्ष ने आदेश ऐसे दिये हैं कि कोई भी इस विभाग में परीक्षण हेतु आये तो उसकी सूचना तत्काल दी जाये। ऐसी विभाग में प्रक्रिया है। मैं डॉक्टर गोयल से शव परीक्षण के बारे में और राय लेना चाहता था कि न्यायालय में कोई महत्वपूर्ण खामी रिपोर्ट करने में साबित न हो इसीलिए मैं स्वयं लगभग चार हजार शवों का परीक्षण कर चुका हूं और मेरा अनुभव पूरी तरह सक्षम है। लेकिन विभागाध्यक्ष के अनुभव के आगे मेरा अनुभव शून्य है, मैं सदैव इस चिकित्सालय में समय पर अपनी ड्यूटी से पूर्व आता हूं यह बात और लिखी है। मैं ये कोट इसलिए करना चाहता था कि जिस रिकार्ड की जप्ती चिकित्सा मंत्री के नाम से बार बार की गयी है फैक्ट्स बता कर, न साढ़े 6 बजे, न साढ़े 7 बजे, न साढ़े 10 बजे और इतना ही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मार्चुअरी के अन्दर जब उन्होंने उसके बाद जाकर ताला खोला, ताला खोलने के बाद रजिस्टर निकाला तीनों के अंकित हुये थे, चौथे का केवल नाम और पता लिखा हुआ था और खाली रजिस्टर था। और इन्होंने जो रफनोट्स है वह सारे के सारे हमने पुलिस विभाग को भेज दिये जहां तक चिकित्सा से सम्बन्धित चिकित्सा मंत्री का सवाल है यह कहां कह पाऊंगा कि यह हैंगिंग का केस है, यह उसका केस है। हमारी सूचना केवल मात्र शव परीक्षण तक निहित रहती है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यदि चाहें तो दूसरे डॉक्टर का भी बयान जो उन्होंने जांच समिति के सामने दिया है, कहना चाहता हूं। उसमें उन्होंने माना है कि ये कार्ड मैंने अपना पता बताने के लिए उस समय के पुलिस अधिकारी को दिये थे। बाकी उन्होंने पूछा कि ढाई बजे तक क्यों नहीं आये? आप आश्चर्य करेंगे, कोचर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कहते हैं उन्होंने मुझे फोन किया उस फोन के आधार पर मैं आया किन्तु एल. सी. गुप्ता ढाई बजे तक इस सारी कमेटी को नहीं मिले। इस लिए जहां तक जप्त करने का सवाल है, सारे फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) एल. सी. गुप्ता का प्रिन्सिपल के नाम, आज तो इसमें कोई लगाया नहीं मैंने। फिर भी देखिये डा. लक्ष्मीचन्द गुप्ता, वर्किंग एज ए. पी. डी. डिप्लोमा, पी. एस. एम. रेजीडेंट स्टूडेंट, कल सुबह की ड्यूटी में मुर्दा घर में डा. एस. आर. कोचर, कम्पाउण्डर रामचन्द्र, मेहतर स्टाफ रामेश्वर तथा ओमी के साथ ड्यूटी पर थे इसी दौरान डा. एस. आर. कोचर बनी-पार्क थाना से थाना प्रभारी अधिकार श्री प्रमोद गोस्वामी द्वारा भरा गया पंचनामा प्राप्त किया, तथा मुझे तत्काल पोस्टमार्टम में सहायता करने के लिए आर्डर दिये। मेहतर ओमी हमारे साथ पोस्टमार्टम करवा रहा था। मुर्दा परीक्षण के दौरान लाश के गले पर दो रस्सी के निसान थे उसमें नीचे वाला पूरी गर्दन को घेरे था। तथा चूंकि पहले का कारित था तथा ऊपर वाला उसकी दूरी नीचे वाले से थोड़ी ऊपर थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है मृत्यु पश्चात् का निशान है। ऊपर वाला तथा नीचे वाला स्टेंगुलिंग का है। उपरोक्त सब करते करते करीब चार बज गये। डा. कोचर को भी भूख लगी थी वह भी उन्होंने लिख दिया। हम पी. जी. होस्टल में गए। मैस बन्द हो चुकी थी, खाना भी खत्म हो चुका था, हम दोनों ने मेरे भाई-साहब कोटपूतली वाले टेक्सटाइल जो कि खजाने वाले रास्ता, जयपुर स्थित है पर जाकर खाना खाया। वहां पर डा. एस. आर. कोचर शाम के 6 बजे तक बैठे रहे फिर चले गए। दुकान बन्द होने के 8. 30 बजे तक बैठा रहा फिर मैं अपनी मिसेज के साथ डा. आसेरी के बच्चे की बर्थ डे पार्टी में चला गया। मेरी मिसेज को मैंने पहले भानजे को भेजकर दुकान पर बुलवा लिया। वहां पार्टी में रात के 11. 30 बज गए थे तथा समय ज्यादा होने की वजह से व मेरा बच्चा 4 महीने का होने से जो कि हमारे साथ ही था की सेफ्टी को देखते हुए हमने फ्रेण्ड के यहां ही रुकना उचित समझा। यहां भी क्यों गए बाहर, ये भी घर पर नहीं आये। कारण मेरे घर की दूरी करीब 13 किलो-मीटर थी। गोयल साहब ने मुझे रात में फोन पर बात करने के लिए कहा पर मैं अनभिज्ञता की वजह से ही जल्दी तैयार होकर अस्पताल आया और यहां मुर्दाघर में पहुंचते-पहुंचते बाहर से ही मालूम हुआ कि मुर्दाघर के ऑफिस वाला कमरा डा. टेमाणी जी को खोलने के लिए लगाया गया है, सील होने वाला है। मैंने बाहर जाकर पब्लिक बूथ से डा. एस. आर. कोचर को जगाया, बुलाया वे तत्काल आ गये। यह है मेरे ब्रदर की दुकान स्थानीय....फिर उनसे पूछा कि कार्ड क्या है यह है मेरे ब्रदर की दुकान स्थानीय खजाने वाले रास्ते में स्थित है। कपड़े की दुकान है उसका विजीटिंग कार्ड प्रमोद गोस्वामी तथा बेरीवाल पारीक को दे रहे थे। रोजाना दुकान में कई लोग जा सकते हैं। जो व्यक्ति पर्सनल कार्ड लेकर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

आता है या देता है उस पर लेने वाले का नाम लिखकर लिख देता हूं कल की तारीख से मेरे उपरोक्त न्याती हैं दुकान का कार्ड लेकर गए हैं, यह कार्ड की तफ्तीश उन्होंने दी है।

मैं आपके माध्यम से इसलिए बताना चाहता हूं ये तो हो गए दोनों के बयान। इनको तो मैंने सताया, इनको तो डिपार्टमेंट ने संस्पेण्ड किया है, निकाला है किन्तु जो चर्चा माननीय सदस्य कर रहे थे कि चिकित्सा मंत्री ने जाकर जब्त करवाया उसका इसमें पर्दाफाश है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगे निवेदन करना चाहता हूं समिति ने प्रारम्भिक जांच करके अपना प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन दिनांक 22-12-90 को अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय को दिया। समिति ने अपनी पूछताछ दिनांक 23-12-90, दिनांक 26-12-90 को भी जारी रखी और डा. एस. आर. कोचर, डा. एल. सी. गुप्ता श्री रामेश्वर स्वीपर, श्री ओमप्रकाश स्वीपर, श्री निहालचन्द कम्पाउण्डर, डा. हुकमचन्द सेठी, डा. वी. एम. गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर फोरेंसिक मेडिसन डा. के. एस. रतनू, श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री सुभाष गोयल एवं श्री मनमोहन अग्रवाल के बयान कलमबन्द किए गए। श्री गोस्वामी, प्रभारी, थाना बनीपार्क बार-बार बुलाए जाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। समिति ने पाया कि मामले में निर्देशित प्रक्रियाओं का पालन उसके द्वारा नहीं किया गया है। डा. एल. सी. गुप्ता ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि उनके पास कपड़े की दुकान है उसका विजिटिंग कार्ड प्रमोद गोस्वामी इन्चार्ज बनीपार्क थाना एवं सब इंस्पेक्टर को साथ लेकर गया था। ये कार्ड किस उद्देश्य से दिए गए थे यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता। दिनांक 21-12-90 को उक्त दोनों व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति को विजिटिंग कार्ड नहीं देना डा. गुप्ता ने स्वीकार किया है। इस समस्त घटनाचक्र में डा. कोचर एवं डा. गुप्ता का मुझसे मिलना या उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन होने का किसी बात का कोई अवसर ही नहीं था। अतः मुझे उनको प्रेशराइज करने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जो उन्होंने अपने कलमबन्द बयान में कहा है इसलिए मैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं। वस्तुतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दोनों बात कहना चाहता हूं। इस मामले के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो मामले के मुकदमे और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है। इस पक्ष के लिए चिकित्सा विभाग का दायित्व शव परीक्षण करके जो तथ्य सामने आये उनके आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके सीधे पुलिस को सुपुर्द करना है। रिपोर्ट के आधार पर एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर निर्णय न्यायालय को देना होता है। समिति के गठन एवं उसके द्वारा की गयी जांच की इस न्यायिक प्रक्रिया से न तो दखल करना था, न इस प्रक्रिया से न्यायिक कार्यवाही में किसी प्रकार की दखल करना लिखा हुआ है।

दूसरा पक्ष सरकार की साख और व्यवस्था का है। यदि कहीं भी और किसी भी कोने में भ्रष्टाचार एवं व्यवस्था में

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

व्यवधान की शिकायत आती है तो उसे देखना सरकार का पहला दायित्व है। शिकायत रिश्वत मांगे जाने एवं रिश्वत लिए जाने पर प्रतिकूल रिपोर्ट दिए जाने के विषय में थी अतः भ्रष्टाचार के पक्ष की जांच करने और यह देखने के लिए कार्यवाही करने का मैंने निर्देश दिया था कि किसी प्रकार किसी भी पक्ष के साथ पक्षपात या अन्याय न हो। समिति द्वारा की गयी जांच और कार्यवाही केवल इसी दिशा में है और इतनी ही सीमा तक सीमित रखी गयी है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : जो 25 तारीख को रिपोर्ट आयी थी इन्क्वायरी कमेटी की वह भी पढ़ दो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पूरी पढ़ दी। बैठिये ना। घबराते क्यों हो। माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि दिनांक 21-11-90 को सायं 5 बजे थाना प्रभारी श्री गोस्वामी द्वारा शिकायत करके रिकार्ड जब्त करवा दिया। यह पूर्णतया असत्य और तथ्यों से परे है। समिति का गठन भी दिनांक 22-12-90 को किया गया था और इसी समिति द्वारा 22-12-90 को दोपहर को रिकार्ड मांगा गया था। मेरा दिनांक 22-12-90 को प्रातः काल 7 30 बजे चिकित्सालय में आना भी पूर्णतया कपोल कल्पित है। दिनांक 22-12-90 को शिकायतकर्ता ने प्रातः 7.30 बजे तक शिकायत ही पेश नहीं की थी। अतः प्रातः 6.30 बजे चिकित्सालय में आने एवं दबाव डालने की बात कहना कौनसे तथ्य हैं यह माननीय सदस्य जानते हैं। तब तक डा. कोचर एवं डा. गुप्ता दोनों ने ही दिनांक 22-12-90 को प्रातः 11.30 बजे तक तो चिकित्सालय में पुनः उपलब्ध हो नहीं हुए थे। यह कहा जाना कि मैंने सारे मामले में रेकार्ड जब्त करवाया, पूर्णतया असत्य है। तथ्य यह है कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलर द्वारा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा रेकार्ड एवं रफ नोटिस इसलिए लिए गए कि उसमें किसी प्रकार का हेरफेर बाद में न किया जा सके और सारे मामले में जो साक्ष्य हैं उन्हें टेम्पर नहीं किया जा सके। समिति ने जिस रेकार्ड एवं मैटेरियल को आवश्यक समझा, अपने अधिकार में लिया और जो कागजात और नोट्स समिति को प्राप्त हुए हैं वैसे ही पुलिस को सुपुर्द कर दिए गए। सी. आई. डी. को नहीं। सी. आई डी. हमने भी तय नहीं की। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं यहां बैठे हैं मेरी कभी कोई बात नहीं हुई वे कौनसे कारण थे वे तो गृह मन्त्री जी बतायें पुलिस को सारी जांच करने के लिए सारे रेकार्ड इस समिति ने तब पुलिस को सौंप दिए। प्रिंसिपल द्वारा गठित समिति को भ्रष्टाचार के विषय में तथा रिकार्ड में हेराफेरी न हो इस संबध में कार्यवाही करनी थी और यह कार्यवाही अगर तत्परता से नहीं की जाती तो फिर इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। मुकदमे का अनुसंधान कौन कर रहा है और उसकी प्रगति क्या है यह तो मेरे से संबंधित नहीं है और न मैंने इस विषय पर कभी किसी से बातचीत की है न किसी अधिकारी को निर्देश दिए हैं। जैसा मैं पहले कह चुका हूं अनुसंधान

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया से मेरा कोई सरोकार नहीं है और न किसी तरीके से कोई काम करो इसका नाता है। माननीय गृह मन्त्री जी से इस विषय पर कोई बात नहीं हुई और इनसे कहकर मुकदमे को सी. आई. डी. को ट्रांसफर करवाने की बात कहना नितान्त असत्य और पूर्णतया कपोल कल्पित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझको कह रहे थे चिकित्सा मन्त्री पहुंच जाते। यह चिकित्सा मन्त्री ऐसा है रात के एक बजे सूचना आई कि खून नहीं दिया जा रहा है। एक साधारण पेसेन्ट के कहने से ललित किशोर चतुर्वेदी पहुंचकर वहां खून दिलाया है अब कौनसी चर्चा करना चाहते हैं आप। आज अखबार सामने हैं सब जानते हैं मैं चिकित्सालय में कब–कब जाता हूं किन हालत में जाता हूं, लोगों को सदा सहयोग करता हूं अगर भ्रष्टाचार का मामला मेरे सामने आयेगा तो कोई भी शक्ति हो चाहे बीकानेर से आने वाले माननीय विधायक उसको बचाना चाहेंगे, रिपोर्ट होनी है, जांच होनी है, पूरा हो जायेगा, पर्दाफाश हो जायेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा। मुझे आपके माध्यम से इतना ही कहना है। मैं एक-दो और चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि यहां आरोप लगाये हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : 25 तारीख की रिपोर्ट पढ़ दो। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 25 तारीख को रिपोर्ट दी थी। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसको सदन के पटल पर रख दीजिए आप। (व्यवधान)

अभी आपने सारी चीजें पढ़ी वो भी पढ़ दें। जो 25 तारीख को इन्क्वायरी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट तो पढ़ दीजिए। सदन की मेज पर रखिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, एक घण्टे तक इन्होंने पोस्टमार्टम किया था। वार्ता की या नहीं की और इनका मत यह था कि यह आत्महत्या है। (व्यवधान)

दूसरी बात डाक्टर का कमरा और रेकार्ड एक दिन पहले सीज किए गए या नहीं किए गए। (व्यवधान)

21 तारीख की शाम को डाक्टर का कमरा और रिकार्ड सील किया है या नहीं?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कौन कह रहा है? 22 तारीख को प्रातः साढ़े ग्यारह बजे के पहले कोई रिकार्ड नहीं लिया गया....

श्री बुलाकीदास कल्ला : डॉक्टर का कमरा और रिकार्ड सीज किया है (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेतरामजी कर रहे हैं सवाल....

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है....

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइंट ऑफ ऑर्डर है ? उनको उत्तर देने दो, माननीय हेतरामजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर यह है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेतरामजी पूछ रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने सबसे बड़ी चिन्ता का विषय यह है कि एक नेपाली नौकर का, जो हमारे यहां नौकरी करते हैं, उसका मर्डर हुआ। मर्डर एक प्रभावशाली आदमी ने किया और उस मर्डर को, कुछ लोग, उसको कहते हैं कि मडर नहीं है, वह आत्महत्या है। कुछ लोग कहते हैं कि मर्डर है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह बात हम तय नहीं करेंगे यहां पर, न्यायालय तय करेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं तय करने की बात नहीं कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं नहीं कर रहा हूं....

श्री हेतराम बेनीवाल : महावीरजी, मेरी बात सुन लीजिए। आप किस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अदालत तय करेगी उसको (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर क्यों बोल रहे हैं ? एक तरफ वाले बोल रहे हैं कि मर्डर नहीं है, यह... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिए। मैं यह कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिकायत कुछ नेपाली परदेशी लोगों ने की कि हमारे बच्चे का मर्डर कर दिया, चाहे वह मर्डर था या नहीं था। शिकायत की सरकार के पास, पुलिस के पास। उसका पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में यह रिपोर्ट आ गयी कि वह आत्महत्या नहीं थी, वह गला घोटा गया था मरने से पहले, अगर यह रिपोर्ट आ गयी, सिर्फ एक ही सबूत है उस मर्डर का अगर हम उसको, सेठ को कुछ सजा देना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक सबूत है और वह सबूत है– डाक्टर की रिपोर्ट। डाक्टर की रिपोर्ट, मैं कहता हूं कि डाक्टर पूरे इस तरह के हैं, बिल्कुल चतुर्वेदीजी की बात सही है कि जिस तरह उन्होंने वर्णन किया है उसी तरह से लोगों से पैसा एंठते हैं, यही करते हैं और मैं गंगानगर जिले का होते हुए कह सकता हूं कि 90 प्रतिशत केसेज में डाक्टर यही करते हैं। बिल्कुल, इसी तरह से, पर एक बात मैं हाउस से कहना चाहूंगा कि जो डाक्टर इस तरह की बात करते हैं रिपोर्ट्स में, इस केस के अन्दर हम यह साबित कर दें सारे मिल कर इस हाउस के लोग कि

(श्री हेतराम बेनीवाल)

डॉक्टर बेईमान है, फर्जी रिपोर्ट बनाते हैं तो मर्डर का केस खत्म। उन लोगों के साथ, जो बेचारे नेपाली यहां नौकरी करते हैं, जो नेपाली मारा गया, उसके न्याय के लिए हमारे पास सबूत क्या रह जायेगा, कोई नहीं। इसलिए मुझे आपसे यह कहना है कि इस मामले में चतुर्वेदीजी ने जो कहा कि मैं डॉक्टरों की जांच करवा रहा हूं डॉक्टर बेईमान है, भ्रष्ट है, सब कुछ ठीक है पर जिन डॉक्टरों ने वह रिपोर्ट दे दी, अगर बोर्ड ने उसको सही मान लिया तो मेरा एक निवेदन है सारे हाउस से कि उस न्याय पक्ष को, जो नेपाली लोगों ने हमारे राजस्थान की सरकार से मांगा है, बचाने का एक ही तरीका है कि हम इसको बचा लें। अगर हमने इसको जोर दिया और हमने यह साबित कर दिया इस बात के सहारे, हाउस के अन्दर यह तय करके, अखबारों में तय करके, सारी जगह इसका प्रचार करके कि यह डॉक्टर्स जो हैं इस तरह के लोग हैं, फर्जी रिपोर्ट बनाते हैं, वह सच्ची रिपोर्ट भी उस केस को बचा जायेगी। मुझे आपसे यह निवेदन करना है ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही सबूत है, और कोई गवाह नहीं है, इसलिए इस सबूत को बचाये रखा जाय, चाहे कोई भी हमारी स्थिति हो। मुझे चतुर्वेदीजी से भी यही कहना है कि वह इस केस में, उस मामले में उन डाक्टरों को सजा दिलाते वक्त, सारा कुछ करते वक्त उन फैक्ट्स को, जो आ गये हैं, उन फैक्ट्स को उसी कमेटी के रिकार्ड में रखें....

डॉ. हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मुख्य मंत्रीजी की नालेज में एक बात लाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र व्यास को बोलने दीजिए। व्यासजी, अब आपका रिप्लाई है....

डॉ. हरिसिंह : एक बात लाना चाहता हूं। देखिए, पूरे इस संदर्भ में चलिए कि पोस्टमार्टम हो रहा है, नेगोशियेन्स चल रहे हैं, उधर टेपिंग हो रहा है, इधर रात को डाक्टरों को ढूंढ़ रहे हैं, यह सारी गतिविधियां यह शो करती है कि सारे के सारे इन्वाल्व थे। सारा अननेचुरल मामला है। फिर एक एप्लीकेशन आती है ललितकिशोर जी के पास में, वह भी एक ऐसी मनगढंत सी एप्लीकेशन है तो इसमें संदिग्धता कई बातों में है that is a subject matter of enquiry.

लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी से एक बात कहना चाहता हूं कि मर्डर था, उसकी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है और उसमें कौन-कौन लोग इसको बचाने में है? चाहे हो सकता है कि ललितजी भी हो, मैं नहीं कह सकता आपकी जानकारी में नहीं होगा आपको भी साजिश में लिया गया है, आपको गुमराह किया गया है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हमारे ऊपर तो आरोप लगा दिया सुरेन्द्र जी ने।

श्री उपाध्यक्ष : हां, गुमराह किया गया है।

डॉ. हरिसिंह : आपको गुमराह किया गया है, मैं यह नहीं कहता कि आप साजिश में शामिल हैं लेकिन यह गुमराह करके जो

(डॉ. हरिसिंह)

ऐसी बात सामने आ गई, एक ही बात है, इस मर्डर को उजागर करने के लिए पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट के अलावा there is no evidence.

और पोस्टमार्टम एवीडेन्स को अगर संदिग्धता के घेरे में ले आते हैं तो अदालत में मुलजिम बच जायेंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

डॉ. हरिसिंह : मुख्य मंत्रीजी इस बात की....

श्री भैरोंसिह शेखावत : डॉक्टर साहब, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं मैं तो डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि अभी चिकित्सा मंत्रीजी ने जिस प्रकार डोकुमेंट्स के आधार पर आपके सामने बात कही है, यदि आप मंत्री होते और इस प्रकार की शिकायत होती तो आप क्या करते? व्यवधान

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : यह तो डॉक्टर से पूछते ..

डॉ. हरिसिंह : मैं क्या करता? आप मुख्य मंत्री हैं, आप क्या करते?

श्री भंवरलाल शर्मा : आपसे राय लेकर करते....

एक माननीय सदस्य : यह डॉक्टरों से पैसे ले लेते।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय....

डॉ. हरिसिंह : डाक्टरों से पैसे कौन ले लेता, यह बात किसने कही?

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला सदन....

डॉ. हरिसिंह : नत्थीसिंहजी, बैठिये। यह बात किसने कही कि डॉक्टरों से पैसे ले लेते। यह+++इस सदन में मेरे खिलाफ में चार्ज लगाने की किसकी हुई?

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, आपके लिए नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, आपके लिए कोई चार्ज नहीं है। माननीय सदस्य, आपके खिलाफ कोई नहीं बोला है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अपन तो एक ही हैं। कोई चरित्र वाले को पूछता नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटीर छवाय, ऐसे नहीं हैं जो भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयत्न कर सकें।

श्री नत्थीसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं एक सवाल ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप आत्म-हत्या के मामले को खुले आम हत्या में

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बदलना चाह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

एक माननीय सदस्य : आप क्या बोलेंगे अभी, कोई बाकी रह गया क्या आप का भी ? (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जांच में प्रूव हो चुका है कि उसके दोषी हैं मिस्टर कल्ला ।

श्री नत्थीसिंह : सदन के सामने जो तथ्य आये हैं वह मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही और मंत्रीजी ने कही, यह बात सही है कि अगर कोई शिकायत कहीं भ्रष्टाचार की आती है तो मंत्रीजी उस पर जांच करें, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, दण्ड दें, कोई बात नहीं है। लेकिन दो तरह के मामले हैं। एक तो भ्रष्टाचार की शिकायत डाक्टर के खिलाफ और दूसरा–एक गरीब आदमी मरा है उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या, यह सवाल। और हत्या जब हुई है, एक बात यहां बार-बार कही गई है कि जो रिपोर्ट असल में दी गई है पोस्ट-मार्टम की 25 तारीख को, वह क्या है ? उसे किसी तरह आत्महत्या नहीं बनाया जाय, गरीब आदमी का अगर मर्डर हुआ है तो वह किसी तरह से इस विवाद के कारण सारा मामला गड़बड़ नहीं हो जाय इस सम्बन्ध में मंत्रीजी ने नहीं बताया कि 25 तारीख की रिपोर्ट क्या है, डॉक्टरों का कन्क्लूजन क्या है, उन्होंने स्ट्रेंग्युलेशन से डैथ मानी है या उसको आत्महत्या माना है ? यह बात भी साफ आनी चाहिए यहाँ पर।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो बातें पूछनी हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने दो पत्र पढ़ कर सुनाये डाक्टरों के और एक पत्र पढ़ कर सुनाया मदनमोहन अग्रवाल का। यह दोनों पत्र ही अपने आप में संदिग्ध हैं। सही मायने में मदनमोहन अग्रवाल का जो पत्र है वह भी इस बात को साबित करता है कि वह भी गिल्टी लग रहा था या डरा हुआ था। रात को ग्यारह-बारह बजे उसका डाक्टर से मिलने जाना और उधर से कालीचरणजी सराफ से सिफारिश कराना, इसका मतलब क्या है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संदिग्ध मामला है ... .. (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : क्या सिफारिश करवाना चाह रहे थे, कोई प्रूफ है क्या ? आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है ?

श्री उपाध्यक्ष : सराफ साहब, आपको मौका मिलेगा।

श्री कालीचरण सराफ : नहीं--नहीं, मेरे को बोलने दीजिए आप।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप अपनी बात बोलें तब बोलें।

श्री कालीचरण सराफ : यह क्या बार-बार कह रहे हैं कि सिफारिश कराई,

(124)

(श्री कालीचरण सराफ)

सिफारिश करवाई, कैसी बात कर रहे हैं आप ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से यह कहना है ...

श्री कालीचरण सराफ : आपके पास कोई प्रूफ है क्या ? कालीचरण सराफ ने जो सिफारिश करवाई उसका कोई प्रूफ है क्या आपके पास ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप अपनी बात कहें....

श्री कालीचरण सराफ : कोई प्रूफ है क्या आपके पास ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से यह निवेदन करना है कि अगर मदनमोहन अग्रवाल ने उस नेपाली नौकर का मर्डर नहीं किया या करवाया नहीं तो उसे डरने की आवश्यकता क्या थी ? उपाध्यक्ष महोदय, उस पत्र से और डाक्टर से बार-बार मिल कर सौदा तय करते, वह भी इस चक्कर में थे कि कैसे न कैसे मेरे ऊपर मर्डर नहीं लग जाय तो इसका मतलब कहीं न कहीं गिल्टी कांशस उसकी भी थी। यह साबित करता है कि मदनमोहन अग्रवाल भी गिल्टी कांशस में आते हैं। दूसरी बात, जहां तक डाक्टर्स का प्रश्न है निश्चित तौर से यह डाक्टर्स रिश्वत लेने की साजिश में लगते हैं। इसमें कहीं शंका नहीं है। इन दोनों पत्रों के पढ़ने मे निश्चित तौर से लगता है कि डाक्टर्स रिश्वत लेने में थे और वह रिश्वत लेने के लिये प्लान्ड वे में जिस ढंग से घर से भागे हैं और रात को नहीं ली, स्वास्थ्य मंत्रीजी की बात से सहमत हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात से सहमत हूं कि निश्चित तौर से डाक्टर भी इसमें गिल्टी हैं और रिश्वत लेना चाहते थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने मामला एक ही है। एक तरफ किसी नेपाली आदमी की हत्या हुई या नहीं हुई है या आत्महत्या की है। आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से निश्चित तौर से यह साबित हो गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह हत्या है। आज सदन में यह मामला उठाने का मतलब यही है कि नेपाली लड़के की हत्या के मामले को दबाया नहीं जाय। यह मामला संदिग्ध इसलिये हो गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से कार्ड का जिक्र किया स्वास्थ्य मंत्रीजी ने, कार्ड किसको दिया गया ? पुलिस के आदमी को। और पुलिस वाले ने कार्ड दिया मदनमोहन अग्रवाल को। इसका मतलब यह है कि सारा भ्रष्टाचार पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल जूरिस्ट से मिलकर हो रही है। मतलब यह कहा जाय, मेडिकल जूरिस्ट और पुलिस का जो अधिकारी है वह दोनों मिल कर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं दोनों शामिल हैं। इसलिये ललितजी ने जो बात कही है कि राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है, सही मायने में पुलिस और डाक्टर दोनों रिश्वत ....(व्यवधान)

खाना चाहते थे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जो अभी इन्होंने बड़ी ताल ठोककर कहा कि....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जैसे करौली के डाकुओं के बारे में कोई इन्टरप्रिटेशन हो रहा हो।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सही मायने में डाक्टर्स की एजेन्ट भी पुलिस है, पुलिस के एजेन्ट डाक्टर हैं। दोनो मिल कर यह काम करना चाहते थे। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कहना यह है कि हम न तो डाक्टर को बचाना चाहते हैं, न हम मदनमोहन अग्रवाल के फेवर में हैं। यह शंका जिस प्रकार की पैदा हुई है वह माननीय कालीचरणजी सराफ के साथ लगने से हुई है। क्योंकि वह उसको बचाना चाहते हैं, क्योंकि मदनमोहन अग्रवाल लगता है कि मर्डर में है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आपके माध्यम से कहना है कि उस नेपाली लड़के का जो मर्डर साबित हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो और उसको सजा मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ कृपया शांत रहें। सराफ साहब बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में बार-बार मेरा नाम लिया गया है। अब मैं करौली से आने वाले माननीय सदस्य को यह पूछना चाहूंगा कि करौली में कोई इस प्रकार का हादसा हो जाय और करौली का कोई नागरिक या वोटर आपके पास आये और आपको यह जानकारी दे कि इस प्रकार का मामला... (व्यवधान) आप बैठ जाइये, एक मिनट, बैठ जाइये।

इस प्रकार का मामला मेरे साथ हुआ है और आप उसकी जानकारी सम्बन्धित मंत्री को दें तो इसमें कहां तो उसमें प्रभावित करने वाली बात आ गई, कहां सिफारिश करने वाली बात आ गई? आप ही बता दें, मैं जयपुर शहर का विधायक हूं, जयपुर शहर का कोई नागरिक मेरे पाय आयेगा, मुझे यह जानकारी देगा, मेरे से इस प्रकार से एक लाख रुपया मांगा जा रहा है तो क्या मेरा यह कर्तव्य नहीं है कि मैं इसमें स्वास्थ्य मंत्रीजी को जानकारी दूं। और स्वास्थ्य मंत्रीजी जब मुझे यह कहें कि इस प्रकार की जानकारी आप टेलीफोन पर दे रहे हैं, उनको मेरे पास लेकर आइये, लिखित में वह शिकायत मुझे दें तो उसके बाद मैं कार्यवाही करने की सोचूंगा। तो क्या मैं उसको वहां नहीं ले जाऊं? मैं उसको वहां पर ले जाऊं और शिकायत दर्ज करवा दूं और आप कह रहे हैं कि सिफारिश करवा दी, मैनुपुलेशन कर लिया। मैनुपुलेशन तो किया है सुरेन्द्र व्यास जी ने जो यहां पर गलत रिपोर्ट के आधार पर कहा कि रिकोर्ड जब्त पहले दिन ही कर लिया। शर्म नहीं आयी इनको। मैं तो इनकी इज्जत करता था कि यह बहुत बड़े वकील हैं पर आज मुझे लगता है इस प्रकार का चरित्र + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चुनौती देना चाहता हूं....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो असंसदीय शब्द इस्तेमाल किये हैं इनको एक्सपंज किया जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कृपया संसदीय भाषा का प्रयोग किया जाय।

श्री कालीचरण सराफ : मेरे बारे में कहा है तो मेरे को कहना पड़ेगा। मैं चुनौती देना चाहता हूं आदरणीय सुरेन्द्रजी व्यास और बी. डी. कल्ला साहब को, यदि रिकार्ड पहले दिन जब्त किया गया हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और दूसरे दिन जब्त किया गया तो यह इस्तीफा दे दें। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जायगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी व्यास। माननीय सुरेन्द्रजी व्यास। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट। हमारा नाम लेकर बात कही गई है।

श्री उपाध्यक्ष : सुरेन्द्रजी व्यास बोलेंगे पहले।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इस मैनुपुलेशन में सहयोगी रहे है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बी. डी. कल्ला इसमें सहयोगी रहे हैं। सारे मैनुपुलेशन में। इस्तीफा इनको देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिये। (व्यवधान)

माननीय महावीरजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जानकारी के अनुसार 22 तारीख को रात को दो और तीन बजे के बीच में, रात को 12 बजे बाद वह तारीख बदल जाती है, 22 तारीख को दो और तीन बजे ए. एम. पर....

श्रीमती उजला अरोड़ा : रटाया हुआ बोल रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : डाक्टर का कमरा और रिकार्ड सीज किया गया ऐसी जानकारी हमारी है।

श्री कालीचरण सराफ : असत्य जानकारी है। आप सदन को गुमराह करना चाहते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हास्पिटल में हमने जो इंक्वायरी की है उसके आधार पर हमारी रिपोर्ट यह है। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री का हास्पिटल में जाना और डॉक्टर के साथ वार्ता करना, डॉक्टर वार्ता में यह कहे कि यह हत्या का मामला है, मंत्रीजी उनको आत्महत्या के रूप में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने के लिये दबाव दें, यह अपने आप इनके आचरण को स्पष्ट

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

करता है कि इन्होंने दबाव की राजनीति का इस्तेमाल किया है। फिर रिकार्ड आपने कभी भी सीज किया, रिकार्ड सीज करने का अधिकार उनको है ही नहीं। यह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट यहां सदन में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये कल्ला साहब। बिराजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो 25 तारीख को फाइनल इंक्वायरी की रिपोर्ट है उसको, उपाध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर रखा जाय। उसको पढ़ा जाय कि उसमें क्या तथ्य है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपका कथन कहां साबित होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्रजी व्यास। माननीय सदस्य, बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : कालीचरणजी सराफ ने जो इनके ऊपर आरोप लगाया है यह इसको स्पष्ट नहीं कर रहे है।

श्री कालीचरण सराफ : मैंने जो आरोप लगाया है उनको स्वीकार करें या माफी मांगे सदन से।

एक माननीय सदस्य : यह लाखों रुपये लेकर डॉक्टरों को बचाना चाह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी व्यास। कृपया शांत रहिये। कृपया शांत रहें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन डॉक्टरों से लाखों रुपये लेकर....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि जैसे उन सेठों से लेकर उनको बचाने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मदान साहब कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री केदारनाथ शर्मा : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन।

एक माननीय सदस्य : जैसे उस सेठ ने बी. जे. पी. के अधिवेशन में चंदा दिया हो।

श्री केदारनाथ शर्मा : मान्यवर, हम लोग यहां बैठकर जब भी किसी की इंटेग्रिटी या उसके क्रेडेंशलस पर कोई चार्ज लगायें तो बड़ा सोच समझ कर लगाना चाहिये। क्योंकि यह केस हरेक के खिलाफ हो सकता है। जो केस माननीय व्यासजी ने पुट अप किया सैक्शन 201 के तहत कि माननीय ललितजी ने एवीडेंस को डिसएपीयर करने के लिये या एवीडेंस को डेमेज करने के लिये इन्होंने अपने आपको वहां पेश किया, इससे साबित नहीं होता है। यह साबित नहीं होता है कि जो नोट्स माननीय कोचर साहब के पास थे उनकी क्रेडिटिबिलिटी को इम्पीच करने के लिये माननीय

(श्री केदारनाथ शर्मा)

ललित जी का डायरेक्ट इन्वाल्वमेंट साबित नहीं होता है। अब कन्फ्यूजन हम क्रियेट नहीं करें। माननीय व्यासजी को यह कहता हूं, डॉक्टर्स ने क्या किया। चार बजे पोस्टमार्टम कर दिया। नोट्स अपने पास रख लिये। दूसरे दिन तक पेश नहीं किये। पेश जब किये जब इंक्वायरी कमेटी आपने नियुक्त कर दी। तो यह इनकी मंशा तो साफ हो गई, वह कुछ गड़बड़ करना चाहते थे। कमेटी क्या करती है, मान्यवर। कमेटी के पास क्या था जब लाश का तो संस्कार हो गया। कमेटी तो केवल उन नोट्स पर, पोस्टमार्टम और फोटोज जो ली हैं उन पर अपनी रिपोर्ट डिपेण्ड करेगी और कोई उनके पास रास्ता नहीं था। वह रिपोर्ट हमारे सामने आ जाय। तो माननीय व्यास जी को मैं कहूंगा इसमें एलेज मत करें, माननीय ललितजी को इसमें एलेज ज्यादा न करें। यह फारफेच्ड होगा कि माननीय ललितजी को हम डायरेक्ट इन्वाल्व करें। और कनफ्यूजन क्रियेट करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन यह है कि जो रिपोर्ट चार आदमियों ने दी है और उसमें स्ट्रैंगुलेशन केस है तो कत्ल का बना कर उसका चालान करना चाहिये।

श्री नत्थीसिंह : वह रिपोर्ट आयी कैसे यह बता दें (व्यवधान)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन संबंधी सूचना

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दो वित्तीय समिति-राजकीय उपक्रम समिति वर्ष 1991-92 तथा प्राक्कलन समिति (क) 1991--92 के निर्वाचन के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है जो कि इस प्रकार है :— मनोनयन वापिस लेना 26-3-91 को 3 बजे तक। मतदान यदि आवश्यक हुआ 27-3-91 मध्याह्न पूर्व 11 बजे, मतदान होगा 3 बजे। मतपत्रों की गणना 27-3-91 को मध्याह्न पूर्व से लेकर 3 बजे तक। माननीय मदेरणाजी।

निन्दा प्रस्ताव

सामान्य लोक हित के विषय पर चर्चा

श्री परसराम मदेरणा : आपके पास में जब रिश्वत की शिकायत आयी कि यह मामला भ्रष्टाचार का है और आपने एक जांच कमेटी के आदेश उप सचिव को दिये। यह आपने स्वयं ने आदेश पास किये। कुछ भी हो लेकिन 22 तारीख को जब आप इंटेंसिव केयर में गये तब नीचे आते वक्त डॉक्टर्स ने आपको काफी लेने के लिए आग्रह किया और जिस चेंबर में आप बैठे हुए थे उसमें पूरी की पूरी जांच कमेटी और साथ में डॉक्टर्स....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह इन्क्वायरी, कमेटी डॉक्टर्स के साथ उस प्रिंसिपल रूम मे आयी। उनको ढूंढ रहे थे। वहां इन्क्वायरी कमेटी नहीं थी........

श्री परसराम मदेरणा : आपकी बात आप जोर-जोर से कभी माइक्रोफोन से इधर हो रहे थे, कभी उधर हो रहे थे इसलिए मुझे फैक्ट्स पूरे सुनाई नहीं दे रहे थे... यह बात तो निश्चित है कि डॉक्टर कोचर जहां आप काफी ले रहे थे, कोचर वहां पर आये और उन्होंने अपनी जेब से

(श्री परसराम मदेरणा)

वह नोट्स निकाल करके आपके सम्मुख रखें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ऐसा है, एक मिनट बिराजें। बाहर का एक कमरा है और एक अन्दर कमरा है, हम अन्दर कमरे में काफी पी रहे थे प्रिंसिपल साहब के साथ बैठ कर। बाहर के कमरे में वह कमेटी उनके साथ आयी। काफी पीकर जिस समय जाने लगा, वह चारों वहां बैठे थे, चर्चा हो रही थी उस समय बातचीत के आधार पर उन्होंने नोट पकड़ ये कि यह रफ नोट्स हैं इनको मैंने शव परीक्षण के बाद लिखा है। यह मेरे ध्यान में आया बस।

श्री परसराम मदेरणा : आपके सामने नोट्स देने की आवश्यकता, इन्क्वायरी कमेटी दूसरी थी फिर तो इन्क्वायरी कमेटी में आप स्वयं इन्क्वायरी कर लेते तो नोट आपके सामने आ जाते। वह नोट आपके सामने वहां प्रस्तुत कर रहे थे इससे मुझे डाउट होता है कि मिनिस्टर जांच नहीं करता। मिनिस्टर ने एक इन्क्वायरी कमेटी कांस्टीट्यूट कर दी। उसका परपज है वह कौन से नोट ले रहा है, कौन से नहीं ले रहा है लेकिन आपके सम्मुख नोट प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस नोट्स को जो हैं रिपोर्ट फाइनल बन करके रजिस्टर में एन्टर किया है कि नहीं किया है या वह नोट ही अभी तक चल रहे हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह नोट पुलिस विभाग को भिजवा दिये गये हैं। फिर उन नोट्स के आधार पर अपनी जो फाइंडिंग्स हैं। उस डाक्टर ने जो लिखी थी, उसमें जो कान्क्लूजन ड्रा किया है वह दूसरे महीने की पांच तारीख को भिजवाया है उसे भी पुलिस में भिजवा दिया गया है। डाक्टर कोचर ने 5-2-90 को रिपोर्ट दी है इस रिपोर्ट में मृत्यु **Asyphixia due to strangulation by means of legiture.**

बताई गई है। यह पांच तारीख को बताई है जो पुलिस को भिजवा दी। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय के ऊपर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जो यहां पर चर्चा हो रही है। लगता ऐसा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम होना चाहिए वह हो रहा है। इसकी अपेक्षा ध्यान इस पर केन्द्रित होना चाहिए था कि क्या माननीय ललितकिशोर जी चतुर्वेदी ने किसी प्रलोभन में आकर के या किसी दबाव में आकर के इस केस को दबाने की कोशिश की या नहीं की। सदन के सामने जो मुख्य मुद्दा विचार करने का है वह यह नहीं है कि इसमें गबन किया गया या किस का उत्तरदायित्व है। यहां पर जो निन्दा प्रस्ताव लाया गया जो सदन के सामने विचारणीय है वह केवल मात्र यह है कि क्या इस केस को दबाने में माननीय ललित किशोर जी ने किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर के कोई कार्यवाही की या नहीं की लेकिन लगता यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर जो सदन पोस्ट-

(श्री अर्जुनदास मदान)

मार्टम कर रहा है वह विचार इस समय नहीं है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए मारे फैक्ट्स सदन के सामने आ गये 21 तारीख को, उस आदमी बहादुर की मृत्यु हुई और 21 तारीख को पोस्ट मार्टम के बाद उसके वारिसों को लाश सौंप दी गई। यदि उस समय भी कोई सबजेक्ट था यदि किसी प्रकार के कोई ऐसे व्यक्ति या उसके रिश्तेदार सोचते थे कि यह केवल मात्र आत्महत्या का मामला नहीं है बल्कि एक मर्डर का मामला है तो उसी समय उसकी रिपोर्ट करा सकते थे। अब माननीय एक सवाल आता है कि जब मंत्री महोदय के पास 21 वाला केस 22 को रिपोर्ट किया गया और 22 को रिपोर्ट होने के बावजूद माननीय कालीचरणजी के टेलीफोन पर उन्होंने कार्यवाही प्राप्त की तो यह जो माननीय सदस्य व्यास जी महाराज या दूसरे बन्धु कह रहे हैं उन पर मूल प्रश्न यह होता है कि क्या माननीय ललित किशोर जी को 21 तारीख को कोई इन्वाल्वमेंट था क्या और यदि इन्वाल्वमेंट नहीं था तो 22 तारीख को कोई भी व्यक्ति, अब मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता, सभी आदमी जाते हैं। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि जैसे अभी आपके सामने टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि दुर्भावना से प्रेरित होकर यह सवाल उठाया गया है। मुझे भी यह लगता है कि दुर्भावना से प्रेरित होकर यह सवाल उठाया गया है और मैं उस पर केवल मात्र एक उदाहरण दे देना चाहता हूं मुझे कहना तो नहीं चाहिए था किन्तु लगता है यह कि दुर्भावना से प्रेरित होकर यह मामला उठाने का केवल मात्र कारण एक ही है कि माननीय व्यास जी के जीजाजी गंगानगर में डाक्टर हैं, वरिष्ठ हैं वह, और उससे पहले वह कोटा में भी थे....(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इस बात पर क्यों नहीं जायें। जैसा यह कह रहे हैं कि दुर्भावना प्रेरित है, मैं उसके ऊपर जा रहा हूं....

श्री कालीचरण सराफ+++

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय मैं जब तक किसी को पकड़ न लूं या जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी न हो जाय, मैं किसी को भ्रष्ट नहीं कहता। मैं व्यास जी को भी भ्रष्ट नहीं कह रहा हूं। मैं तो केवल मात्र यह कहता हूं कि कभी–कभी, यदा-कदा आदमी अपनी मर्यादाओं के बीच में कोई काम नहीं कर सकता। मैं इस बात के दो सबूत दे सकता हूं कि व्यास जी महाराज किसी काम को लेकर माननीय ललित जी के पास गये और वह अपनी मर्यादाओं, सीमाओं के अन्तर्गत इनके कहने के मुताबिक उस काम को नहीं कर सके। और एक बार वह गये, इनको किसी काम से जाना था और जब यह जा रहे थे, जिस अपेक्षा से वह गये थे कि मंत्री महोदय कार से बाहर निकल कर मुझे ले जाएंगे,

---

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अर्जुनदास मदान)

ड्राइंग रूम में बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे। कार्य में व्यस्त होने के कारण इन्होंने इतना समय नहीं दिया जितनी अपेक्षा करके गये थे और जो काम लेकर गये थे- वह यह भी जानते हैं, मैं सदन में उस बात को नहीं कहना चाहता। क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं की गई। इस कारण उस दुर्भावना के अभिभूत और प्रेरित होकर के व्यास जी ने आज यह प्रश्न रखा है, नहीं तो उसके पीछे कोई दूसरा कारण है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यासजी। कृपया शान्त रहिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : सदन को गलत जानकारी दी उसके लिए इनसे माफी मंगाइये। गलत गुमराह किया जा रहा है सदन को। सदन को गुमराह किया गलत जानकारी देकर के... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सराफ साहब, आप इनके जज नहीं हैं जो इनको आदेश देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इतनी बड़ी बात बिना तोल के, बिना जानकारी लिये कह दी इन्होंने। किसी के लिए कोई भी कुछ कह दे। पूरे सबूत के अभाव में जो बात कही और गलत कही उससे माफी मांगनी चाहिए इनको। माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष जी, यह हत्यारों को बचा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, फिर तो परम्परा पड़ जाएगी कि चाहे जो चाहे जिसके खिलाफ और अधकचरी जानकारी पर बोल देंगे इसलिए माननीय व्यासजी को खेद व्यक्त करना चाहिए।

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहूंगा कि इन्होंने सदन में गलत जानकारी दी यह बात सिद्ध हो गयी। इन्होंने सदन को गुमराह किया यह सिद्ध हो गया....

एक माननीय सदस्य : कालीचरणजी सराफ की वजह से हुई है सारी गड़बड़ी।

श्री कालीचरण सराफ : अब इनके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है, यह माफी मांग रहे हैं या क्या, यह बताइये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यासजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने, जो चतुर्वेदीजी ने दोहराई उन बातों का जवाब देना तो उचित नहीं समझता....

इस बात का क्या तो जवाब होगा कि यह कहते हैं कि मैं श्री ललित किशोर जी से उम्मीद करता था कि मुझे गाड़ी में बैठाये। ललित किशोर जी ने गाड़ी नहीं देखी, जब से गाड़ी में बैठता हूं। यह कोई बात हुई कि हाउस में करने की। आप इश्यु की बात क्यों नहीं करते हो ? इनको चाय नहीं पिलाई, इनका काम क्यों नहीं कराया... (व्यवधान)

यह बिलकुल इर्रिलेवेन्ट बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, इनको जवाब

(श्री उपाध्यक्ष)

देने का मौका दिया गया है। यह जवाब देंगे। कृपया शांत रहे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : कालीचरणजी कह रहे हैं मैं भ्रष्ट हूं। यहां मेरा आचरण डिस्कस नहीं हो रहा है अगर मैं कोई गलत बात कही हो, अगर मैं गलत काम करता हूं, नियमों में प्रावधान है, आप मेरे खिलाफ मोशन लाइये। यह तरीका नहीं होता कि भ्रष्ट हूं। मैं काहे का भ्रष्ट हूं। आप एम. एल. ए. है इसलिए आपको स्पेयर किया हुआ है, आपको अटैम्प नहीं किया क्योंकि मंत्री का आचरण सीधा-सीधा गवर्नमेंट होता है। इसको थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिये। एम. एल. ए. तो जैसे कालीचरण जी सराफ एम. एल. ए. है, वैसे मैं भी एम. एल. ए. हूं। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मोशन मूव करने से पहले यह बात स्पष्ट रुप से कही थी कि

I do not hold brief for the doctors.

आपके पास शिकायत थी, आपने कार्यवाही की। मैंने बड़ी विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की थी कि यह दो मसले अलग हैं। डाक्टर का आचरण, डाक्टर का पैसा मांगना, आप की कार्यवाही करना, यह अलग मामला है और डाक्टर्स के नोट्स। उपाध्यक्ष महोदय,

all the details of the postmortem observed by the medical officer should be carefully entered on the spot by himself, in the postmortem report or in a note book which can be used as evidence in a legal enquiry.

यानि नोट्स बनाने की जो मेडिकल ज्यूरिस प्रूडेस में लिखा हुआ है, इनका एथिकल रिक्वायरमेंट है, नोट्स बनाने पड़ते हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यासजी। माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने जो बातें कहीं है, उनके अगेन्स्ट में या यों कहना चाहिये,

otherwise, all the story has been narrated very well.

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनको सब तरह की रिप्लाई देने का अधिकार है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने इर्रिलेवेन्ट बातें कहीं है, मैं उनका जवाब नहीं दूंगा। कोई रिलेवेन्ट बात नहीं है, जिसका मैं जवाब दूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि इन दोनों डाक्टर्स का वकालतनामा आदरणीय विधायक सुरेन्द्र व्यास का लिखा हुआ है, इसका जवाब दीजिये? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह मना कर चुके हैं, नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह ईमानदारी से बता दें, अगर यह ईमानदार हैं तो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन+ + +को मना करो कम से कम। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह जो मोशन है, वह सीधा-सीधा यह है कि जो मर्डर के एवीडेन्स जो नोट्स थे, इनकी क्रेडिटिबिलिटी मन्त्री महोदय ने इम्पीज की है, अब यह अनावश्यक इर्रिलेवेन्ट बातें कर रहे हैं, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। (व्यवधान)

नहीं, नहीं, वह बेवकूफी की बात है कि वकालतनामा लगा दिया। मुख्य मन्त्री जी इनको समझाइये ना। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : आपने वकालतनामा लिया है या नहीं लिया?

श्री महावीर प्रसाद जैन : समिति के सामने यह मामला विचाराधीन है। यह अपनी आदत से मजबूर है, उपाध्यक्ष महोदय। इनको खुद को पता नहीं है। (व्यवधान)+ + +

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में जो भी कहना चाहें, कहिये। इस मुद्दे पर 3 घंटे हो चुके हैं। आपको बोलने की स्वतंत्रता है। कृपया शांत रहें। इनको जवाब देने का अधिकार है। इनको जवाब देने दीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, बोलेंगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पंचनामा पोस्टमार्टम के बहुत पहले तैयार किया गया था। वह मन्त्री जी ने स्वयं ने देखा है। पंचनामे में सीमन की प्रजेंस इस बात का द्योतक है कि कोई आदमी स्यूसाइड करने से पहले सेक्स में इंडल्ज नहीं होगा। सेक्स में पकड़ा जायेगा तो डेफिनेटली मोटिव बनता है, उसका स्ट्रंगुलेट कर दिया जाय। स्ट्रंगुलेट करने के बाद में उसको हैंग कर दिया। ब्लड के स्पाट दो जगह मिले हैं।.... (व्यवधान)

नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह जवाब नहीं दिया है। यों ही जवाब दे दिया। (व्यवधान)

डाक्टर का कंडक्ट किसके थ्रू हो रहा है? डाक्टर ने पैसे मांगे, फांसी लगाओ उसको। सवाल यह है कि ललित किशोर जी ने क्या किया, स्वास्थ्य मन्त्री जी ने क्या किया? वह जो पोस्टमार्टम के नोट्स थे, जो फुली कोरोबोरेटेड थे, पंचनामे से और फोटोग्राफ। इस बात पर आप जोर से+ + +

एक माननीय सदस्य : नहीं तो वह चिकित्सा मन्त्री ने बताया है क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : 21 तारीख को सीज हुए या 22 तारीख को सीज हुए, यह कैसे महत्वपूर्ण है, उपाध्यक्ष महोदय?

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(134)

श्री उपाध्यक्ष : यह सारा रिकार्ड पर आ चुका है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण बात यह है कि डाक्टर उस नोट्स के साथ टैम्परविथ कर सकता था क्या ? वह स्थिति आयी थी। उसने कैमरा मेडिकल ज्यूरिस्ट में भिजवा दिया था। 21 को सीज नहीं हुआ, तो 22 को हो गया होगा। क्या फर्क पड़ता है उससे ?

एक माननीय सदस्य : आप तो बात को लिगर आन कर रहे है, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। (व्यवधान)

यह बार-बार सदन को गुमराह कर रहे हैं। इनके तथ्य में कोई सही बात है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यासजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को जांच कमेटी बिठाने का अधिकार नहीं था ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : किस बात की जांच (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे ; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांच कमेटी बिठाई है उन्होंने। जांच करने के लिए उन्होंने प्रशासन को कह दिया। यह अधिकार है ना स्वास्थ्य मन्त्री जी को। (व्यवधान)

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी को नोट्स कलेक्ट करने का किसी भी तरह का अधिकार है ? (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय गोविन्द सिंह जी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरे प्रकरण में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। सदन का काफी समय इसमें पूरा हो गया है। अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होनी है। अतः इसको समाप्त कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। माननीय गोविन्द सिंह जी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर रूल 269, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम के 269 में स्पष्ट रुप से लिखा हुआ है :

"....a member shall not obstruct proceedings, his or interrupt and shall avoid making running commentaries when speeches are being made in the House;"

अब आप खत्म कर रहे हैं और आप खड़े होकर बार-बार उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हम एग्री करते हैं। कृपया शान्त रहें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना मोशन रखते वक्त स्पष्ट रुप से यह निवेदन किया था कि फैक्ट्स के ऊपर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आप बात कीजिये। मैंने स्वास्थ्य मन्त्री जी के इस अधिकार को कभी भी चुनौती नहीं दी कि उनके पास शिकायत आये तो वह कार्यवाही नहीं करे। यह बात मैंने स्पष्ट निवेदन की थी कि यह दो अलग-अलग प्रकरण हो गये... (व्यवधान)

अब आप मुझे बताइये, उपाध्यक्ष महोदय, कि मर्डर हुआ है और मर्डर करने वाला गुनाहगार है, मुजरिम है और उस मर्डर को डाक्टर पैसे भी मांगता है, डाक्टर भी मुजरिम है, मैं खुद कहता हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह बोल ही नहीं सकते, उपाध्यक्ष महोदय क्योंकि यह खुद उस केस में इन्वाल्व है, यह खुद इसके वकील है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीरजी, इंटरफियर करना उचित नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यहां पर बहस नहीं की जा सकती। यह न्यायिक मामले को प्रजेंस नहीं कर सकते और इनका स्वयं का आचरण संदिग्ध है।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर जी, सहयोग कीजिये। माननीय सदस्य से निवेदन है कि कार्यवाही को समाप्त करने में सहयोग कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह दो बार मंत्रीमण्डल से निकाले जा चुके है। विशेषाधिकार समिति में इनका मामला विचाराधीन है। यह अपनी व्यवस्था रही है उपाध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन पर। कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत.... (व्यवधान) कोर्ट जिसमें वकील है स्वयं

वह तो मामला बिल्कुल यहां पर विचाराधीन हो नहीं सकता। तीसरी बात जो न्यायिक मामले को प्रभावित कर सकती है, यह सदन उन मामलों पर विचार नहीं कर सकता।...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीरजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह दो अलग-अलग प्रकरण है। आप कल्पना कीजिये एक आदमी मर्डर करके, मेडिकल जूरिस्ट से मिल सकता है, मेडिकल जूरिस्ट करेप्ट हो सकता है। मैं उसकी पैरवी कतई नहीं कर रहा हूं। अगर स्वास्थ्य मंत्री के पास मेडिकल जूरिस्ट की शिकायत आये तो कायदा यह बनता है कि इसकी जांच करवानी चाहिये थी। उनको जांच कमेटी नियुक्त करनी चाहिये थी। मैं उनके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि डाक्टर के आचरण की जांच करना एक बात, वह डाक्यूमेंट जिसके साथ अगर डाक्टर मिला हुआ था भी तो टैम्परविथ नहीं किया जा सकता था। वह फोटोग्राफ जो मंत्री जी को डाक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले प्राप्त हो गये थे, उसके कैमरे में थे, उससे वे पूर्णतया कोरोबोरेटेड होता था वह पचनामा जिसमें बोडी के तमाम हालात लिखे गये हैं, वह हालत जो सीमन की प्रजेंस, ब्लड की प्रजेंस, ड्बल लवेगेटेड मार्क्स की प्रजेंस, ये उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीधा-सीधा एक बात पूछना चाहता हूं कि मंत्रीजी ने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

और यह इनको मालूम पड़ा कि यह डाक्टर्स भ्रष्ट हैं। लेकिन उन्होंने जब फोटो देखी.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह सारी बातें व्यास जी आ चुकी है। इस तरह डिस्कशन का कोई एण्ड नहीं होगा। कोई नयी बात डिस्कस कीजिये। यह सारी बातें तो रेकार्ड पर आ चुकी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं आयी है। उन्होंने जवाब नहीं दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जांच रिपोर्ट सदन की टेबल पर नहीं रखी है। असल को उन्होंने छुपाया है। डाक्टर के बयान है, डाक्टर का आचरण यहां पर चर्चा का विषय नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा का विषय तो है मंत्री महोदय का आचरण। आज मैं कहता हूं प्रोफेसर केदार इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, मेरी कोई बदनियत नहीं है ललित किशोरजी के लिए, लेकिन निश्चित रूप से ललित किशोर जी ने एक ऐसा डाक्यूमेण्ट जो उस मर्डर के एवीडेंस हैं उसकी संदिग्धता को इम्पीच करने के लिए उसकी क्रेडिटिबिलिटी को इम्पीच करने के लिए और संदिग्ध बनाने के लिए और चला कर जो जांच की है वह निश्चित रूप से 201 के अन्दर अभियुक्त है।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ गलत कहां कह रहा हूं। मैं सीधे-सीधे एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह रवैया ठीक नहीं है। फैक्ट्स पर बात करें। मुख्य मंत्रीजी आप बड़े हैं, हम आपसे मार्गदर्शन लेते हैं, आप इनको समझाइये। मैं यह रेलेवेंट ही बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट के ऊपर बात करना चाहता हूं। आप फैक्ट्स का जवाब ही नहीं देना चाहते। यह क्या तरीका है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं बताऊंगा कि बी. जे. पी. वाले जो सत्ता में है, यह ये समझते हैं कि किसी की टोपी उतारें। इस तरह से टोपी नहीं उतारी जाती। फैक्ट्स से टोपी उतारी जाती है, मर्जी आये वह खड़ा हो जाता है और आप लोग तो वैसे ही +++कुछ करते हो। लेकिन मैं आपसे एक बात कह कर उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे इस बात की खुशी होती अगर मन्त्रीजी फैक्ट्स के ऊपर यहां भाषण देते और फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करके इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पेश करते और सीधा सीधा जिससे यह स्पष्ट होता कि उन्होंने कहीं भी उसकी क्रेडिटिबिलिटी को इम्पीच करने की कोशिश नहीं की बल्कि एक मिनिस्टर होने के नाते, अच्छा नागरिक होने के नाते फौरन इन्टरेस्ट लेकर मुख्य मन्त्रीजी से बात करके 302 का मुकदमा दर्ज करवाया होता। तो मैं खुद माफी मांग

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लेता, कुछ कर लेता लेकिन नहीं उन्होंने क्या किया ? मुख्य मंत्रीजी ने यह बात प्रेस कान्फ्रेंस में कही । अब आप थानेदार पर भी अटैक कर रहे हैं । पंचनामा पड़ा हुआ है जो उस मर्डर का सबूत है उसको भी आप नष्ट करना चाहते हैं । प्रोफेसर केदारजी की गम्भीरता पर विचार कीजिये । प्रेस कन्फ्रेंस में कहा है कि मैं मुख्य मंत्रीजी से बात करूंगा कि उस थानेदार ने बदमाशी की है । यानि थानेदार एक तरफ, पंचनामा एक तरफ, फोटोग्राफ एक तरफ, डॉक्टर के नोट्स एक तरफ । दुनियाभर को बदमाश और बेईमान साबित करके और एक मुल्जिम को बचाना चाहता है राजस्थान का यह एडमिनिस्ट्रेशन । फिर आप कहते हो कि 201 का मुल्जिम नहीं है । तो फिर कैसे होगा 201 का मुल्जिम ? 302 मुकदमे के अन्दर उसके सबूत को नष्ट कर रहे हैं, उसकी क्रेडिटिबिलिटी को इम्पीच कर रहे हैं । अभी अखबार में कहा है, रीसेन्टली 19 तारीख को थानेदार गोस्वामी के विषय में कि मैं भैरोंसिहजी से, मुख्य मंत्रीजी से बात करूंगा । आप किस किस से बात करेंगे, किस किस को फांसी लगायेंगे, कितने डाक्यूमेण्ट दबावोगे । पंचनामा में लिखा हुआ है सीमन की प्रिजेंस की हुई है, फाइल लिगेटर है । किसी आदमी को हैंग करने के बाद उसकी पैरवी करते हो । यह क्या कामन सेंस है ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये । सारी बातें आ चुकी है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज निन्दा करता हूं .. (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह समझता हूं कि सदन को इस वक्त पार्टी लेवल से ऊपर उठना चाहिये और ललित किशोरजी व इस कृत्य की जो इन्होंने मर्डर केस की एवीडेंस को इम्पीच करने की कोशिश की, जो व्यक्ति दूसरा इश्यू उठा कर उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की, उसको रेलिगेट करने की कोशिश की । इस तरह की इनकी + + + और इनकी + + + की यह सदन निन्दा करता है ।

श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां डाक्टर्स की बहस नहीं कर रहे हैं । यहां मैन प्रश्न था कि ललितजी ने जो कार्यवाही की उस पर कुछ इनकी भावना थी या नहीं थी । उपाध्यक्ष महोदय, यह बात स्पष्ट है कि जब कोई मंत्री आर्डर देता है, तो उसके बाद जानकारी तो आयी होगी कि इस तरह से वाकया हो गया । जिस तरह से दो तथ्य आ रहे हैं । एक तरफ स्ट्रेंगुलेशन की बात आयी, एक तरफ आ रही है कि उसने आत्महत्या की । आपको पता तो पड़ गया कि डाउटफुल मामला है और डाउटफुल मामला होने के बाद आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री उपाध्यक्ष : यह सारी बातें आ चुकी है

श्री सुनील विश्नोई : आपको डाउट क्रियेट हो गया था तो उसके बाद आपने क्या कार्यवाही की उसमें ।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन के प्रति आभारी हूं कि हम लोगों को पुनर्विचार करने की मांग करने के उपरांत इस विषय की चर्चा यहां किये जाने की आपने अनुमति दी ।....(व्यवधान)

मैं तो यह कह रहा हूं कि यहां चर्चा करने की अनुमति दी । इसलिए मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, यहां प्रश्न यह आया कि ललित किशोर चतुर्वेदी ने स्वास्थ्य मंत्री के नाते इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बनाने में हस्त-क्षेप किया । मोटे रूप से यही आरोप थे । अब मैं श्री चतुर्वेदी के प्रति भी इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सारे मामले का जिस प्रकार से पोस्टमार्टम करके इन्होंने हाऊस में रखा है मुझे इससे लगता है कि जिन माननीय सदस्यों ने यह मामला उठाया इस सारे मामले का स्वतः ही पोस्टमार्टम हो गया । उपाध्यक्ष महोदय, श्री हेतरामजी और प्रोफेसर केदारजी और जनार्दन सिंहजी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने इस मामले को इस प्रकार से लिया कि पोस्टमार्टम के मामले में डाक्टर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे और इस मामले में यहां तक उन्होंने कहा कि 90 पर्सेण्ट डाक्टर्स इस प्रकार का काम करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि जहां भ्रष्टाचार का मामला है उन डाक्टर्स को बचाने की इस सदन में कांग्रेस पार्टी के सदस्य पैरवी कर रहे हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिल्कुल रोंग कहा है ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपके मंत्रीजी ने जो आचरण किया है....

एक माननीय सदस्य : हत्यारों को बचा रहे हैं ।....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, मैं इस मामले में बोला नहीं हूं, मैं शांति से सुन रहा था । आप कृपया इस प्रकार से राज-नीतिक लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे, पार्टी को इन्वोल्व करने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी लोगों को बचाना चाहती है यह बात सरासर गलत है । मैं इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं । इस मामले में पहले भी उन्होंने यह कहा था, लेकिन मैं इस मामले में बोला नहीं, न मेरा मुख्य मंत्रीजी को इन्टरेप्ट करने की भावना है । लेकिन जैसे मुख्य मंत्रीजी की पुरानी आदत है, आदत से मजबूर हैं मुख्य मंत्रीजी और इसका लाभ उठाने के लिए आज न मालूम क्या-क्या कहेंगे ।....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी श्री व्यास जी का समर्थन नहीं करती ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपा-ध्यक्ष महोदय, इस तरह की बातें कह कर आप साइडट्रेकमत करिये (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं फैक्ट ही बोल रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके प्रति सहानुभूति है कि आप अकेले रह गये ।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके इस मामले को तूल न दें और राजनीतिक दृष्टिकोण से पार्टियों पर आरोप नहीं लगायें नहीं तो हमें कुछ कहना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं देवपुरा साहब, अगर यह बात सुरेन्द्रजी ने रखी थी उस समय खड़े होकर कहते कि इस बात का रेलेवेंट था।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने तो उस समय भी निवेदन किया था। मैंने कहा था कि यह चीज ऐसी है जो फैक्ट्स पर है। इसको उसी तक सीमित रखा जाय। इसको इधर उधर नहीं करें। माननीय सदस्य ने महसूस किया कि इनका अधिकार है अपनी बात को सदन में रखने के लिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अधिकार को चुनौती नहीं देता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : और उस अधिकार का उन्होंने उपयोग किया। माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी जो संबंधित मंत्री हैं। उन्होंने उसका जवाब दिया। अब इसके ऊपर आगे कोई बात नहीं रहती है। परन्तु इससे जो इनफरेंस निकाल रहे हैं कि कांग्रेस यह रुख रही है या सुरेन्द्र व्यास अकेले पड़ गये। यह रुख निकाल कर आप अननेसेसरी टेन्शन पैदा कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं।..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि सुरेन्द्र व्यास ने यह कहा था कि+++। इसलिए मेरा थोड़ा उत्तरदायित्व हो गया। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। बाकी ललितकिशोर चतुर्वेदी ने सारी बात स्पष्ट कर दी। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि + + + और मैं मुख्य मंत्री होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं इस बात का उत्तर दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह केजुअल्टी किस की हुई... (व्यवधान) नहीं उनकी नहीं। सुरेन्द्र व्यास की नहीं कहता। केजुअल्टी एक हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विश्वसनीयता इस सदन में जो सर्वोच्च सदन है वह खत्म हो गयी। आज उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मर्डर केस बनाये और चालान करें और विधान सभा की सारी कार्यवाही कोर्ट में ले जाकर पेश कर दें तो मैं वकील नहीं हूं, जो वकील हैं इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की क्रेडिटिबिलिटी कोर्ट के व्यू पाइंट से क्या रह सकती है। कुछ भी नहीं रही।

श्री हीरालाल देवपुरा : कोर्ट में इस बात का कोई रिलेवेंस नहीं होता।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें और ज्यादा नुकसान होगा। मैंने पहले प्रार्थना की थी कि हम इस मामले में जितनी बहस करेंगे उतना नुकसान होगा

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

और इस मर्डर के मामले में हम उन लोगों को बचायेंगे जिन्होंने कसूर किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी सलाह यह मान लेते तो....

श्री हेतराम बेनीवाल : आप भी मान लेते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे तो + + + बताया तो कहना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में किसी पर आरोप लगाना, यह सदस्य समझकर चले कि मेरा फण्डामेण्टल राइट है, यह नियमों की व्यवस्था के अन्तर्गत मुझे इस प्रकार का अधिकार मिलता है-यदि इस व्यवस्था के आधार पर कोई आरोप लगाता है तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। यह मैं निश्चित रुप से कहना चाहूंगा, सुमित्राजी बोल रही हैं, सुमित्राजी को यह जानकारी होगी कि अपन विपक्ष में बैठकर कांग्रेस पर आरोप लगाते थे। आज तक कोई विपक्ष का ऐसा सदस्य नहीं था जिसने आरोप लगाया हो और वह सुरेन्द्र व्यास की स्थिति में पहुंच गया हो। आरोप लगाये, प्रमाणिक रुप से लगाये, सरकार हमारी बात माने या न माने यह सरकार की मर्जी की बात थी लेकिन आरोप को सिद्ध करने के मामले में पूरी सामग्री के साथ यहां आये, माननीय सदस्य ने आरोप लगाये और सरकार ने उत्तर दिया। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के इस प्रांगण को कम में कम इस बात के लिए उपयोग में नहीं लिया जाय। आज सुरेन्द्रजी ने ललित किशोरजी पर आरोप लगाये। मैं समझता हूं कि इन आरोपों के सम्बन्ध में यदि मुझे जानकारी देते तो....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप फैक्ट्स पर जवाब क्यों नहीं देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर मुझे जानकारी देते तो आप कम से कम यह विश्वास कर सकते हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके पास तो आया हूं, 25 दफे आया हूं। आपने मेरे पांच काम किये भी होंगे। यह आपके मंत्री इस हल्के स्तर पर आ गये। इस तरह से बोलने लगे, इस स्टेज पर आ गये। यह कहने लगे कि मेरे घर पर आये थे, काम बताया। यह मिनिस्टर हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : व्यासजी बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरे से अपेक्षा करते हैं क्या कोई माननीय सदस्य व्यक्तिगत रुप से मेरे से मिले और उसके लिए मैं राजनैतिक लाभ उठाने के लिए सदन में कभी खड़ा होकर कह दूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके पास तो पच्चीसों दफे आया हूं। आपके मंत्री ने तो कह दिया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इसकी

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चिन्ता न करें। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। आप मुझे कहते कि इस मामले में इस प्रकार की अनियमितता हुई है तो निश्चित रुप से जानकारी करके आपको संतुष्ट कर देता ताकि आपको हाउस में कहने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं केवल यही कहना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपसे निवेदन कर रहा हूं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। एक बात सोचो नेपाली लड़का मरा उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको कम्प्लीट नहीं करने दी। उस पर तो एक्शन करवाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वही कहना चाहता हूं यह मर्डर का प्रश्न है मैं इस सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सदन किसी भी पुलिस आफिसर से चाहे मैं जांच कराने को तैयार हूं। यह प्रश्न नहीं है कि मैं किस आफिसर से जांच कराऊं। जिस अफसर का आप नाम लेंगे....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी नीयत साफ होनी चाहिए अफसर की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिससे भी चाहें उसकी जांच करा सकता हूं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जांच निष्पक्ष होगी निर्भीक रुप से जांच कराऊंगा और किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तीन महीने हो गये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या हो गया, बार--बार बोलते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीन महीने हो गये मैं मानता हूं। तारीख आगे पीछे मेरे से नहीं हो सकती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई आज तक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कईयों की आदत हो जाती है आरोप लगाने की। आरोप के तथ्य नहीं जानते हैं पिछले एक महीने से फर्जी कार्यवाही, फर्जी कार्यवाही का आरोप लगा रहे हैं और जिस समय चर्चा होगी तो यही हालत होगी जो आज इस फर्जी कार्यवाही की हुई है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज चर्चा करा कर देख लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो आपको कभी टोका नहीं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा आखिर में सब लोगों ने आपकी आलोचना की है। लेकिन एक बात की प्रशंसा करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी पर इतने हावी हो गये कि यह पार्टी मन में जानती है कि आप जो कह रहे हैं यह तथ्यों पर नहीं फिर भी आपको अलाऊ करते हैं और आपके साथ बोलते हैं। मैं इतना ही कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। ज्यादा कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहले तो आप बडे खुश हो रहे थे। आपके मन में तो बड़ी खुशी थी कि ललितजी पर आरोप लगते हैं आप बड़े खुश थे अब आप डिफेण्ड कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनिट...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जैसे हमारी पार्टी के बारे में बात कह रहे थे उसी सम्बन्ध में मैं आपको यह उत्तर दे रहा हूं। आप हमारी पार्टी का कह रहे थे उसी भाषा में कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुन लिया। मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री जर्नादन सिंह गहलोत : यह और मालूम पड़ा कि सुरेन्द्रजी ने अपने भाषण में कहा कि वह आपसे मिलते रहते हैं और उसके काम भी करते हैं। हमारा तो एक भी नहीं किया आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शिवचरणजी माथुर और हरिदेव जोशी और पहाड़ियाजी नहीं हैं यह तीनों आपस में लड़कर एक दूसरे को सेट डाउन करने की कोशिश करते रहते थे। वह यहां नहीं हैं इसलिए आपको इससे लाभ नहीं मिलेगा। आप सारों ने मिलकर जिस प्रकार की व्यवस्था की है। उसके बारे में माननीय देवपुराजी से कहूंगा वह पुनर्विचार करें। इस प्रकार के प्रसंग जब तक कांग्रेस पार्टी के लीडर अच्छी तरह से नहीं देख लें, आप अच्छी तरह से नहीं देख लें और जिम्मेदार व्यक्ति परसरामजी, प्रद्युम्न सिंहजी या जर्नादन सिंह इस प्रकार के सारे मामले को जब तक नहीं देख लें तब तक ऐसे मेम्बर को अनुमति नहीं दिया करें। इससे सदन की परम्परा बनी रहेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। ऐसा कोई बिन्दु नहीं रह गया है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियमों की किताब है उसके नियम 124 की ओर ले जाना चाहता हूं। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बात कही कि इस तरह से बात करके उसके बाद रखना चाहिए। मैं इसको पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा हुआ है

"Allotment of time and discussion of motion.- The Speaker may, after considering the state of businass in the House and in consultation with the Leader of the House, .."

आपकी कन्सलटेंट्स के बाद ही रखा गया है। आप हमें कह रहे हैं और यह रुल 124 क्या कह रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

प्रश्न यह है कि यह सदन स्वास्थ्य मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी के इस आचरण एव कृत्य की निंदा करता है।

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

निंदा प्रस्ताव वापस— निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है।

अनेक माननीय सदस्य : पारित हो गया, पारित हो गया।

अनेक माननीय सदस्य : अस्वीकार कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। निंदा प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। (व्यवधान)

अगेन, अगेन।

प्रश्न यह है कि यह सदन स्वास्थ्य मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी के इस आचरण एवं कृत्य की निंदा करता है ?

(अस्वीकृत)

निंदा प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है।

आधे घण्टे की चर्चा

डेयरी द्वारा घी के विक्रय से हानि

श्री उपाध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा। श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, डेयरी मिनिस्टर है क्या ? डेयरी मिनिस्टर तो है नहीं। इसको कल ले लेना। आपको कोई जानकारी नहीं होगी।

श्री जगमाल सिंह यादव (यातायात मंत्री) : पूरी जानकारी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिप्लाई दे रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : डेयरी मिनिस्टर तो है नहीं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं चर्चा का जवाब दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब देंगे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसकी आपके पास जानकारी नहीं। विभाग नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हो। आप शुरू कीजिये, जवाब देंगे। चर्चा शुरू कीजिये।

श्री टीकमचन्द कांत : पहले पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से माननीय सदस्या ने जो कहा था कि जे. के. सीमेण्ट, लक्ष्मी सीमेण्ट, जे. के. पुरम के मजदूर विधान सभा के बाहर आ गये हैं। छह–सात महीने से उनके साथ अन्याय हो रहा है। उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों के घर के सामने आकर वे बैठ गये थे। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री महोदय इस पर कुछ कहें और हमें भी कुछ कहने के लिये आप इजाजत दें।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जे. के. पुरम के बारे में हमने 15 दिन पहले काल अटेंशन लगाया हुआ है। आज तक कोई व्यवस्था नहीं दी। आज स्थिति यह हो गई कि उन लोगों को वहां शोषित होकर विधान सभा के बाहर धरना देना पड़ा। हम चाहते हैं इसकी

(श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित)

विधान सभा में चर्चा हो। मंत्रीजी अपना वक्तव्य दें, उनको सन्तुष्ट करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मसला बहुत गम्भीर है। उन गरीब मजदूरों के साथ अन्याय होता है, शोषण होता है। वे वहां पर अपनी मांगों के लिये आवाज उठाते हैं तो वहां गुण्डों द्वारा इनकी पिटाई होती है। वहां 3–3 मर्डर भी हो चुके हैं लेकिन उस फैक्टरी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर आज चर्चा हो, मंत्रीजी वक्तव्य दें इस मामले पर।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मामला है कि सितम्बर से मजदूर फैक्टरी के बाहर बैठा है, आन्दोलन चला रहा है। गुण्डों, असामाजिक तत्वों ने उनके टैण्ट को जला दिया, उनके टैण्ट को लूट लिया और गांव–गाँव में जाकर उनको धमकियां दी जा रही है कि तुम आन्दोलन विदड्रा करो अन्यथा तुमको बाहर निकाल देंगे। लोग डर के मारे घर को नहीं जा रहे हैं और लोगों के घरों के बाहर इस प्रकार के असामाजिक तत्वों का जमघट खड़ा हो गया है जिसके कारण से फैक्टरी में मालिक मजदूरों को लेना नहीं चाहते। घर जाता है तो ऐसे असामाजिक तत्व उसको घर में घुसने नहीं देते हैं। इस प्रकार की स्थिति में आज मजदूर सड़क पर आ गये हैं, जंगलों में सो रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति मजदूरों की बनी है। यह इस प्रकार का विषय है जिस विषय को लेकर सिरोही और जे. के. पुरम के मजदूर आज यहां विधान सभा के बाहर आन्दोलनरत हैं, प्रदर्शन करने आये हैं। इस प्रकार का लोक महत्व का और आवश्यक विषय है जो मजदूरों से सम्बन्धित विषय है। इस विषय पर तुरन्त चर्चा होनी चाहिये। सरकार को इस विषय को निपटाने के बारे में कोई बात करनी चाहिये अन्यथा यह आन्दोलनरत मजदूर, जो पिछले सितम्बर से चला है, इसकी क्या हालत होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि यह बड़ा गम्भीर विषय है। यह जे. के. सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों और मजदूरों के परिवार वालों की हालत काफी समय से दयनीय है। यहां पर डेलीगेशन आया हुआ है, बाहर प्रदर्शन कर रहा है। इसलिये इसके ऊपर चर्चा की अनुमति दी जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर विषय है। यह मजदूरों के जीवन का प्रश्न है। इसलिये माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि इस पर अपनी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसकी व्यवस्था के लिये माननीय अध्यक्ष जी से सम्पर्क कीजिये।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : व्यवस्था देकर चर्चा की अनुमति दी जाय।

श्री टीकमचन्द कांत : माननीय श्रम मंत्री और उद्योग मंत्रीजी को बुलाया जाय। उनके साथ चर्चा करना चाहते हैं। 7 महीने में उनका प्रश्न हल नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

श्री टीकमचन्द कांत : हम चर्चा करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री को तुरन्त बुलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गोविन्द सिंह जी गुर्जर।

कृपया बिराजें। इसको विधिवत रूप से उठाया जाय।

श्री टीकमचन्द कांत : हाउस से चर्चा करने का मौका दीजिये। श्रम मंत्रीजी को बुलाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष जी से सम्पर्क करके समय नियत कीजिये।

प्लीज सिट डाउन।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय दृष्टिकोण रखिये, माननीय उपाध्यक्ष जी। बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे गरीब, असहाय, बेसहारा, मजदूर जिनके पास रोजी-रोटी नहीं है जो आठ-आठ महीने से हड़ताल पर बैठे हैं, जिनके लिये एक महीने से पिंडवाड़ा के विधायक श्री प्रभुरामजी भी बैठे, वहां उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जो धरने पर बैठे, उनके टैण्ट-तम्बू उखाड़ दिये गये। गुण्डों से पिटवाया गया। वहां उदयपुर से गुण्डे लाये गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुलाब सिंहजी, प्लीज सिट डाउन।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अपना वक्तव्य दें। आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों और किसानों के साथ अन्याय है। साल भर से ऐसा ही माहौल चल रहा है। वास्तव में ये सही फरमा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, 12-3-91 को मेरे तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्रीजी ने प्रश्न के भाग एक के उत्तर के सम्बन्ध में कहा था कि मई, जून में व्यापारियों को घी वितरित किया गया। उसके बाद में जो इस प्रश्न का भाग है, उसमें जब मैंने कहा कि इस सौदे में करीब एक करोड़ रुपये की हानि सरकार को हुई है, तो उसके जवाब में सरकार ने कहा कि "जी नहीं"। इस विरोधाभास के कारण मुझे यह आधे घण्टे की चर्चा का प्रस्ताव आपके सम्मुख लाना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने इसमें लिखा है कि मई, जून में एक व्यापारी जयपुर का श्री गुजरमल अग्रवाल, उन्होंने अजमेर में जो डेयरी की यूनिट है, उसमें बगैर टेण्डर, बगैर किसी कांटेशन के

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

48 रुपये प्रति किलो के हिसाब से घी उसको बेच दिया और यह कह कर बेचा कि यह घी खाने योग्य नहीं है। इस बेचान में, जो आपके निर्धारित नियम और प्रक्रिया हैं किसी भी चीज को बेचने के लिये, जो राज्य के वित्तीय नियम हैं, उनका उल्लंघन तो किया ही, उसके साथ-साथ 48 रुपये में 5 रुपये का कनिस्टर और तीन रुपये सैल्स टैक्स वह भी उस व्यापारी को बचाये और करीब 40 रुपये प्रति किलो के भाव में सरस घी डेरीवालों ने इस व्यापारी को बेच दिया। इसके कारण जहां घी का भाव 72 रुपये प्रति किलो है, राजस्थान सरकार को केवल अजमेर के यूनिट से एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अगर पूरे राजस्थान को लें, जिसमें बीकानेर, कोटा और दूसरी जगह भी आती है, तो करीब, मेरा अनुमान है, 50 करोड़ रुपये, का नुकसान राजस्थान सरकार को हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस घी को खाने योग्य नहीं ठहराने के लिये भी जो प्रक्रिया है, उसका भी पालन नहीं किया गया और केवल एक छोटे से इन्सपेक्टर से लिखवा लिया गया कि यह घी खाने योग्य नहीं है। इसमें एक बिन्दू, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी है कि इस घी को इतने दिन एकत्रित करके यहां रखने का एक निश्चित उद्देश्य था ताकि घी अशुद्ध होता रहे। आपको तो मालूम है कि घी की कितनी लाइफ होती है। तो घी को इक्कट्ठा किया गया, संचय किया गया और बाद में यह कह कर कि खाने योग्य नहीं है, राजस्थान सरकार और जो डेयरी फैडरेशन हैं, उनको करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया है। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो बिन्दू इस सम्बन्ध में मैंने उपस्थित किया है, उसके बारे में वह जानकारी दें।

श्री रतनाराम चौधरी : यह सभी जगहों का हाल है। जैसे गुर्जर साहब ने जो अजमेर डेयरी का हाल बताया, इसी तरह से सभी डेयरियों का यही हाल है। मंत्री महोदय इनको ठीक तरह से संभालो। यहां घी को फेल करवा देते हैं और अधिकारी लोग बाजार में बेच देते हैं और घपला कर देते हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय गोविन्द सिंहजी माननीय सदस्य ने रिप्लाई दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह कह रहे हैं और भी जगह राजस्थान में यही हाल है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, चौधरी साहब।

श्री जगमाल सिंह यादव (यातायात मंत्री) (डेयरी राज्य मंत्री के स्थान पर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान डेयरी फैडरेशन द्वारा घी के बेचान में भ्रष्टाचार और करोड़ों रुपयों का नुकसान करने के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी निम्न प्रकार है :—

सरस घी का जान बूझकर मांग के बावजूद स्टाक किया गया, यह सही नहीं है। समस्त देश में दूध का आवक आशा से बहुत अधिक होने के कारण दूध की खपत में कमी आई, जिसके फलस्वरूप समस्त डेयरियों द्वारा दूध

(श्री जगमाल सिंह यादव)

का उपयोग घी एवं एस. एम. पी. बनाने में किया गया और इसी कारण इन पदार्थों के भावों में भारी गिरावट आयी, कमी आई। यहां तक कि बाजार में इतना माल उपलब्ध था कि व्यापारी स्वयं माल ही नहीं उठा रहे थे। राजस्थान की मंडियों में दक्षिण भारत की डेयरियों का घी नवम्बर, दिसम्बर 89, जनवरी, 90, महीनों में 15 किलो का टीन आसानी से उपलब्ध था। जिसकी वजह से आर. सी. डी. एफ. सी. द्वारा नियुक्त वितरक भी बहुत कम मात्रा में घी उठा रहे थे। फैडरेशन में बिक्री बढ़ाने हेतु 11 दिसम्बर, 1989 को समस्त वितरकों को बुलाकर मंत्रणा की गई और इस वार्ता के अनुसार 15 किलो के टीन पर तीन रुपये प्रति किलो की कमी की जाकर घी के वितरण को बढ़ावा देने हेतु वितरकों की उनके द्वारा उठाई जाने वाली मात्रा के अनुपात में इन्सेंटिव भी दिया गया जो निम्न प्रकार है :—

9 मैट्रिक टन व उससे अधिक लेने पर 55 रुपये 75 पैसे की दर।

3 मैट्रिक टन से 9 मैट्रिक टन घी उठाने पर 56 रुपये प्रति किलो की दर।

3 मैट्रिक टन से कम उठाने पर 56 रुपये 25 पैसे प्रति किलो की दर।

उपरोक्त दरों में रुपये वितरक का कमीशन एवं 7.25 प्रतिशत टैक्स इत्यादि भी शामिल है लेकिन उपरोक्त सुविधाओं के उपरान्त भी घी के विक्रय में आशा जनक वृद्धि नहीं हुई। आर.सी.डी.एफ.सी. द्वारा तत्पश्चात् उपभोक्ता पैक के घी के मूल्य में भी 4 रुपये प्रति किलो की कमी की गयी। इसके उपरान्त भी घी के विक्रय में आशाजनक वृद्धि नहीं हुई। आर. सी. डी. एफ. का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य देना और उनके द्वारा उत्पादित समस्त दूध का क्रय करना है और इसी के फलस्वरुप यद्यपि दुग्ध उत्पादकों के बाजार भाव गिर रहे थे, फिर भी दूध संकलन को बन्द करना या दुग्ध उत्पादकों के दूध के खरीद मूल्य में कमी करने के बजाय आर. सी. डी. एफ. दुग्ध उत्पादकों के हितों को मद्देनजर रखते हुए दुग्ध उत्पादकों का निरन्तर उत्पादन करता गया।

(3.42 म. प.)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

यह सही नहीं है कि सरस घी खाने के योग्य नहीं है, एक साजिश के तहत बताया गया। जो भी सरस घी बेचा गया वह उत्तम गुणवत्ता का खाने योग्य था और इसी आशय से बेचा गया। घी की बिक्री दुग्ध उत्पादकों के दूध के बकाया भुगतान एवं कार्यशील पूंजी से होने वाले ब्याज के भार को कम करने हेतु उपलब्ध स्टॉक्स में कुछ अंश बेचा गया। आर. सी. डी एफ. के पास लगभग 13 सौ मैट्रिक टन घी के भण्डारों में से 550 मैट्रिक टन का ही विक्रय किया गया एवं जिस घी का विक्रय किया गया, वह सितम्बर, 89 से मार्च, 90 तक की उत्पादित मात्रा में से किया गया। यह घी तीन से 9 माह तक पुराना उत्पादित था और भण्डारण की समस्या से निपटने, उत्पादन को

(श्री जगमाल सिंह यादव)

नियमित करने के लिए बेचा गया था। यह सही नहीं है कि इस घी की बिक्री में सभी नियमों, प्रक्रियाओं को तिलांजलि देकर बगैर टेण्डर कोटेशन के एक व्यक्ति को चुपचाप बेचान कर दिया गया क्योंकि प्रायः घी कि बिक्री में बढ़ोतरी करने हेतु आर. सी. डी. एफ. द्वारा अपने नियुक्त वितरकों से समय-समय पर बातचीत की गयी और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया गया। तत्पश्चात् राजस्थान की मुख्य मंडियों में जैसा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, हनुमानगढ़, सिरोही इत्यादि थोक व्यापारियों से सम्पर्क कर सर्वे किया गया। इन वितरकों की सम्बन्धित डेयरी यूनिट द्वारा भी सम्पर्क स्थापति कर सूचित किया गया। आर. सी. डी. एफ. द्वारा घी की दर रुपये 48.50 पैसे निर्धारित करके सम्बन्धित यूनिट के माध्यम से सूचना दी गयी। जिसके उपरान्त भी इस दर पर घी खरीदने के लिए अधिक रुचि नहीं दिखायी गयी। तत्पश्चात् थोक व्यापारियों से टेलीफोन, टेलेक्स व व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर नेगोशियेसन्स द्वारा घी की बिक्री हेतु आमंत्रित किया गया। जिसके फलस्वरूप 13 थोक विक्रेता 2 मई, 1990 को आर. सी. डी. एफ. में नेगोशियेसन्स हेतु उपस्थित हुए। किन्तु उनमें से केवल 6 थोक विक्रेताओं ने इसकी पूर्वाग्रहण राशि जमा कराकर अपनी दर बन्द लिफाफे के कोटे में की। इन दरों को कमेटी द्वारा मूल्यांकित किया गया परन्तु दर कम प्रतीत होने के कारण इन्हीं पार्टीयों से फिर नेगोशियेसन्स किया। जिन पार्टियों ने फिर नेगोशियेसन में भाग लिया। विभिन्न डेयरियों की जो दरें निर्धारित की गयी, वह निम्न प्रकार है :—

मैसर्स हिन्दुस्तान नीड प्रोडेक्ट जोधपुर
मैसर्स नेमीचन्द मदनलाल जोधपुर
मैसर्स भोपतराय भंवरलाल जोधपुर
मैसर्स गूजरमल अग्रवाल जयपुर
मैसर्स मरुधर सैल्स कारपोरेशन जयपुर
मैसर्स जसराज गणेशमल जोधपुर

डेयरीवाइज घी की विक्रय दरें, मात्रा :-

जोधपुर घी 48 रुपये 50 पैसे प्रति किलो कर सहित।

मैसर्स हिन्दुस्तान नीड्स 100 मैट्रिक, टन

रानीवाड़ा घी रुपये 48.50 प्रति किलो कर सहित।

मैसर्स हिन्दूस्तान नीड प्रोडेक्ट, जयपुर 200 मैट्रिक टन

अजमेर घी रुपये 48. 75 प्रति किलो कर सहित

मैसर्स गूजरमल अग्रवाल जयपुर 100 मैट्रिक टन

अलवर घी 52. 83 प्रति किलो कर सहित मैसर्स मरुधर सैल्स कारपोरेशन जयपुर 150 मैट्रिक टन।

घी की बिक्री हेतु अखबारों में विज्ञप्ति नहीं देने का एक मूल कारण यह भी था कि इससे उपभोक्ताओं में एक प्रकार की भ्रान्ति फैलती है कि डेयरी का घी अधिक पुराना हो गया। अतः बाजार में जो आम मांग थी, वह भी घट जाती इसी आशंका

(श्री जगमाल सिंह यादव)

के कारण प्रायः डेयरी साधारण तौर पर विज्ञप्ति द्वारा घी एवं अन्य पदार्थों की बिक्री हेतु कम करती है क्योंकि इससे भ्रान्ति अधिक होती है उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आर. सी. डी. एफ. द्वारा फैडरेशन एवं दुग्ध उत्पादकों के हितों को मद्दे नजर रखते हुए समयानुसार उचित कार्यवाही की गयी और ऐसी कार्यवाही करने से एक तरफ तो दुग्ध संकलन में अवरोध पैदा नहीं हुआ और दूसरी तरफ उत्पादकों को दूध का भुगतान जो रूका हुआ था, दिया गया एवं ब्याज पर भी ऋण नहीं लेना पड़ा। यह सही नहीं है कि इस प्रकरण में 72 रुपये प्रति किलों के भाव का घी 40 रुपये प्रति किलों के भाव से बेचकर करीब 50 करोड़ रुपये का घपला किया गया। जिस समय घी का विक्रय किया गया उस समय बाजार में घी का भाव जो प्रचलित था उसको ध्यान में रखते हुए आर. सी. डी. एफ. द्वारा उत्पादित घी की लागत दर को दृष्टिगत रखते हुए ही घी का विक्रय किया गया। सारे नेगोशियेसन में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि जिन डेयरियों से घी बेचा जा रहा है, उनकी दरें उत्पादन लागत से विक्रय मूल्य से कम न हो। यह कहना भी उचित होगा कि किसी भी डेयरी का घी 40 रुपये प्रति किलों की दर से नहीं बेचा गया और न ही उस घी को 72 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचा जा सकता था। यह कहना भी उचित होगा कि राजस्थान में केवल अलवर और भरतपुर में सफेद दानेदार घी उपलब्ध होता है क्योंकि उस क्षेत्र में भैंसों की बाहुल्यता है और साधारण घी का बाजार भाव जो हल्के पीले रंग का होता है, विक्रय दर प्रायः कम ही प्राप्त होती है और इसी कारण अलवर घी के लिए अधिक दर उपलब्ध हुयी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने, विभाग के अधिकारियों ने जो सूचना आपको दी है उसके आधार पर सारा अपना वक्तव्य इस सम्बन्ध में यहां पढ़कर सुनाया है। मन्त्री महोदय आप गांव से आते हैं और गांवों में शादियों का मौसम मई और जून में रहता है। यह मुझे बड़ा विचित्र लग रहा है कि उस समय जबकि शादियों की भरमार होती है, घी मांग बहुत और आपके अधिकारियों ने आपको बताया कि घी की कोई मांग नहीं है, यह एक बड़ी असमंजस वाली स्थिति है, जिसे आपने कैसे स्वीकार कर लिया, यह मेरी समझ में नहीं आया। आप जैसे मन्त्री से मैं उम्मीद करता था कि आप, इसके ऊपर बाजार में जो भाव थे, उस समय उनकी जानकारी करते। बता सकते हो आप उस समय बाजार में क्या भाव था। दूसरे घी, इसी तरह इस सारे घी के लिए यह कहना कि साहब उस समय बाजार में घी उपलब्ध नहीं था और बिक नहीं रहा था इसलिए इसको बेचना बहुत जरूरी हो गया था। इतनी मांग थी उस समय, जिसका कोई कहना नहीं है। लेकिन एक सुनियोजित तरीके से इसको कम भाव पर बेचने का एक तरीका निकालकर सारे कानून कायदों को ताक में रख दिया। यह आपने भी माना कि उस समय देने का समय... शोर्ट

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

नोटिस और टेण्डर नोटिस निकालने में क्या देर लगती है। लेकिन विभाग के जो अधिकारी है, वह नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई टेण्डर निकले और लोगों को जानकारी हो। उन्होंने आपको कह दिया कि जानकारी होती तो और भी कम घी बिकता। जब लोगों को जानकारी होती तो लोग अपने आप आपके पास आते और अभी भी मैं कहता हूं कि आज 72 रुपये की आपकी रेट है। आज 72 रुपये में आप घी बेच रहे हैं, सस्ता और यह घी 48 रुपये में आपने बेच दिया और मैंने कहा 40 रुपये, उसका कारण है कि एक तो टीन की कीमत है, 15 रुपये। पांच रुपये तो टीन की कीमत हो गई एक किलों में 75 रुपये किलों पर एक टीन पर पांच रुपये, तो एक टीन के हो गये और तीन रुपये। आपने कर सहित बेचा है, तो तीन रुपये उसके टैक्स के बच गये, सैल्स टैक्स। आठ रुपये उस व्यापारी के वैसे बच गये। इस हिसाब से 40 रुपये में फैडरेशन ने यह घी उन लोगों को बेच दिया ताकि वह खूब मुनाफा कमा सकें और आप कह रहे थे कि बाजार में बिक्री नहीं थी। कोई व्यापारी हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं है जो नुकसान के लिए किसी चीज को लेगा। कोई व्यापारी ऐसा आपको मिला? मेरे को तो आज तक कोई मिला नहीं कि जो नुकसान खाने के लिए आपके घी को खरीद लेगा क्योंकि आप तो उसको बेच नहीं पा रहे और वह उसको ज्यादा पैसे में बेच देगा। यह एक असम्भव बात है। मैं इसमें बहुत ज्यादा विगत में तो नहीं जाना चाहूंगा मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़े पैमाने पर, जैसा आपने खुद बताया कि 550 मैट्रिक टन घी इस तरह से बाजार में गया है। लोगों को गया है और लोगों ने मुनाफा कमाया है। वह मुनाफा आपकी फैडरेशन नहीं कमा सकती थी, यह बात समझ में आने वाली नहीं है। एक ही मोटिव, एक ही इरादा हो सकता है। यह सारी बात कहना कि स्टाक बहुत पाइल-अप हो गया था, हिन्दुस्तान में बाजार में घी की मांग बहुत मन्द थी, आपने हिन्दुस्तान के टेण्डर मांगे होंगे, और जगह के टेन्डर आप मांग सकते थे। अखबारों में नहीं निकालना। वित्तीय नियम बने हुए हैं कि किसी चीज को बेचने की किस तरह की प्रक्रिया है। उन सब को हटाकर इस घी का बेचान किया गया है। इसमें बहुत करोड़ों रुपए का घपला है। मेरे यहां एक करोड़ का हुआ है, मैं समझता हूं कि 5–6 करोड़ तो आपके हिसाब से ही हो जाता है। इसलिए इसकी कोई जांच कराइये, अच्छी जांच कराइये किसी दूसरे अफसर से। सारी चीजों की बात रिकार्ड कीजिए कि बाजार में क्या भाव थे, मार्केट ट्रेण्ड क्या था उस समय, डिमाण्ड थी या नहीं, जो कथन आपके सम्मुख प्रस्तुत किया अधिकारियों ने वह कितना मेल खाता है क्योंकि बाजार में तो खुली बात है। इन्हीं आदमियों ने इस घी को किस भाव से बेचा है, यह उनकी बहियों में मिल जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार मिटाने का बहुत बड़ा वादा करती है, बहुत डींग हांकती है। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है, अगर भ्रष्टाचार होगा तो जो इसमें सम्मिलित होंगे उनको

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

सजा दी जायेगी। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक बात आपके सामने आ जायेगी कि वास्तव में कोई बात हुई है या नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच आप करवाइये ताकि आपको असली चीज का पता लगे। नहीं तो मैं सरकार पर चार्ज लगाना चाहूंगा कि इस तरह 550 मैट्रिक टन घी को बाजार में 40 रुपये से बेचकर करोड़ों रुपये का नुकसान सरकार को किया है और सरकार उन अधिकारियों को बचाना चाहती है। भ्रष्टाचार को उजागर करना नहीं चाहती भ्रष्टाचार के संरक्षण देना चाहती है मेरा आरोप है।

श्री रतनाराम चौधरी : डेयरी के अधिकारियों के अलावा किसी और से जांच करायी जाय, सम्बन्धित अधिकारियों से जांच नहीं करायी जाय। इसकी एक कमेटी बनायी जाय। 48 रुपये में घी बेचती है और उस समय बाजार में 65-70 का भाव चल रहा था, डेढ़ा फर्क है।

श्री सभापति : यह कह दिया गया है, रतनाराम जी, कोई नयी बात कहिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : घपला हुआ है उसकी जानकारी दे रहे हैं।

श्री सभापति : आज बिजनस बहुत लम्बा है, समय नहीं मिलेगा फिर।

श्री लक्ष्मी लाल : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया कि यह घी तीन महीने से नौ महीने तक पुराना था। नैगोशियेशन इसलिए करना पड़ा कि लोग पुराना घी होने की वजह से, कि डेयरी का पुराना घी है, नहीं लेना चाहते और कीमत कम हो गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फैडरेशन का हर महीने घी का प्रोडक्शन होता है तो उस घी को हर महीने बेचने के लिए क्या कार्यवाही हुयी? इतना लम्बा पीरियड क्यों हुआ, इतने लम्बे पीरियड घी इकट्ठा क्यों किया गया? इसके अन्दर अवश्य, कोई घपला है और जानबूझकर नौ महीने तक पुराना रखा गया। जैसा बताया गया कि इंस्पेक्टर को साधारण रिपोर्ट कर दी कि यह घी खाने काबिल नहीं है। इस तरह की कार्यवाही के ऊपर यह घी बेचा गया। नैगोशियेशन में स्पष्ट घोटाला है, इससे फैडरेशन को हानि हुयी है।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, जब एक्सपर्ट ने यह राय दे दी कि यह घी फिट फार ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है तो वह आपने बेचा किसको? और वह किस काम में आया? उसको तो डेस्ट्राय करना चाहिए था।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, यह कहना उचित नहीं है कि उस समय बाजार में घी का भाव 72 रुपए था।

श्री देवेन्द्र सिंह : जो भी हो एक्चुअल भाव क्या थे?

श्री सभापति : उन्हें बताने तो दीजिए, बोल तो रहे हैं। उन्होंने शुरू ही किया था।

श्री जगमालसिंह यादव : मैं माननीय सदस्य की सन्तुष्टि के लिए हिन्दुस्तान की कुछ डेयरियों के उन दिनों में भाव क्या थे वह सदन के सामने अर्ज करना चाहता हूं। इण्डाना का घी जनवरी में 58 रुपए था जो जून में 64 हुआ, मिल्क फूड का 57 था जो 64 हुआ, मधु का 56 था जो 61 हुआ, विनय 49 था 55 हुआ, पराग का 51 था जो 55. 50 हुआ ओडाटूर जो 50. 50 था 50. 50 प्रति किलो ही रहा, अवीना 47 था जो 52 हुआ और सरस का हमारा उन दिनों 56 रुपए का रेट था। माननीय सभापति महोदय, इस घी को बेचने का केवल यही एक कारण नहीं था कि घी खराब हो जाता, राजस्थान में हमारे पास जो कोल्ड स्टोरेज हैं, घी को रखने की जो व्यवस्था है वह 1300 मैट्रिक टन की है। जैसा मैंने पहले कहा, दूध की आवक बढ़ जाने की वजह से हिन्दुस्तान की समस्त डेयरियों ने घी बनाने का काम किया। दूध की सप्लाई में दूध नहीं खप सका तो हिन्दुस्तान की चाहे दक्षिण भारत की हो या उत्तर भारत की, सबने घी बनाने का काम किया। उससे घी का उत्पादन बढ़ा है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : और भी बाई प्रोडक्ट्स बन सकते थे अगर घी रखने की जगह नहीं थी।

श्री जगमाल सिंह यादव : वे भी बढ़े हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारे पास 1300 मैट्रिक टन घी का स्टाक हो गया। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि स्टाक ज्यादा हो जाने की वजह से हमने इस घी को बेचा। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य को अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह घी मात्र इसलिए बेच दिया गया हो कि स्टाक ज्यादा हो गया था, ऐसी बात नहीं थी। हालत यह भी थी कि आर. सी. डी. एफ. लिक्विडेशन की स्थिति में आ गयी थी। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों पर हमारी लाइबिलिटी थी, दूसरा भी हमें चुकता करना था पैसा। हालात यह हो रही थी। माननीय सभापति महोदय, कि चार लाख दस हजार और कुछ सौ रुपये के लगभग प्रति माह का ब्याज देना पड़ता अगर हम 550 मैट्रिक टन स्टाक रखते। इसके साथ ही यह उम्मीद भी हम नहीं कह सकते थे कि बाजार में घी का जो भाव आ गया है वह कितने समय तक अच्छे रेट्स दे पायेगा हमको। इसलिए इस अनिश्चितता को भी दूर करना था आर. सी. डी. एफ. को चार लाख दस हजार कुछ सौ रुपये ब्याज का चुकारा करना था और जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ आर. सी डी. एफ को जो दूध सप्लाई कर रहे थे उसका चुकारा करना था। कई बातों को मद्दे नजर रखते हुए हमने इस घी का बेचान किया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसलिए लुटा दिया?

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय परसराम जी ने अभी कहा कि घी खराब हो गया तो उसको बेचा क्यों। स्थिति यह नहीं थी, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट यह थी कि अगर इस घी को हमने नहीं बेचा तो 5-6 महीने के बाद अक्सर, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रखने की व्यवस्था नहीं थी, वह घी खराब होने लगता। आर. सी. डी.

(श्री जगमाल सिह यादव)

एफ. को यह डर था कि अगर हमने 5-6 महीने घी को रोका तो निश्चित रूप से 550 मैट्रिक टन घी खराब हो जायेगा, बिक्री काबिल नही रहेगा। घी, खराब नहीं हो गया था बल्कि डर था आर. सी. डी. एफ. को कि कोल्ड स्टोरेज में रखने की व्यवस्था नहीं है। 800 मैट्रिक टन भण्डारण की हमारी व्यवस्था थी, बाकी के भण्डारण की व्यवस्था कर नहीं सकते थे इसलिए प्रथम तो हमको यह डर था कि साढ़े पांच सौ मैट्रिक टन घी खराब हो जायेगा, इसकी कोई कीमत नहीं मिलेगी। इसके साथ दूसरी ओर हमको पैसे की जरूरत थी, आर. सी. डी. एफ. भारी मात्रा में ब्याज चुका रही थी, कुछ देनदारियां थीं, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों की, जो जिलों में हमारे हैं, लाइबिलिटी थी, लोगों का बकाया चुकता करना था वर्ना हमको दूध की सप्लाई बन्द हो जाती। आर. सी. डी. एफ. ने यह फैसला लेकर इस बात को कायम किया है कि चूंकि दूध हमको भारी मात्रा में मिल रहा था, किसान का शोषण होता बाजार में नीचे भाव पर जाने के कारण, आर. सी. डी. एफ ने उसको अच्छी रेट पर खरीदने की कोशिश की है। जहां तक नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य की बात का सवाल है, आप कहते हैं कि यह जांच का विषय है तो शायद मैं भी किसान विरोधी नहीं हूं। मैं एक बात आपसे दावे से कहता हूं कि जिस अधिकारी से, जिस माध्यम से आप इसकी जांच कराना चाहें। मैंने कम से कम ये सारे तथ्य देख लिये हैं मुझे तो कोई इसमें लगा नहीं, लेकिन फिर भी सदन सर्वोपरि है, मेरी राय से बेहतर समझ और राय आप लोगों की हो सकती है। आप जिनसे कहेंगे, मैं जांच कराने को तैयार हूं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एण्टी करप्शन से करवा लीजिए जांच। नया खुला है अन्वेषण ब्यूरो, उससे करा लो।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। आधा घण्टा हो गया।

श्री देवेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, अन्वेषण ब्यूरो खुला है नया उससे करवा लीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हो गयी। (व्यवधान)

बहुत लम्बा बिजनस है आज, आपको फिर समय नहीं मिलेगा बोलने का।

श्री देवेन्द्र सिंह : उन्होंने मांग की है कि आप किस से जांच कराना चाहते हो, तो नया अन्वेषण ब्यूरो खुला है उससे काम तो लेना ही है तो कराओ उससे आप जांच।

सदन की कार्यवाही

मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदानों की शेष मांगे एवं आय-व्ययक वर्ष 1990–91 एवं 1991–92 की शेष मांगे, जिनका समय 4 बजे तक मुखबन्द का निर्धारित था,

(श्री ओम प्रकाश गुप्ता)

उसको सायंकाल 7 बजे तक बढ़ाया जावे।

श्री सभापति : क्या सदन का मत है कि समय बढ़ा दिया जावे ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की सदन की कार्यवाही मांग संख्या 8- राजस्व, मांग संख्या 9- वन जो अनुपूरक अनुदान की मांगें हैं, इसके अलावा जो मांग संख्या 16-पुलिस और अन्य विधायी कार्य जो आज की कार्यसूची में उल्लिखित हैं उनके पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जावे।

श्री सभापति : क्या सदन का मत है कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जावे ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

आधे घण्टे की चर्चा

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय कुछ कह रहे है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हो गयी, आधे घण्टे की चर्चा है और उसमें 45 मिनट हो गये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मन्त्रीजी कुछ घोषणा कर रहे हैं....

श्री सभापति : क्या घोषणा करना चाहते हैं माननीय मंत्रीजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, हर मामले को एन्टी करप्शन विभाग को सौंप देने का अर्थ होगा....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप ही कर रहे थे कि चाहे किसी भी एजेन्सी से जांच करवा लें .. (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी घोषणा करना चाहते हैं तो कर दीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, जहां प्राइमाफेसी में, मैं संतुष्ट नहीं हूं इस बात से कि कहीं इसमें गबन और घोटाले हैं और आज मेरी घोषणा करने के बाद माननीय सदस्यों की एक राय आयी थी .. (व्यवधान)

मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन तो लीजिये।

माननीय सभापति महोदय, इस पक्ष की ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों की एक ही राय आयी थी कि डेयरी अधिकारियों को छोड़कर आपकी जो चाहे जिस अधिकारी से जांच करवा लीजिये। मैं आपको संतुष्ट करता हूं कि डेयरी के अधिकारी से जांच नहीं करवाऊंगा, दूसरा जो काम्पीटेंट अधिकारी होगा उससे जांच करवा लेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, नहीं आपने ही मांग की थी डेयरी के अधिकारियों को छोड़कर ।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई । माननीय मन्त्रीजी, विराजें ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि अनुपूरक अनुदान 1990-91 की मांगों पर एवं आय-व्ययक 1991-92 अनुदान की मांग पर साथ-साथ विचार होगा । माननीय सदस्य विचारार्थ लिये जाने वाली अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8--राजस्व एवं मांग संख्या 9--वन तथा आय-व्ययक 1991-92 की अनुदान की मांग संख्या 16–पुलिस पर एक साथ अपने विचार व्यक्त करेंगे । मध्यान्ह पश्चात् 7 बजे मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर शेष मांगें मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी । जितने माननीय सदस्यों की सूची मेरे पास आयी है मुझे क्षमा करेंगे --7 मिनट से ज्यादा नहीं दिये जा सकेंगे, क्योंकि 7 बजे मुखबन्द होगा, इस बात का ख्याल रखें ।

माननीय मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे ।

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1990-91

मांग संख्या 8-राजस्व की प्रस्तुति

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8--राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000 (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ।

मांग संख्या 9-वन की प्रस्तुति

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9--वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 5 करोड़ 76 लाख 13 हजार (पांच करोड़ छिहत्तर लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ।

आय-व्यय (बजट) 1991-92

द्वितीय अवस्था

मांग संख्या 16-पुलिस की प्रस्तुति

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,84,98,35,000/—(एक अरब चौरासी करोड़, अठानवें लाख पैंतीस हजार) तक कि राशि प्रदान की जावे ।

मांग संख्या 8 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 8 मुख्य शीर्षक राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

(156)

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

1. भीलवाड़ा जिले के आरोली ग्राम के सगमाला क्षेत्र के खसरा नम्बर 985 व 986 में मध्य भारत के सिगोली ग्राम (म. प्र.) के व्यक्ति का अतिक्रमण रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

2. विभाग में भीलवाड़ा जिले की भू-अभिलेख सम्बन्धी लम्बित पत्रावलियों का निस्तारण शीघ्रता से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. भीलवाड़ा जिले में विभाग में बढ़ती अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

4 ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि का भू-प्रबन्ध नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

5. जिले में भूदान बोर्ड के गठित भूमि गांव में पटवारी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. लांगडीवास की भूमि सम्बन्धी नपत की शिकायतों को जिलाधीश के द्वारा सैटलमेंट के लिये सिफारिश करने में होने वाली देरी से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते विवाद से अशांति की सम्भावना पर चर्चा के लिये।

7. मालपुरा डमेर में खसरा नम्बर 68, 69 आदि में आवंटित दो-दो बीघा भूमि पर वर्षों से काबिज बावरियों व बलाईयों की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर लिये जाने पर चर्चा के लिये।

8. जयपुर नगर में वन भूमि का निर्धारण नये रुप में किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. पंचायत जमवारामगढ़, पापड़, नटाटा, नायला, सायपुरा, राहोरी, लांगडीवास में इन्द्रगढ़ मानपुर कला वासना आदि में आबादी विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता कर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 9 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)

1 वन क्षेत्र में होने वाले खनिज कार्यों को विभाग द्वारा नहीं रोक पाने पर चर्चा के लिये।

2. भारतीय मजदूर संघ के साथ वन श्रमिकों के सम्बन्ध में हुई चर्चा के क्रियान्वयन में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये।

3. उदयपुरवाटी में कटते वनों के स्थान पर वनों का पुनरारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार

(श्री मदनलाल सैनी)

मजदूरों की मजदूरी तथा अन्य सुविधायें नहीं देने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

5. मजदूरों की वरिष्ठता सूची में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही)

6. सिरोही मुख्यालय के लकड़ी कोयला केन्द्र को लकड़ी उपलब्ध कराने संबंधी चर्चा के लिये।

7. शिवगंज नगर में लकड़ी कोयला विक्रय केन्द्र नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

8. क्लोजर (सुरक्षित फोरेस्ट) जिनकी समयावधि पूरी हो गयी है उन्हें चराई के लिये खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. सिरोही जिले में अवैध कटाई से नष्ट हो रहे वनों का पुनरारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

10. वन विभाग के कर्मचारियों व गार्डों व फोरेस्ट अधिकारियों द्वारा वनों की सुरक्षा ठीक प्रकार से न करने से हो रहे वन ह्रास पर चर्चा के लिये।

11. भीलवाड़ा जिले में लगाये गये पेड़ों को पानी न देने व रख-रखाव ठीक नहीं रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. भीलवाड़ा तहसील के कई चारागाहों में पेड़ पुनः लगाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

13. भीलवाड़ा जिले में वन विभाग द्वारा पेड़ लगाने व अनुदान देने में बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

14. एक व्यक्ति एक पेड़ योजना बनाकर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. राज्य में 33 प्रतिशत से घटकर मात्र 3 प्रतिशत वन ही रहने तथा बदलते मौसम को देखते हुए भविष्य में मानसून के अभाव में होने वाली वनों की क्षति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. वनों की लकड़ियों को फर्नीचर और मकान हेतु काम में लेने से भारी मात्रा में प्रदेश से बाहर सप्लाई किये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. वनों की अवैध कटाई को रोकने तथा वनों का पुनरारोपण किये जाने पर चर्चा के लिये।

18. जमवारामगढ़ के वन क्षेत्र में वनों के रख-रखाव हेतु समुचित प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. वन उपज को बढ़ाये जाने की आवश-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

1. थाना क्षेत्र प्रागपुरा के थानाधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों की अकर्मण्यता तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

2. प्रागपुरा थानाधिकारियों द्वारा एक वर्ष की अवधि पर्यन्त कत्ल का सुराग नहीं लगाये जाने एवं बेकसूरों पर झूठा केस बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

3. पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पुलिस द्वारा गलत मुकदमें बनाये जाने से उत्पन्न स्थितियों के संदर्भ में चर्चा के लिये।

4. पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों एवं भूमि हड़पने वालों को सहयोग देकर प्रदेश में भूमि पर कब्जा करवाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

5. राज्य में तस्करी एवं जासूसी को रोकने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

6. राज्य में चोरियां, डकेतियां, कत्ल, नकबजनी एवं गुण्डागर्दी दस गुना बढ़ जाने पर भी विभाग का सचेष्ठ न होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

7. पुलिस भर्ती में जिलों के पुलिस अधीक्षक को सलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. राजस्थान में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए बोर्ड का चेयरमैन डी. आई. जी. को बनाने से गतवर्ष पुलिस की भर्ती न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. राजस्थान पुलिस की भर्ती एवं पदोन्नति दिये जाने हेतु गठित भर्ती बोर्ड में अनुसूचित जाति एवं जन जाति व अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. सीमावर्ती जिलों में गुप्तचर शाखाओं में सब इन्सपेक्टर 20-20 सालों तक एक ही जिले में रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. बाड़मेर जिले के मुनाबा में नियुक्त बी.आई. के सब इन्सपेक्टर के मुख्यावास ग्राम में पाक जासूस को बी.एस.

(श्री ग्रमीन खां)

एफ. द्वारा पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

12. सीमा पर पूरी तारबन्दी बन्द कराने हेतु चर्चा के लिये ।

13. सीमा पर योग्य एवं ग्रनुभवी सब इन्सपेक्टर नियुक्त किये जाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये ।

14. सीमावर्ती जिलों के थानों में ग्रच्छी जीप गाड़ियों की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

15. सीमावर्ती जिलों में नियुक्त कुछ सी. ग्राई.डी. कर्मचारियों के तस्करी में लिप्त व ग्रादि होने एवं उनके विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से बढ़ते दु:साहस पर चर्चा के लिये ।

16. बाड़मेर जिले के गुप्तचर विभाग के ग्रधिकारियों द्वारा तस्करों से रिश्वत लिए जाने सम्बन्धी प्रकरण की डी. जी. द्वारा सी. ग्राई. डी. (क्राइम) से कराई गई जांच रिपोर्ट को दबाये जाने पर चर्चा के लिये ।

17. बाड़मेर जिले में पुलिस हिरासत में हुई मौत के सम्बन्ध में जनता द्वारा डी. जी. को की गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिए ।

18. बाड़मेर जिला थाना के कैश नम्बर-35/88 की तफतीश एस.पी. से वापिस ली जाकर ग्रपराधी, पुलिस कर्मचारियों को बचाये जाने से उत्पन्न जन-ग्रसन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री कुबेर सिंह (फलसिया)

19. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के थानों में विभाग द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न बाधा पर चर्चा के लिये ।

20. ग्रादिवासी क्षेत्र पुलिस स्टेशनों पर पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

21. ग्रादिवासी क्षेत्र में पुलिस थानों पर जीपों की व्यवस्था नहीं होने से ग्रभियुक्तों को पकड़ने में हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

22. ग्रादिवासी क्षेत्र में थानों की सीमा घटाकर नये थाने या पुलिस चौकियां स्थापित करने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये ।

23. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में ग्रनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों पर पुलिस द्वारा किये जा रहे ग्रत्याचार के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

24. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में बढ़ती चोरी, डकेती, ग्रागजनी, बलात्कार के कारण उत्पन्न चिन्ता पर चर्चा के लिये ।

25. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के थानों में एफ.ग्राई.ग्रार. दर्ज नहीं किये

(श्री कुबेर सिंह)

जाने के कारण उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

26. बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में खुले ग्राम तस्करी व जुर्म पेशावरों की हिस्ट्री शीटे नहीं खोलकर सिर्फ एक वर्ग विशेष की हिस्ट्री शीटे खोलने पर चर्चा के लिये।

27. ग्रामीण (रेगिस्तानी) क्षेत्रों के नवयुवकों को पुलिस कान्सटेबल के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सैकेण्डरी के बजाए 8वीं तक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. सिलींग में बाड़मेर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा आवन्टित की गयी जमीन व उसके भू-भागों पर अन्य लोगों के द्वारा कब्जे करने सम्बन्धी शिकायत थानों में मुकदमों को दर्ज नहीं किये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

29. जैसलमेर जिले के गजसिंह का ग्राम में 20 बकरियों की चोरी को पुलिस द्वारा बरामद नहीं कराने से उत्पन्न निराशा पर चर्चा के लिये।

30. सीमावर्ती क्षेत्र में तस्करी रोकने के लिए ग्राम बिजाबा जैसिन्धर में पुलिस चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में पुलिस थानों में पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. सीमावर्ती जिलों में पुलिस के पास ऐ.के. 47 राईफलों के मुकाबले की राईफलें न होने पर चर्चा के लिये।

33. कान्सटेबल से लेकर सब इन्सपेक्टर तक के लिए निर्धारित वेतन श्रृंखला कम होने से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

34. सवाई माधोपुर जिले के टोडाभीम तहसील के ग्राम गोरड़ा में 27 फरवरी, 1990 को मत पेटियां डालने वालों को आज तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार न करने पर व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

35. राजस्थान पुलिस की भर्ती एवं पदोन्नति हेतु गठित बोर्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं होने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

36. सवाई माधोपुर जिले की बैंक आफ बड़ौदा की शाखा सूरवाल के प्रबन्धक के हत्यारों को गिरफ्तार न करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

37. पुलिस की लापरवाही से कोटपूतली राजमार्ग 8 के चौराहे पर वाहनों का

(श्री रामकरण सिंह)

जमघट होने से आये दिन दुर्घटनाओं से मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. कोटपूतली तहसील के थानों में स्टाफ और सामान फर्नीचर आदि की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. पुलिस की लापरवाही से तहसील कोटपूतली में फैलती जा रही अराजकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी)

40. पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. गृह मंत्री और पुलिस के विभिन्न उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा जन अभियोजना खुले में सुनने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. वन विभाग में तैनात सतर्कता दल को हटा कर स्टेट ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन में लगाने हेतु चर्चा के लिये।

43. गांव पाल (जोधपुर तहसील) में शान्ति भंग होने की पूर्व सूचना होने के उपरान्त भी पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

44. ग्राम पाल, जिला जोधपुर में जनवरी, फरवरी, 91 में अनु. जाति के लोगों पर कातिलाना हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. ग्राम जालि खेड़ा, पुलिस स्टेशन गुढ़ा मालानी में पुलिस चौकी की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

46. पुलिस द्वारा जांच और कोर्ट में चालान पेश करने में विलम्ब से अपराध प्रवृत्ति बढ़ने पर चर्चा के लिये।

47. पुलिस विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और राजनैतिक दखल से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

49. जयपुर, जोधपुर, ब्यावर में अक्टूबर 1990 में हुए दंगों की पूर्व जानकारी देने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

50. जयपुर, जोधपुर, ब्यावर में अक्टूबर 1990 में हुए दंगों की जांच सी. बी. आई. से कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)

51. पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली)

52. पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों को शह दिये जाने से आम जनता को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

53. बिजली के तारों की बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए कोई कारगर व्यव-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

स्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

54. दहेज के मामले की हत्या और मजबूरन हत्याओं की निरन्तर बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इनमें शीघ्र निस्तारण में पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

55. राज्य के तमाम पुलिस थानों को जीप मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

56. राजस्थान में कानून एवं व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मनीराम (लूणकरणसर)

57. महाजन तथा लूणकरणसर पुलिस स्टेशन पर एफ. आई. आर. लाज कराने के लिए पीड़ित पक्ष से भारी राशि वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

58. महाजन थाने में पुलिस की अकर्मण्ता से उत्पन्न निराशा पर चर्चा के लिये ।

59. ग्राम सुई, कालू तथा कनकोदेशर रावासर में पुलिस की निष्क्रियता हमेशा लड़ाई झगड़े की वारदातें बढ़ने पर चर्चा के लिये ।

60. ग्राम महाजन अर्जुनसर में पुलिस की निष्क्रियता से हमेशा अशान्ति बनी रहने पर चर्चा के लिये ।

61. राजस्थान पुलिस को शरीफ आदमियों से विभिन्न प्रकार के हथकण्डे अपनाकर पैसे वसूल करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चर्चा के लिये ।

62. लूणकरणसर थाना क्षेत्र में अभी भी एक वर्ष से चोरी होने का सिलसिला जारी रहने से जनता में फैले भारी रोष पर चर्चा के लिये ।

63. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक पुलिस थानों में जातियता का आधार मानकर थानेदार (एस. आई.) लगाये जाते हैं जिससे उनकी जाति के लोगों में अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने पर चर्चा के लिये ।

64. न्याय एवं सुरक्षा के प्रति जनता में विश्वास पैदा करने में पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

65. ग्राम जटवाड़ा तह. बस्सी के कक्षा 10 के छात्र के कत्ल थाना दौसा के हलके में करने के 3 माह बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

66. ग्राम भावनी थाना जमवारामगढ़ में एक अध्यापक की पत्नी के दोनों हाथ व पांव काटकर चांदी के कड़े डकेत द्वारा ले जाने वालों को पकड़ने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैया लाल)

67. ग्राम हीरापुरा थाना बस्सी के ग्राम वासियों पर कत्ल का झूठा आरोपा लगाने की जांच कराने की आवश्यकत पर चर्चा के लिये।

68. थाना बस्सी में एफ. आई. आर. नम्बर 326/90 दिनांक 4-11-90 द्वारा दर्ज कस्बा तूंगा के निर्दोष व्यक्तियों पर लगे झूठे मुकदमे को उठा (वापिस) लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. थाना पण्डेर, जिला भीलवाड़ा में दिनांक 18-9-90 या 19-9-90 को ट्रक नम्बर आर. एस. ओ. 3505 के खलासी एवं ड्राइवर को डकैतों ने घायल कर रकम लूटने के बाद दिनांक 22-9-90 को ट्रक नम्बर आर. एस. ओ. 2708 के खलासी को चाकुओं से गोदकर खत्म करने एवं ड्राइवर को घायल करने पर भी आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाने पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

70. पुलिस स्टेशन पहाड़ा के कर्मचारियों को बदलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. भ्रष्टाचार खत्म कराने में पुलिस का सक्रिय सहयोग नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी)

72. पुलिस प्रशासन को संवेदनशील एवं सुदृढ़ बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा)

73. राजस्थान पुलिस का आधुनिकरण नहीं किया जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. रायथल में नवीन पुलिस चौकी खोली जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. खटकड़ में नया पुलिस थाना बनवाने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी) एवं श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

76. मेजा गोली काण्ड के दोषी सिपाही को बीकानेर से पुनः जिला भीलवाड़ा में लगाने से उत्पन्न जनाक्रोष को देखते हुये उक्त आदेश को तुरन्त रद्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी)

77. मु. न. 267 थाना फागी में दर्ज रिपोर्ट में निर्दोष व्यक्ति को मुल्जिम बनाने पर चर्चा के लिये।

78. थाना क्षेत्र में हो रही डकैती एवं चोरियों में पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में चर्चा के लिये।

79. माधोराजपुरा में पुलिस थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह)

80. बामरण गांव के सरपंच के खिलाफ पंचायत निर्माण कार्यों में बनाये गए फर्जी दस्तावेजात एवं गबन करने सम्बन्धी मुकदमों में अन्तिम प्रतिवेदन लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

81. कोतवाली बून्दी द्वारा फरार मुल्जिमों के खिलाफ न्यायालय में प्रस्तुत किये गए मुकदमों में स्थायी गिरफ्तारी वारन्ट वाले मुल्जिमों को गिरफ्तार न करने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

82. चौमूं में उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय के अभाव से आम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

83. चौमूं क्षेत्र के खेजडोली में पुलिस चौकी कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मी लाल (आसीन्द)

84. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

85. पुलिस कर्मियों का स्तर सुधारने पर चर्चा के लिये ।

86. बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिये पुलिस को अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह (महुआ)

87. स्थापित थानों में पुलिस बल की कमी से बढ़ते अपराधों पर चर्चा के लिये ।

88. पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

89. विधान सभा क्षेत्र के महुआ के मुख्यावास में गत एक वर्ष से निरन्तर बढ़ रही संगीन चोरियों पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवजीराम (जहाजपुर)

90. दिनांक 22-12-89 को लाल कोठी, जयपुर पर साईकिल रिपेयर करने वाले से 21 बम्ब बरामद किये जाने वाले एस. आई. टी. के हैड कांसटेबिल की विभाग द्वारा उपेक्षा करने से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर)

91. सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में चोरी गयी प्राचीन मूर्ति के बरामद करने में पुलिस को निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू)

92. झुन्झुनू की मण्डेला ग्राम पंचायत के सरपंच जिसे पिछले वर्ष बिजली चोरी करते उड़न दस्तेने रंगे हाथों पकड़ा जाने पर भी उसका अभी तक चालान पेश नहीं करने व कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)

93. हिण्डौन क्षेत्र की खानों में डकैतों के

(श्री भरोसी लाल)

आंतक से जनता में व्याप्त भय एवं सूरोठ थाने में जीप एवं टेलीफोन लगवाये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

94. हिण्डौन क्षेत्र के सूरोठ थानान्तर्गत ग्रामों में से ग्राम झिरना, खरैटा, ओरनीगूजर, पोछडी, मंगो, जेवरबाढ अटना, राजापुरा, बमनपुर, बाजनकला, बाजनाखुर्द इत्यादि को हटा करके हिण्डोन थाने में लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

95. जिला सवाई माधोपुर के पुलिस की निष्क्रियता के कारण चोरीयां, डकेतीयां व हत्याओं की रोकथाम नहीं होने पर चर्चा के लिये।

96. खण्डार क्षेत्र में थाना रवाजना डूंगर को जीप एवं टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के, क्रम में चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)

97. हिण्डौन तहसील के खरैटा ग्राम में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री निर्भय लाल (रूपवास)

98. रूपवास तहसील के रुन्दावण में थाना एवं बंसी पहाड़पुर, वेधवरिटा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

99. मेवाड़ भील कोट में आदिवासी युवकों की भर्ती में भेदभाव बरते जाने पर चर्चा के लिये।

100. डूंगरपुर जिले में कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. सागवाड़ा क्षेत्र में असामाजिक तत्वों से जनता को सुरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

102. आर. ए. सी. में होने वाली भर्ती के समय सभी समुदायों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. प्रदेश में पुलिस द्वारा बढ़ते हुए अत्याचारों की रोकथाम करने में असमर्थता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

104. पुलिस कर्मियों द्वारा ड्यूटी समय पर शराब नहीं पीने एवं जनता से मृदु एवं सद्व्यवहार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. पुलिस कर्मचारियों और सुरक्षा प्रहरियों से अपेक्षित कर्तव्यों के समुचित निर्वहन करने में व्यावहारिकता तथा सावधानी बरतने हेतु प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

106. सांगानेर के मानसरोवर क्षेत्र में चोरियों की घटनायें बढ़ने के कारण लोगों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

107. सांगानेर में गत वर्ष हुई गोली काण्ड के अपराधी लोगों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. सांगानेर गोली काण्ड में लिप्त पाये गये कुछ सहकारी कर्मचरियों के खिलाफ उनके सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पुलिस द्वारा सूचना नहीं देने पर चर्चा के लिये।

109. सांगानेर थाना के कार्यरत पुलिस कर्मियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने एवं अपराधियों से सांठ--गांठ करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. चन्दलाई (चाकसू, जयपुर जिला) में कुछ गुण्डों द्वारा एक महिला का अपहरण कर लेने में पुलिस की सांठ–गांठ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

111. राजस्थान में बाल अपराधों की बढ़ती हुई संख्या पर नियन्त्रण करने से पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

112. राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों को रोक पाने में पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

113. सीखो--कमाओ योजना के अन्तर्गत भ्रष्टाचारों की रिपोर्ट्स पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने एवं मामले को रफा दफा करने पर चर्चा के लिये।

114. पुलिस के सिपाहियों को वर्दी तथा मैस भत्ते की दरों के वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ब्लैक-बोर्ड ऑपरेशन के सम्बन्ध में हुई खरीददारी में हुए भयंकर घोटाले में दायर एफ. आई. आर. में वर्णित बड़े अधिकारियों पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

116. पुलिस थानों में कंटीन्जेंसी की रकम कम होने के कारण मुल्जिमों से स्टेशनरी मांगने पर चर्चा के लिये।

117. राजस्थान के वनवासी क्षेत्रों में वहां की महिलाओं पर पुलिस के बढ़ते हुए अत्याचारों पह चर्चा के लिये।

118. राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण के दौरान संवेदनशील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. भीलवाड़ा में विश्व हिन्दु परिषद् द्वारा

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

निकाले जाने वाले जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एवं गोली चला कर निर्दोष लोगों को मारने के कारण भीलवाड़ा की जनता में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

120. राजस्थान की गुप्तचर पुलिस की निष्क्रियता के कारण साम्प्रदायिक झगड़ों में जान और माल की क्षति पर चर्चा के लिये।

121. राजस्थान में यू. आई. टी., नगर-पालिकाओं तथा इसी प्रकार के अन्य विभागों में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

122. जयपुर नगर में दहेज से सम्बन्धित हत्या के मामले में मां-बाप के बयान नहीं लेने और कमंवार गृह मंत्री, आई. जी., एस. पी. आदि को लिखने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर पुलिस की संदिग्ध भूमिका पर चर्चा के लिये।

123. उदयपुर जिले के हड़मतिया गांव में पुलिस द्वारा वनवासियों पर अनावश्यक रूप से बल प्रयोग कर गोली चला कर मारने तथा घायल करने पर चर्चा के लिये।

124. मीरा गर्ल्स कालेज उदयपुर के पास मनचले युवकों द्वारा लड़कियों को छेड़ छाड़ आदि पर पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

125. राजस्थान से कई आई. जी. व डायरेक्टर पुलिस के पद बढ़ाने के बाद भी विभिन्न तरह के अपराधों की संख्या में कमी नहीं होने पर चर्चा के लिये।

126. उदयपुर नगर में ट्रेफिक पुलिस व आर्म्ड कान्स्टेबल की कमी होने से से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

127. उदयपुर नगर उदियां पोल चौराहे हर ट्रकों में महिला तथा पुरुषों को गैर तरीके से बिठाकर ले जाने से अवरूद्ध हो रही ट्राफिक व्यवस्था को सुधारने के प्रति विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

128. पुलिस की निष्क्रियता से उदयपुर नगर में देहेली गेट के बाहर दो एक्सीडेन्टों में एक लड़की व लड़के की मृत्यु होने पर चर्चा के लिये।

129. सिन्धी बाजार उदयपुर के आयुर्वेद चिकित्सालय के कम्पाउण्डर द्वारा दूसरों के मनीआर्डर प्राप्त करने पर 420 का केस दायर होने पर भी पुलिस द्वारा छोड़ देते से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

130. उदयपुर में हत्याओं के पश्चात् पुलिस द्वारा हत्यारों का पता लग जाने पर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं करने पर पुलिस की संदिग्ध भूमिका पर चर्चा के लिये।

(168)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

131. उदयपुर में एक बालिका की हत्या में पुलिस अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका पर चर्चा के लिये।

1. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

2. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार)

132. पुलिस बल में आधुनिकीकरण करने व उन्हें अधिक अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. थाना ब्रह्मपुरी के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों द्वारा कागदीवाड़ा, छीपावाड़ा गूजरघाटी, डिफेन्स कालोनी में अवैध कब्जे करके रहने व कालोनी वालों को डराने धमकाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

134. पुलिस बल को जागरूक, सतर्क एवं जनता के प्रति संवेदनशील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. साम्प्रदायिक तनाव दूर करने के लिये आवश्यक रूप से विभाग द्वारा विधायक, संसद सदस्य क्षेत्र के सभी वर्गों के प्रबुद्ध वयोवृद्ध लोगों को सम्मिलित करते हुए समितियां बनाकर बार-बार विचार विमर्श किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. पुलिस कर्मियों द्वारा शराब की दुकानों को दृढ़ता से आठ बजे बन्द कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विभाग द्वारा असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ाई से निपटने व चालान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. जयपुर नगर में साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाकर लूट व आगजनी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. जयपुर में गत दिवसों हुए साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाले समय में गोलियां चलाकर दंगे भड़काने के आरोप में केस चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. शास्त्री नगर की नर्स के साथ बलात्कार करने वाले को गिरफ्तार किये जाने की आवश्यकता पर तथा थाना सोढ़ाला की अकर्मण्यता से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

1. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

2. श्री गोपीराम जाट (आमेर),

3. श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार) एवं

4. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

141. आवश्यकता के अनुसार पुलिस की नफरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

142. रेल्वे पुलिस की मिली भगत के कारण रेल्वे स्टेशनों से यात्रियों के माल की हो रही चोरियों की तफतीश न करके एफ. आर. लगाये जाने से पुलिस थाना जी. आर. पी. को समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

143. राज्य में घुड़सवार पुलिस की संख्या बढ़ाने तथा खाली समय में उनका अभ्यास जारी रखने व प्रतिस्पर्धाओं में प्रोत्साहन देकर भाग लिये जाने के अवसर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक)

(3) **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार)

144. जयपुर नगर की घनीभूत आबादी क्षेत्रों में जुएबाजी को रोके जाने में पुलिस विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री गोपीराम जाट** (आमेर)

(3) **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार)

(4) **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक)

145. थाना ब्रहमपुरी के द्वारा क्षेत्र में निर्दोष नागरिकों को दंगों में लिप्त बताने एवं धमकाने एवं आतंकित किये जा कर धन कमाने की नियत से उन्हें दंगों में लिप्त बताकर डरा धमकाने से विभाग की गिरती छवि पर चर्चा के लिये ।

146. जमवारामगढ़ थाने में फोन की सुविधा अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

147. कानून व व्यवस्था में सुधार हेतु पुलिस को सशक्त बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

148. गांव व शहरों के प्रत्येक थानों पर जीप मुहैया कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

149. पुलिस कर्मचारियों के महंगाई के अनुरूप वेतन भत्ता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

150. पुलिस कर्मियों का मैस भत्ता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

151. महिला अत्याचार के मामलों में पुलिस कर्मियों द्वारा हत्याओं को आत्महत्या में बदलने की साजिश से पुलिस की गिरती छवि पर तथा उचित रिपोर्ट दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) एवं

(3) **श्री गोपीराम जाट** (आमेर)

152. पुलिस विभाग की एक चौकी जिला जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्री गोपीराम जाट** (आमेर)

(2) **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) एवं

(3) **श्रीमती उजला अरोडा** (जयपुर ग्रामीण)

153. आबादी की दृष्टि से झोटवाड़ा पुलिस थाने का पुलिस बल बढ़ाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

154. बांदरी की नासिक पर प्याऊ के ऊपर के स्थान पर जो जनता के द्वारा उपलब्ध कराई है तथा रामचन्द्र जी की चौकड़ी में संवेदनशील नदी एरिया में पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

155. झोटवाड़ा रेल्वे क्रासिंग पर दोनों तरफ दो–दो सिपाहियों को लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

156. पंचायत समिति झोटवाड़ा के पास बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस के सिपाही लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

157. आमेर विधान सभा क्षेत्र के जाहोता में पुलिस चौकी कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

158. पुलिस चौकी कालवाड़ को थाना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

159. थानों पर आने वाली शिकायतों को दर्ज करने और समय पर तफतीश करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) एवं

(2) **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार)

160. हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में तफतीश करने में पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) एवं

(3) **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार)

161. पुलिस चौकी कालवाड़ थाना बगरू को भवन उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार)

162. पुलिस थानों के लिये स्टेशनरी का बजट अलग से अलाट किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. महिला पुलिस कर्मियों के पदोन्नति के अवसरों को समय पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रकों से उनके निकास के समय के विपरीत पैसे लिये जाने से विभाग की गिरती छवि पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

165. राजस्थान में उच्च पुलिस अधिकारियों को अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक वर्दी भत्ता दिये जाने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

166 पुलिस कर्मचारियों को आवास सुविधा न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

167. पुलिस विभाग में दिल्ली पुलिस की तरह रोटेशन सिस्टम लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. पुलिस विभाग के ट्रेनिंग सेन्टरों में प्रशिक्षण देने हेतु विद्वान अधिकारियों को रखकर अच्छा व्यवहार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर)

169. समस्त थाना क्षेत्रों में ड्यूटी के सम्बन्ध में आने जाने के लिए सभी पुलिस कर्मियों को पर्याप्त भत्ता दिया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170 राजस्थान में पुलिस विभाग के कांस्टेबिलों को अन्य विभागीय कर्मचारियों के समान टेरीकोट की वर्दी दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. पुलिस विभाग में अन्य राज्यों की भांति अन्वेषण विभाग तथा-ला एण्ड आर्डर के कार्य का विभाग अलग-अलग किया जाने हेतु चर्चा के लिये।

172. पुलिस विभाग में थाना अधिकारियों को राजकीय कार्य हेतु सभी थानों में टेलीफोन व जीप की तुरन्त व्यवस्था की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. राज्य व देश में महंगाई को देखते हुये मैस अलाउन्स दुगना किया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. मैस अलाउन्स एस. आई. के पद तक दिया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

175. लाखेरी पुलिस थाने के कार्य क्षेत्र में शराबियों द्वारा फैलाये जा रहे आतंक से मुक्ति दिलाने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

176. केशवराय पाटन पुलिस थाने का

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

प्रस्तावित भवन निर्माण के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

177. सिपाहियों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधा न देने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

178. महिला पुलिस कर्मियों को निजी स्थानों के पास ही नियुक्ति देकर सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

179. महिला पुलिस की संख्या बढ़ाने एवं 50 हजार की आबादी वाले सभी नगरों में महिला थाने नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

180. आदिवासियों पर बढ़ रहे अत्याचारों को गम्भीरता से लेकर उचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने पर चर्चा के लिये ।

181. केशवराय पाटन क्षेत्र में जैंथल, दरखेड़ा में नये पुलिस थाने नियुक्त कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनवायें जाने पर चर्चा के लिये ।

182. कापरेन थाने क्षेत्र में मेघवालों के मन्दिर के कलश चोरी को बरामद करने में पुलिस द्वारा बरती जा रही उदासीनता एवं शिथिलता से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

183. खटकड़ स्थित घूंघलेश्वर महादेव की मूर्ति चोरी का प्रकरण पुनः खोला जाकर एक विदेशी, एक राजनेता एवं एक अधिकारी के दो दिन पूर्व बून्दी सर्किट हाऊस एवं चोरी के एक दिन पूर्व खटकड़ में रुकने के मामले की विशेष दल द्वारा जांच करवाई जाकर पता लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

184. पुलिस विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

185. विभाग में पदानुसार अनुसूचित जाति-जन जाति का आरक्षित कोटा पदोन्नतियों सहित पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

186. हिण्डौन जातीय संघर्ष के दौरान अनियमितता एवं उदासीनता बरतने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

187. पुलिस द्वारा बूंदी जिले के मन्दिरों की सम्पत्ति, मूर्ति कलश एवं आभूषण आदि की चोरियों को बरामद नहीं करने से जनता में भारी असंतोष एवं धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

188. पुलिस थाना कापरेन का भवन बनाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये ।

189. पुलिस थाना कापरेन को आवश्यक रूप से जीप उपलब्ध करवाई जाकर राहत देने पर चर्चा के लिये ।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

190. पुलिस विभाग में छोटे कर्मचारियों से ली जा रही बेगार को रोका जाकर कर्मचारियों को राहत देने पर चर्चा के लिये।

191. गरीब एवं अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचारों को शक्ति से रोका जाकर लोगों को राहत देने पर चर्चा के लिये।

192. महिला पुलिस कर्मियों की सेवाओं का लाभ नगर पालिका क्षेत्रों तक उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. पुलिस कर्मियों को नये वेतनमान दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. बाल अपराधों एवं महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने में पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

195. राज्य में बढ़ रहे अत्याचार, चोरी, लूट, बलात्कार एवं गुण्डागर्दी को सख्ती से रोके जाने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

196. पुलिस विभाग में फैल रही अनुशासनहीनता को सख्ती से दबाया जाकर उचित व्यवस्था बनवाई जाने पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

197. दिनांक 30-7-90 को जयपुर में ससुराल वालों द्वारा एक युवती की हत्या के प्रकरण में पुलिस द्वारा सक्रिय भूमिका नहीं निभाने पर चर्चा के लिये।

198. सिटी पैलेस, उदयपुर में दिनांक 5-5-90 को विस्फोट में चार व्यक्तियों की मृत्यु तथा अनेकों घर लूटने के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

199. पुलिस जवानों को टेरीकोट की वर्दी देने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामलानी)

200. कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के अधिकार पुलिस के स्थान पर पंचायतराज संस्थाओं को दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)

201. दिनांक 18-2-90 को उदयपुर में जली एक कुमारी को जनरल हास्पिटल उदयपुर में भर्ती न कराकर अजमेर के नेहरू अस्पताल में एक व्यक्ति की पत्नी के रूप में भर्ती कराया गया व उसकी दिनांक 23-2-90 को मृत्यु हो जाने पर मामले की जांच में पुलिस की भूमिका के सन्देहास्पद होने पर चर्चा के लिये।

202. चावण्ड, जिला उदयपुर के हत्या के प्रकरण में राजनैतिक हस्तक्षेप से प्रेरित होकर पुलिस द्वारा निर्दोष

(१७४)

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने तथा मुल्जिमों को संरक्षण दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

203. दिनांक 14-12-90 को सुदखण्ड के खेड़ा गांव के चौराहे (जिला उदयपुर) पर हुई टेलर की हत्या प्रकरण के मुल्जिम को आज तक गिरफ्तार नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

204. उदयपुर जिले के गोगुन्दा गांव के हत्या–मारपीट आदि से सम्बन्धित 5 दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राजनैतिक प्रभाव के कारण पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

205. 6-8-89 को पारसोला जिला उदयपुर में हुए गोली कांड के बाद निर्दोष लोगों को बाद में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उनको जानबूझ कर फंसाया जाने पर चर्चा के लिये ।

206. 11-2-88 को बाच्छी जिला चित्तौड़ में हुए हत्याकाण्ड आंदोलन में राजनीति से प्रेरित होकर पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमें लगाकर नागरिकों को फंसाया जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

207. केकड़ी उप अधिक्षक पुलिस द्वारा चोरी से सम्बन्धित मुकदमा नम्बर 20/91 से अपराधियों से मिलकर षड़यन्त्र कर अपने पद का दुरुपयोग करके निरपराध लोगों को फंसाने, धमकाकर माल लेने एवं उसको हजम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

208. राज्य में मूर्ति चोरियों की बढ़ती घटनाओं को पुलिस द्वारा नहीं रोक पाने से व्याप्त व्यापक रोष पर चर्चा के लिये ।

209. राज्य में राजनैतिक आधार पर पुलिस द्वारा बनाये मुकदमों को वापिस लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)

210. गुढ़ा थाना में जीप उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

211. अटरू तहसील के बडौरा कस्बे में पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

212. किसी भी झगड़े में पुलिस द्वारा दोषी और निर्दोषी (फरियादी और मुलजिम) दोनों के साथ सम्मान बर्ताव करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

213. पुलिस थानों को पर्याप्त लेखन सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल (परबतसर)

214. पुलिस थाना पीलवा, जिला नागौर में टेलीफोन व जीप की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

215. पुलिस कर्मियों का मैस भत्ता बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

216. कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस कर्मियों की नफरी में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. पुलिस थाना पीलवा व लच्छीपुरा में ए. एस. आई. का पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

218. पुलिस कर्मियों के वर्दी अलाउन्स में बढ़ोतरी करने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

219. पुलिस थानों में स्टाफ की वृद्धि करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा)

220. पुलिस कर्मियों का वेतन भी अध्यापकों के समान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. पुलिस थानों हेतु पर्याप्त मात्रा में लेखन सामग्री उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

222. छबड़ा क्षेत्र के सुदूर के बोपरवा थाने में जीप उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. पुलिस कर्मियों द्वारा जनता के साथ सद्व्यवहार एवं दोषियों के प्रति सख्त रूख अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. जनसंख्या वृद्धि एवं क्षेत्र विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये छबड़ा क्षेत्र में एक और थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. छीपा बड़ौद की सारथल चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

226. आबू पर्वत से उदयपुर रोड़ स्थित ग्राम मोरस में पुनः पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. सीलदर (थाना कालेन्द्री) में पुलिस चौकी के प्रस्ताव जिला पुलिस में काफी समय से लम्बित होने पर भी पुलिस चौकी नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये।

228. थाना भण्डार व आबू पर्वत में सरकारी वाहन नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

229. थाना बरलूट में टेलीफोन कनेक्शन दिया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. कैलाश नगर में स्थायी रूप से पुलिस चौकी कायम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण आबू पर्वत थाने को क्रमोन्नत कर इन्सपेक्टर का पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

232. पुलिस थाना-शिवगंज को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीराम जाट (आमेर)

233. चौमू क्षेत्र के ग्राम उदयपुरिया में पिछले दिनों रात्रि में टेन्ट हाऊस व एक लकड़ी की दुकान जलाये जाने पर ग्राम जनता में असन्तोष होने पर भी पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

234. भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की बढ़ती अनियमितताओं पर रोक लगाने हेतु चर्चा के लिये।

235. भीलवाड़ा नगर के सदर थाने, पुलिस कन्ट्रोल रूम के भवन बेचने के बजाय सुरक्षित रखा जाकर उसे सुदृढ़ किया जाने पर चर्चा के लिये।

236. राज्य में अपराधवृत्ति को रोकने के लिये कारगर कदम उठाने पर चर्चा के लिये।

237. भीलवाड़ा नगर के राधा कृष्णन नगर, थान तलाई बस्ती में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये।

238. भीलवाड़ा नगर के शास्त्री नगर क्षेत्र के समीप पुलिस चौकी स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये।

239. भीलवाड़ा की संजय कालोनी व सुवाना रोड़ की सांगानेर कालोनी के आस-पास की बस्तियों की सुरक्षा के लिये सुवाना-सांगानेर रोड़ पर पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. भीलवाड़ा नगर में सुभाष नगर पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाने हेतु चर्चा के लिये।

241. भीलवाड़ा जिले के संवेदनशील ग्रामों व क्षेत्रों में स्थायी तौर पर पुलिस का प्रबन्ध किये जाने की चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल)

242. भीनमाल के खेमकरी माता के सार्वजनिक मन्दिर पर पुलिस विभाग द्वारा वायरलेस सेट लगाकर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने से उत्पन्न जनाक्रोष पर चर्चा के लिये।

243. भीनमाल में पुलिस थाने हेतु आरक्षित भूखण्ड पर भवन बनाने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल)

244. पुलिस थाना बागोडा के जीर्णशीर्ण भवन की जगह नया भवन बनाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

245. भीनमाल में नियुक्त स्टाफ व कान्सटेबिल के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

246. भीनमाल विधान सभा क्षेत्र के थानों के गांवों का पुनर्सीमांकन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

247. पचपदरा–जसोल की पुलिस चौकियों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. मंडली एवं गिड़ा पुलिस थानों में जीप का प्रबन्ध नहीं होने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर चर्चा के लिये।

249. गिड़ा (बाड़मेर) के पुलिस थाने में बालू रेत भरने से रास्ता अवरूद्ध होने पर चर्चा के लिये।

250. बालोतरा में दिन–दहाडे होलसेल भण्डार के कर्मचारी की हत्या के दोषियों को अभी तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

251. बाड़मेर नगर में एक बालक की दिन दहाडे हत्या करने वालों का पता नहीं लगाये जाने पर चर्चा के लिये।

252. हाल ही में बालोतरा एवं सिवाना थाना अन्तर्गत आसोतरा, पारलू एवं कल्याणपुर में हुई चोरियों को बरामद करने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

253. बालोतरा स्थित पुलिस थाने की मरम्मत एवं विस्तार के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये।

254. बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी पुनः कायम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

255. बालोतरा में इन्सपेक्टर रेंक के थाना प्रभारी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण)

256. अकाल राहत, पुनर्वास, जनगणना परिवार कल्याण आदि में विभागीय कर्मचारियों को लगाने से विभाग के कामों में संचालन में गतिरोध उत्पन्न होने से चर्चा के लिये।

257. अकाल राहत, पुनर्वास, जनगणना एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता हेतु पृथक पुलिस बल गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

258. नगर के संवेदनशील इलाकों में नये पुलिस थाने व चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

259. विद्याधर नगर, जयपुर में पुलिस चौकी पर तैनात कर्मचारियों की निष्क्रियता के कारण फैल रही गुण्डा गर्दी को रोके जाने पर चर्चा लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

260. पुलिस थानों में पूछताछ के नाम पर राजनेता, कार्यकर्ताओं, समाजसेवकों व स्नातक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के साथ सद्व्यवहार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

261. यातायात पुलिस में महिला कर्मचारियों को नहीं लगाये जाने पर चर्चा के लिये ।

262. ट्रैफिक पुलिस की अव्यवस्था के कारण जनता को होने वाली कठिनाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

263. भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस केस रिकमण्ड होने पर भी राज्य सरकार द्वारा चालान न किये जाने से उत्पन्न विभाग की छवि पर चर्चा के लिये ।

264. पुलिस आधुनिकीकरण योजना 1990 के बाद जारी रखे जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को बाध्य किये जाने व अनुदान प्राप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

265. यू. पी., बिहार, आन्ध्रप्रदेश तथा मध्यप्रदेश के अनुसार राजस्थान में भी रीजनल जोनल आई. जी. पी. लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

266. दिल्ली के अनुरूप जयपुर में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

267. पुलिस कर्मचारियों को व इन्सपेक्टर हेतु बी. एस. एफ. सी. आर. पी. एफ. के अनुरूप क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

268. पुलिस कर्मचारियों के आर. पी. एफ. की तरफ के काम के निर्धारित घण्टे तय किये जाने व अधिक काम लिये जाने पर ओवर टाइम तथा हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

269. पुलिस बल का कर्मचारी बनाने व उसका पंजीकरण कराये जाने का अवसर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

270. पुलिस कर्मियों हेतु पुलिस थानों के समीप ही आवासीय कालोनी बनाने हेतु विभाग द्वारा कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

271. जयपुर नगर एवं जिलों की बढ़ती हुई आबादी और समस्या को देखते हुये तत्काल पुलिस बल का पुनर्गठन किये जाने व पुलिस बल बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

272. पुलिस कर्मचारियों को टेरीकोट की वर्दियां दिये जाने व इस हेतु उसकी सिलाई मार्केट रेट से उन्हें ही उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

273. कान्सटेबिल, हैड कान्सटेबिल तथा इसके ऊपर के इन्सपेक्टर आदि को सलेक्शन

(श्रीमती उजला अरोडा)

ग्रेड दिये जाने हेतु विभागीय प्रयास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

274. डाका जनी बलात्कार राहजनी आदि की घटनाओं को रोके जाने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये ।

275. आदर्श नगर थाने में एक तेली की पीटते-पीटते हत्या कर दिये जाने पर भी दोषी कर्मचारियों तथा अधिकारी को दण्डित न किये जाने पर चर्चा के लिये ।

276. वर्दी घुलाई का पैसा 15 रु. से बढ़ाकर 50 रु. किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

277. राज्य में डाग स्क्वाड को अधिक सक्षम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

278 नेशनल पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट व सुझावों को राज्य में भी लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

279. महिला दहेज एवं महिला हत्या की घटनाओं का विशेष स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा जांच करवाये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

280. मुकदमा नं. 85/89 थाना खातौली जिला कोटा की फाइल गाय द्वारा खाने का बहाना लेकर मुल्जिमों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने तथा अधीक्षक कोटा ग्रामीण द्वारा दोषी पुलिस कर्मियों को बचाकर भ्रष्टाचार फैलाने पर चर्चा के लिये ।

281. मुकदमा नं. 184/89 थाना इटावा (कोटा) के गम्भीर मामले में भी पुलिस कर्मियों एवं अधीक्षक कोटा ग्रामीण की मिली भगत एवं भ्रष्टाचार के मामले में एफ. आर. लगाने पर चर्चा के लिये ।

282. केस नं.185/89 थाना इटावा (कोटा) में भ्रष्टाचार में लिप्त होकर पुलिस कर्मियों एवं अधीक्षक कोटा ग्रामीण द्वारा निर्दोषियों को अनावश्यक रूप से मुकदमों में फंसा दिया जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

283. मुकदमा नं, 92/90 में थाना विराट नगर (जयपुर) में हरिजनों को हैण्ड पम्प से पानी नहीं भरने देने तथा हरिजनों के साथ सवर्णों द्वारा की गई मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

284. थाना सुकेत (कोटा) के एस. एच. ओ. द्वारा अनुसूचित जाति के एडवोकेट को नाजायज बन्द करने तथा उसकी जमानत नहीं होने देने के संबंध में चर्चा के लिये ।

285. मुकदमा नं. 94/90 एवं 110/90 में हरिजन बालिका के अपहरण एवं बलात्कार के मुल्जिमों के विरूद्ध पुलिस

(श्री हीरालाल आर्य)

द्वारा कार्यवाही नहीं करने तथा अधीक्षक ग्रामीण द्वारा कोई ध्यान नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

286. थाना सुकेत (कोटा) में हरिजन महिला निवासी लखारिया की मारपीट एवं बन्धुआ मजदूरी को पाबंद करने की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर तथा एस. पी. कोटा ग्रामीण द्वारा सुनवाई नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

287. थाना सुकेत (कोटा) में हरिजन बालिका निवासी सुकेत के साथ बलात्कार करने वाले मुल्जिमों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने अधीक्षक कोटा ग्रामीण द्वारा कोई सुनवाई नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

288. थाना इन्द्रगढ़ (बूंदी) अमरपुरा निवासी के हत्यारों को नहीं पकड़े जाने पर चर्चा के लिये ।

289. थाना खातौली निवासी बोरदा की नाजायज पिटाई करने तथा रुपयों की मांग करने की शिकायत अधीक्षक ग्रामीण कोटा तथा उपमहानिरीक्षक कोटा को किये जाने के बावजूद दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

290. थाना खातौली (कोटा) निवासी बोरदा के गवाहों से पुलिस द्वारा खाली कागज पर हस्ताक्षर कराये जाने की शिकायत अधीक्षक ग्रामीण कोटा उपमहानिरीक्षक कोटा को करने तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश के बावजूद भी कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

291. थाना खातौली (कोटा) ग्राम जटवाड़ी के मंदिर की चोरी गयी मूर्ति को पुलिस ने बरामद किया जिसे न्यायालय के आदेश के बावजूद भी गांव वालों को सुपुर्द नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

292. थाना इटावा (कोटा) के वन विभाग की 36 बोरी गेहूं व 4 बोरी मटर की मंडी इटावा से दिनांक 24-8-90 को पकड़ा चोरी करने वाले के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

293. थाना इटावा में केस नम्बर 38/90 में 302 के मुल्जिमों को बिना गिरफ्तार किये तथा बिना रिमाइंड मांगे ज्युडिशियल में दे देने तथा एस. पी. कोटा ग्रामीण एवं डी. आई. जी. कोटा को शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

294. थाना इटावा (कोटा) में एक गुर्जर की जीप से दुर्घटना 25-5-90 को दर्ज कराने के बावजूद भी समय पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

295. थाना इटावा (कोटा) में मुकदमा नम्बर 163/90 के मुल्जिमों को बिना कार्य-

(श्री हीरालाल आर्य)

वाही किये छोड़ देने पर चर्चा के लिये ।

296. बयाना (कोटा) में थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

297. थानों पर सिपाहियों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा के लिये ।

298. कमलेश्वर (इन्द्रगढ़) में पुलिस चौकी कायम करने पर चर्चा के लिये ।

299. एस. पी. ग्रामीण कोटा की शह से इटावा तथा खातौली थानों में फैल रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

300. पीपल्दा कलां (कोटा) में पुलिस चौकी कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

301. हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों में पिछले तीन वर्षों से हो रही वृद्धि को रोकने में पुलिस की अविफलता पर चर्चा के लिये ।

302. पुलिस थानों को सेवा मन्दिर बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

303. अत्याचारों से पीड़ित हरिजनों को पुलिस सहायता प्रदान कराने पर चर्चा के लिये ।

304. थाना इटावा (कोटा) में इटावा निवासी की सरसों जला देने के अपराध में गिरफ्तार किये अपराधी को पुलिस द्वारा छोड देने पर चर्चा के लिये ।

305. थाना खातौली (कोटा) में भवानपुरा निवासी से एक हजार रुपये की मांग करने तथा दो सौ रुपये दान पेटी में जबरन डलवाने के दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

306. थाना बूड़ादीन (कोटा) में दिनांक 27-12-90 को मंडावरा निवासी की चोरी होने की रिपोर्ट से सम्बन्धित मुल्जिमों के विरूद्ध कार्यवाही न होने पर चर्चा के लिये ।

307. पीपल्दा तहसील के मीठोद एवं रामपुरिया में आर. ए. सी. की गस्ती की टोली स्थायी रुप से लगाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

308. सिपाहियों का वेतन बढ़ाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये ।

309. सिपाहियों के काम के घंटे निश्चित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

310. भीलवाड़ा में विश्व हिन्दू परिषद के जुलूस को निकालने में पुलिस प्रशासन के विफल रहने के संबंध में पर चर्चा के लिये ।

311. भीलवाड़ा में विश्व हिन्दू परिषद के शान्तिपूर्ण व्यक्तियों पर पुलिस प्रशासन द्वारा किये गये दमन के संबंध में पर चर्चा के लिये ।

312. भीलवाड़ा में विश्व हिन्दू परिषद के व्यक्तियों पर लाठी चार्ज तथा फायरिंग

(१८२)

(श्री हीरालाल आर्य)

करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

313. मंडावरी (चित्तौड़) कांड में हरिजनों की हत्या के दोषी व्यक्तियों को दंडित किये जाने पर पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

314. मंडावरी चित्तौड़ कांड में हरिजनों की सुरक्षा करने में पुलिस असक्षमता पर चर्चा के लिये।

मांग सं. 8, 9 एवं 16 पर विचार

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब भीलवाड़ा में गोली कांड हुआ था और उस सम्बन्ध में जब इस सदन में चर्चा हुई थी उस समय ही मैंने कहा था कि यह सरकार भीलवाड़ा के एस. पी. का निश्चित रूप से तबादला करेगी और आज जो लिस्ट सामने आई है, जो मेरा एप्रिहेंशन था, जो बात मैंने सदन में 10 दिन पहले कही थी, वह बात सही निकली। यहां पर मुख्य मन्त्री जी ने उस दिन एस.पी. और कलक्टर को सर्टिफिकेट दिया था, एफिशियन्सी का और हमने कहा था कि यह सरकार दबाव के अन्दर है, विश्व हिन्दू परिषद और आर.एस.एस. का दबाव है इस सरकार पर और यह सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी। जयपुर के दंगों को लेकर भी यही बात हुई थी, जोधपुर के दंगे के लेकर भी यही बात हुई थी और भीलवाड़ा के दंगे के लेकर भी मैंने यह बात कही थी कि यह सरकार सक्षम नहीं है, क्योंकि इस सरकार के ऊपर जो तत्व हावी हैं, साम्प्रदायिक तत्व हावी हैं इसलिए जयपुर के दंगे हुए, भीलवाड़ा का गोलीकांड हुआ और मैंने जो उसी कड़ी के अन्दर बात कही थी वह बात सही निकली थी।

श्रीमान्, राजस्थान के अन्दर हालांकि सदन के अन्दर कई बार विस्तार से चर्चा हुई कम्यूनल टेंशन के बारे में, यहां पर जुडिशियल इन्क्वायरी की बात भी स्वीकार की गई लेकिन मैं आपसे आज फिर अर्ज करूं, एक बात जो मैंने कही थी कि आने वाला जो चुनाव का समय है उसके अन्दर सरकार को बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी अन्यथा यह प्रान्त कम्युनल क्लेशेज की चपेट में आने की पूरी सम्भावना है। यह मैं आपकी मार्फत सरकार को आगाह करना चाहूंगा। यह तो एक छोटी सी बात थी जो मुझे आज अखरी जब अखबारों में आया।

दूसरा मुद्दा, यहां पर अभी गृहमन्त्रीजी वक्तव्य देंगे, आतंकवादी गतिविधियां इस प्रान्त के अन्दर, खास तौर से गंगानगर जिले के अन्दर जो गतिविधियां बढ़ रही हैं वह अपने आप में एक चिन्ता का विषय है। श्रीमान्, भारत की राजधानी दिल्ली के अन्दर भी अभी दो बम विस्फोट हुए हैं वह भी अपने आप में चिन्ता की बात है। कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि यह सरकारों को डराने के लिये, सरकारों को भयभीत करने के लिए और जनता को आतंकित करने के लिये यह आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं उन पर सरकार किस प्रकार से रोक लगाने जा रही है, क्या

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्रभावी कार्यवाही करने जा रही है, इसके बारे में गृह मन्त्रीजी निश्चित रूप से प्रकाश डालेंगे ।

श्रीमन्, चूंकि आपने समय सीमा 7 मिनट बांध दी है तो मैं अपनी बात संक्षेप में ही कहना पसन्द करूंगा । तीसरी बात, माननीय सभापति जी, मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि राजस्थान के अन्दर आर. ए.सी. की भर्ती हुई थी, एक कांस्टेबल की भर्ती राजस्थान में पिछले साल नहीं हुई । इस साल भी राजस्थान के अन्दर कांस्टेबल की भर्ती हो रही है । मैं माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो फिजिकल स्टेण्डर्ड मुकर्रर कर रखे हैं उनके अन्दर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जब मैं भौगोलिक स्थिति की बात करता हूं तो मेरा अभिप्राय यह है कि राजस्थान के अन्दर, जो तो आपको मालूम है, सभापति महोदय कि यहां पर अकाल अक्सर पड़ते रहते हैं, क्रय शक्ति और न्यूट्रेशन के अभाव के अन्दर लोगों का जो शारीरिक विकास होना चाहिये वह पूरी तरह से नहीं हो पाता है । फिर आपने उम्र भी 18 से लेकर 21 तक की कर दी है । 18-19 वर्ष की उम्र के अन्दर लड़कों का पूरी तरह से विकास होता नहीं है और दूसरी तरफ कुपोषण की मार रहती है । उस सूरत में माननीय गृह मन्त्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो फिजिकल स्टेण्डर्ड है वह बहुत ही कठिन फिजिकल स्टेण्डर्ड है, उनको बदला जाना चाहिये, उनमें आपको रिलेक्स करना चाहिये अन्यथा राजस्थान के लड़के तो कम आयेंगे और बाहर दूसरे प्रांत के लड़के यहां आ जायेंगे। इस बारे में जो भी आप निर्णय लें, कृपया उससे अवगत कराने की चेष्टा करें । आर. ए.सी. की 1700 से ज्यादा वेकेन्सीज निकली हैं, फार्म्स भरवा लिये लेकिन फार्म्स भरने के बाद, मुझे जहां तक जानकारी है कि अभी भर्ती रुक गई है । उसमें अब क्या प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं और जिन लोगों का रिजेक्शन हो गया है उनको क्या राहत मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी । जो भी इस बारे में डिटेल्स आपके पास हो, उसको कृपया कर बताने की कृपा करें ।

दूसरी बात, सभापति महोदय, हरिजनों के ऊपर अत्याचार की बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा । पिछले साल एक दौर चला था राजस्थान के अन्दर, खास तौर से पूर्वी राजस्थान के अन्दर, जहां पर हरिजनों की बरातें चढ़ने से रोकने की बहुत ज्यादा चेष्टा की गयी थी । उनमें चाहे धौलपुर हो, चाहे भरतपुर हो और चाहे अलवर का जिला हो, सब जगह कई प्रकार के किस्से हुए जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की बारातों को नहीं चढ़ने दिया गया । अब मई-जून के महीनों में ग्रामीण इलाकों में फिर शादियों का मौसम जोरों से शुरू होगा । इस बात की फिर सम्भावना है कि हरिजनों की बारात को बड़े लोग, ताकतवर लोग नहीं चढ़ने दें । उसकी समुचित व्यवस्था करने की मैं आपसे मांग करता हूं । आज ही अखबार के अन्दर पढ़ा-पुलिस कस्टडी के अन्दर कोटा में हरिजन की मौत हुई । उसके अन्दर आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं । यह बताने की कृपा करें । क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपने केस कायम करवा दिया, केस रजिस्टर्ड हो गया ? पुलिस कस्टडी के अन्दर यह जो डेथ की संख्या बढ़ती चली

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जा रही है उसको रोकने के आप क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं। यह मैं आपसे जानकारी चाहूंगा।

एक बात और आपसे निवेदन करना चाहूंगा दो बिन्दुओं के ऊपर। आज पुलिस के अन्दर मैंने कट मोशन्स को देखा-सब जगह पुलिस की आलोचना, चाहे वह रिश्वत की बात हो, चाहे संवेदनहीनता की बात हो, तो आप इसके लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिससे कि पुलिस संवेदनशील बन सके। यह तो सभापति महोदय, निश्चित है कि पुलिस आवश्यक है, एक आवश्यक बुराई हैं लेकिन इस बुराई को आप कितना कम कर सकते हैं। आवश्यक बुराई होने के बावजूद भी पुलिस की समाज को आवश्यकता है लेकिन आप इसमें कितना चैक बेलेन्स कर सकते हो, इसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले पुलिस को संवेदनशील बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। अब संवेदनशीलता कब, कहां, कैसे पैदा की जाए। जो पुराने पापी हो गए हैं जिनकी 25-25, 30-30 वर्ष की नौकरी हो गयी है उन लोगों में तो आप बदलाव ला नहीं सकते हैं इसलिए ट्रेनिंग के स्तर के ऊपर, ट्रेनिंग जब आरम्भ की जाती है लड़कों की, सबसे पहले तो ईमानदारी से भर्ती हो, लड़कों को इसके लिए रिश्वत न देनी पड़े भर्ती के अन्दर। लेकिन आपने जो प्रक्रिया बदली है, निश्चित रूप से जो दो साल पहले प्रक्रिया शुरू हुई, इसमें आपने डी. आई. जी. की अध्यक्षता में बोर्ड का गठन किया उससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के अन्दर कमी आई है। यही प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए। उससे तो भ्रष्टाचार, वहां जो रिश्वतखोरी होती थी भर्ती के अन्दर, वह बन्द होगी। क्योंकि रिश्वत देकर जो लड़का भर्ती होता है वह पहले दिन से ही पैसे कमाने की उसको पड़ती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ट्रेनिंग के अन्दर जो आपका कैलकुलम है उसके अन्दर इस प्रकार का बदलाव होना चाहिए, इस प्रकार का चेन्ज होना चाहिए, उस बात की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए उन लोगों को, अगर आवश्यक हो तो बाहर के लोगों को आप बुलाएं जिससे शुरू में ही उनको संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाया जा सके। क्योंकि आज जहां जाइए वहीं पर इस बात की शिकायत होती है कि कोई पुलिस कर्मचारी या नीचे के स्तर के जो अधिकारी हैं वह सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। इसीलिए सब लोगों को दौड़-दौड़ कर जयपुर, कभी मुख्य मन्त्री जी के पास, कभी गृह मन्त्री जी के पास भाग कर आना पड़ता है। इस प्रक्रिया में क्या सुधार हो, इसके लिए भी आपको कदम उठाने पड़ेंगे।

माननीय मुख्य मन्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आपका जिला धौलपुर, जहां से आप चुनाव लड़कर आए हैं, वहां की एक बहुत विकट समस्या है। इस तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम पिछले दो वर्ष के अन्दर 150, 200 आदमी, 250 हों तो ताज्जुब नहीं, बन्दूकों के लाइसेन्स, जिन लाइसेंसधारियों की मृत्यु हो गयी, पिछले साल भी मैंने यह प्रश्न उठाया था, आज उनकी बन्दूकें थानों में जमा है या उनकी बन्दूकें डीलर्स के पास

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जमा हैं। आज एक बन्दूक की कीमत 15-20 हजार है। नये लाइसेंस बन नहीं रहे हैं लोगों के, मेरा आपसे निवेदन है कि इसके बारे में आप पुलिस से जांच करवा लें। जिन लोगों का चाल-चलन अच्छा है, जिनका चरित्र अच्छा है, जिनकी माली हालत अच्छी है, जिनकी पुलिस रिपोर्ट अच्छी है, उनको आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं ? किस कारण से आज उनकी राइफल्स जमा हैं, बढ़िया-बढ़िया राइफल्स जमा हैं। उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं। कलक्टर ने तो यह अपना लिया है कि एक रिपोर्ट आ गई उसके बाद दूसरी रिपोर्ट, एक महीना पुरानी रिपोर्ट हो गई, एक महीना पहले तो रिपोर्ट आती ही नहीं है। लोग मारे-मारे फिर रहे हैं और आपकी, बदनामी हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले के ऊपर आप ध्यान देकर अपने जिले के लोगों को कम से कम, आप और कुछ तो कर नहीं सके, बिजलीघर तो वहां ला नहीं सके, यह राहत तो वहां पहुंचा दीजिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामनारायण बैरवा।

श्री रामनारायण बैरवा (निवाई) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे पुलिस बजट की मांगों पर अपने विचार रखने का आपने मौका दिया। सभापति महोदय, पुलिस प्रतिवेदन 1990 का जब मैं अवलोकन कर रहा था तो मुझे विदित हुआ कि 1989 में 88 हजार मुकदमे दर्ज हुए थे उसकी अपेक्षा 1990 में एक लाख के करीब मुकदमे दर्ज हुए। इन मुकदमों में हत्या, बलवा, नकबजनी, बलात्कार, लूट एवं अन्य भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में काफी वृद्धि हुई। यह वृद्धि दो से लगातार सात प्रतिशत रही। लेकिन जनसंख्या के दबाव को देखते हुए फ्री रजिस्ट्रेशन की स्थिति को देखते हुए इस स्थिति में मेरे ख्याल से यही कहा जाएगा कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसकी स्थिति सन्तोषजनक है। परन्तु उसमें जो चालान का प्रतिशत दिखाया गया है वह नकबजनी व चोरी में 33 पर्सेण्ट का रहा है, क्योंकि सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में ही पुलिस की जो सफलता है उसको आंका जाना है। यह किसी भी प्रकार से, जो 33 पर्सेण्ट रिकवरी रही है, संतोषजनक नहीं कही जा सकती। मेरे विचार से यह सफलता जब अच्छी या कामयाब मानी जाएगी जब हम यह मानें कि पुलिस ने कितने अपराधियों को सजा दी। लेकिन सदन को इस बारे में अवगत कराऊंगा कि पुलिस प्रतिवेदन में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि प्रोसीक्यूसन की क्या स्थिति रही। इसका केवल एक ही कारण दिखाई देता है, जो प्रोसीक्यूशन विभाग है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अण्डर में काम करता है तो मेरे ख्याल से पुलिस के प्रतिवेदन में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो प्रजातंत्र के सिद्धांत हैं, जो नैतिक सिद्धांत हैं उसके आधार पर पुलिस और प्रोसीक्यूशन विभाग दोनों को अलग किया गया है। जिसका कारण यह हो गया है कि आजकल मुकदमों में कोई पुलिस द्वारा पैरवी नहीं की जाती है। ए.पी.पी. का जो कार्यालय होता है उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कण्ट्रोल होता है

(श्री रामनारायण बैरवा)

और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ना तो इतना समय है, ना उनके पास कोई नियन्त्रण की एजेन्सी है और ना कोई इन्सपेक्शन वगैरह होते हैं। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि इन हालात को देखते हुए कि ना तो जिलाधीश को समय है और कई ए.पी.पी. से मेरी इस सम्बन्ध में वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि यह विभाग जिस वक्त तक पुलिस में था उस वक्त ठीक काम कर रहा था और जब से पुलिस से इस विभाग को अलग किया गया है तब से इसके काम में काफी गिरावट आई है। आज जो महत्वपूर्ण मुकदमे होते हैं उन मुकदमों में भी जिलाधीश को कोई परवाह नहीं होती। जिलाधीश को ज्ञान भी नहीं होता कि पुलिस के कौन-कौन से महत्वपूर्ण मुकदमे हैं, उनकी ए पी. पी. कार्यवाही कर रहे हैं।

इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा कि सरकार इस बारे में विचार करे कि जैसे अन्य राज्यों में प्रोसीक्यूशन विभाग पुलिस के अण्डर में काम करता है। पुलिस की शक्तियां मत दीजिए, पुलिस की पावर्स आप उनको मत दीजिए लेकिन अगर यह विभाग पुलिस के नियन्त्रण में काम करे तो मेरे ख्याल से लॉ एण्ड आर्डर को कण्ट्रोल करने में भी बड़ी सहायता हमको मिलेगी। अगर अभी इस समय सम्भव न हो तो मैं तो यह निवेदन करूंगा कि प्रोसीक्यूशन एजेन्सी का जो डाइरेक्टर है, इन्सपैक्टर जनरल के पद का अधिकार उसको दिया जाए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके, अपराधियों पर नियन्त्रण हो सके और लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति में अधिक से अधिक सुधार हो सके।

सभापति महोदय, मैं दूसरा बिन्दु, जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है पुलिस कमिश्नर सिस्टम। अंग्रेजों ने भारत के लिए जब पुलिस की संरचना की थी उस वक्त दो प्रकार का शासन उन्होंने चलाया था। पुलिस एक्ट के हिसाब से राज्यों और जिलों का, और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, उनके लिए एक पुलिस कमिश्नर सिस्टम अलग चलाया था। तो वहां पर जो सिस्टम उन्होंने अधिक अच्छा समझा वह तीन बड़े-बड़े महानगरों में चालू किया था। पर, आज की स्थिति यह है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात में कई जगहों पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम चालू कर दिया गया है। इसके अगर कारणों की खोज करेंगे तो ज्ञात होगा कि जयपुर की 18 लाख की पोपुलेशन हो गई है। अभी नवम्बर, 1989 और अक्टूबर, 1990 में जो दंगे हुए उनको भी रोकने में पुलिस असफल रही है।

इसके अतिरिक्त आबादी के अलावा इण्डस्ट्रियल एक्सपान्शन, वी. आई. पी. ड्यूटीज और कई ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को देखते हुए मैं तो यह अर्ज करूंगा कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो अन्य प्रांतों में चालू हैं वह राजस्थान में भी चालू किया जाए। इसके दो एडवांन्टेज होंगे। एक तो जो ड्यूल कन्ट्रोल पुलिस में रहता है, लॉ एण्ड आर्डर में जो ड्यूल कण्ट्रोल होता है वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा होती है तो हर समय मजिस्ट्रेट को देखना पड़ता है लेकिन इस पुलिस कमिश्नर सिस्टम के आने से यह ड्यूल कण्ट्रोल की स्थिति समाप्त हो जाएगी और एस. पी. को

(श्री रामनारायण बैरवा)

पावर्स हो जायेगी। वह अपने प्रोहिबिटेरी पावर्स, रेगुलेटरी फंक्शन आदि फंक्शन पर....

श्री सभापति : समय नहीं है माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री टीकमचन्द कान्त : बोलने दीजिए साहब।

श्री सभापति : वह बाद के लोगों से पूछें, आप नहीं बता सकते। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रामनारायण बैरवा : मेरे ख्याल से कुछ सुझाव है वही दे देना ही ज्यादा पसन्द करूंगा। जयपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम जब तक लागू नहीं किया जाय तब तक जयपुर का जो रि-आर्गेनाइजेशन सिस्टम है उसको लागू कर दिया जाय। जब मैं यहां पर एस.पी. था 1979 में, उस वक्त जयपुर का रि-आर्गेनाइजेशन हुआ था और 79 के बाद पुलिस की नफरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इतनी समस्याओं को देखते हुए मैं तो निवेदन करूंगा कि यहां पर थानों की नफरी, चौकियों की नफरी और साथ ही टास्क फोर्स और लॉ एण्ड आर्डर की फोर्स को अलग किया जाय ताकि जयपुर जिले की यह जो लॉ एण्ड आर्डर की जो समस्या है, अभी भी आर्मी को बुलाना पड़ा और राजस्थान के 13 जिलों में आर्मी को जो तैनात करना पड़ा, मैं तो निवेदन करूंगा कि जयपुर सिस्टम, जयपुर की जो रि-आर्गेनाइजेशन स्कीम भेजी है सरकार के पास, उसको जल्दी से जल्दी मन्जूर किया जाय। इसी तरह से अन्य जिलों के भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है इसमें उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा इन संवेदनशील जिलों में पुलिस रि-आर्गेनाइजेशन की स्कीम चालू किया जाय, कन्ट्रोल रूम को और अच्छा बनाया जाय। पुलिस में जो लॉ एण्ड आर्डर की फोर्स है वह अलग से क्रियेट की जाये। मोबेलिटी और कम्यूनिकेशन पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय।

श्री सभापति : धन्यवाद। समाप्त कीजिए।

श्री रामनारायण बैरवा : ठहरिये तो सही, सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वह पुलिस की छवि की रहती है। 44 वर्ष के बाद भी हमने देखा कि उसमें कोई सुधार, नहीं हुआ। हम ब्रिटिश सिस्टम देखेंगे तो ब्रिटिश सिस्टम में ब्रिटिश बोबी होती है, जो कान्स्टेबल होता है, बड़ा पापुलर होता है। वह जिस नगर में लगा दिया जाता है, जिस कॉलोनी में लगा दिया जाता है उसकी सारी समस्याओं से अवगत रहता है परन्तु हमारे प्रदेश में इतनी स्ट्रेन्थ कम है कि एक आदमी उसको जान भी नहीं पाता और वहां के नागरिकों से उसका कोई सम्पर्क नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त मैंने पिछले बजट में भी सुझाव दिया था, रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है उसमें सुधार किया जाये। जिस तरह से आर्मी में आर्मी स्कूल, बी.एस.एफ. में बी.एस.एफ. स्कूल और सी.आर.पी. के स्कूल बने हुए हैं उसी तरह से बच्चों को अगर आठवीं क्लास के बाद पुलिस स्कूल में भर्ती करवा दिया जाये, उसको 10वीं पास करायी जाये और इसके साथ-साथ रिक्रूट ट्रेनिंग दी जाये। पुलिस के वेपन और जो पुलिस के सब्जेक्ट्स है अगर उसको ट्रेनिंग

(श्री रामनारायण बैरवा)

दी जाती है, अगर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है तो रिक्रूटमेंट की जो बहुत बड़ी प्राब्लम है वह प्राब्लम हल हो सकती है। सरकार यह कहेगी कि इसमें काफी खर्चा होगा, पुलिस स्कूल के लिए पैसा कहां से आयेगा, इसके सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हर जिले में 10-15 वेकेन्सीज खाली रख ली जायें और उनका बजट आयेगा 50 लाख के हिसाब से, उसको इस स्कूल पर खर्च किया जा सकता है और एक अच्छे रिक्रूट जिनको दो साल की कम से कम ट्रेनिंग होगी, वह बच्चे अगर भर्ती किये जायें तो रिक्रूटमेंट की बड़ी प्राब्लम हल हो सके। इसके साथ-साथ जो पुलिस का मनोबल काफी गिरा हुआ है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दूसरे लोग है, सबको सात बजे तक समाप्त करना है। 25 सदस्य हैं बोलने वाले। आप पाइन्ट्स बोल दीजिए।

श्री रामनारायण बैरवा : इसके अतिरिक्त हाऊसिंग प्राब्लम इस राजस्थान में बड़ी विकट है। भारत सरकार से जितना पैसा मिलता है उसके अतिरिक्त कोई पैसा यहा से नहीं दिया जाता है। राज्य सरकार की ओर से इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। मैं तो निवेदन करूंगा जैसे दूसरे अन्य प्रांतों में पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन की स्थापना की गयी उसी तरह पुलिस में हाऊसिंग कारपोरेशन की स्थापना करके आवासीय सुविधा जवानों और दूसरी रेन्क को उपलब्ध करायी जाये। साथ ही साथ मैस की जो सुविधा है वह बड़ी अपर्याप्त है। लास्ट बजट में सरकार ने घोषणा की थी 12 थानें खोले जायेंगे। बी.एस.सी में प्रस्ताव गया तो केवल एक थाना मन्जूर हुआ। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके सम्बन्ध में भी सरकार विचार करे और जो सदन में आश्वासन दिये जायें, उनको पूरा किया जाये।

एक समस्या, जिसकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा एस.टी., एस.सी. का बैक लोग अभी चालू है इसलिए एस टी., एस सी. का जो बैक लोग है उसको जल्दी से जल्दी भरा जाय। साथ ही साथ पहले के जो नियम थे, जो मार्च की छूट थी, वह खत्म कर दी है। उसके साथ ही जो नम्बर आफ केण्डीडेट्स थे उसके ऊपर लिमिट लगा दी है इसलिए एस.टी. एस.सी. के केण्डीडेट्स है यह प्रमोशन कोटे में नहीं आ पाते इसलिए विशेष चयन किया जाय। मैं तो सरकार से यह निवेदन करूंगा कि डी.ओ.पी. में भी....

श्रीसभापति : समाप्त करें।

श्री रामनारायण बैरवा : एक मिनट, जिस प्रकार से पूर्व में एक स्पेशल सेक्रेट्री या डिप्टी सेक्रेट्री का रेंक का ऑफिसर एस.टी. और एस.सी. के इन्टरेस्ट को वाच करने के लिए लगाया जाता था और यह .. (व्यवधान)
और मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो एन्टीकरप्शन ब्यूरो है इसको उन्होंने राजस्थान स्टेट ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन बना कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जिससे भ्रष्टाचार को रोकने में काफी मदद मिलेगी। लेकिन इसमें एक इन्जीनियरिंग विंग भी कायम किया जाय। यह इंजीनियरिंग विंग, जो टेक्नीकल विंग होगी,

(श्री रामनारायण बैरवा)

आर. एस. ई. बी., राजस्थान केनाल, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट, पी. डबल्यू. डी. और इसी प्रकार के जो अन्य टेक्नीकल विभाग है उनकी अनियमितताओं की ओर सुचारू रूप से काम कर सकेगा। माननीय, पुलिस ट्रेनिंग के बारे में जैसे प्रद्युम्न सिंहजी ने बताया, पुलिस ट्रेनिंग रिक्रूट्स की तो हो रही है लेकिन जो रिफ्रेशर कोर्सेज है वह बिल्कुल बन्द कर दिये गये। न तो कान्स्टेबल के हो रहे है, न हैड कान्स्टेबल के हो रहे है, न ए. एस. आई. और सब इन्सपेक्टर रेंक का। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस ट्रेनिंग तो हमेशा चलती रहनी चाहिए और रिफ्रेशर कोर्सेज पुनः चालू करें लेकिन यह तो सम्भव होगा जब पुलिस की स्ट्रेन्थ बढ़ायी जायेगी। अन्त में, मैं यही निवेदन करूंगा, जैसा मैंने पिछले बजट में निवेदन किया था, इसको काम अच्छी प्रकार से, सुचारू रूप से चलाना है तो होम कमिश्नर की रेंक को आई. पी. एस. को दी जाये ताकि वह इनकी समस्याओं को समझ सके, अच्छा समन्वय हो सके और पुलिस के काम में एफीशिऐन्सी आ सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : सभी कार्यों के लिए अनुशासन और समय के अनुशासन की अत्यन्त आवश्यकता है। श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा अभी जो पुलिस प्रतिवेदन 1990 आपने हमें भेजा है उसको देखने से प्रतीत होता है कि पुलिस विभाग की जो भी कारगुजारी होती है वह मुख्यतः तीन प्रकार के जो अपराध है उनके ऊपर क्या रिजल्ट निकाले पूरे साल भर में, उस पर निर्भर करती है।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें नहीं।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : पढ़ नहीं रहा। जैसे हत्या--हत्या के पिछले साल के अन्दर 1203 मुकदमें दर्ज हुये, जिनमें से 755 मुकदमों में चालान हुये। इसका मतलब करीब 60-55 प्रतिशत के बीच में चालान हुये। हत्या जैसे गम्भीर अपराध में इतने कम चालान हुये, उससे पुलिस की कारगुजारी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। दूसरा था डकैती, डकैती के अन्दर पिछले साल 86 मुकद्में दर्ज हुये, जिनमें से सिर्फ 34 के अन्दर चालान पेश किये गये। यह भी जो प्रतिशत है, वह बहुत कम है।

तीसरा है चोरी, चोरी के पिछले साल 13922 मुकद्में दर्ज हुये, जिनमें से 3624 के अन्दर चालान पेश किये गये। पूरा प्रतिवेदन पढ़ने के बाद यह स्पष्ट नहीं हुआ कि पूरे राजस्थान के अन्दर कुल कितने माल की हुई और उनमें से कितने प्रतिशत की बरामदगी हुई। जब तक बरामदगी का प्रतिशत नहीं मालूम होगा या जब तक बरामदगी का प्रतिशत नहीं बढ़ेगा तब तक हम पुलिस की कारगुजारी को अच्छा नहीं कह सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो तीन प्रकार के गम्भीर अपराध हैं हम इनकी जब तक अच्छी तरह से तफतीश नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकालेंगे तब तक जो हमारी कारगुजारियां हैं उन पर हमें था प्रश्न चिन्ह लगेगा और जनता के अंदर पुलिस का विश्वास तभी

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

बनेगा, जब हम हत्या, डकैती और चोरी, इन तीन प्रकार के मुकदमों में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके सफलता प्राप्त करेंगे।

मैंने एक बात विशेष रूप से इस प्रतिवेदन में देखी है। हमारे राजस्थान और बॉर्डर की जो करीब 1500 किलोमीटर की सीमा है उस सीमा पर पुलिस विभाग द्वारा तस्करी को रोकने का भरसक प्रयास किया गया है। इस प्रतिवेदन में बताया गया है कि करीब 54 करोड़ रुपये की हेरोइन, सोना, चांदी आदि वस्तुएं बरामद हुई हैं। मेरा इस विषय में यह निवेदन है कि सिपाही या पुलिस के अन्य कर्मचारी जो एक लाख रुपए से अधिक की बरामदगी करते हैं उनको कम से कम एक गैलेन्ट्री एवार्ड दिया जाय क्योंकि तस्करी की समस्या से न केवल प्रदेश को बल्कि राष्ट्र को भी नुकसान होता है। अतः हमें इनको प्रोत्साहन देना चाहिये। सिपाही, थानेदार जो भी गिरफ्तार करते हैं या बरामदगी करते हैं, कम से कम एक लाख रुपये से ऊपर हमें निश्चित कर देना चाहिए कि आपको एक गैलेन्ट्री एवार्ड या एक प्रमोशन दिया जायेगा। इसी प्रकार पिछले साल में काफी संख्या में अवैध हथियार बरामद किये गये हैं लेकिन पिछले आंकड़ों को देखा जावे तो 1988 के अन्दर 1129 अवैध हथियार बरामद किये गये थे, 1989 में 1575 बरामद किये गये थे जबकि 1990 में मात्र 900 बरामद किये गये हैं। इनको देखने से यह प्रतीत होता है कि अवैध हथियारों की बरामदगी बहुत कम हुई है। जबकि आज राष्ट्र में जो आतंकवाद का जोर है वह हथियारों से ही हो रहा है। कल ही मैं अनूपगढ़ गया था माननीय राज्यमन्त्री जी के साथ में, हमारे सामने वहां पर भी यह समस्या आई कि जो आतंकवादी हैं उनका बड़ा आतंक है विशेष रूप से गंगानगर में। इस वक्त गंगानगर जिला बहुत ही संवेदनशील है। राज्य सरकार को इस वक्त सोच-समझकर अभी प्रभावी कदम उठाने चाहिए क्योंकि वहां पर जो घटना हुई अभी तीन दिन पहले, उसमें ए.के.-47 राइफल का उपयोग किया गया जबकि जो आतंकवादी थे वह पैदल आकर यह घटना करके चले गए और हमारी पुलिस आज तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इसलिए जब ऐसी कार्यवाहियां हो रही है तो पुलिस को और स्पेशली गंगानगर की पुलिस को उसमें विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहां पर हर थाने में कम से कम एक जिप्सी देनी पड़ेगी और जो हथियार उन सिपाहियों और कर्मचारियों को हमने दिये हैं वे आधुनिक होने चाहिए। 303 की राइफल से अब काम चलने वाला नहीं है क्योंकि आतंकवादियों के पास ए.के.-56 और ए के.-47 राइफल्स हैं। इसी प्रकार हमारे पास वहां पर व्हिकल्स ऐसे हैं जो 10-20 किलोमीटर चलने के बाद खराब हो जाते हैं। इसलिए गंगानगर जैसे संवेदनशील इलाके में हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उससे हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक तो गंगानगर जिले में हर जगह पर हमको पुलिस थानों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और चौकियों के अन्दर भी विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें पेट्रोलिंग की भी इतनी जबर्दस्त व्यवस्था करनी पड़ेगी कि राउण्ड-दू-क्लाक हमारे सिपाही वहां पेट्रोलिंग करते रहें ताकि

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

आतंकवादियों की गतिविधियों पर कंट्रोल किया जा सके।

इसके अलावा एक और समस्या न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में है, वह है एक्सीडेन्ट्स की। 1860 में हमने जो आई. पी. सी बनाई थी उसमें धारा 304 (1-ए) के तहत एक्सीडेन्ट के अन्दर डेथ होने पर अपराध के लिए सजा दी जाती है, उस अपराध की सजा आज तक वैसे की वैसे है और बेलेबल आफेंस हैं। आज हजारों-लाखों आदमी हिन्दुस्तान में एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। हमें चाहिए कि 1860 के अन्दर जो आई. पी. सी. बनाई थी उसमें सुधार करें और अभी जो घटनायें हो रही हैं एक्सीडेंट्स वगैरह की, उन पर कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मेरा सुझाव है कि धारा 304 (A) आई. पी. सी. के लिए कम से कम 5 साल की सजा दी जावे और उसको नॉन-बेलेबल आफेंस बनाया जावे।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आजकल महिलाओं के साथ भी कुछ अत्याचार होते हैं उसका रीजन कुछ यह है कि आई. पी. सी. के अन्दर कुछ कमियां हैं। धारा 509 जैसी छोटी-छोटी धाराएं हैं जिनसे उन पर पूरा कंट्रोल नहीं होता और छोटी-छोटी घटनाओं से साम्प्रदायिकता तक फैल जाती है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : यदि किसी लड़की की फोटो उसकी इच्छा के बिना खींची जाती है तो कोई अपराध नहीं है। तो आई. पी. सी के अन्दर ऐसे छोटे-छोटे अपराधों को भी ध्यान में लाना पड़ेगा और ऐसे अपराधों के लिए हमें आई. पी. सी के अन्दर सजा करनी पड़ेगी और काग्नीजेबल अपराध बनाना पड़ेगा। एक निवेदन मेरा यह है कि.......

श्री सभापति : एक नहीं, आखिरी निवेदन है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : राज्य के अन्दर बहुत ही ज्यादा केसेज पेण्डिंग हैं। इसका एक रीजन यह है कि धारा 147 आई. पी. सी. को कम्पाउण्डेबल नहीं बनाया गया है। कई बार सुझाव दिए गए हैं कि धारा 147 को जब हम कम्पॉण्डेड बना देंगे तो पेण्डिंग केसेज में कम से कम 50 प्रतिशत की कमी हो जायेगी जिससे राज्य सरकार का ही समय बचेगा। इसके साथ ही जो पब्लिक जाती है, आने-जाने में समय लगता है, धारा 323-24 में तो कम्पाउण्ड हो जाता है लेकिन धारा 147 की वजह से कई वर्षों तक कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ते हैं और अन्त में जाकर फैसला बेरी का होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि धारा 147 आई. पी. सी. को कम्पाउण्ड कर दिया जाय ताकि जनता का भी समय बचेगा और कोर्ट का भी समय बचेगा और पैसे की भी बर्बादी नहीं रहेगी।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मुख्य तो रह ही गया सर।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए। आगे भी सभी लोग जो बोलने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहने वाले हैं। समय नहीं

(श्री सभापति)

है, कृपया समाप्त कीजिए। आप मुझे क्षमा करेंगे।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : टाडा एक्ट एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर मेरा बोलना ज़रूरी है क्योंकि टाडा एक्ट की वजह से हमारे पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिकता का माहौल बना हुआ है। अतः मेरा निवेदन है कि टाडा एक्ट एक काला कानून है और सरकार को चाहिए कि ऐसे काले कानून को राजस्थान से हटा दें। कांग्रेस शासन के अन्दर इसको लागू किया गया था। टाडा एक्ट हटाया जाना चाहिए क्योंकि इसके अलावा एक्सप्लोजिव सब्सिटेंस हैं और एक्सप्लोजिव एक्ट आदि ऐसे भी एक्ट है जिनसे....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिए।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : सरकार उन पर अच्छी तरह कार्यवाही कर सकती है। टाडा एक्ट के तहत राजस्थान के अंदर....

श्री सभापति : मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा कि अंकित न किया जाय।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मुझे बोलने दीजिये।

श्री सभापति : नहीं, आगे भी तो बोलने वाले हैं, आप उनका समय ले रहे हैं।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : हमारे पार्टी का समय है, वह मैं ही ले रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, प्रश्न पार्टी का नहीं है, प्रश्न 7 बजे तक का है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मेरी पार्टी का एक ही मेम्बर और है। 2 मिनट।

श्री सभापति : 2 मिनट नहीं है मेरे पास, कृपया समाप्त कीजियेगा।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : टाडा एक्ट के अन्दर कुल 105 व्यक्ति बन्द हैं जिनमें से 103 मुसलमान हैं और मैं कुछ उदाहरण भी देना चाहता हूं क्योंकि लोगों के साथ जुल्म हो रहा है....

श्री सभापति : क्या मैं आदेश दूं कि अंकित करना बन्द कर दें।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : झालावाड़ का एक केस है जिसमें 20 मुलजिमान बंद हैं और उनमें 18 आदमियों से कोई बरामदगी नहीं हुई। पूरी कोर्ट फाइल के अंदर यह लिखा हुआ है कि वे लोग "या अली" का नारा लगा रहे थे। सिर्फ 2 व्यक्तियों से एक बम बरामद हुआ था और उसमें 20 आदमियों के खिलाफ चालान हो रहा है। इसी प्रकार कोटा और जयपुर के अंदर ऐसे कम से कम 70 लोग बंद हैं जिनमें बरामदगी सिर्फ 5 व्यक्तियों से ही हुई है और चालान 70 आदमियों के खिलाफ है। इस प्रकार इस टाडा एक्ट से जुल्म हो रहा है। तो मेरा राज्य मंत्री जी से यह निवेदन है कि इस प्रकार के जो केसेज हैं उनको रिकन्सीडर करें और जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है उनको वापस विड्रा करें और टाडा एक्ट को ही समाप्त कर दें।

श्री सभापति : अब आसन ग्रहण कीजिए।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : एक मिनट।

श्री सभापति : नहीं, अब आगे अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : ×××

श्री सभापति : आप जो बोल रहे हैं वह आगे अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : ×××

श्री सभापति : आगे अंकित नहीं होगा। कृपया आप बिराजें।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : ×××

श्री सभापति : कुछ नहीं अंकित हो रहा है। किसको बता रहे हैं, अंकित नहीं हो रहा है यहां पर, न अखबार में जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह। (अनुपस्थित)

श्री प्रकाश बैरवा। (अनुपस्थित)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय राजस्थान के अन्दर पिछले वर्षों में हर अपराध के क्षेत्र में वृद्धि हुई है क्योंकि यह पेपर्स में आ चुका है या रिकॉर्डस् में हैं इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। केवल इस सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इन अपराधों की वृद्धि को रोकने में तभी सफल हो सकेंगे जब पुलिस की जो ट्रेनिंग है इस ट्रेनिंग में कुछ परिवर्तन हो। माननीय सभापति महोदय, जो ट्रेनिंग पा करके, प्रशिक्षण पा करके पुलिस का आदमी या उनके अधिकारी चले जाते हैं उनके रिफ्रेसर कोर्स होने चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि अन्य प्रान्तों में और अन्य देशों में जिस तरह से पुलिस की व्यवस्था है उस लिटरेचर को प्रकाशित किया जाना चाहिए, इनको क्रिमिनल्स के बीच में जाना चाहिए और वह क्रिमिनल्स क्यों बने हैं इस पर स्टडी की जानी चाहिए। जो सोसोलोजी के लोग हैं, जिन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी स्टडीज की हैं उन स्टडीज के आधार पर पुलिस के लिए वह लिटरेचर तैयार होना चाहिए, वह साहित्य तैयार होना चाहिए। इन संवेदनशील एरियाज में ये जायें, जहां महिलायें रहती हैं जिन पर अत्याचार के द्वारा समाज इस तरह से उनका शोषण कर रहा है। यह डाकूग्रस्त क्षेत्र था मध्यप्रदेश का, जिसमें कुछ लोगों ने जा करके मध्यप्रदेश के क्षेत्र में, उन लोगों ने उन डाकुओं के बीच में रह करके उनकी समस्याओं को सुना। इसी प्रकार से हमारे यहां पर भी जो जरायम पेशा लोग हैं, जो हमारे यहां गन्दी बस्तियां हैं जहां पर ये क्रिमिनल्स पनपते हैं, उसकी तरफ पुलिस को ध्यान देना चाहिए।

यह केवल थानों में जाने की वजह से, एक एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट बनाने की वजह से, आज आप यह देख लीजियेगा कि उस एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट का क्या प्रभाव है? राजस्थान सरकार इतने रुपये खर्च करती है लेकिन कितने एन्टी करप्शन

××× माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

के केसज बनते हैं, छोटे-छोटे लोगों को पकड़ कर नहीं, जब तक किसी धनाढ्य के प्रति, जब तक किसी पॉलिटिशियन के प्रति यह दिखाई पड़ता है कि कल इसके पास क्या था और आज इसके पास क्या है, और वह एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट करता क्या है और इसीलिए, मैं केवल संक्षेप में कहना चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। माननीय भैरोंसिंह जी हमारे मुख्यमन्त्री हैं, वह जिस तरीके से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, उन्हें पुलिस में रि-आर्गेनाइज़ेशन करना होगा, उन ईमानदार लोगों को लगाना होगा और उनके माध्यम से यह काम कराना होगा। मैं इसी के साथ-साथ राजस्थान की सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर जिलों में जिस प्रकार से अपराध वृत्ति बढ़ती चली जा रही है, जिस तरीके से स्मगलिंग हो रही है, उनमें पुलिस थानों को सशक्त किया जाना चाहिए। मैं केवल संक्षेप में कह रहा हूं। पुलिस थानों को सशक्त किया जाना चाहिए और खास करके एन्टी स्मगलिंग टास्क फोर्स का निर्माण होना चाहिए और टास्क फोर्स का निर्माण होने के बाद ही यह एन्टी स्मगलिंग का कार्य ठीक तरह से हो सकेगा। उनके पास पूरे वाहन नहीं हैं, पुलिस के पास में, उनके पास हथियार नहीं हैं, उनके पास वायरलैस सेट नहीं हैं, उनके पास मूविंग वायरलैस सेट नहीं हैं। अगर यह सब कुछ नहीं होगा, हम केवल पुलिस के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी डालें कि यह तस्कर आ रहे हैं, आज हमारे यहां पर जिस तरीके से गंगानगर में घटना घटित हुई है कि हमारे यहां पर उग्रवादी कुछ लोगों को मार कर चले गये हैं, यह सारी घटनाएं बढ़ने वाली हैं और इसलिए मैं चाहूंगा कि पुलिस का प्रशासन बढ़ना चाहिए और इन लोगों को हमको पूरे-पूरे हथियार सप्लाई करने चाहिए, इनको पूरा फीड करना चाहिए। मैं इसके साथ कहना चाहता हूं कि जो गरीब कांस्टेबल है उस गरीब कांस्टेबल को, जो सबसे कम वेतन पाता है, अंग्रेज तो यह समझता था कि यह बेईमानी करता है लेकिन हम सचमुच में चाहते हैं कि पुलिस का भ्रष्टाचार मिटे, पुलिस में ईमानदारी आये और थाने सचमुच में मन्दिर बन जायें तो हम लोगों को इनकी ट्रेनिंग में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और इनको जो वेतन मिलता है उस वेतन को भी उठाना पड़ेगा। इनको जो भत्ते मिलते हैं चाहे वह वर्दी का भत्ता हो, चाहे मैस का भत्ता हो, इनको ऊपर उठाना पड़ेगा। हम लोगों दे देखा है इनमें, कि किस तरीके से जब यह लोग आन्दोलन होते हैं या किस तरीके से जब यह साम्प्रदायिक दंगे होते हैं और पुलिस के लोग आते हैं, इनके पास पूरे साधन नहीं होते हैं और उसके बाद यह दोनों तरफ से बदनाम भी होते हैं। यदि बदमाशों को नहीं रोके और उनके ऊपर अत्याचार करें तो भी होते हैं। लेकिन पुलिस को संवेदनशील भी होना होगा और पुलिस के आफिसर्स को संवेदनशील होना पड़ेगा। यह भीलवाड़ा का कान्ड, वहां के जो पुलिस आफिसर्स थे, वहां जो कलक्टर था, अगर उन्होंने जरा भी संवेदनशीलता से काम लिया होता तो वहां पर स्थिति कभी पैदा नहीं होती। इस तरीके से जो स्थितियां पैदा होती हैं उनमें अब संवेदनशीलता इनमें-

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

पैदा होनी चाहिए। मैं इसके साथ-साथ उदयपुर की घटना का जिक्र करना चाहता हूं। 15 दिसम्बर को सत्य प्रकाश भटनागर नामक व्यक्ति को, जो पान की दुकान करता था, जिसका सात दिन पहले विवाह हुआ था, उस आदमी को तीन आदमी आकर मार देते हैं। पुलिस के बयान होते हैं, एस. पी. कहते हैं कि हम लोगों ने आइडेन्टीफाई कर लिया है, जो कत्ल करने वाले लोग हैं, जो खून करने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, उस पुलिस एस. पी. को उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिये कौन सी मजबूरी है कि उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है जिनको पुलिस ने आइडेन्टीफाईड किया है। सात दिन पहले की जो विवाहिता विधवा हो गई और हमारे यहां का संवेदनशील प्रशासन आज भी उसको कह रहा है कि सी. आई. डी. इन्क्वायरी करेगी। यह कलंक है राजस्थान की सरकार के ऊपर, यह कलंक है इस पुलिस विभाग के ऊपर कि इस तरह की घटना हो जाय। यहां पर आभा नाग की हत्या हुई, दहेज का केस था। उसके माता-पिता भटकते फिरे, एक-एक आदमी तक गये, पुलिस के बड़े से बड़े अफसर के पास गये लेकिन उसका पता नहीं लगाया गया। हमारे यहां जाम्वानी की हत्या हुई, उसका पता नहीं लगाया गया। गोगुन्दा के लोग खुले आम गुण्डागर्दी करते हैं और उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट ने स्ट्रक्चर पास किया है कि पुलिस की इसमें संदिग्ध भूमिका है फिर पुलिस के लोग करते क्या हैं? यह प्रशासन करता क्या है? हमारे गृह मंत्रीजी करते क्या हैं अगर इस तरह से पुलिस के खिलाफ स्ट्रक्चर पास हो और उसके बाद में यदि उनके ऊपर यह केसेज नहीं चलाते। सभापति महोदय, मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अपराध वृत्ति बढ़ रही है और जिस तरीके से लोग उन अपराधियों को बचाने के लिए बढ़ रहे है, यह उस शासन में तो होता रहा जो कांग्रेस का शासन था, उसमें तो बड़े-बड़े अपराधियों को बचाया गया लेकिन अगर हम सचमुच में संवेदनशील प्रशासन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस देश से गुण्डागर्दी हटे, हमारे यहां लड़कियों के स्कूल हैं, हमारे यहां कालेजेज हैं और यहां धनाढ्यों के लड़के घूमते-रहते हैं। पुलिस कोई चिन्ता नहीं करती। आपने ट्रैफिक की पुलिस को देखा होगा कि वह खड़ी रहती है, थानेदार साहब भी खड़े रहते है, अधिकारी भी खड़े रहते हैं. जीप खड़ी रहती है इसलिए उस ट्रक ड्राईवर को कहा जाता है कि आज तुमसे इससे ज्यादा पैसे लिये जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कि जब कभी भी यह ऐसे ट्रैफिक को चैक करने के लिए जायें तो किसी न किसी सोशल वर्कर को साथ लें, किसी टीचर को साथ लें, किसी अच्छे आदमी को, समाज के आदमी को साथ ले जायें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं यही निवेदन करके अपना स्थान ले रहा हूं कि इस तरीके से प्रशासन में संवेदनशीलता लानी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

होगी और आप अपने यहां पर ऐसा एक सैल कायम करें, खास कर के सैक्रेटेरिएट में, मैं होम सैक्रेटेरी साहब से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, ऐसा सैल कायम करें कि जिस तरह के ऐसे अपराध आते हैं, जिनकी शिकायतें आती हैं, तुरन्त प्रभाव मे उनको देखा जाना चाहिए कि लोग आखिर क्या डिमाण्ड कर रहे हैं। आज उदयपुर बंद है और केवल इसलिए बंद है कि सत्य प्रकाश की हत्या कर दी गयी, पुलिस ने लोगों का आइडेन्टीफाई कर लिया लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं चाहता हूं इस प्रशासन से, मैं चाहता हूं सरकार से कि ऐसे जो लोग हैं, उसकी विधवा आज उदयपुर में कोर्नर मीटिंग्स कर रही है, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और इस सरकार की आलोचना होती है, इस पुलिस प्रशासन की आलोचना होती है और हम सब कान में तेल डाल कर बैठे रहें, शर्म आनी चाहिए इस प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, हमें दुख होना चाहिए इसके लिए। मैं यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भारत।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री सांवरलाल

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापतिजी, आपने मेरा नाम पुकारा था उस समय मैं थी नहीं यहां।

श्री सभापति : अब आपको थोड़ा इन्तजार करना पड़ेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्यों, अब आप मुझे बुला दीजिए।

श्री सभापति : अब मैं नाम बोल चुका श्री सांवरलाल का।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : सभापति महोदय, जैसे कि कई माननीय सदस्य इस मांग के सम्बन्ध में अपने विचार रख चुके हैं, मैं भी संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहता हूं। इतने वर्षों की आजादी के बाद भी जिस पुलिस को हमारी जनता के हितों के लिए होना चाहिए उस कसौटी पर यह खरी नहीं उतरी है, यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। आज की तारीख में कम से कम मैं यह तो कह ही सकता हूं कि हमारे गांव का देहाती व्यक्ति इस खाकी ड्रेस को देख कर घरों में घुस जाता है, छिप जाता है, बाहर भागने लग जाता है। तो मेरा यह निवेदन है कि इसने अपनी कार्य-प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया है कि जो इस वर्दी से, खाकी ड्रेस से उनको डर लगता है तो पहला सुझाव तो मेरा यह है कि इस पोशाक को चेंज कर दें, उसके बाद में दूसरे परिवर्तन करने की हम सोचें तो निश्चित रूप से कुछ हमारे लोगों में, देहाती लोगों में विश्वास पैदा होगा। एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी बिराज रहे हैं। पुलिस में थानेदार भर्ती होते हैं, आर.पी.एस.सी. एग्जाम लेती है, उसकी आयु सीमा 25 वर्ष थी, मुझे यह समझ में नहीं आता कि हमारी पुलिस के आला अफसर उस उम्र को 23 साल करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि क्या दो साल यानि 23 से 25 साल की उम्र में कोई विशेष प्रकार का परिवर्तन नौजवान

(श्री सांवरलाल)

के अन्दर आ जाता है ? एक ओर सरकार 31 से 33 साल की भर्ती की आयु सीमा निर्धारित कर रही है तो मेरा निवेदन है आपसे और इस पर गौर फरमाइये, यह हमारे जो ग्रामीण स्टूडेन्ट्स हैं उनको सेवा में आने से रोकने की साजिश है। मेरा निवेदन है कि जो आयु सीमा 25 साल थी उसको 27 साल किया जाय। यह मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। इसी प्रकार कांस्टेबल की उम्र सीमा को कम किया गया है, यह सोची-समझी साजिश के तहत किया जाता है। इसी प्रकार मेरा निवेदन है कि पुलिस में जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, आज की तारीख में इनको क्या मिलता है, 24 घंटे के गुलाम होते हैं, 24 घंटे उनको सेवा देनी पड़ती है इसलिए मेरा निवेदन है कि उनकी तनख्वाह आप बढ़ा दीजिए। आने वाले हर आदमी की वह जेब कतरने की कोशिश करते हैं, आप जाकर देख लीजिए, मिल जायेंगे आपको, चाहे गांव के अन्दर छोटी सी लड़ाई हो, छोटा सा झगड़ा हो, जेब खाली करवा लेते हैं, डराते-धमकाते हैं। अगर उनकी तनख्वाह आप अच्छी करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें परिवर्तन आयेगा। इसी प्रकार अब यह जो पुलिस विभाग का प्रतिवेदन आया, इसके माध्यम से हम पुलिस की कार्य-कुशलता के बारे में सहज अनुमान लगा सकते हैं। कई प्रकरणों के अन्दर, पचास प्रतिशत में चालान नहीं कर पाते हैं, यह इनकी कार्य-कुशलता है। मेरा निवेदन यह है कि यह सब चीजें क्यों हो रही है ? कानून और व्यवस्था के अन्दर तो पुलिस का कोई रोल ही नहीं रहा। कहीं पर भी लड़ाई-झगड़ा होता है सीधा हमें मिलट्री को, सी.आर.पी. को, आर. ई. सी. को बुलाना पड़ता है। इसलिये मेरा विशेष अनुरोध आपसे यह है कि चूंकि जनसंख्या में जिस प्रकार की वृद्धि हुई है, जनसंख्या के साथ-साथ क्राइम बढ़ते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पुलिस के स्टाफ की और व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप सिपाही, कांस्टेबल भर्ती कीजिये, आफिसर्स भर्ती कीजिये। यह संख्या पर्याप्त अनुपात में होनी चाहिये तभी आप यह बातें रोक पायेंगे। थाने बढ़ाइये आप। मेरा निवेदन यह है कि कई वर्षों से जो विचाराधीन थाने हैं उनको कम से कम इस वर्ष तो बजट में ले लीजिये आप। जिसमें एक हमारे बांदनवाड़े की चौकी है उसको थाने में कन्वर्ट करने का है उसके लिये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसी प्रकार से पुलिस अधिकारियों के अन्दर मनोबल गिर रहा है, यह भी मैं कहना चाहता हूं। इसके कई कारण हैं। कई प्रकार के दबाव उनके ऊपर आते हैं। स्थानान्तरण नीति स्पष्ट होनी चाहिये, मैं निवेदन करना चाहता हूं। कई प्रकार के हमारे जो अधिकारी हैं वह इससे बड़े रुष्ट हैं। तो मेरा एक यह निवेदन है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी स्थानान्तरण नीति किसी न किसी तर्कसंगत आधार पर आप निर्धारित कीजिये। इसी प्रकार से पुलिस कर्मचारी जो आन ड्यूटी पर एक्सपायर हो जाते हैं उनके आश्रितों को समय पर नौकरी नहीं मिलती है दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। तो उनका परिवार उस पुलिस के प्रति क्यों आस्था और अपेक्षा रख सकता है। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी मृत कर्मचारियों के इस प्रकार के प्रकरण लम्बित है उनको जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी आशा है।

(श्री सांवरलाल)

इसके साथ ही जो थानों के अन्दर लम्बे समय तक कर्मचारी रहते हैं उनकी वजह से उस क्षेत्र के अन्दर एक प्रकार की उनकी साजिश और मंशा हो जाती है, लोगों के साथ एक प्रकार से इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जिससे उनका शोषण होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम पुलिस विभाग की स्थानान्तरण नीति यह होनी चाहिये अमुक कर्मचारी तीन साल या चार साल से ज्यादा किसी भी थाने पर या किसी भी स्थान पर नहीं रहेगा। यह नीति अगर आप काम में लेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, शोषण के अन्दर काफी कमी आयेगी। समय कम है। एक और निवेदन आपको करना चाहता हूं कि पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जब यह भर्ती होते हैं, चाहे आई. पी. एस. हों, चाहे आर. पी. एस. हों, चाहे सब इंस्पेक्टर हों, तो उनकी एक शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है उसमें वह खरा उतरता है तो उसको भर्ती किया जाता है। मेरा दिवेदन है कि जो अधिकारी हैं उनकी पांच साल में, तीन साल में वापस शारीरिक दक्षता परीक्षा समय-समय पर लेते रहे जिससे उनकी कार्यकुशलता बढ़े। चूंकि आये दिन हम देखते हैं, गंगानगर में यह है, फलाने में यह है, उग्रवादी मार कर भाग गये, फलाने चोर भाग गये, पुलिस पीछा करती रही। इस प्रकार की स्थिति क्यों आ रही है। क्योंकि उनकी कार्यकुशलता में काफी कमी आ गई। इसके कुछ और कारण हो सकते हैं। अपराधियों के पास अच्छे हथियार हो सकते हैं। हथियार उन्हें दीजिये।

श्री सभापति : समाप्त करें कृपया।

श्री सांवरलाल : उनकी व्हीकल हमारे से ज्यादा ठीक हैं, उनको व्हीकल दीजिये। पर जो उनकी फिजिकल एफीशियेंसी है उसकी परीक्षा होनी चाहिये। चूंकि पुलिस का जो काम है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मेरा विशेष अनुरोध है कि इस प्रकार का नियम भी आप इसमें लागू कीजिये।

श्री सभापति : धन्यवाद, श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में हम मांग संख्या 16 पुलिस के उपर विचार कर रहे हैं। किसी भी देश और प्रदेश में जब तक अमन चैन नहीं होगा और जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं होगी तब तक आर्थिक प्रगति की बात करना बेईमानी है, इसलिये इसका बहुत महत्व है कि प्रदेश और देश के अन्दर कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखा जाय। अब जो प्रगति विवरण दिया है पुलिस विभाग ने, स्वयं ने स्वीकार किया है और यह भी कहा है उसमें की पिछला वर्ष 1990 कानून और व्यवस्था की स्थिति के हिसाब से संतोषजनक रहा और कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही, लेकिन मैं यदि यह कहूं तो गलत बात नहीं होगी कि पिछला वर्ष 1990 इस प्रदेश के अन्दर हड़ताल, आन्दोलन, साम्प्रदायिक वैमनस्य, साम्प्रदायिक दंगे, नकबजनी, हत्याएं, बलात्कार जैसे अपराधों का वर्ष रहा है। इसलिये कि जो प्रगति विवरण दिया है उसमें स्वयं ने पुलिस ने स्वीकार किया है कि केवल चोरी और डकेती के मामलों को

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

छोड़कर बाकी अपराधों की संख्या बढ़ी है, कुछ न कुछ पर्सेन्टेज, जो कि मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं। लूट, हत्याएं, बलवा, नकबजनी' बलात्कार, अन्य अपराध सबमें 3. 62 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी हुई है। इसलिये मेरे यह बात समझ में नहीं आती, पुलिस विभाग का यह कहना कहां तक उचित है कि स्थिति नियंत्रण में रही। साल की शुरूआत हुई, सबसे पहले रेजीडेंट डाक्टर्स की हड़ताल हुई, लम्बे समय तक हड़ताल चली। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के नान टीचिंग स्टाफ की हड़ताल चली। इस बीच में रोडवेज के पहले कुछ श्रमिक संगठनों की हड़ताल चली। फिर रोडवेज कर्मचारियों की लम्बी हड़ताल चली। पूरा वर्ष करीब-करीब हड़तालों का ही वर्ष रहा। सैक्रेटेरिएट के सामने कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कोई न कोई तम्बू वहां नहीं लगा हो। कभी इस बात को लेकर ही लोग धरने और हड़ताल पर बैठे कि प्राथमिक और अपर मिडिल शिक्षा को पंचायत समितियों से लेकर वापस विभाग में दिया जाय। इस बात को लेकर भी शिक्षक धरने पर बैठे करीब-करीब पूरा साल हड़ताल में बीता। हड़तालों के बाद आन्दोलन भी हुए। राम जन्म भूमि को ले करके, आरक्षण को ले करके छात्रों ने भी आन्दोलन किया। उसमें दो छात्रों ने आत्महत्या भी की। राम जन्म भूमि के विवाद को ले करके जबरदस्त साम्प्रदायिक दंगे भी हुए। यह प्रदेश अपने साम्प्रदायिक सौहार्द्र के लिये अपनी धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता था इसलिये कि 1947 में हिन्दुस्तान के विभाजन के वक्त भी इस पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ था लेकिन इस बार तो कोटा जल उठा, ब्यावर, जोधपुर और जयपुर का तो कहना ही क्या। राजस्थान की केपीटल जयपुर में प्रशासन की नाक के नीचे जहां सारे विधायक, सारे पुलिस अफसर, डी. जी., डी आई. जी. मंत्री, मुख्य मंत्री सब रहते हैं वहां पर ऐसा कोहराम मचा जिसकी मिसाल हिन्दुस्तान में नहीं। आने आने वाले सैंकड़ों वर्षों तक इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। और इस वर्ष को सन्तोषजनक कहा जाय? इसके साथ ही साम्प्रदायिक एकता के बाद आंतकवादी गतिविधियों का सवाल आता है। यह आंतकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी पांच-छह दिन पहले की बात है जब अनूपगढ़ में पांच-छह निरीह सोये हुए लोगों को आंतकवादी मार कर चले गये। हम केवल इस पुस्तक में यह लिख कर संतोष कर लें कि 55 करोड़ की तस्करी का माल हमने पकड़ लिया, हो सकता है तस्करी का माल 55 करोड़ नहीं, 110 करोड़ का रहा हो और उसमें पुलिस ने भी अपना हिस्सा पांती कर लिया हो क्योंकि आज जिस तरह की सदन में चर्चा हुई, डाक्टरों के पहले तो पुलिस अपराधी है उसके अन्दर। पुलिस के पास से इन डाक्टर्स के रेजीडेंस के नम्बर आये और कैसे इनको बताया गया कि वह कहां रहते हैं। इसलिये सारे अपराध जो हैं वह पुलिस से मिल जुलकर होते हैं। इसलिये मैं यदि यह कहूं, यह वर्ष सचमुच में राजस्थान के लिये, पुलिस विभाग के लिये एक तरह से काला वर्ष कहा जाना चाहिये। एक तरफ हम बात करते हैं....

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, यूं तो आप बिल्कुल ही नहीं बोलने देंगे।

श्री सभापति : माननीया, मैं विवश हूं। सात बजे मुखबंद्ध हो जायगा और 25 सदस्य बोलने वाले हैं, मुझे उनका भी ध्यान रखना है, उनको प्रोटक्शन देना है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है तो आपको ध्यान रखना है। मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर देती हूं।

तो माननीय सभापति महोदय, आपने कहने का तो मौका कुछ मुझे दिया नहीं जो कुछ मैं कहना चाहती थी। लेकिन मैं यही निवेदन करते हुए कि खास तौर से जब हम नारी समानता की बात करते हैं, नारी के प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो यह सबसे अधिक बलात्कार की शिकार है बलात्कार तथा दहेज हत्याएं के मामलों में अन्दर कुछ भी न होना और इनमें एफ. आर. लग जाना, मैं समझती हूं, यह हमारे सबके लिये न केवल प्रदेश के लिये बल्कि समाज के लिये कलंक की बात है। हरिजन महिलाओं से बलात्कार के मामले, हरिजनों पर जो अत्याचार के मामले हैं उसमें खुद पुलिस के इस विवरण के अन्दर दिया है कि सबसे अधिक हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। दहेज हत्याएं और दहेज के लिये मजबूरन आत्म हत्याएं लगातार हर वर्ष बढ़ती चली जा रही हैं। और यह सब हमारे....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि जिस राज्य में एक वर्ष में 409 आन्दोलन हों और उनमें 43 हिंसक प्रकृति के हों साम्प्रदायिक आन्दोलन के साथ-साथ राज्य का धर्म निरपेक्ष स्वरूप था वह इस वर्ष नष्ट हो गया। साम्प्रदायिक घटनाएं हुई सो हुई उसके साथ-साथ कई लोगों को टाडा एक्ट में बन्द किया जो कि आतंकवादी नहीं है जैसे बीलवाड़ी के काण्ड में, तो कहीं ऐसा नहीं है कि आतंकवादी की आड़ को लेकर के निरपराध लोगों को टाडा एक्ट में बन्द किया गया हो जैसा कि सभापति महोदय, खुद आपने अपनी सीट से कहा था जिसको टाडा एक्ट में बन्द किया वह एक साधारण आदमी कुओं को गहरा करने का काम करता है। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस निरपराध लोगों को टाडा एक्ट में बन्द कर बदले की भावना से काम कर रही हो।

इन्हीं शब्दों के साथ कि पिछला पूरा ही वर्ष अपराधों में एक तरह से कीर्तिमान स्थापित किया है। मुझे बड़ा अफसोस है कि यह पुलिस डिमाण्ड गृह मंत्री जी कैसे आप यहां पर पास करवाने के लिए आ गये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करती हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री महावीर प्रसाद।

श्री राम प्रसाद : सही सही बोलना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, वैर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं जिनका सत्य से कोई ताल्लुक ही नहीं है और जो केवल राजनीति में दुष्कर्म करके आये हैं वह मेरे से कह रहे हैं सत्य बोलना। मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य को जानता हूं इसलिए पुलिस की जानकारी के लिए बता रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं पुलिस की डिमाण्ड पर जो आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हुआ पुलिस हमारे प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहती है। पूर्व में माननीय सदस्या ने अपने विचार रखें, डिमाण्डस तो हम सब पास करेंगे....

श्री यदुनाथसिंह : आप अंगुली मेरी तरफ कर रहे हो और कह रहे हो माननीय सदस्या ......

श्री महावीर प्रसाद जैन : सूर्य की तरफ देखते हैं तो बीच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसमें आप भी आ गये होंगे....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, सूर्य आप नदबई से आने वाले माननीय सदस्य को ही मान लें, हम तो बीच में है।

श्री यदुनाथसिंह : माननीय सदस्य, मेरे मित्र भी हैं और डील-डौल में एक से हैं। रंग रूप और हुस्नो-नूर में भी हम एक से ही हैं।

एक माननीय सदस्य : रंग में थोड़ा फर्क है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, राज्य सरकार ने पिछले एक साल में आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने का जिस प्रकार से प्रयास किया है, इस मामले में कोई दो राय नहीं कि हमारी जो संवेदन शील सरकार है उसने काफी नियंत्रण करने का प्रयास किया है परन्तु मैं यह भी मानता हूं कि जिस प्रकार का नियंत्रण पुलिस प्रशासन पर होना चाहिए या जो दायित्व पुलिस को निभाना चाहिए वह अभी नहीं निभा रहे हैं।

मैंने एक कट मोशन दिया है। एक केस का जिक्र मैं उसके माध्यम से करना चाहता हू। एक केकड़ी में डीवाई एस.पी. के पास कोई चोरी के मुकदमे में उन्होंने तफतीश की और वह टौंक में तफतीश करने के लिए उस अपराधी को लेकर आये और 411 का मुकदमा बनाने की गर्ज से या जिस प्रकार की मिली-जुली कार्यवाही से उन्होंने चोर अपराधी को तो छोड दिया और रात के दो बजे, मैं गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, कि रात्रि के दो बजे किसी ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो धनाढ्य है, या जिसके ऊपर इन्कम टैक्स का छापा भी पड़ा है। मुझे किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से यदि अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिये लेकिन अपराधी से तो मिल लिया गया और जो निरपराधी थे, मजबूर थे ऐसे आदमियों को घर से यह कह कर जगाया कि आपकी दुकान पर डाका डल गया है, चोरी हो गई है और चौकीदार बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है यह कह कर घर से चार लोगों को लेकर आगये और दुकान पर ले गये। दुकान का न ताला टूटा था,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

न चोरी हुई थी। उन्हें कोतवाली में ले जा कर कि आपके पास इनका माल है और यह माल लाओ। उन्होंने कहा, हमारे पास किसी प्रकार का माल नहीं है तो उन को वहां से पुलिस की जीप में डाल कर ले गये। एक 70 साल का बूढ़ा उनमें था वह अपनी इज्जत बचाने के लिए, हार्ट पेशेन्ट था और सारे घरवाले बीमार हो गये और हास्पीटेलाइज हो गये और इन डीवाई. एस. पी. ने वहां ले जाकर उनसे 6-7 तोला सोना मंगवा कर ले गये। चलो कोई बात नहीं 411 का कोई मुल्जिम बचता है तो यदि किसी ने लिया तो कोई बात नहीं लेकिन इतना ही नहीं उन्होंने जो माल उनसे बरामद किया वह जब्त नहीं करके खुद ही डकार गये और एक दूसरा माली है उससे 25 हजार रुपये ले आये। इस प्रकार की घटना इस बात का संकेत देती है कि अभी हमें पुलिस को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

आज बोर्डर के इलाके में पुलिस ने इतना माल जब्त किया। मैंने विधान सभा में प्रश्न दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर जिस प्रकार की स्थिति है और जिस प्रकार की स्थिति सामने आती है कि माल जब्त कर लेते हैं और मुल्मिर्ज भाग जाते हैं इससे लगता है कि माल तो जब्त कर लिया और मुल्जिम कैसे भाग गये। मेरी यह मान्यता है, मैं खुद भुक्त भोगी हूं, रेलवे में जी. आर. पी. की पुलिस पीछा कर रही है और आगे जेब काटने वाले खड़े हैं और जब पेसेन्जर गाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं तो चढ़ते समय बैलेन्स हाथों पर होता है उस समय जेब कट जाती है। ऐसी ही घटना मेरे साथ हुई मैंने जी. आर. पी. वालों को कहा कि यह जेब काट कर जा रहा है उसको पकड़ो। उन्होंने कहा कि आप उतरो। मेरे को यात्रा करनी थी, मैंने कहा आपको पकड़ना है तो पकड़लो। मैं चला गया। उसमें मेरा एक लाख का ड्राफ्ट था। एकाउंट पेयी था इसलिए ड्राफ्ट तो चोर छोड़ गये लेकिन जी. आर. पी. की बात कर रहा हूं। उनके आगे जेब काटने वाला है, जिसकी जेब कट रही है वह ट्रेन पर चढ़ रहा है उसके पीछे जी. आर. पी. वाले खड़े हैं और उसके बाद उनको पकड़ नहीं रहे हैं और कह रहे हैं आप उतरो। क्या चोर को पकड़ने के लिए उतरने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमारे कानून की पेचीदगियां और इस प्रकार के हालात हैं। इस कानून के अन्तर्गत आज जो भीलवाड़ा में हुआ जिसके कारण हम सब लोगों पर अंकुश लगा है, सामाजिक मान्यताओं पर अंकुश लग रहा है। तो इसको मिला कर प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण बना है जिस प्रकार की स्थिति बनी है उसके कारण मैं गृह मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि जो छवि हम पुलिस की बनाना चाहते हैं और यह भावना है कि पुलिस को देख कर अपराधी भयभीत हो जाय और जिन्होंने अपराध नहीं किया है ऐसे व्यक्ति पुलिस आते ही निश्चिन्त हो जाय कि रखवाला आ गया यह स्थिति लाने के लिए पिछली बार घोषणा तो हो गयी। अब हम सेवा मंदिर बना रहे हैं यह कर रहे हैं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्हीं शब्दों के साथ, आपने समय दिया, गृह मंत्री जी हमारे जिले के हैं इसलिए उनसे बात कर लेंगे, कुछ कट मोशन दिये हैं उनका जवाब आ जाएगा। इतना ही कहते हुए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : सभापति महोदय, आज पुलिस और रेवेन्यु की डिमाण्ड पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस को समाज की परिस्थितियों के अनुसार ढाला जाय और साइंटिफिक तरीके से क्राइम्स को नष्ट करने में और सोसाइटी में जो असन्तोष है उसको करने में पुलिस को इस्तेमाल करें। इसके लिए निश्चित तौर से हमारे पास जो अपरेटस हैं, वही पुराने हैं, वही ढंग है, राजा महाराजाओं की तरह से बड़े-बड़े अफसर हैं और नीचे उसके+++

माननीय सभापति महोदय, नीचे के कर्मचारी की स्थिति क्या है? मुझे बड़े दुःख से कहना पड़ता है, मैं अपने जिले की कह सकता हूं अगर टी. बी. के मरीज हरिजनों के मौहल्लों में या पुलिस लाइन में है। इसका मतलब जिस पुलिस कर्मचारी को पूरी तरह से तनख्वाह, रोटी नहीं मिलती है उस कर्मचारी से हम क्या उम्मीद करेंगे। मैं यहां तक कह सकता हूं कि हमारे यहां ड्यूटी पर खड़े कर्मचारी विधान सभा चलाने वाले को 19 रुपया भत्ता मिलता है और 30 दिन बाद वह भी नहीं मिलता। एक-एक साल, दो-दो साल तक भत्ता नहीं मिलता है। इस तरह की परिस्थिति जिस कर्मचारी की हो उस पुलिस से क्या उम्मीद करेंगे और निश्चित तौर से आज सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है वह यह है कि पुलिस डाकू, गुण्डे, बदमाश को पकड़ने के बजाय जो व्यवस्था हमारे समाज में पैदा हो रही है कि आपस में खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। माननीय सभापति जी, आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं, एक बी.डी.ओ. के पास गुण्डे आये थे, पंचायत समिति का प्रधान गुण्डों को लेकर आया और उसकी कुर्सी के ऊपर ही गोली से घायल कर दिया, उसके हाथ पैर तोड़ दिये। उस पुलिस का जो वहां उसकी इन्वेस्टीगेशन कर रही थी हमने दखल देकर उसको दूर कर दिया और वह मामला लटक रहा है। इसी तरह से सूरतगढ़ तहसीलदार को टेप करने के लिए पुलिस का एडीशनल एस.पी. गया उस तहसील के स्टाफ ने उसको जूतियों से पीटा और पीटने के बाद उसने एफ. आई.आर. दर्ज करायी उसका कुछ नहीं हुआ। माननीय सभापति जी, जब हम इस तरह की व्यवस्था देखते हैं कि हमारा इन्टरफियरेंस इतना है कि हम उस मामले में कुछ नहीं होने देंगे तो क्या करेगी पुलिस। अभी भीलवाड़ा में क्या हुआ। हम तारीफ कर रहे थे आज उसका ट्रांसफर कर दिया। क्या स्थिति होगी ऐसे अधिकारियों की। निश्चित तौर से पुलिस के अन्दर हमारा इस तरह का इन्टरफियरेंस है। हम हर

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

मामले को सी.आई.डी. में ले जायेंगे। मैं गंगानगर जिले की कह सकता हूं कि आज जितने मामले सी.आई.डी में ले जाकर उन मुकदमों को वापस किया जा रहा है तो उससे कोई हल नहीं निकलेगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही वजह है पुलिस के अन्दर जो स्थिति पैदा हुई है अधिकारियों की, + + + जो एक श्रेणी बन गयी है जो राजनीतिज्ञों के इशारे से चलते हैं। निश्चित रूप से इनको हमको बदलना होगा।

दूसरी बात, मुझे यह कहनी है, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से अगर माननीय मुख्यमन्त्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कहा है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठायेंगे। जब राजनीतिक मामला आता है तब हम उसका प्रचार करते हैं कि यह भ्रष्टाचार का मामला है। वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ एन्टी करेप्शन डिपार्टमेंट को हमने तैयार ही नहीं किया। आज अगर राजस्थान में सबसे बदनाम कोई डिपार्टमेंट है तो वह एन्टी करेप्शन डिपार्टमेंट है जो अधिकारियों से मिलकर सौदे करता है। मैं अर्ज करूंगा, मैने यहां एक दिन संगरिया के सिलसिले में कहा था कि उग्रवादियों को पकड़ने में जनता और पब्लिक काम करें। आपका मजिस्ट्रेट ही वहां से गायब हो जाता है। इनको संरक्षण कौन देता है। बी डी.ओ. को जो मारने वाले थे पंचायत समिति के प्रधान जो डिप्टी मिनिस्टर के पास ठहरते हैं। अब भी डिप्टी मिनिस्टर के आफिस के अन्दर बैठकर सारे अपसरों को टेलीफोन करते हैं। माननीय सभापति महोदय, जिस ए.डी.एम. ने उग्रवादियों के खिलाफ गवाही नहीं दी उन सबको छुड़वा दिया अदालत से, रेकार्ड मौजूद है। मुख्यमन्त्री जी ने कहा कि पत्रावली मंगवायेंगे और एक्शन लेंगे। वह एक बहुत बड़े मंत्री जी के रिश्तेदार हैं और हमारे मंत्रीजी उसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अगर आप नाम चाहें तो मैं हाऊस में नाम बता सकता हूं। वह एक इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी के रिश्तेदार हैं उनका बाल-बांका नहीं हो सकता। इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की जो कार्यवाही हमारे गंगानगर जिले में है, मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस ने जो स्थिति बना रखी है, मैं आपकी....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आज्ञा से दो शब्द कहना चाहूंगा, जो राजस्व विभाग है गंगानगर जिले का, जो रि-आर्गेनाइजेशन वहां भूमि का हो रहा है, जिस तरह से भूमि में सक्यूलेशन आया है उस लिहाज से यह जो राजस्व विभाग है उसमें नियमों में परिवर्तन नहीं किया और गंगानगर जिले के किसान की तो हालत यह है कि हम लकड़ी नहीं काट सकते, एक पेड़ नहीं काट सकते, हम जमीन बेचना चाहें तो जमीन नहीं बेच सकते, हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते तो माननीय सभापति महोदय, रजिस्ट्रेशन के लिए तो आज्ञा है लेकिन अगर बिल लिखना चाहते तो,

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

लड़की अपने भाई के लिए बिल लिख सकती है पर राजस्व विभाग ने एक आर्डर निकाल रखा है कि बिल तो लिख दें म्यूटेशन नहीं हो सकता है यानी उसका इकरार नहीं होगा । फिर क्या मतलब हुआ । इसी तरह से किसानों को हमने कानून के घेरे में रख रखा है । 15 सेक्शन हैं इस एक्ट में, उसको हमने तीन बार परिवर्तन किया 15(ए), 15(एए), 15 (एएए), परिवर्तन करने का मतलब राजनैतिक उद्देश्य है और इस तरह से हमने किसानों को बांध रखा है । मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से अगर हम चाहते है कि राजस्थान का किसान वाकई सरकार को महसूस करे कि यह उसकी सरकार है तो हमें उसमें परिवर्तन करना चाहिए और किसानों की जो मांगे हैं, जिस किसान को हमने कानून में बांध रखा है कि 4 बीघा से जमीन ऊपर नहीं बेच सकते । आज गंगानगर जिले में माननीय राजस्व मंत्रीजी एक बीघा जमीन की कीमत एक लाख से ऊपर है । क्या आप समझते हैं कि 4 बीघे की पर्मिशन नहीं दें तो 5 लाख रुपये से ऊपर का सौदा हो सकता है ? इस तरह के कानून को हमें निश्चित रूप से बदलना चाहिये । मैं समझता हूं दोनों विभाग इस ओर ध्यान देंगे और इस मामले में आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री चम्पालाल बांठिया ।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : सम्माननीय सभापति महोदय, कुछ वर्षों पूर्व कस्बे में और गांवों में जो पुलिस स्टेशन थे उन पर एक नारा लिखा हुआ रहता था "मेरे योग्य सेवा" आज कल तो वह नारा दिखाई नहीं पड़ता । उस नारे की राजनीतिज्ञों ने किस प्रकार की हालत की । तत्कालीन सरकार ने उस नारे की स्थिति यह बना दी कि जो अपराधी था वह तोनिडर घूम रहा था और जो शोषित, पीड़ित और दुखी था, जो प्रार्थी था उसको बड़ी भारी यातनाएं दी गयी । इस प्रकार की स्थिति जब बन गयी और चारों ओर से जब इस प्रकार से पुलिस की बदनामी हुई तो उस हिसाब से आज वह नारा गायब हो गया । लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बार्डर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आज किस प्रकार की स्थिति है । आज जो कुछ भी तस्करी हो रही है और जो घूसपेठियें जिस प्रकार से आ रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए पुलिस कुछ करना चाहती थी वह नहीं कर पायी । कुछ अफसरों ने अपने ऊपर रिस्क लेकर के जिनके साथ साधन नहीं थे उन लोगों को रोकने की कोशिश की । कुछ वर्षों पूर्व, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा, दिनेश नाम का एक इन्सपेक्टर था उसको कुछ लोगों ने घेर करके उसकी इस प्रकार पिटाई की और उसके गुदा के अन्दर लकड़ी डाल दी और आपने कुछ नहीं किया । आज दिन तक इस प्रकार के मामलें की कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसलिए अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है । आज पुलिस स्टेशन की स्थिति क्या है ? मेरे यहां जिला पुलिस थाना है उसका इन्स्पेक्शन शायद ही कभी किया हो, शायद ही कभी कभी कोई पुलिस का बड़ा आफिसर गया हो । उसके अन्दर रेत के टीले का ढेर लगा हुआ है, आने जाने

(श्री चम्पालाल बांठिया)

का रास्ता नहीं है। और आप चाहते हैं कि अपराध की रोकथाम हो, दोषी लोग पकड़े जाय। किस प्रकार से वे लोग वहां काम करते होंगे, वहां पर रहने वालों के पास कोई जीप का प्रबन्ध नहीं, कोई उनके पास साधन नहीं। इस प्रकार की पुलिस की जब स्थिति हो तो पुलिस निश्चित रूप से कुछ कारगर कदम नहीं उठा सकती। इसी प्रकार की हालत दूसरे पुलिस स्टेशन्स की है। मण्डली थाना की स्थिति यह है और इसी का परिणाम है कि आज इन चीजों का पता नहीं पड़ता है। पुलिस के सामने दिन दहाड़े महावीर की हत्या हो गयी, बाड़मेर के अन्दर लीलाधर की हत्या दिन दहाड़े लोगों ने करके लाश को बालोतरा शहर के अन्दर डाल दी और लोग कहते हैं कि पुलिस वालों को सबको पता है। पुलिस वाले भी चुपके--चुपके कहते हैं कि हम नाम बता सकते है, हम अपराधी को पकड़ सकते हैं लेकिन लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस प्रकार की स्थिति अब तो नहीं चलनी चाहिये। उस राज के अन्दर चाहे इस प्रकार के अपराधों के ऊपर पर्दा डाला गया हो, चाहे उन अपराधों को बचाने की कोशिश की गयी हो। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के जघन्य अपराध जो इन शहरों के अन्दर दिन दहाड़े हुए और पुलिस को पता होने के बाद भी आज दिन तक उन हत्यारों को नहीं पकड़ सकी, पुलिस को मालूम होने के बाद भी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस की ताकत को बढ़ाने के लिए जो निष्ठावान कान्स्टेबल है, एस. आई., ए. एस. आई. हैं उनके साथ न्याय किया जाय, उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाय, उनका सम्मान किया जाय तभी यश होगा। नहीं तो भले ही यहां जयपुर के अन्दर और डी. जी. बैठा दो आई. जी. दुनिया भर की पोस्टें बढ़ा दो, आप इस प्रदेश के अन्दर इस अपराध प्रवृत्ति के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते, आपको नीचे से इस काम को देखना पड़ेगा तभी जाकर आप इनके ऊपर अंकुश लगा सकेंगे। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें। पुलिस के छोटे अफसर और दूर दराज के स्थानों के ऊपर मुस्तैदी से काम करना चाहते हैं, निष्ठा से काम करना चाहते हैं, जो ईमानदार है, उनको आप प्रोत्साहन दें, उनको आप प्रोटक्शन दें। इस प्रकार के अफसर आपके ध्यान में होते हैं, आपको मैंने एक निवेदन किया था लूणी थाने के अन्तर्गत इस प्रकार की चोरियां हो रही है वहां का पुलिस सब इंसपेक्टर, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसको पता है कौन लोग चोरी करते हैं लेकिन आज दिन तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लगातार प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में भी आसोतरा के अन्दर, कल्याणपुरा के अन्दर, पारलू के अन्दर, लगातार चोरियां हो रही है लेकिन पुलिस चोरों से मिली हुई है, आम लोग यह कहते हैं। इस धारणा को आप निर्मूल करके इसके अन्दर सुधार करें। मुझे और कुछ विशेष नहीं कहना है, यही मेरा निवेदन है।

मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आपने वादा किया था कि बालोतरा औद्योगिक

(श्री चम्पालाल बांठिया)

क्षेत्र में एक इंस्पेक्टर रैंक का थाना प्रभारी लगाने का । 3 साल हो गये; यह मामला चल रहा है । पहले तो धौलपुर में जरूरत थी, आपने लगा दिया लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा अगर वास्तव में आप जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं तो अपने वायदे को पूरा करें । वहां इंस्पेक्टर रैंक का थाना प्रभारी नियुक्त करें । सन् 77 के अन्दर एक चौकी थी, बालोतरा में वह चौकी भी बंद कर दी गई और फिर हम कहते हैं कि अपराध में कमी आये, अपराध घटे, इस प्रकार से यह नहीं हो सकता । इसलिए आप से निवेदन है कि जहां-जहां जरूरत हो, वहां पर पुलिस की स्ट्रेन्थ बढ़ाये, पुलिस के जो अच्छे कांस्टेबिल और अफसर है, उनकी आप मदद करें, उनको आप संरक्षण दे, उनको प्रोत्साहन दें, जब जाकर के स्थिति सुधरेगी । धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री रतनाराम ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस वन और राजस्व तीनों मांगों पर विचार हो रहा है । पुलिस पर काफी लोगों ने अपने सुझाव दे दिये हैं इसलिए मैं थोड़ा राजस्व विभाग की समस्याओं के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा । राजस्वमंत्री जी यहां बिराजे हुए हैं ।

मान्यवर, जो जो गांवों में पुराने जमाने में लोगों ने अपने मवेशियों को चराने के लिए छोड़ रखी थी, उस जमीन पर आज दिनोंदिन अतिक्रमण हो रहा है । अतिक्रमणधारियों ने रेवेन्यु डिपार्टमेंट से तहसीलदार और एस. डी. ओ. से मिल करके गोचर भूमि को अपने नाम करवा दी है । दो-चार दिन पहले भी मैंने आपसे यह निवेदन किया था परन्तु मेरी मूल प्रश्न नहीं होकर सप्लीमेंट्री प्रश्न था जिसका भी आपने उत्तर नहीं दिया था इसलिए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के कई गांव की स्लिप मैंने दी थी और इसी तरह जालौर जिले में अनेक गोचर भूमि पोरण, गांव के पास में आबादी के पास में पशुओं को चरने के लिए जो भूमि रखी है, उस पर दिनोंदिन अतिक्रमण हो रहा है और उस अतिक्रमण का नियमन हो रहा है, उसको आप रोकिये । अन्यथा आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान में अमूल्य धरोहर पशुधन को चराने के लिए, जिन्दा रखने के लिए जगह नहीं बचेगी । इसलिए कृपया सख्ती से एक आदेश जारी करके जो जो गोचर भूमि में चाहे आज के 10 साल पहले किसी ने नियमन कराया है उनको तुरन्त प्रभाव से निरस्त करें और जिसका कब्जा है, जिसने अतिक्रमण कर रखा है उनको पुलिस द्वारा हटाया जावे और रेवेन्यु डिपार्टमेंट के तहसीलदार को जिम्मेदार बनाइये कि तत्काल अतिक्रमण के केस बनाकर उनको हटाया जावे । एक तो हमारी आपसे यह गुजारिश है ।

दूसरा, बजट में जो बिगोड़ी को माफ करने की योजना है, इस सम्बन्ध में मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि आप आज यह पता करावें कि रेवेन्यु डिपार्टमेंट को बिगोड़ी से आय कितनी है और पटवारी,

(श्री रतनाराम चौधरी)

आर. आई. पर सालाना व्यय कितना होता है? ये सब देख करने के बाद मेरा यह सुझाव है कि पटवारियों को तहसील पर बैठा दीजिए और बिगाडी को किसानों के हित में, देश के हित में, गरीबों के हित में यदि माफ कर दिया जाय तो जो आपका व्यय हो रहा है उसमें भारी बचत होगी और करोडों रुपये की इन्कम की बचत होगी। इसी तरह नामान्तरण में भी कई प्रकार की दिक्कतें आ रही है। यदि उत्तराधिकारी का नामान्तरण भरना है तो लोगों को रिश्वत देकर अपने पिताजी की जगह अपना नाम करवाना पड़ता है इसलिए उसको भी रेवेन्यु डिपार्टमेंट के तहसीलदार को जिम्मेदारी फिक्स करते हुए कोई भी पिछला नामान्तरण की शिकायत मिले तो सीधा उन पर चार्ज करवाया जावे, उनकी सेलेरी रोकी जावे, प्रमोशन रोका जावे। इसी तरह आज वनस्पति दिनों दिन नष्ट होती जा रही है। खेत मालिक बड़ी मेहनत से खेत में पौधा लगाता है, बाद में वह कुएं पर जाकर, घर पर आता है, खेत खाली हो जाता है, पीछे से अन्य कई लोग, स्वार्थी लोग, लकड़ी जलाने वाले लोग, खेत में पौधों को खत्म कर देते हैं। इसलिए एक कानून बनाकर किसानों को अपनी खेत में वृक्ष जरुरत मुताबिक काटने की सुविधा प्रदान की जावे जो कि उनका अधिकार है परन्तु कोई दूसरा आदमी हरे वृक्ष को खेत मालिक का ऊपर से या नीचे से नहीं काटे, यदि काटता है तो उनके लिए सजा का कड़ा प्रावधान होना चाहिये जिससे पर्यावरण सुधरेगा, खुशहाली बनेगी, बरसात होगी और बरसात होने से खुशहाली आएगी और कृषि में लाभ होगा।

मैंने **2-3** बातें निवेदन की है। आप स्वयं एक किसान परिवार से हैं हमारे रेवेन्यु मंत्री जी, सारी परिस्थितियों के जानकार भी है इसलिए इन 2-3 बातों की तरफ ध्यान देकर अविलम्ब कार्यवाही करावे ताकि किसानों को राहत मिले। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने वर्तमान बजट में काश्तकारों के हितों को देखते हुए कई कल्याणकारी घोषणाएं की है। भारत का अन्नदाता जो अपनी जमीन जोतते हुए भी 91 के मुकदमों के कारण हैरान, परेशान और बेइज्जत होता था, वहां 84 तक के काबीजों को खातेदारी का हक देने की घोषणा इस बजट में की गई है, वह एक सराहनीय, समयोचित और आवश्यक कदम है। इसमे काश्तकारों को बहुत ही खुशी हासिल हुई है। उनका आत्म सम्मान बढ़ा है और सचमुच में जिसे काश्तकार के हितों की सरकार कहते हैं, इसका परिपालन किया है।

सभापति महोदय, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगी जिस प्रकार से 84 तक के काबीजों को खातेदारी का हक देने का निर्णय लिया है, ठीक उसी प्रकार से कुछ काश्तकार राजस्थान में ऐसे हैं जो 1975 से भी पहले के काबीज है परन्तु उन स्थानों

(श्रीमती तारा भण्डारी)

पर कालान्तर में नगरपालिकाएं हो जाने या नगरपालिका सीमा बढ़ जाने के कारण उन काश्तकारों को खातेदारी के हक नहीं मिल पा रहे हैं और उनकी हमेशा बेइज्जती होती है, फसल नीलाम होती है, उनके जुर्माने होते हैं और प्रतिवर्ष 191 के मुकदमों का दुःख उन्हें भोगना पडता है। मेरे सिरोही इलाके में भी ऐसे सैकडों अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछडी जाति के काश्तकार हैं जो सिरोही नगरपालिका बनने से पूर्व के काबीज हैं परन्तु वहां पर नगरपालिका बन जाने के कारण उन लोगों को खातेदारी हक नहीं मिल पा रहे हैं। मैं अधिक नहीं कह कर राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने राजस्थान के दस्तकारों, ईंट के कजावे बनाने वालों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनके समाप्त हुए धन्धे को चालू करने के लिए रोजगार देने के लिए कानून में संशोधन कर उन्हें स्वीकृतियां देने की व्यवस्था की है इससे ईंट के कजावे बनाने वाले और उनकी तरफ से मैं भी उनकी बहुत आभारी हूं।

इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहती हूं कि एक कदम उन लोगों के लिए भी उठाया जाय जो सन् 75 से पहले का कब्जा है परन्तु नगरपालिका सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण उन्हें खातेदारी का हक नहीं मिल पाया। उनके लिए भी एक संशोधन लाया जाय और जो जमीन का असल मालिक है, असली हकदार है उसे खातेदारी का हक देकर इज्जत से जीने दिया जाय, सम्मान से रहने दिया जाय।

मैं दूसरा सुझाव विधवाओं, विकलांगों और वृद्धों की पेन्शन की ओर दिलाना चाहूंगी। सभापति महोदय, विधवाओं और वृद्धों को पेन्शन देने में बहुत जटिलताएं हैं। जिसका बेटा 18 वर्ष का है, पेन्शन नहीं मिलेगी, जिसके पास पांच बीघा जमीन है उसको भी पेन्शन नहीं मिलेगी। सभापति महोदय, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों में क्या पांच बीघा प्रति वर्ष फसल दे सकती है और अगर देती है तो क्या उन वृद्धों को और विधवाओं को कोई जोतने देता है। आज विधवाओं और वृद्धों के सामने राजस्थान सरकार की ओर से सहायता राशि तो है लेकिन उसे लेने में बड़ी जटिलतायें हैं। सभापति महोदय, मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि विधवा विधवा है और वृद्ध वृद्ध हैं। 18 वर्ष का बेटा या उससे अधिक उम्र का बेटा है और उसे रोटी नहीं दे तो कहां जाये और सभापति महोदय, जिसको सम्मान पूर्वक रोटी मिलती है या जिसकी अपने घर में सेवा होती है तो वह सरकार के आगे हाथ नहीं फैलायेगा। सरकार के आगे तो हाथ फैलायेगा जिसको आवश्यकता है और उनकी आवश्यकताओं को मध्ये नजर रखते हुए यह जो भूमि की शर्त है, 18 वर्ष के बच्चे की शर्त है उनको हटाकर विधवाओं और वृद्धों को पेन्शन देने की व्यवस्था की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, आपने घण्टी बजा दी इसलिए ज्यादा न कहते हुए शोर्ट में कहूंगी। कृपया दुबारा घण्टी नहीं बजायें। जिस

(श्रीमती तारा भण्डारी)

प्रकार से राजस्थान के काश्तकार के 10 हजार के ऋण माफ किये हैं उसी प्रकार से वर्षों से तकावी ऋण खातों में चल रहे हैं। उसकी कोई उपलब्धि नहीं उपादेयता नहीं है, उसकी कोई वसूली नहीं। इस तकावी ऋण को भी समाप्त करने की कोई योजना बनायी जाय।

बजट में तहसीलों के पुनर्गठन की बात कही है। हमारे सिरोही जिले में 5 तहसीलें हैं और वह बहुत बड़ी हो गयी है। कालींद्री को

(5.30 सायं)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

उप तहसील बनाने की बात कई समय से चल रही है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह कालीन्द्री उप तहसील को बनाने के बारे में विचार करें।

सभापति महोदय, वन हमारा जीवन है लेकिन अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी आज हमारे सामने वनों की जो स्थिति है वह बहुत ही चिन्ताजनक है और अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी भी क्षमा नहीं करेगी। भारतीय वन नीति के अनुसार जितना भी भू-भाग है उसको 33 प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए। परन्तु राजस्थान इसकी स्थिति बहुत गम्भीर है केवल पांच प्रतिशत पर ही वन क्षेत्र है। इसमें भी जो प्रभावी वन क्षेत्र है वह केवल तीन प्रतिशत ही है।

मैं राजस्थान के वनों को बढ़ाने के बारे में कुछ छोटे सुझाव देना चाहूंगी कि जिस प्रकार से इजरायली बबूल शीघ्र बढ़ने वाला पौधा उन्हें अधिक मात्रा में लगायें इससे वन बढ़ेंगे और ईंधन के लायक लकड़ी भी मिलेगी। जंगल की अवैध कटाई निरन्तर चल रही है और मैं यह कहूंगी कि वन विभाग की मिलीभगत से अवैध कटाई होती जा रही है। इस अवैध कटाई को रोकने के लिए उड़न दस्ते गठित कर के उन पर छापे मारकर जंगलों की कटाई रोकी जाय।

हमारे सिरोही जिले में धोक का एक बहुत बढ़िया वृक्ष होता था, उसका मीठा फल, जलाऊ लकड़ी और एक नम्बर का गोंद हासिल होता था लेकिन जगल की कटाई में यह वृक्ष भी प्रायः समाप्त हो गया है लेकिन अगर इन धोक के पेड़ों की जड़ों को जो आज भी पहाड़ियों में विद्यमान है, वापस ठीक करके, कटिंग करके और बरसात आने तक उपयोगी बनायें तो वह वापस फल फूल सकता है तथा अच्छे जंगल की लकडी हमें मिल सकती है। गांव के आसपास जो पहाडियां हैं, जो बंजर हैं वहां वर्षा से पहले बीजों का छिडकाव करायां जाय जिससे बारिश में पौधे पनप सकें और जो पौधे नहीं पनप सकें वहां, उस क्षेत्र में दुबारा बीज डाला जाय।

वनों के विकास के लिए बच्चों को शुरू में ही वन से सम्बन्धित ज्ञान, विषय पढ़ाया जाय, उनमें इसके प्रति रुझान पैदा करें तो वनों की रक्षा होगी। सभापति महोदय, एक ही बात कहूंगी कि हमारे जिलों में बहुत बड़ा 400 स्क्वायर का

(श्रीमती तारा भण्डारी)

जंगलात है परन्तु उसकी सारी सूखी लकड़ी है वह पता नहीं वन विभाग की मिली-भगत से कहां चली जाती है। अभी विधान सभा में प्रश्न किया था उसके जवाब में सरकार ने मंजूर किया है सिरोही मुख्यालय के लकड़ी कोयला केन्द्र को हम लकड़ी नहीं दे पाये और वहां पर मुर्दों को जलाने के लिए भी सूखी लकड़ी का संकट पैदा हो गया है। मैं कहना चाहूंगी कि सिरोही में सूखी लकड़ी बहुत उपलब्ध है परन्तु मेरा आरोप है कि वन विभाग की गलत नीति के अनुसार जिसमें ठेका ऊपर से किया है, करने के कारण सारी लकड़ी गुजरात चली जाती है। सिरोही का केन्द्र है वह खाली रहता है। इतने बड़े जंगलात की जमीन है वहां सैकड़ों टन/क्विटल सूखी लकड़ी मिल सकती हैं लेकिन वन विभाग की गलत नीतियों के कारण मेरे क्षेत्र के लकड़ी-कोयला केन्द्र जिसमें कर्मचारी तो वेतन पाते हैं लेकिन आम आदमी को इससे कोई सुविधा नहीं। मैं वन विभाग को कहना चाहूंगी कि अपनी गलत नीतियों को ठीक करें और वहां हमारे यहां जो नील गाड़ी है वहां बहुत सारी सूखी लकड़ी है उसको सिरोही के केन्द्र को देने की व्यवस्था करें।

इसके साथ पुलिस की डिमांड के बारे में एक बात कहना चाहूंगी फिर अपनी बात समाप्त करती हूं। आधा मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी। सभापति महोदय, हमारे यहां मोरठ, जे.के. पुरम, मान तलहटी, गिरबर में चौकियों की जरूरत है क्योंकि यह आदिवासी इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है। यहां की आवश्यकता के अनुसार इन चौकियों को स्थापित करें और जहां टेलीफोन की आवश्यकता है उन्हीं टेलीफोन वगैरह भी उपलब्ध करायें और पुलिस को दुरुस्त किया जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मनीराम सियाग।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में रेवेन्यु, वन और पुलिस की डिमांडपर चर्चा हो रही है। मैं सर्व प्रथम रेवेन्यू क्षेत्र में कुछ मेरे क्षेत्र की दृष्टि से विशेष आपके माध्यम से रेवेन्यु मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि वह अभी सदन में नहीं हैं।

सभापति महोदय, जैसा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर पहले उपनिवेशन क्षेत्र में था अब वहां Acc पोस्ट तोड़ दी और सारे का सारा क्षेत्र रेवेन्यु को देने के लिए सरकार ने एलान कर दिया है। परन्तु अभी पूरा का पूरा काम ठप्प है। किसी तरह की कार्यवाही नहीं हो रही है। किसी तरह रेवेन्यु विभाग में जाते हैं, कलेक्टर के पास, तहसीलदार के पास, एस डी ओ के यहां जाते हैं तो यह उत्तर मिलता है कि हमें अभी सरकार से पूरे निर्देश नहीं मिले हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री महोदय, को निवेदन करना चाहता हू कि जल्द से जल्द इस सम्बन्ध में निर्देश प्रदान करें और जो काश्तकारों का काम रुका हुआ पड़ा है, म्यूटेशन रुके पड़े हैं, जो नहरी जमीन किश्त भरने के अभाव में कटने पर आ गयी है, उसको भी कटने से रोकें क्योंकि जब तक राज्य सरकार स्पष्ट निर्देश जारी नहीं करती है रिकार्ड

(श्री मनीराम सियाग)

को मेनटेन करना है उसमें अब तक पूरा रिकार्ड नहीं दिया गया है। काफी रिकार्ड उपनिवेशन आयुक्त के यहां पड़ा है। अभी तक तो उपनिवेशन आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई थी अभी अखबार में पढ़ा है कि इसमें आयुक्त की नियुक्ति हुई है तो सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में दो-चार रेवेन्यु के हिसाब से दिक्कतें हैं। जैसे एक आपको बतायी क्योंकि यह रिकार्ड पहले रेवेन्यु में था फिर उपनिवेशन में गया। इस तरह बार-बार परिवर्तन होने से काश्तकार की जो जमीन थी वह कब्जे भी परिवर्णित हुए, उनको एक्स में तरमीम नहीं किया गया, अत: मेरा निवेदन है कि संवत 2017 के बाद से आज तक बराबर जो तब्दीलियां हुई है उनको पुख्ता करने के लिए एक्स में ट्रेस होना चाहिए और पूरे का पूरा क्षेत्र का री भू सेटलमेंट करके काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा पेचिदगियों से बचाने के लिए, मुकदमों से बचाने के लिए सरकार को यह कदम उठाना चाहिए। मैं एक बार और निवेदन करना चाहता हूं। डोली की जो जमीन थी, मंदिरों के नाम से भूमि थी वह आपके विभाग की गलती से पुजारियों के नाम से इन्तकाल हो गया था। फिर कहीं कहीं तो दुरुस्ती कर ली गई, लेकिन वह भूमि आज तक मंदिरों के नाम से होते हुए भी, मंदिरों का कोई रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, देखभाल नहीं की जा रही है। काफी रकबे में वही पुजारी उससे फायदा उठा रहे हैं और इस तरह भूमि का दुरुपयोग हो रहा है।

दूसरा मेरा निवेदन है कस्टोडियन की भूमि के बारे में। जो भूमि कस्टोडियन को छोड़ी गई, उसका भी नाजायज तरह से दुरुपयोग हो रहा है। कस्टोडियन की जमीन के बारे में मेरा निवेदन है कि जो लोग पाकिस्तान चले गये वह अगर वापस आकर आबाद होना चाहते हैं तो भूमि उन्हीं को अलाट होनी चाहिए। परन्तु जो पड़ौसी उस भूमि को दबाये बैठे हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और न ही उस पर धारा 91 की कोई कार्यवाही हो रही है।

एक मेरा विशेष निवेदन है। जैसा कि अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 1984 तक जो भी धारा 91 के मामले हैं उनका नियमन किया जायेगा। पर मेरा आपसे निवेदन है कि उसमें किसी तरह की कमेटी नहीं बैठी है और न कोई निर्णय हुआ है। खातेदारी देना तो दूर रहा। अभी तक काश्तकार अनिर्णय की स्थिति में हैं।

अभी एक माननीय सदस्य ने फर्माया कि म्युटेशन में भारी भ्रष्टाचार है। जहां तक इन्तकाल की बात है, वह म्युटेशन के तरीके सीधा पंचायत के माध्यम से होता है। तो पहले पंचायत का सरपंच म्युटेशन के लिए पटवारी को निर्देश दे, क्यों कि पटवारी तहसीलदार के प्रति वफादार है, इसलिए सरपंच की तरफ ध्यान नहीं देता और तहसीलदार के आदेश की ही पालना करता है। जो समझदार सरपंच हैं, पढ़े-लिखे सरपंच हैं, वह तो नियमानुसार काम में लेते हैं और तहसीलदार के माध्यम से पटवारी को पाबंद करते हैं कि यह म्युटेशन चढ़ाने हैं और उनको चढ़ा लें। लेकिन अभी भी यह परिपाटी है कि पटवारी ही

(श्री मनीराम सियाग)

इस म्युटेशन का सरवे-सरवा है, वह जिसका नाम चढ़ा देता है, जिसका नाम निकाल देता है, उस आधार पर सरपंच को पकड़ कर साइन करवा लेता है। तो यह तरीका बिल्कुल ही गलत है।

अब मैं थोड़ा समय, वन विभाग पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में काफी भू भाग है जो बारानी और नहरी, दोनों तरह का है। नहरी क्षेत्र में जहां जहां वन विभाग की स्कीम चलती हैं, वह ज्यादातर तो केवल कागजों पर ही चल रही हैं। जिला स्तर की मीटिंग में कभी बैठते है तो यह बात आती है कि कार्य प्रगति पर है, कार्य तेजी पर है, लेकिन कार्य की कोई सीमा नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं।

वहां मेरा बड़ा क्षेत्र बहुत ही डेजर्ट इलाका है और नहरी क्षेत्र होते हुए भी वहां इतना अन्धड़ और आंधियों का प्रकोप है कि वहां खालों और नहर से किसी तरह का काम नहीं होता। जो पैसा वन विभाग में लगता है, वह अन्धाधुंध बिना देख रेख और बिना हिसाब किताब के लग रहा है और वहां पर मीटिंग्स में सामने आया कि उनको यह भी पता नहीं कि कौनसी सीजन में प्लांटेशन करना चाहिये, कौन सी सीजन में वृक्षारोपण करना चाहिये। स्कीम का मतलब यह समझते हैं कि तारबन्दी हो गई, इलाका घेर दिया, और वह स्कीम को सुचारू रूप से लागू करने की बात कह देते हैं।

मेरा एक निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में विशेष स्थिति यह खड़ी हो गई कि नहरी क्षेत्र में इनको कमाण्ड एरिया में नहीं लेकर अनकमाण्ड एरिया ही वन विभाग, को एक्वायर करना था लेकिन गलती से इन्होंने समतल भूमि, कमाण्ड एरिया को एक्वायर कर लिया। आज काश्तकारों को बड़ी भारी परेशानी हो रही है क्योंकि जो मेरे क्षेत्र के महाजन फाल्ड फायरिंग रेंज के 33 गांव को रक्षा विभाग ने उनको दूसरी जगह बसाया था, पूगलं खाजूवाड़ा, छतरगढ़, उनको यह आश्वासन दिया था कि आपको सबसे अच्छी जमीन बढ़िया जमीन का अलॉटमेंट करेंगे। इसी आधार पर उनको अच्छी जमीन अलाट की गई। लेकिन बाद में पता चला कि यह जमीन तो वन विभाग की है। वह समस्या आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन वहां हम भी यह आश्वासन देकर आये थे कि आपका यह मामला सुलटायेंगे। लेकिन परिस्थितिवश यह जो परिवर्तन आया, उसमें मेरे को आगे आश्वासन देने के लिये देखते हैं कि हमने यह आपके मामले में निर्णय लिया है। कुछ केन्द्र सरकार को यह दोष देते हैं कि यह वन विभाग का रकबा है और वह केन्द्र सरकार के अधिकृत है, हम तो कर नहीं पायेंगे। कुछ यह कहते हैं कि जैसे-जैसे आप कब्जा लो। लेकिन इसमें, माननीय सभापति महोदय, किसान को दोहरी मार पड़ रही है। एक तो उनका रकबा निश्चित नहीं है। वे काश्त करते जा रहे हैं। वहां एक दूसरी जगह भी यही शिकायत मिली कि चार चार साल तक उन लोगों ने काश्त की और चार साल के बाद एकदम से उनको बेदखल करके तारबन्दी कर ली। उनके नाम से रकम ली जा रही

(श्री मनीराम सियाग)

है, उनके नाम से पट्टे भी जारी है फिर भी वे अपनी जमीन में काश्त करने से वंचित है। मेरा तो यह निवेदन है कि अगर उनको दूसरी जगह जमीन नहीं दी जाती है तब तो उनको निर्वहन भत्ता भी सरकार दें।

तीसरा मेरा निवेदन है कि जो यह दुरुस्ती में पेचीदगियां आयी हैं, जो राजस्व मंत्री हैं वे उपनिवेशन के भी हैं, उनसे निवेदन है कि सरसरी तौर पर ऐसा आदेश जारी कर दें कि जो लोग अभी तक अपना रकबा सही स्थान पर नहीं प्राप्त कर सकें, काबिज नहीं हो सके या किसी को डबल अलाटमेंट भी हो गया तो उनको अभी भी दरख्वास्त देने के लिये थोड़ा टाइम दे दिया जाय।

मेरा यह निवेदन है कि जो वन लगाये गये हैं, उनकी उपयोगिता को भी ध्यान में नहीं रखकर कभी-कभी तो जो भी उपलब्ध पौधे होते हैं, वह डिस्ट्रिब्यूट कर देते हैं। जब कि अपना क्षेत्र खेजड़ी प्रमुख क्षेत्र है। खेजड़ी बहुत अच्छा पौधा है। अगर इसको हम प्राथमिकता देंगे तो यह उपजाऊ है, इसकी लूग- छोडे जमीन पर गिरेंगे तो उससे फसल अच्छी होगी और दूसरे इसकी जड़ पर फसल पकती है और अन्य, मान जो, बेर है या बबूल है

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसके पश्चात यह भूमि रख लेती है, इसके ऊपर उपज नहीं हो पाती। तो मेरा निवेदन है कि खेजड़ी एक ऐसा पौधा है, जिसके बीज, जिसके खोके अगर भेड़ बकरी को भी खिला दिया जाय तो जहां चारागाह में चरेगी, जहां घूमेगी, इसके बीजों का स्वतः ही बीजारोपण हो जायेगा और अच्छी वर्षा होने पर भी आगे जाकर खेजड़ी और यह काश्तकार के लिये छायादार भी साबित होगी। कभी–कभी तो भूख के मारे उसके खोके भी लोग खाकर पानी पीकर अपना गुजर बसेरा करते हैं।

मैं आपसे थोड़ा सा पुलिस पर भी निवेदन कर दूं। वैसे तो पुलिस को सभी कोसते आये हैं। माननीय सदस्यों ने सभी ने बड़े जोर शोर से इसको कहा, लेकिन कथनी और करनी में अन्तर थोड़ा जरूर है। मुझे कई बार कारणवश पुलिस स्टेशन पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो श्रीमान् एस. एच. ओ साहब पीठ के पीछे गांधीजी की फोटों लगाये बैठे रहते हैं। कहने को तो बड़ा आदर्श है लेकिन मेरा एक निवेदन है कि फोटो अगर उनके सामने लगा दी जाय तो शायद वहां बैठे कुछ तो उनके दिमाग में आयेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इसका कारण यह भी हो सकत है, तनख्वाह कम मिलती, होगी उनका भरण पोषण नहीं होता होगा। हमारे किसान परिवार में लोगों में एक कहावत सी बन गई है कि पढ़कर कौनसा थानेदार बणसी। तो थानेदार पोस्ट अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है, उसमें अगर अहम नहीं आये, यह कोई बुरी बात नहीं है।

मैं लम्बी चौडी नहीं कहकर के इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र लूणकरणसर में एक साल से चोरियों का बड़ा प्रकोप है। चोरियां बड़ी भारी हो रही हैं

(श्री मनीराम सियाग)

ग्रौर एक भी बरामद नहीं हो रही है। मैं तो छह महीने पहले हमारे एस. पी. साहब से मिला, जो ग्रब तो बदल गये हैं, उन्होंने कहा ग्राप तो फालतू खफा हो रहे हैं। ग्रापके जिले में तो वनिस्पत चोरियां कम हो रही है। तो मैं ज्यादा नहीं कहकर उठ के ग्रा गया। ये चोरियां कम मान रहे हैं, ग्रभी ग्रौर होने की सम्भावना है। तो यही स्थिति है ग्रभी भी हो रही है। चोरी होती है। थानेदारजी कहते हैं कि ग्रगलीबरामद हो जायेगी क्या कारण है? ग्राखिर वे खफा होकर बोलते हैं कि यह तो घर में ही गड़बड़ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ग्रगर उनकी नियत नहीं है, ग्रगर बरामदगी करने की नियत नहीं है तो चोरियां बरामद नहीं हो सकती। पुलिस को पता रहता है कि कौनसी चोरी करने वाला कौनसा गिरोह है, कौन ग्रादमी हो सकता है, किस इलाके में किस तरह की हो रही है। इसके साथ ही ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा पुलिस ध्यान दें। ग्रब वह समय नहीं रहा है ग्रौर वह ग्रशिक्षा भी नहीं रही की ग्राप लोग 20, 50 सालों के पहले के विचारों से ग्रभी तक हम लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। थोड़ा स्वाभिमान, जनता के स्वाभिमान को भी ध्यान में रखकर शांति व्यवस्था कायम करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मीनारायण दवे। (ग्रनुपस्थित)

माननीय श्री जुबेर खां (ग्रनुपस्थित)

माननीय श्री ग्रमीन खां

श्री ग्रमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस विभाग पर ग्राज चर्चा हो रही है। हम ग्राज इस ग्राजादी के युग में पुलिस से जिस तरह की जो उम्मीदें रखते हैं, वह पूरी नहीं रखते हैं, उसके ग्राप ग्रौर हम सभी भागीदार हैं। सन् 1923 में ग्राफिशियल सीक्रेट एक्ट बना है। जो ग्रंग्रेजों की हुकूमत, विदेशी हुकूमत में लागू किया गया था कि प्रजातंत्र के जरिये कोई प्रशासनिक ग्रधिकारी, प्रशासन की मंशा को दबा नहीं सकता। वैसे ग्राज तक हम चेन्ज नहीं कर पाये ग्रौर तो ग्रौर ग्रंग्रेजों के बनाये हुए एक्ट में भी ग्रपन उसका मिसयूज ज्यादा करते जा रहे हैं। इसी प्रकार सन् 1861 में पुलिस का एक्ट बना, जो ग्रपना बनाया हुग्रा नहीं था ग्रौर उस एक्ट के तहत ग्राज ग्रपन देश में शांति ग्रौर व्यवस्था कायम करना चाहते हैं ग्रौर लोकतंत्र में प्रजा को समान रूप से देखना चाहते हैं। यह पुलिस का कसूर नहीं है, ग्रपना कसूर है। इन एक्टों में भी भारी परिवर्तन करना पड़ेगा। ग्रगर हकीकत में देश के नागरिक को स्वतन्त्र की रूपरेखा देनी है तो। मिसाल के तौर पर एक जुलूस ग्रौर भेड़ पर पुलिस को नियंत्रण करना पड़ता है, दफा 23 में ग्रौर उसमें एस. पी. लॉ एण्ड ग्रार्डर को मैनटेन करते है ग्रौर 15 रुपये गलती करने वाले पर जुर्माने की व्यवस्था है। क्या ग्राज के युग में ग्रपन यह महसूस करते हैं कि कोई ग्रादमी 15 रुपये जुर्माने से घबराता है। उस वक्त हो सकता है 15 रुपये बहुत बड़ी कीमत थी। लेकिन ग्राज के युग में लॉ एण्ड ग्रार्डर को मैनटेन करने के लिए पुलिस ग्रधीक्षक को यह पावर होनी चाहिये कि वह 15 रुपये जुर्माने की जगह

(श्री ग्रमीन खां)

15 हजार करे, अन्यथा एस. पी. खुद मजबूर होता है। वह मार खायेगा, कलक्टर मार खायेगा, यह भेड़ नियन्त्रण में नहीं रहती, एक बात तो यह है, इसमें अपने को दुरूस्ती दिखानी पडेगी। अपनी ईमानदारी से प्रजा और जनता के नुमाइन्दों की हुकूमत को और जनता को इज्जत देना चाहते हैं, कानून और व्यवस्था को अच्छी तरह से कायम करना चाहते हैं तो इसमें सोचना पडेगा। नम्बर दो, मैं गृहमंत्रीजी ग्रापका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ समय पूर्व जिला पुलिस अधीक्षकों से यह पावर लेकर सिपाहियों की भर्ती के सलैक्शन में चेयरमैन और डी. आई. जी. को जिस दिन से बनाया गया है, उस दिन के बाद में पुलिस की सही जितनी भर्ती होनी चाहिये थी, वह भी पुलिस नहीं कर पा रही है और उससे गरीब, ग्रामीण लोगों को भारी धक्का लगा है। उनमें मायूसी और भारी असंतोष है। आज एम. ए. पास को आप कांस्टेबल भर्ती करते हैं। हायर एजूकेशन वालों का आप कांस्टेबल की भर्ती के लिए इनवाइट करते हो। एक सब इन्पैक्टर पुलिस का तो 8 वीं ही पास है और उसके सामने आप कांस्टेबल एम. ए. पास रखते हो, यह कभी भी अनुशासित नहीं हो सकता, इतनी उम्मीद नहीं है। जितनी कि गरीब, गांवों के लड़के जो 5-वीं, 8-वीं पास हैं, उनको ज्यादा तफ्तीश देनी चाहिये। उसमें भी विशेषकर मेहरबानी करके रेगिस्तानी इलाकों में, जहां शिक्षा का भारी अभाव है, वहां आठवीं तक ग्रामीण युवकों को लें जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले, इसलिए आप 8वीं तक की छूट करें और जिला पुलिस अधीक्षकों को भी सलैक्शन में बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया जावे, नहीं तो डी. आई. जी. के पास एक गरीब का लडका आज भर्ती हो सकेगा, न कल हो सकेगा और गरीब ही रहेगा।

मैं अब तफ्तीश होने की बात कहता हूं। चाहे राज हमारा था, चाहे आपका था, मेरा अच्छा अनुभव है कि सी. आई. डी. के अन्दर क्राइम के अन्दर जो तफ्तीशें यहां लायी जाती है, उनमें नेताओं का दबदबा है, अधिकारी के हाथ में कोई तफ्तीश नहीं होती, वह फाइल मंगा लेते हैं, वायरलैस मैसेज के जरिये, अपने पास पड़ी रहती है। लीडर कहते हैं इसमें एफ. आई. आर. दो। एफ. आई. आर. लगेगी। लीडर कहते हैं कि यह चालान करना है, यह हमारी पार्टी के खिलाफ है, यह उसके खिलाफ है उसका चालान हो सकता है। यह चालानों की न्याय की भी व्यवस्था जिला पुलिस के पास होनी चाहिए, यहां सारा घपला होता। किसी बड़े आदमी को तो न्याय मिल सकता है लेकिन गरीब आदमी को तो आज मिले, न कल। इसके साथ ही मैं यह भी गुजारिश करना चाहता हूं कि दिल्ली की पुलिस की तरह ही रोटेशन सिस्टम यहां भी पुलिस विभाग में होना चाहिए। आपने हर जगह अलग-अलग इनकी शाखाओं की व्यवस्था कर रखी है, यह गलत है। पुलिस चाहे आर्म्ड पुलिस हो, चाहे स्पेशल ब्रांच हो चाहे सिविल पुलिस हो, हर दो साल में यह बदलती हुई होनी चाहिये और उनको पुलिस कि सारी किस्म की ट्रेनिंग सभी को मिलनी चाहिये। इसके बिना हर आदमी को न्याय नहीं मिलता, पिछली बार गृह मंत्री जी मैं

(श्री अमीन खां)

आपसे कहना चाहता हूं हमारी सीमा पर आपकी जितनी भी विशेष शाखाएं हैं, इनफोर्मेशन इधर-उधर की मंगाती है, उसमें फोर्स पाकिस्तान से भी कोई न्यूज मंगाती है, तो मुसलमानों पर भरोसा करते हैं और सोर्स रखे जाते हैं, उधर के आदमी भी रखे जाते हैं, घर के आदमी भी रखे जाते हैं, लेकिन स्पेशल ब्रांच में किसी भी मुसलमान कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर नहीं रखे जाते हैं। हालांकि इसमें हमें कोई दूसरे लोग लोस नहीं देते, क्या यह धर्म निरपेक्षता को चेलेन्ज नहीं करते, जबकि देश के अन्दर जितनी भी अच्छी देश की खिदमत में घटनाएं हुई हैं, उसमें कौनसी हमारी कौम ने कुर्बानी नहीं दी। समय-समय पर भी कुर्बानियां दी गयी हैं, जो देश की हुकूमत के बड़े-बड़े दस्तावेजों से साबित है। तो यह मामूली बात पर इतने बड़े वर्ग को शक में रखना देश, प्रजा और समाज के हित की बात नहीं है, इसमें सभी लोगों को इन्वोल्व करें। चौथा, मेरी गृह मंत्रीजी आपसे गुजारिश है कि 20-20 साल तक कोई सब-इन्सपेक्टर एक ही जिले में रखे जाते हैं, वह वहां नौकरी नहीं करते हैं, यह अधिकारी जागीरदारी करते हैं, यह दो साल वाला आपका कानून बदलने का नीति सम्बन्धी मामला है, यह पक्का होना चाहिये, ताकि बाकी सभी को खिदमत का मौका मिले और किसी को शिकायत का मौका न मिले और लोगों में इसी तरह की भावना पैदा हो।

अन्त में पुलिस विभाग पर मैं कहता हूं कि एक आदमी, आपके वरिष्ठ महकमा अधिकारी आफीशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया, उसमें सैक्सन आठ में यह व्यवस्था है कि उसको नोटिस देना पड़ता है। नोटिस देकर उससे पूछताछ करनी पड़ती है, छानबीन करके उसको रिहा करना पड़ता है। यह अंग्रेजों के वक्त की आफीशियल सीक्रेट एक्ट में व्यवस्था है, उसको ताक में रखकर 27 दिन तक छोड़ा नहीं गया, पुलिस हिरासत में खत्म हुआ, मेडिकल बोर्ड पर प्रेशर डालकर उसको टी. बी. बताई गयी, जब टी. बी. का पेशेण्ट था तो क्या पुलिस की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि पुलिस उसको मानवता के नाते बचाती। रोटी नहीं खाई। जिला एस. पी. के लिए इनवेस्टीगेशन, पहला एस. पी. जो आया था, उसके पास बयान हैं, एस.एच.ओ. के पास बयान है कि इस आदमी के खिलाफ पूर्व में कोई किसी किस्म का केस दर्ज नहीं है और कोई घटना दर्ज नहीं है। एक आदमी अपना मतलब सिद्ध करने के लिए किसी की असत्य रिपोर्ट कर देता है और ऐसे मुलजिमों को आखिर भारी दण्ड नहीं मिलता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय और ज्यादती है। अब मैं रेवेन्यु के मामले में माननीय गंगारामजी से चाहूंगा कि गोचर जमीनें जितनी भी हैं, उन पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उसमें राजस्थान की दूसरी जगह रहने वाले नौकरीपेशा व्यापारपेशा लोग जिन्दा रह सकते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में अगर गोचर खत्म हो गयी तो वहां लोगों का जीना हराम हो जायेगा, लोग वहां बिल्कुल फकीर हो जायेंगे। इस-

(श्री अमीन खां)

लिए हमारी यह गुजारिश है कि गोचर पर जो अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही के कदम उठाने चाहिये। उपनिवेशन विभाग के तहत बाड़मेर और जैसलमेर जिले के जितने भी भूमिहीन किसान हैं उनको इन्दिरा गांधी कैनाल पर जमीन दी जानी चाहिए।

एक बात मैं कहना चाहता हूं वनमंत्री जी से कि आपके वन विभाग ने हमारे सीमावर्ती इलाके में जहां तारबन्दी की हुई है, उनमें जो कुदरती पेड़ थे, वे भी खत्म हो गये। जो ओरण हैं, कोई देवी-देवताओं के नाम हैं, कोई पीर-सैयद के नाम है उन ओरणों में प्राकृतिक दरख्त जिन्दा हैं, लोग देखते हैं। आपका विभाग इन दरख्तों की कोई रखवाली नहीं करता है। हम कई बार मान चुके हैं कि आप ढाणियों में रहने वाले किसानों की मजदूरी के ऊपर पैसा बेकार फैंक रहे हो। इन किसानों को एग्रीमैण्ट पर एक पेड़ दे दो कि एक ढाणी में कोई 50 पेड़ लगायेगा तो हम उसको इतना पैसा सब्सिडी दे देंगे। वह किसान रोजाना एक चरी या बाल्टी पानी डालेगा। यूं एक ढाणी में 50 पेड़ लग जायेंगे तो हजारों-लाखों पेड़ तैयार हो जायेंगे। यह व्यवस्था वन विभाग को करनी चाहिए।

सभापति महोदय, इतनी बात कहकर अन्त में पुलिस के लिए यह कहता हूं कि पुलिस की तरक्की में आर.पी.एस. आफिसरों के वर्दी भत्ते बहुत बढ़ा दिये लेकिन कान्स-टेबल से लेकर सब-इन्सपेक्टर तक कोई वर्दी भत्ते नहीं बढ़ाये हैं, भत्ते इन लोगों के बढ़े हैं। पुलिस की नफरी बढ़ाने के बजाय पुलिस के पास अच्छे और आधुनिक साधनों की यदि व्यवस्था की जाय तो ये कानून और व्यवस्था को अच्छी तरह कायम रख सकते हैं। इतनी बात कहकर, सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रान्त में कानून और व्यवस्था बनाये रखे, जनता की जान और माल की रक्षा करे और अपराधों में वृद्धि न हो, इसके लिए प्रयत्न करे। इस कार्य के लिए प्रान्त में अधिकारियों और कर्मचारियों की एक लम्बी-चौड़ी फौज है, यह काम करती है। यद्यपि राजस्थान में इस वर्ष कानून और व्यवस्था की स्थिति सन्तोषजनक और पूर्ण नियन्त्रण में रही है लेकिन फिर भी राज्य में विद्यार्थियों, विभिन्न राजनीतिक दलों और कर्मचारियों की हड़ताल एवं आंदोलन के अतिरिक्त साम्प्रदायिक तनाव और आरक्षण के मामले को लेकर जो आन्दोलन हुए उनसे कानून और व्यवस्था बिगड़ गयी थी। लेकिन पुलिस ने अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियन्त्रण रखकर कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में तस्करी के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। हेरोइन, चरस, सोना-चांदी, पशुधन, कपड़ आदि की व्यापक तस्करी हो रही है। पुलिस की तत्परता से इस साल यद्यपि 54 करोड़ के आसपास तस्करी का माल बरा-

(श्री हीरालाल आर्य)

मंद किया गया है लेकिन पुलिस तस्करों को पकड़ने में विफल रही है। पुलिस माल तो बरामद करती है लेकिन तस्करों को नहीं पकड़ पाती, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसको और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। राजस्थान पुलिस ने इस वर्ष अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध पूरे वर्ष लगातार कार्यवाही कर करीब 8943 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से भारी तादाद में शस्त्र और बारूद बरामद किये। दस्यु उन्मूलन के मामले में भी पुलिस ने 139 दस्यु गिरफ्तार किये। पुलिस ने 13 मुठभेड़ों में 8 दस्युओं को मारने तथा उनसे हथियार और कारतूस बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसमें पुलिस ने यद्यपि हरिजनों एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार रोकने तथा उनमें पुलिस के प्रति विश्वास एवं चेतना जागृत करने की बात कही है लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को विश्वास दिलाने में पुलिस बिल्कुल असफल रही है। इन सारी बातों के बावजूद पुलिस अपराधों में कमी हो, इसमें बिल्कुल असफल रही है। फलस्वरूप इस साल लूट, हत्या, बलवा, नकबजनी, बलात्कार तथा अन्य अपराधों में वृद्धि हुई है, पुलिस विभाग की रिपोर्ट से यह बात तय है। महिला उत्पीड़न और दहेज के मामलों में भी दिनोंदिन वृद्धि होती जा रही है। दहेज यातनाओं के 1187 अपराध इस वर्ष पंजीबद्ध हुए और दहेज हत्या के मामलों में करीब 284 मामले सामने आये। इसी प्रकार बलात्कार के मामलों में 470 मामले पंजीबद्ध हुए, जो पिछले सालों की बनिस्पत अधिक हैं। मैं चाहूंगा कि महिला उत्पीड़न के मामलों में पुलिस अधिक सतर्क होकर काम करे। इसी प्रकार हरिजनों पर अत्याचार के मामले में भी केवल हत्या और गम्भीर क्षेत्रों को छोड़कर बाकी मामलों में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचारों में भारी वृद्धि हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों पर जो अत्याचार होते हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उनको जो सरकारी सहायता दी जाती है, उनको भी अधिक से अधिक सहायता दी जाकर उनको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : पुलिस विभाग में दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। थानों पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, रिपोर्ट दर्ज कराने आने वाले फरियादी को मारपीट कर भगा दिया जाता है। पैसे लेकर रिपोर्ट दर्ज की जाती है, उनसे कागज, पैंसिल, कार्बन आदि की मांग की जाती है। तब कहीं जाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। धारायें बदलने में....

श्री सभापति : बातें नहीं। कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : कोटा ग्रामीण क्षेत्र में इस साल अपराधों में वृद्धि हुई है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप दौरे कम कर दो वहां के।

श्री हीरालाल आर्य : मैं अपने क्षेत्र के कुछ उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि मुकदमा नम्बर 85/89 थाना खातौली का है शिवराजसिंह बनाम गिरधर सिंह। शिवराजसिंह से गिरधर सिंह और छः व्यक्तियों ने मारपीट की थी। इसकी सी.आई.डी. से जांच भी हुई थी लेकिन चालान पेश करने के आदेश होने के बावजूद भी कई दिनों तक फाइल थाने में पड़ी रही। फाइल को गाय खा गयी, यह कहकर मामले को टाला गया और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इस मामले को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार मुकदमा नम्बर 184/89, केशोपुरा का, जिसमें लड्डूलाल व्यक्ति की 8-10 व्यक्तियों ने मिलकर पिटाई की। उसकी हालत इतनी गम्भीर हो गयी कि उसको इलाज के लिए कोटा और बाद में जयपुर लाना पड़ा था। 307 में मुकदमा दर्ज हुआ था, उस 307 के मुकदमे को हटाकर साधारण धाराओं में चालान पेश किया और बाद में उसको समाप्त करने के लिए एफ.आर. लगा दी गयी।

इसी प्रकार से मुकदमा नं. 106/90 में सूरजमल, सुखपाल और खेमराज तीन भाइयों की निर्मम हत्या 18 व्यक्तियों ने की। पुलिस ने अपराधियों को कई दिनों तक पकड़ा नहीं और बाद में जब उनको पकड़ा तो सीधे-सीधे बिना रिमाण्ड मांगे जुडिशियल कर दिया गया। इस प्रकार से ऐसे गम्भीर मामलों में पैसे खाकर पुलिस ने अपनी कोताई बरती है।

इसी प्रकार गिर्राज पुत्र रामप्रसाद, जो बोरदा के हरिजन मोहल्ले में रहने वाला है, उसको अकारण थाने में बुलाकर पिटाई की। उसकी शिकायत करने के बावजूद भी उसका आज दिन तक कुछ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से मुकदमा नम्बर ...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : 163/90 कल्याणमल गुर्जर निवासी दौलतपुरा उसके ऊपर छोटूलाल आदि व्यक्तियों ने बन्दूक से फायर किया, मुकदमा दर्ज हुआ। अपराधियों को पकड़ कर लाये लेकिन अपराधियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण छोड़ दिया गया न बन्दूक बरामद की। 307 में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसको साधारण धाराओं में दर्ज किया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इस प्रकार से कई सारे मामले हैं। थाने वहां पर भ्रष्टाचार के केन्द्र बने हुए हैं। उच्चाधिकारियों से शिकायत करते हैं तो उच्चाधिकारी भी टालम-टोल करके उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोटा के ग्रामीण एस.पी. हैं, उनको तुरन्त वहां से हटाया जाय। ऐसे अक्षम और भ्रष्ट एस.पी. वहां पर होने से दिन-प्रतिदिन भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : संक्षेप में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह बात सही है

(श्री हीरालाल आर्य)

कि पुलिस को बड़ी कठोर ड्यूटी देनी पड़ती है। उनका काम हमेशा 24 घण्टे का रहता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस अपना काम ठीक तरह से कर सके, इसके लिये उनकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि की जानी आवश्यक है। प्रत्येक थाने में टेलीफोन हो, प्रत्येक थाने पर जीप हो और जो सिपाहियों की संख्या है वह भी बढ़ायी जानी चाहिये तथा सिपाहियों के काम के घण्टे हैं वह भी निश्चित किये जाने चाहिये, वेतन में सुधार किया जाना चाहिये।

संक्षेप में, राजस्थान में जो कुछ घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं, उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। भीलवाड़ा में विश्व हिन्दू परिषद् के लोग शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करके जिलाधीश को ज्ञापन देना चाहते थे। उनको अकारण रोका गया। रोका ही नहीं उनके ऊपर लाठी प्रहार किया गया और फायरिंग भी किया गया जिससे कई लोगों के चोटें आई तथा 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे पंगु और अक्षम प्रशासन को, वहां के एस. पी. और कलक्टर को वहां से हटाया ही नहीं जाय, उनको सस्पेण्ड किया जाकर 302 का मुकद्मा उनके खिलाफ दर्ज किया जाकर उनको गिरफ्तार किया जाय। (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें। एक मिनट। आपकी पार्टी से 5 मिनट का समय दिया गया था, 14 मिनट आपको हो गये हैं। अब आप बिराजें।

श्री हीरालाल आर्य : एक मिनट में समाप्त ही कर रहा हूं डिण्डौन में हरिजनों की पुलिस द्वारा मार-पीट की गई, उसको पुलिस प्रशासन रोकने में अक्षम रहा। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो पुलिस प्रशासन वहां के हरिजनों की सुरक्षा नहीं कर सका उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाये। इसी प्रकार से मण्डावरी काण्ड हुआ जिसमें 10 हरिजन मारे गऐ थे। उसकी अभी तक जांच लम्बित है। परन्तु उसकी जांच समाप्त की जाकर, दोषियों को दण्डित किया जाकर हरिजनों में उत्साह जागृत करें और उनकी सुरक्षा की गारन्टी दे। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवजी राम मीणा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (बैर) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री महोदय और सदन के नेता महोदय को कुछ पुलिस की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय गृह मन्त्री महोदय मैं कुछ आपको व्यक्तिगत तौर पर भी निवेदन करूंगा, क्योंकि भरतपुर जिले में आपके राज में, आपके शासन में जितना जूआ और सट्टा बढ़ा है वह बहुत ही गम्भीर मामला है। पुलिस उस पर किसी प्रकार से गौर नहीं करती है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इस मामले में क्वेश्चन उठाया था और गृह मन्त्री महोदय ने उसका जवाब दिया था

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लेकिन एस. पी. और. डी. आई. जी. को यह पता नहीं लगता कि जुआ और सट्टा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम थाने में जाते हैं, वहां पर कहते हैं तो कहा जाता है कि जुआ और सट्टा बन्द नहीं हो सकता है। पुलिस के लोग जाते हैं और जुआ और सट्टा करने वालों से पैसे ले आते है और वापस आ जाते है। कभी हमने इस मामले में शिकायत भी की है तो छोटे लोगों को पुलिस पकड़ कर ले जायेगी। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूं, माननीय गृह मन्त्री महोदय, मेरी तरफ ध्यान दें कि बयाना कस्बे में बड़े जोरों से सट्टा और जुआ हो रहा है, सरेआम दिन भर चलता रहता है। माननीय गृह मन्त्री महोदय, अगर मैं असत्य बोल रहा होऊं तो आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको सामने दिखा सकता हूं कि कितना जुआ और सट्टे का बयाना में जोर बना हुआ है। भुसावर कस्बे में भी जुआ और सट्टे का जोर बना हुआ है। पुलिस उन पर कोई कार्यवाही नहीं करती है और यदि करती भी हैं। तो थोड़े देर भर के लिये पकड़ कर ले आयेंगे और 1000-500 रुपए ले लिये और वहीं की वहीं जमानत ली और छोड़ दिये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का कानून बनाना चाहिये कि कम से कम 10-15 दिन तक वह लोग बन्द रहें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी काफी कैसेज गुण्डागर्दी के बयाना में दर्ज हुए हैं, परन्तु गुण्डे पकड़े नहीं जाते हैं। वह कहते हैं कि राजनीतिक मामला है। इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि चाहे जिसको चाहे जो आदमी पीट जाता है, गरीब आदमी के साथ मार-पीट हो जाती है और पुलिस जाती है और घूम-फिर कर वापस आ जाती है। इस तरह के पुलिस के मामले हैं।

माननीय मन्त्री महोदय, 1 तारीख को, धूनण्डी के रोज हिन्डौन में जो काण्ड हुआ वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को बन्द किया गया, उन्हीं लोगों के मोहल्ले में आग लगी, उन्हीं के साथ मार पीट हुई, उन्हीं के परिवारों को लूटा गया, उनके पैसे लूटे गये, उन्हीं के घरों में आग लगा लगा दी गई, उन्हीं लोगों के साथ पुलिस ने मार-पीट की, उन्हीं के जेवर लूट लिये गये, उनका डाक्टरी मुआयना हुआ है। आज तक जो दूसरे लोग बन्द हुए हैं उनके साथ मार-पीट नहीं की गई।

छोटी छोटी बातें हैं उनको मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। गृह मन्त्री महोदय, हमारा बयाना सब-डिविजन पुलिस में सबसे ज्यादा डकैती के मामले होते हैं। जाती है और घूम-फिर कर वापस आ जाती है। उनकी निगाह में होता है कि किस आदमी ने डकैती की हैं और कहां से डकैती हुई है, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में 5-6 महीने पहले बोगेरा पंचायत समिति में, माननीय सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट की बस्ती के 40 घरों की बस्ती है उसमें डकैती हुई परन्तु आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। गरीब शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को सरे आम शाम को 8 बजे ले

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

गये और आज तक पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। सभापति महोदय, तीन-चार दिन पहले मुसावर कस्बे में डकैती हुई है उसमें भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। परसों शनिवार को दिन में पौने तीन बजे की बस से मैं बयाना गया था और मुसावर कस्बे में एक सेठ तीन हजार रुपए का सौदा करके लाया और उसको सरेआम लूटकर ले गए। जाकर पुलिस में रिपोर्ट की, पुलिस उसके पीछे भागी जब उसको पकड़कर लाए। जो सट्टे और जुऐ के मामले में मैंने कहा है, हमारे यहां स्पेशल-तौर से इस बात पर माननीय गृह मन्त्री महोदय, ऐसा कानून बनाओ जिससे कि जुऐ सट्टे वाले कम से कम 10–15 दिन तो बन्द रहें, कम से कम उनकी कोर्ट से तो जमानत हो। वह तो जाते हैं, पैसा ले आते हैं और छोड़ देते हैं। तो इसमें आम गरीब आदमी पिसता है और बड़े-बड़े लोगों के घर बन गए। हमारे बयाना में आज सरेआम सट्टा हो रहा है और गरीब आदमी लुट रहा है। पुलिस के पैसे बंधे हुए हैं और उसमें पुलिस बिल्कुल कार्यवाही नहीं करती। वहां जाकर के कहते हैं तो कहती है, भाई, आप ही नाम बता दो। पुलिस वाले जाते हैं, जुआ खेलने वाले जुआ खेलते रहते हैं और रास्ते में से छोटे-छोटे बच्चों को पकड़ लाते हैं और कह देते हैं कि हमने तो केस पकड़ लिया और केस बनाकर के ऊपर एस. पी. और डी. आई. जी. को कह देते हैं कि हमने तो फलाना केस पकड़ लिया। एस. पी. और डी. आई. जी. को मालूम ही नहीं होता है और वहीं का वहीं रफा दफा कर देते हैं।

अभी जो हिण्डौन के मामले में मैंने कहा, गृह मन्त्री महोदय, अभी मेडिकल रिपोर्ट आने वाली थी, वह लोग आए नहीं और उन लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा असत्य आरोप लगाकर के और उनको हथियार दिखाकर के केस बनाए जा रहे हैं, कर्मचारियों को जबर्दस्ती पकड़ा जा रहा है और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ढूंढ रही है। जिन्होंने गरीबों को लूटा और उनके घरों में आग लगाई है, उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है और जो कर्मचारी वहां जयपुर बैंक में नौकर है, भरतपुर में नौकर है, कोई सवाई माधोपुर में नौकर है, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है। मुख्य मन्त्री महोदय बैठे हुए हैं, उनसे मुझे निवेदन करना था कि इस प्रकार के जितने भी अत्याचार होते हैं, वह शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ ही होते हैं। बलात्कार, मार-पीट, गुण्डागर्दी कोई करता है तो शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ ही करता है। तो ऐसा अन्याय क्यों? पुलिस इस बात पर कोई विचार नहीं करती। और कोई बड़ा आदमी गुण्डागर्दी करता है तो उसको ले जाएगी पुलिस और पैसे लेकर के रफा दफा कर देगी। तो यह निवेदन है।

एक मैं सिपाहियों के बारे में कहना चाहता हूं। जो छोटे सिपाही हैं, 12–12 घण्टे ड्यूटी देते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जिससे उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए, फ्री उनको खाना

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

दिया जाए। काम वह करते हैं 24-24 घण्टे और कम से कम 15 किलो के वजन को कन्धे पर रखकर 12 घण्टे खड़े रहते हैं। अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ जाती है, आई. पी. एस. और बड़े अफसर जो हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है लेकिन छोटे आदमियों की तनख्वाह नहीं बढ़ती है। ज्यादा गांवों में वे ही लोग जाते हैं, पिटते तो वे ही पिटते हैं और बदमाशी होती है तो उन लोगों के साथ ही होती है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल मेघवाल

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में मांग संख्या 16-पुलिस पर जो डिबेट हो रही है, उसके प्रसंग में जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं, उस पर माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दें।

सभापति महोदय, जैसा कि राजस्थान के प्रमुख अखबारों में अभी 17 तारीख को, बूंदी जिले में विशेषकर पांच साल के अन्दर जो चोरियां हुई हैं उनका मुकदमे से तारीख से सारा विवरण अखबार में आया है। सरकार उन अखबारों की कटिंग लेकर के उसकी ओर ध्यान देगी। मैं इसी प्रसंग में निवेदन करूंगा थोड़ा सा कि मान्यवर, बूंदी का ऐतिहासिक किला, जिसमें अथाह सम्पत्ति है, वहां कई लाख रुपयों की चोरी हुई। आज दिन तक उसका पता नहीं लगा। इसी तरह से इतिहास विख्यात कविवर सूर्यमल मिश्रण के संस्थान के महत्वपूर्ण रिकार्ड और दस्तावेज चोरी गए जिसमें कई लोगों के नाम सामने आए हैं लेकिन बहुत अफसोस का विषय है, यह तीन-चार साल पहले की बात है, पुलिस ने उन लोगों के नाम सामने आने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जिससे जनता में भारी रोष है। इसी तरह से बूंदी जिले में विशेषकर के मन्दिर के कलश मूर्तियां और महत्वपूर्ण आभूषण जो चोरी हो रहे हैं जिनमें नैनवा, दई, गेन्डोली, खटकड़, केशोरायपाटन, अड़ीला, कापरेन, इनमें मूर्तियों की चोरी हुई है....

(6.23 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

मान्यवर, खटकड़ में धून्धलेश्वर महादेव की एक विचित्र नीलम की मूर्ति, जिसको सवेरे देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि मूर्ति किसी बालक की हो, दोपहर में देखने पर ऐसा मालुम पड़ता है कि युवावस्था में है और शाम को देखने पर मालूम पड़ता है कि वृद्धावस्था में है, उस मूर्ति की चोरी हुई। मेरा पिछली विधान सभा में एक प्रश्न था, मैंने यह चाहा था कि क्या मूर्ति चोरी के दो दिन पहले एक विदेशी, एक स्थानीय नेता और एक भूतपूर्व अधिकारी वहां रुके हैं और चोरी के एक दिन पहले, दूसरे दिन चोरी हुई....

श्री अध्यक्ष : अब आप यह कथा कहने लगे, दो मिनट में खतम करें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : उसी खटकड़ में वह आदमी देखे गए। बहुत दुःख के साथ निवेदन करूंगा कि उस प्रश्न को बिल्कुल गोलमाल कर गए हैं और उस प्रश्न का उत्तर इन्होंने बाद में स्थगित करके मुझे डाक से भेजा है। मैंने नियम 295 में भी इस मुद्दे को रखा, उसको भी गोल कर गए। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उसके उत्तर में दिया गया है कि इसको ऐसी कोई जानकारी होने के बाद पुनः खोल सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि यह जो खटकड़ में धून्धलेश्वर महादेव की मूर्ति चोरी हुई है जिसमें विदेशी नागरिक का बूंदी और खटकड में रहना, उसको गोल कर गए, उसको पुनः देखा जाए जिससे चोरी मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय मन्त्री जी।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय मांग संख्या 16 पर कुल 314 कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे हैं, माननीय सदस्यों ने उन कटौती प्रस्तावों के माध्यम से जो मुख्य मुद्दे उठाए हैं, वह हैं थानों के अन्दर पुलिस की नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में, थानों में वाहन देने के बारे में, नए थाने व चौकियां स्थापित करने और कई स्पेसिफिक मुद्दे हैं जिनके ऊपर कार्यवाही नहीं होता, रिश्वत मांगना, गलत व्यक्तियों को पकड़ना, महिलाओं पर अत्याचार विशेषकर दहेज के सम्बन्ध में और अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग पर सवर्ण द्वारा अत्याचार करने, मूर्ति चोरी इत्यादि के कटौती प्रस्तावों के माध्यम से यह प्रश्न उठाए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि हर एक माननीय सदस्य को अपने-अपने कटौती प्रस्ताव, जो उन्होंने दिये हैं, उनका जवाब विस्तार से अपने आप मिल जाय। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले किसी खास बात की मैं चर्चा करूंगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का जो विभाग है, पुलिस की जो आइरन ड्यूटीज हैं, खास तौर से आज के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की जो अपनी ड्यूटी है, उनके अलावा इतनी जिम्मेदारियां उनकी बढ़ गयी हैं कि वे अपनी ड्यूटी के अलावा भी दूसरे काम के अन्दर अधिक व्यस्त रहते हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं मानकर चलता हूं कि इस विभाग को कोई सदस्य धन्यवाद दे सके। कोई न कोई खामी और हर एक में हर दफा में कोई न कोई गलती आपके माध्यम से यह हमको बताते ही रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह उल्लेख करना चाहूंगा कि आखिर में जो समस्याएं हैं और हमारे राजस्थान के अन्दर खासतौर से, जैसी आपने बात बतलाई, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस की जो हमारी इस वक्त नफरी है वह बहुत पुराने आधार के ऊपर है, 1979-80 के ऊपर। आज जब जनसंख्या हम देखते हैं तो जनसंख्या की बढ़ोतरी के हिसाब से निश्चित रूप से इस नफरी के अन्दर बढ़ोतरी होनी चाहिए और इसी के साथ जो थाने और जो हमारी चौकियां बनी हुई हैं, उन चौकियों का भी पुनः निर्धारण होना आवश्यक है। इसलिए हम चाहेंगे कि अगले री-आर्गेनाइजेशन के अन्दर हम उसको लें और उसको लेने के साथ-साथ कितने थाने, नई चौकियां स्थापित कर सकते हैं, वह हमारे संसाधनों के ऊपर ही मुनस्सिर रहेगा।

(श्री दिग्विजय सिंह)

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह उल्लेख किया गया है, माननीय पिलानी से आने वाली सदस्या ने इस बात को कहा कि यह गया वर्ष राजस्थान के अन्दर पुलिस प्रशासन के लिये एक काला वर्ष रहा, साम्प्रदायिक दंगों की बात की और यहां पर मण्डल आयोग के द्वारा जो आरक्षण विरोधी आंदोलन चला, उसकी बात कही, हड़ताल की बात कही। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के मुकाबले में आप अगर अन्य प्रदेशों को और अन्य प्रदेशों से इस प्रदेश की तुलना करे तो मैं समझता हूं, वह भी आज यहां उपस्थित नहीं हैं, वह इस बात को स्वयं स्वीकार करेंगी कि राजस्थान अन्य प्रान्तों के मुकाबले काफी शान्तिप्रिय प्रदेश रहा है और पुलिस उसके अन्दर काफी तत्परता से कार्य करने में सफल रही है। अध्यक्ष महोदय, खास तौर से उन्होंने जो उल्लेख किया जयपुर के दंगों का और जो जयपुर में दंगे हुये, उसके बाद दूसरे दंगों का भी उन्होंने उल्लेख किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन दंगों के अन्दर भी राज्य सरकार ने काफी चेष्टा की, काफी चेष्टा करने के बाद हमें इस बात पर सफलता मिली कि जितनी स्थिति को हम काबू में कर सकते थे, निश्चित रूप से राज्य सरकार ने उस स्थिति को काबू में किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पुलिस के लिए कहा जाता है कि संवेदनशील होना चाहिए। यहां यह भी कहा गया है कि संवेदनशीलता होने के लिए अच्छे ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट या इस प्रकार के ट्रेनिंग इन्स्टीयूट बनाये जायें ताकि जो कान्स्टेबल हैं और ऊपर के अधिकारी हैं, वह रिफ्रेशर कोर्स के लिए दुबारा से आयें। रिफ्रेशर कोर्स के अन्दर उनको ट्रेनिंग मिले, मेरी ऐसी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, संवेदनशीलता निश्चित रूप से होनी चाहिए। पुलिस को आज के परिप्रेक्ष्य में संवेदनशील होना चाहिए, यह मै मानता हूं पर, अध्यक्ष महोदय, आप मेरे साथ यह स्वीकार करेंगे कि पुलिस के माध्यम से जो आज एक भय बना रहना चाहिए जनता के दिमाग में, वह भी समाप्त हो जाता है। जैसा कहते हैं कि फेमिलिरिटी ब्रीड्स कन्टम्प्ट। अगर बहुत ज्यादा फेमेलिरिटी हो जाती है पुलिस से तो जो सोश्यो-इकानोमिक जो आज चेंज आ रहा है इसका भी प्रतिबिम्ब हमारे पुलिस पर पड़ रहा है। आज पुलिस का जितना दबाव है, जितना भय, आज कह सकते हैं कि पुलिस का जितना आक्रोश है, उसके अन्दर भय कह दीजिए, जनता में जो उसके अन्दर रहना चाहिए, वह नहीं रहने की वजह से यह अपराध कुछ इस प्रकार से बढ़ रहे हैं।

आज आपने जो पुस्तिका का उल्लेख किया और उस पुस्तिका के उल्लेख के अन्दर आपने बताया कि गत वर्ष के मुकाबले चोरियां इत्यादि अपराध बढ़े हैं, निश्चित रूप से पुस्तिका के अन्दर दिया है। इसके अन्दर साफ है कि अपराध बढ़े हैं उन बातों में मै दुबारा नहीं जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं परन्तु अपराध बढ़ने के पीछे क्या कारण है? अपराध बढ़ने के कारणों पर जाना पड़ेगा कि आखिर यह अपराध बढ़ते क्यों हैं। यह सारी सोशियल स्ट्रक्चर है। जिस प्रकार की हमारे समाज में सामाजिक कुरीतियां

(श्री दिग्विजय सिंह)

बढ़ रही हैं, उसी की वजह से ही अपराध बढ़ते चले जाते हैं और हमारे उसके अनुपात के अन्दर रोकने की प्रवृत्ति है या उसको रोकने के लिए हमारे पास पुलिस की नफरी है, वह इतनी कम है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर नफरी बराबर भी हो तो भी जब तक सोश्यो-इकानोमिक डवलपमेंट समाज के अन्दर नहीं आयेगा तो पुलिस ही जिम्मेदार हो या पुलिस के माध्यम से ही सारे जुर्म रुके, ऐसा मैं मानकर नहीं चलता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं और एक माननीय सदस्य ने कहा, मैं भूल गया उनका नाम तो, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर अधिकारियों के ट्रान्सफर के बारे में अगर पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स कम रखे तो निश्चित रूप से हम सोचते हैं कि पुलिस प्रशासन का कार्य ठीक हो सकता है। पर इसमें दोनों बात हैं कि कहीं-कहीं आवश्यक भी हो जाता है, इन्टरफियरेन्स या उनके ऊपर जन प्रतिनिधि का नियन्त्रण रखना आवश्यक भी होता है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर हमारे थानों में मोबिलिटी के बारे में कहा गया। थानों के अन्दर मोबिलिटी नहीं है। मैं मानता हूं कि आज हमारे पचास प्रतिशत से ज्यादा थाने ऐसे हैं जहां हमारी मोबिलिटी नहीं है और मोबिलिटी नहीं होने के कारण कई दफा कम्प्लेनेन्ट कम्प्लेंट करने आता है तो वहां के थानेदार या वहां के इन्चार्ज स्वयं उसको कहते हैं कि आप अगर गाड़ी ले आओ तो हम कार्यवाही के लिए जा सकते हैं। तो सरकार ने यह निर्णय लिया है, अध्यक्ष महोदय, कि हम अगले तीन वर्षों के अन्दर करीब-करीब सारे थानों की मोबिलिटी बनाने के लिए जीप्स की व्यवस्था कर देंगे ताकि थानों के अन्दर मोबिलिटी हो सके।

श्री हेतराम बेनीवाल : तीन वर्ष तो बहुत ज्यादा हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : तीन वर्ष इसलिए कि जो हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों को आधार रख कर बाकी के बचे हुये कई थानों में हम व्यवस्था कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मूर्तियों की चोरी के बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की। मैं भी, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाह रहा हूं कि काफी, खास तौर मे गत 6 माह में, मूर्तियों की काफी चोरियां हुई हैं यह पर कहना असत्य है कि उनकी बरामदगी नहीं हुई या हमने मूर्तियां बरामद नहीं की है। मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि थाना हिण्डौन में तीन मूर्तियां बरामद की गयी, थाना सदर कोतवाली, अजमेर में नृसिंह जी के मंदिर से चोरी की मूर्ति बरामद की गयी. थाना घूनी जिला टोंक भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति नागफनी की और 24 नाग भगवान की मूर्तियों की चोरी खोली गयी और बरामद की गयी। लालसोट थाने में लड्डू गोपालजी की मूर्ति, लालारामजी की मूर्ति, चतुर्भुज नागफनी की मूर्ति बरामद की गयी है व मुलजिमों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारो

(श्री दिग्विजयसिंह)

देना चाहता हूं कि इन मूर्तियों की चोरियों के सम्बन्ध में एक गिरोह पकड़ा गया है। मुझे उम्मीद है कि जो मूर्तियों की चोरियां हुई हैं, और खास तौर से सवाई माधोपुर, नादौती का जो इलाका है उसके अन्दर काफी हुई हैं उनकी मूर्तियों को बरामद करने में हमें काफी सफलता मिलेगी। मैं समझता हूं कि हमारी मूर्तियां बहुमूल्य हैं और निश्चित रूप से इन मूर्ति चोरों का इन्टरनेशल गिरोह है। इन्टरनेशल गिरोह के माध्यम से मूर्तियां हमारे प्रदेश से बाहर जाती हैं। इन्टरपोल के मार्फत कई जगह रोका भी है, पकड़ा भी है। इस गिरोह को पकड़ने के लिए सक्रिय है राजस्थान पुलिस। ऐसी कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूं, माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है खास तौर से महिलाओं पर अत्याचार और दहेज के सम्बन्ध के निश्चित रूप से गये वर्षों में यह प्रवृत्ति महिलाओं के सम्बन्ध में देश में बढी है और राज्य के अन्दर इनके केसेज भी काफी दर्ज हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने इस संबंध में तत्परता से जहां कहीं भी से शिकायत आई है, दोषियों को, वे चाहे किसी वर्ग के हों, कितने ही प्रभावी क्यों न हों, उनको हमने पकड़ने की कोशिश की है और महिला अत्याचार के बारे में महिला सैल हमने अलग से स्थापित किया हुआ है जो उसकी देखरेख में सारा कार्य करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक और निवेदन करना चाह रहा हूं। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी हाल ही में कोटा के अन्दर जो अखबार में आज खबर आई, उस सम्बन्ध में मेरा ध्यान दिलाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उसमें केस रजिस्टर्ड कर दिया गया है और उसके खिलाफ तफ्तीश जारी है और जो मुलजिम है उनको भी गिरफ्तार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां टेरेरिस्ट एक्टिविटीज के बारे में निवेदन करना चाह रहा हूं यह वाकई में चिन्ता का विषय है। खास तौर से इतने थोड़े से समय में 2 घटनायें हुई हैं परन्तु आप स्वयं भी जानते हैं गंगानगर का जो जिला है उसका एक हिस्सा इन्टरनेशनल बोर्डर से लगा हुआ है साथ की दूसरी स्टेट बोर्डर्स से भी लगा हुआ है। अतः उसमें हमारी सीमा चौकसी को और सतर्क हम करेंगे और हमें करनी होगी। इस सम्बन्ध में एक और निवेदन करना चाहूंगा। गंगानगर जिले में पहले हमारी 12 कम्पनियां लगी हुई थीं। जब दूसरे राज्यों के अन्दर, अभी 6 महीने पहले यू. पी. के अन्दर इस प्रकार के दंगे हुए थे, वहां कम्पनियों को जाना पड़ा। आज हमारे पास वहां से केवल 12 कम्पनियों के मुकाबले में सिर्फ 5 कम्पनियां वापस आई हैं जिनको वापस हमने गंगानगर में भेज दिया है। मैं आपको आश्वास्त कर सकता हूं कि गंगानगर जिले में और खास तौर से इस एक्टिविटि को राजस्थान में हम नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि यदि राजस्थान में यह एक्टिविटी बढ़ गई तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए चिन्ता का विषय होगा। गंगानगर जिले के अन्दर, जो खास

(श्री दिग्विजय सिंह)

तौर से संवेदनशील इलाका है, हम वहां पर ज्यादा सतर्कता रखेंगे और अगर नफरी और बढ़ानी पड़ी, वहां पर फोर्स देनी पड़ी तो हम निश्चित रूप मे फोर्स और साधन वहां उपलब्ध करायेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : जितने थाने गंगानगर जिले के हैं, उनमें आप टेलीफोन तो उपलब्ध करा दें।

श्री दिग्विजय सिंह : नए थानों की बात मैं आगे करूंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं नए थानों की बात नहीं कह रहा हूं। जो पुराने थाने हैं, उनमें से 50 प्रतिशत थानों में टेलीफोन नहीं है। अगर कोई सूचना भी दें तो वहां किस तरह से सूचना दें।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि टेलीफोन के सम्बन्ध में भी जब आधुनिकीकरण हम करने जारहे हैं उसके अन्दर यह योजना रखी गई हैं। जहां-जहां भी टेलीफोन की सुविधायें नहीं हैं हम उनको फेजवाद लेकर निश्चित रूप से पूरा करेंगे और विशेष रूप से गंगानगर जिले के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को हम हाथ में लेंगे, यह मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। (व्यवधान)

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (बैर) : भरतपुर, धौलपुर में हमारे यहां ज्यादा मामला है। हमारे यहां भी घोषणा करें कि सब जगह ही टेलीफोन दिए जायेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय सदस्य को बहुत चिन्ता है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले के लिए मैंने कहा है कि विशेष तौर पर प्राथमिकता से करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि राजस्थान के अन्दर उन स्थानों पर जहां टेलीफोन चाहिए, वहां टेलीफोन की सुविधा न होगी। वहां भी टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा और वह है हमारे पुलिस कांस्टेबल्स के बारे में। आज सारी पुलिस का स्ट्रक्चर जिसके ऊपर खड़ा है वह कांस्टेबल के ऊपर खड़ा है जो कि 24 घण्टे ड्यूटी देते हैं। उनके लिए हम आवास योजना बनाने जा रहे हैं और आज इस बात के लिए आवासन मण्डल के माध्यम से लगभग सभी जिलों में यह काम करवाया जा रहा है। उनके लिए हम क्वार्टर्स का निर्माण करेंगे। इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के पास भी एक प्रस्ताव है और वह प्रस्ताव है, जैसा कि निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि अन्य प्रान्तों में जैसे कारपोरेशन्स बने हुए हैं वैसे ही यहां पर भी कारपोरेशन्स स्थापित हो जाय तो क्वार्टर्स का निर्माण उन फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस से पैसा लेकर के हम क्वार्टरों का निर्माण करें। यह प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है और निश्चित रूप से इस पर कुछ न कुछ कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर अन्य बातों के अलावा कई माननीय सदस्यों ने इस

(श्री दिग्विजय सिंह)

बात के लिए पुलिस प्रशासन और खास तौर से पुलिस के उन जवानों के लिए इस बात के लिए कहा कि जवानों, जो कि आज कार्यकर्त्ता हैं, उनके मैस भत्ते में वृद्धि की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं उन घोषणाओं के बारे में बाद में निवेदन करूंगा, कुछ 2-3 मुद्दों की बात और आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी राज्य सरकार ने जैसा माननीय मुख्यमन्त्री जी ने पूर्व में भी कहा इस सदन में, यह निर्णय लिया है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जो केसेज बने हैं उन केसेज को शीघ्र ही वापस लेने की कार्यवाही कर रहे हैं। इस संबंध में गृह विभाग से कहा है कि वह जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट बना करके सरकार को दे ताकि उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जो केस बने हैं, जो विडिक्टिवनेन्स के बने हैं, उनको विदड्रा किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, जो कट मोशन स्पेसिफ आए हैं उन सबके जवाब माननीय सदस्यों को विभाग के माध्यम से इस सदन के समाप्त होने के 15 दिन के अन्दर पहुंच जायेंगे। मैं इतना ही निवेदन करता हूं।

कुछ घोषणायें जो हमारे पुलिस कर्मियों के लिए करनी हैं, उनको मैं सदन के सामने आपको पढ़कर सुनना चाहता हूं।

राज्य सरकार ने सामूहिक बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है जिसके अनुसार किसी बाह्य हिंसक एवं हृदय साधक द्वारा मृत्यु अथवा चोट कारित किए जाने की स्थिति में एक लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि देय होगी। मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में यह राशि 100 प्रतिशत और अन्य मामलों में 50 प्रतिशत तक हो सकती है। इस योजना पर 15.20 लाख रुपए वार्षिक व्यय होने का अनुमान है जो पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

दूसरी, पूर्व में मैस भत्ते में 10 रुपए प्रतिमाह की अधिकतम वृद्धि की गई है किन्तु इस वर्ष हम इस वृद्धि का 15 रुपए प्रतिमाह की दर से किया जाना प्रस्तावित करते हैं। (व्यवधान) नहीं, यह 10/-रु. लास्ट इयर की है, इसके अलावा इस वर्ष 15 की है।

पुलिस एवं जिला यूनिटों में पानी की व्यवस्था के लिए 26.94 लाख रुपए की राशि इस वर्ष व्यय की जानी प्रस्तावित है और इस व्यवस्था के लिए 19 लाख रुपया दिया जाना प्रस्तावित है।

समस्त थानों पर वर्तमान में जहां वाहन उपलब्ध नहीं है, यह मैं आपको कह चुका हूं, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान संसधनों को देखते हुए समस्त थानों पर वाहन एक वर्ष में उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होगा। अतः आगामी वित्तीय वर्ष में 75 रुपए प्रतिमाह की दर से 358 उप-निरीक्षकों एवं साहयक उप-निरीक्षकों को जिन पुलिस थानों पर वाहन उपलब्ध नहीं है, वहां मोटरसाइकिल रखने पर 75 रुपए प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है।

(श्री दिग्विजय सिंह)

इसी प्रकार, भिन्न-भिन्न पुलिस मैस को 50 गैस कनेक्शन देने का अनुमानित वित्तीय भार 10 लाख रुपए, राजस्थान पुलिस वैलफेयर फण्ड में 10 लाख रुपए का अनुदान, पुलिस लाइन में शौचालय एवं स्नानगृह बनाने हेतु 12 लाख रुपए, पुलिस खेलकूद निधि में अनुदान 3 लाख रुपए एवं पुलिस थानों में 1000 पंखे लगाने के लिए 5.50 लाख रुपए दिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल अतिरिक्त वित्तीय भार 190.37 लाख रुपए होने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय, यहां एक प्रस्ताव आया था और सुझाव भी था कि पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप कुछ न कुछ पुरस्कार दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने इस संबंध में यह निर्णय लिया है कि पुलिस अधीनस्थ सेवा कर्मचारियों को, जिसमें कांस्टेबल से निरीक्षक पद तक के कर्मचारी शामिल हैं, निरन्तर निष्ठा एवं ईमानदारी से की गई लम्बी सेवा के आधार पर विशेष रूप से सम्मानित करने की नई प्रणाली आरम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत दस वर्ष की निष्ठा, कर्तव्यपरायणता व ईमानदारी से की गई निरन्तर सेवा के लिए ऐसे सभी कर्मचारियों को उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किया जायेगा। सम्मानित कर्मचारियों को बैज के रूप में प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार 18 वर्ष तक निरन्तर निष्ठापूर्वक, कर्तव्यपरायणता और ईमानदारी से की गई सेवा के लिए अति उत्तम सेवा चिन्ह और 25 वर्ष की ऐसी सेवा के लिए सर्वोत्तम सेवा चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा। ऐसा सम्मान पाने वाले पुलिस अधिकारी बैज को अपनी यूनीफार्म पर लगा सकेंगे। इस नई प्रणाली के अन्तर्गत पुलिस कार्य के किसी क्षेत्र में असाधारण कार्य करने तथा असाधारण साहस, वीरता या ईमानदारी के लिए भी पुलिस अधीनस्थ सेवा कर्मचारियों को असाधारण कार्य पुरस्कार प्रदान किया जायेगा जिसका प्रतीक चिन्ह बैज के साथ प्रत्येक को पांच हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जायेगा। यह प्रतीक चिन्ह यूनीफार्म के दांयी ओर लगाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारे जो होमगार्ड हैं, होमगार्ड की भी अपनी उपयोगिता है और ये भी हमारी कानून-व्यवस्था को बनाये रखने में मददगार हैं। खास तौर से उस समय जबकि पुलिस अन्य कार्यों के अन्दर या ऐसे समय में जब वह व्यस्त रहती है, उस समय होमगार्ड्स की भी हम सेवाएं लेते हैं और उनको भी कुछ न कुछ इस रूप में उपहार देने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सामूहिक बीमा योजना की भांति गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के सारे कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों के लिए भी सामूहिक बीमा योजना लागू किया जाना सैद्धांतिक रूप से तय किया है। योजना की विस्तृत रूप-रेखा तैयार होनी है। गृह रक्षा आरक्षी, मुख्य आरक्षी को मैस भत्ते में 15 रुपये प्रति माह की वृद्धि की जाना प्रस्तावित है जिसका वित्तीय भार 6.40 लाख रुपये प्रति वर्ष होगा। विभाग का एक संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान है

(श्री दिग्विजय सिंह)

जिसके लिए कुकिंग गैस कनेक्शन के लिए 20 हजार रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, दो लाख रुपये गृह रक्षा कोष के लिए प्रस्तावित है, एक लाख रुपये खेल-कूद के लिए प्रस्तावित है और टेरीकॉट की वर्दी के लिए 20 हजार रुपये प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि नागरिक एवं ग्रामीण गृह रक्षक सेवकों को निवास स्थान से आठ किलोमीटर से अधिक दूरी पर प्रतीक्षण ड्यूटी, स्थानांतरित आने-जाने पर दो रुपये प्रति दिन की दर से किराया दिया जायेगा जिसका वित्तीय भार 2.45 लाख रुपये देने का अनुमान है। इसी प्रकार गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों को सामूहिक बीमा योजना के अतिरिक्त 12.33 लाख रुपये की सुविधा और उपलब्ध हो सकेगी।

पुलिस कर्मचारियों तथा गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के कर्मचारियों को मैस भत्ते में की जाने वाली प्रस्तावित वृद्धि 15 रुपये माहवार की जेल के उन कर्मचारियों को भी दी जायेगी जिन्हें वर्तमान में नियमानुसार मैस भत्ता नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने जो यह निर्णय लिया है और जिन घोषणाओं को मैंने अभी आपके सामने पढ़कर सुनाया, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य इस बात के लिए तो मुझसे सहमत होंगे कि इस पुलिस फोर्स के अन्दर एक विश्वास जागृत हो और पुलिस फोर्स अपने आप को इस प्रकार का फोर्स समझे कि वे राजकीय सेवा करने के अन्दर दृढ़ता से और लगन से कार्य करें। सरकार हमेशा उनकी सुख-सुविधाओं के लिए चिन्तित है और मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, सदन को मैं विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से हम पुलिस विभाग को और सतर्क बनाने में और इसका रि-आर्गेनाइजेशन करने के अन्दर भी दृढ़ संकल्प हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को भी हमने लिखा है और निकट भविष्य में कुछ सहायता हमको वहां से मिलने के बाद इसके आधुनिकीकरण की योजना हमारी चल रही है। उसके ऊपर भी हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। वह तब ही सम्भव हो सकेगा जबकि केन्द्रीय सरकार हमें कुछ सहायता देगी। वर्तमान में 200 पुलिस थाने, जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जहां वाहन उपलब्ध नहीं है, राज्य सरकार ने आगामी तीन वर्ष में, आपको मैंने कहा, तीन वर्ष की अवधि में समस्त थानों में वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह मैं आपको कह चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इन शब्दों के साथ कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं और जो कुछ बातें कही हैं, उसके माध्यम से पुलिस प्रशासन में और पुलिस के अन्दर किस प्रकार से हम और तरक्की करें, निश्चित रूप से हम उनका लाभ उठायेंगे, मैं अन्त में यह निवेदन करूंगा कि आप इस मांग को पारित करें।

जैसा आपने बतलाया कि छात्र संघ व छात्रों पर जो आन्दोलन के दौरान मुकदमे

(श्री दिग्विजय सिंह)

बने हैं, उस सम्बन्ध में, मैं इतना ही आपसे निवेदन कर सकता हूं कि यह सब उस परिधि में आते हैं, उनकी भी जांच कराई जायेगी और राज्य सरकार उनके ऊपर भी निर्णय लेगी। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री रतनाराम चौधरी : बच्चों को कांस्टेबल में भर्ती करने के लिए....

श्री अध्यक्ष : श्री कल्लाजी। प्लीज, कल्लाजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी माननीय गृह मंत्रीजी ने जो मैस भत्ता बढ़ाने की बात कही, वह बहुत ही कम मात्रा में बढ़ाया गया है।

श्री रतनाराम चौधरी : ...जो विशेष छूट देने के लिए कहा गया था, उसके बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आपके माध्यम से उनको सुझाव देना चाहता हूं, कि मैस भत्ता कम से कम पचास रुपये से सौ रुपये महीना बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : कल्ला साहब, आपने कितना बढ़ाया था?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारे वक्त में महंगाई इतनी नहीं बढ़ी, पिछले एक वर्ष में दुगनी महंगाई बढ़ गई है। मन्त्री महोदय, तेल की कीमत क्या हो गई है, गेहूं की कीमत क्या हो गई है? अध्यक्ष महोदय, बीलवाड़ी हत्याकांड जो हुआ है उसमें अभी भी एक व्यक्ति को टाडा एक्ट में गिरफ्तार कर रखा है, उसको अविलम्ब छोड़ा जाना चाहिए और जो तीन व्यक्ति मारे गये हैं उनके घर वालों को कोई कम्पनसेशन देने की बात यहां नहीं कही गई है, मैं समझता हूं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी को मानवीय आधार पर उनके परिवारों को निश्चित रूप से उचित मुआवजा देना चाहिए साथ ही जो दोषी लोग हैं, जिन्होंने इस हत्या काण्ड में शरीक होकर नौजवान लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, उन पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैंने एक सवाल पूछा था भीलवाड़ा के बारे में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने एक बड़ा बढ़िया सर्टिफिकेट वहां के जिला प्रशासन को दिया था। क्या कारण है कि सात दिनों में ही चार-पांच माह पुराने एस. पी. को आपने बदल दिया? मेरा आरोप था कि साम्प्रदायिक ताकतों के आगे आपने घुटने टेक कर उनका बदलाव किया है। इसके बारे में कोई उत्तर गृह मन्त्रीजी ने नहीं दिया है। इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे क्या?

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : हां-हां, पूछिए।

श्री जुबेर खान : मैं मन्त्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि बीलवाड़ी हत्याकांड

(श्री जुबेर खान)

में, जैसा आपने कहा था, किन-किन अधिकारियों को सस्पैन्ड किया गया है या नहीं किया गया है ? और किया है तो कब किया है ? बहुत स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन है, मंत्री महोदय ।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिए ।

श्री केदारनाथ शर्मा : एक्शन प्लान बोर्डर के बारे में, पंजाब का बोर्डर सील हो, पाकिस्तान का बोर्डर सील हो, क्या आपने कोई प्रपोजल सेन्टर के पास भेजा है ? और क्या उन्होंने मंजूरी दे दी ?

दूसरा, अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि मौजूदा पुलिस जो है, नोर्मल टाईम में भी लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन नहीं कर पाई । एन्टी रिजर्वेशन डिमोंस्ट्रेशन जो हुए तब भी लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन नहीं कर पाई और क्रिमिनल वायलेंस हुआ, उसको भी मेन्टेन नहीं कर पाई । इसलिए क्या सेन्टर ने आपसे कोई प्रपोजल मांगा है कि कम्पोजिट पुलिस का करेक्टर हो ? इसके बारे में आपने क्या राय दी है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । एक मिनट का टाईम है बस अब । सात बजे मुखबन्द है....

श्री रमाकान्त शर्मा : बीलवाड़ी कांड में जो मारे गये हैं उनके परिवारों को कम्पनसेशन दिया जाय और जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट का टाईम है ।

श्री रमाकान्त शर्मा : समाप्त कर दिया मैंने, मैं तो बीलवाड़ी के मामले में जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुन लीजिए, नहीं तो जवाब नहीं आयेगा ।

श्री गोविन्द सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप बोलेंगे तो यह नहीं बोलेंगे । कोई एक बोल लो एक मिनट में ।

श्री गोविन्द सहाय : कोटपूतली में जितने केस चल रहे हैं वह हमारे आदमियों के वापस लिये जायेंगे...

श्री अध्यक्ष : अब आप बोल लीजिए, मंत्रीजी नहीं बोलेंगे फिर । आपको जो कहना है, कह लीजिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जवाब तो दिलवाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : अब जवाब कैसे दिलवाऊं ? सात बजे तो आपका मुखबन्द का टाईम है, आधा मिनट बचा है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पांच मिनट बढ़ा दीजिए, साढ़े सात, सवा सात कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं होगा । अब यह मुखबन्द का प्रयोग करने के बाद सारी अनुपूरक अनुदान की मांगें और बाकी की जितनी भी मांगें हैं, वह निपटा रहा हूं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जवाब तो दिलवाइए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब नहीं। क्या जवाब दिलवाऊं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह प्रश्न अनुत्तरित क्यों हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : इनके पास जवाब ही नहीं है, वह नहीं दे रहे हैं।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण

मांग-संख्या 8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8- राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग-संख्या 9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9–वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,76,13,000/- (पांच करोड़ छिहत्तर लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

शेष अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या–4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4- जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 5- प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,70,46,000/- (दो करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान मांग संख्या 6- न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,12,000/- (चवालीस लाख बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-13

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 97,21,000 (सत्यानवें लाख इक्कीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या--14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,44,000/- (चौदह लाख चवालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,45,40,000/- (अट्ठारह करोड़ पैंतालीस लाख चालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,57,13,000 (नौ करोड़ सत्तावन

(श्री अध्यक्ष)

लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17—कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18—जनसम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,37,000 (एक लाख सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19—लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,000/- (दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20—आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 93,49,000/- (तिरानवें लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22—क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,37,66,000/- (एक करोड़ सैंतीस लाख, छियासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,19,35,000/- (चार करोड़ उन्नीस लाख पैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,66,11,000/- (पचास करोड़ छियासठ लाख ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25–कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4, 84, 44, 000/- (चार करोड़ चौरासी लाख चवालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27—पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26, 67, 49, 000/- (छब्बीस करोड़ सड़सठ लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29—नगर आयोजना एवं

(श्री अध्यक्ष)

प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 2,76,64,000/- (दो करोड़ छिहत्तर लाख चौसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31, 000 (इक्कतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,23,32,000/- (पांच करोड़ तेईस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,99,000/– (चौदह लाख निन्यानवें हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,96,97,000/– (चौदह करोड़ छियानवें लाख सत्यानवें हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36- सहकारिता के सम्बन्ध में

(श्री अध्यक्ष)

31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,08,56,000/– (आठ करोड़ आठ लाख छप्पन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37- कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,47,77,000/– (तीन करोड़ सैंतालीस लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38- लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,40,89,000/– (पांच करोड़ चालीस लाख नवासी हजार) तक कि राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39- पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,06,35,000/– (एक करोड़ छः लाख पेंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40- राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,04, 55,000/– (सतरह करोड़ चार लाख पचपन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41- सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,40, 20,000/– (आठ करोड़ चालीस लाख

(श्री अध्यक्ष)

बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42- उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,88,98,000/-- (पांच करोड़ अट्ठासी लाख अठानवें हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43- खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,59,33,000/-- (एक करोड़ उनसठ लाख तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-44

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44- लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,09,04,000/-- (एक करोड़ नौ लाख चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45- राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,00,000/-- (नब्बे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46- सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,33,77,000/-- (छः करोड़ तैंतीस लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47- पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,93,75,000/– (एक करोड़ तिरानवें लाख पचहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48- विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 52,00,00,000/-- (बावन करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-50

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50- ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,37,73,000/-- (छः करोड़ सेंतीस लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अनुदान की मागें वर्ष 1991-92 का पारण

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16- पुलिस के संबन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,84,98,35,000/-- (एक अरब चौरासी करोड़ अठानवें लाख पैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1- राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,66,33,000/-- (तीन करोड़ छियासठ लाख तैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या—2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2-मंत्री परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 1,53,42,000/- (एक करोड़ तिरेपन लाख बियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3-सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 17,47,16,000/- (सतरह करोड़ सैंतालीस लाख सोलह हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4-जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,75,14,000/- (पैंतालीस करोड़ पचहत्तर लाख चौदह हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,93,83,000/- (ग्यारह करोड़ तिरानवें लाख तियासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,52,36,000/- (तेइस करोड़ बावन लाख छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 6,25,21,000/- (छः करोड़ पच्चीस लाख इक्कीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या--8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 52, 61,69,000/- (बावन करोड़ इकसठ लाख उन्हत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--9

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 57, 67,20,000/- (सत्तावन करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 9,10,000/- (नौ लाख दस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 5,84,04,000/- (पांच करोड़ चौरासी लाख चार हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--12

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रू. 10,86,64,000/- (दस करोड़ छियासी लाख चौसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 26,51,10,000/- (छब्बीस करोड़ इक्यावन लाख दस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या--14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14- बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 15,96,58,000/- (पन्द्रह करोड़ छियानवें लाख अट्ठावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या--15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15- पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,72,00,36,000/- (एक अरब बहत्तर करोड़ छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या--17

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17- कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 10,63,25,000/- (दस करोड़ तिरेसठ लाख पच्चीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या--18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18- जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 3,74,44,000/- (तीन करोड़ चौहत्तर लाख चवालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या--19

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19- लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,42,81,02,000/- (एक अरब बयालीस करोड़ इक्यासी लाख दो हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या--20

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20- आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,61,81,000/- (तेइस करोड़

(श्री अध्यक्ष)

इकसठ लाख इक्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 96,31,59,000 (छियानवे करोड़ इकतीस लाख उनसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23--श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,52,78,000/- (बत्तीस करोड़ बावन लाख अठहतर हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,65,68,000/- (तेरह करोड़ पैंसठ लाख अड़सठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-28

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,26,02,40,000/- (एक अरब छब्बीस करोड़ दो लाख चालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-29

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 22,15,68,000/- (बाइस करोड़ पन्द्रह लाख अड़सठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या--30

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,14,53,75,000/- (एक अरब चौदह करोड़ तिरेपन लाख पिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या--31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31-पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,16,000/- (आठ लाख सोलह हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या--32

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,06,28,000/- (छः करोड़ छः लाख अट्ठाइस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या--33

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये. 90,32,16,000/- (नब्बे करोड़ बत्तीस लाख सोलह हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या--34

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,48,00,04,000/- (दो अरब अड़तालीस करोड़ चार हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या--35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35-

(श्री अध्यक्ष)

विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,10,38,76,000/- (एक अरब दस करोड़ अड़तीस लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या--37

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 79,47,18,000/- (उन्यासी करोड़ सैंतालीस लाख अट्ठारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या--38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 76,93,26,000/- (छियत्तर करोड़ तिरानवे लाख छब्बीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या--39

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 48,60,26,000/- (अड़तालीस करोड़ साठ लाख छब्बीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या--40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,81,14,000/- (आठ करोड़ इक्यासी लाख चौदह हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या--41

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री अध्यक्ष)

महोदय को रुपये 34,05,14,000/- (चौंतीस करोड़ पांच लाख चौदह हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या--44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,07,94,000/- (बारह करोड़ सात लाख चौरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या--45

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,17,00,000/- (उनतीस करोड़ सत्रह लाख) तक की राशि प्रदान जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या--47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 4,70,36,000/- (चार करोड़ सत्तर लाख छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या--48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 2,04,73,00,000/- (दो अरब चार करोड़ तिहत्तर लाख) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या--49

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,92,59,000/- (ग्यारह करोड़ बानवे लाख उनसठ हजार) तक की राशि प्रदान की

(श्री अध्यक्ष)

जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–50

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,57,81,76,000/- (एक अरब सत्तावन करोड़ इक्यासी लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1991 का पुरःस्थापन।

श्री भैरोंसिह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्यमंत्री) : मैं, राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1991 (1991 का विधेयक संख्या--9) का पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं, राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग संख्या–11 विधेयक, 1991

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह शेखावत प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक का पारण

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1991 को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1991 पारित किया गया।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1991।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1991

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ऐसा प्रस्ताव मैंने दिया है। यह विधेयक माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ला रहे हैं। इसमें प्रशासकों को छह माह की जगह दो वर्ष तक रखने के लिए विभिन्न नगरपालिकाओं तथा विभिन्न नगरपरिषदों के वार्डों का गठन 1990 का निर्वाचक नामावलियों के आधार पर करने हेतु और कुछ अन्य प्रावधान करने हेतु लाया गया है। मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है, जब से राजस्थान नगरपालिका एक्ट बना है तब से जनसंख्या के आधार पर ही वार्डों के गठन को निर्धारित किया गया है। अब इस बार 1990 की निर्वाचक नामावलियों के आधार पर वार्डों का गठन किया जाना युक्तिसंगत नहीं है। अभी हाल ही में 1991 की जनगणना के आंकड़े बहुत शीघ्र राज्य सरकार के पास आने वाले हैं। इसमें जनसंख्या के आधार को लेकर ही हम यदि वार्डों का गठन करेंगे तो यह राजस्थान के हित में होगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं रहेगा। इसलिए वार्डों के गठन के आधार 1991 की जनगणना को आधार मान कर किया जाय। इसके साथ साथ चूंकि नगरपालिका से सम्बन्धित विधेयक आ रहा है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि राजस्थान की नगरपालिकाओं की और नगरपरिषदों

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

की स्थिति, अध्यक्ष महोदय, आज क्या है ? प्रत्येक नगरपालिका और नगरपरिषदों के पास आज तनख्वाह चुकाने के लिए पैसा नहीं है। हर महीने उन्हें किसी न किसी रूप में कहीं से उधार लेकर दूसरी म्यूनिसिपैलिटी से उधार लेकर अथवा... अध्यक्ष महोदय, हमें जिस प्रकार से वित्त आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को मदद देने के लिए गठित किये जाते हैं उसी प्रकार से राज्य में भी राज्य वित्त आयोग बैठा कर नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है इसके लिए विचार करके एक वित्त आयोग का गठन करना चाहिये ताकि नगरपरिषद् और नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि मनोरंजन कर जो पहले नगरपालिकाएं और नगरपरिषदें वसूल किया करती थीं, आज यह मनोरंजन कर राज्य सरकार वसूल कर रही है। अब यह कहने को कह सकते हैं कि आपके वक्त में भी यह हो रहा था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : आज मत कहो, कब से हो रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, तो मैं कह रहा हूं कि हमारे वक्त में भी हो रहा है लेकिन इससे....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : मनोरंजन कर का जो हिस्सा नगरपालिकाओं को मिलना चाहिये वह सरकार से प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या माननीय मन्त्री स्वीकार करेंगे कि जो वाजिब हक, जो उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिये क्या वह आप देने जा रहे हैं ? आप सदन में कहिये इस बात को यहां पर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मनोरंजन कर को वापस नगरपालिकाओं को दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही कई बार समय समय पर जब कांग्रेस का शासन था तब भी अभी शासन में जो लोग बैठे हुए हैं, हमेशा यह कहते रहें हैं कि हम चुंगी को समाप्त करेंगे अथवा चुंगी का एक समान दर बना कर जिला मुख्यालयों और सम्भागीय मुख्यालयों पर एक जैसी चुंगी की दर करेंगे, लेकिन आज क्या हो रहा है ? जयपुर हमारा सम्भागीय मुख्यालय है यहां पर सब से कम चुंगी की दर है और बीकानेर तथा जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर यहां पर चुंगी की दर जयपुर से भी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जब तक चुंगी की दर को समाप्त न करें कम से कम जिला मुख्यालयों पर अथवा सम्भागीय मुख्यालयों पर अथवा पूरे प्रदेश की नगरपरिषदों और नगरपालिकाओं में एक जैसी चुंगी की दर तो कम से कम कर ही सकते हैं। इसको करना चाहिये।

इसी के साथ साथ आज जयपुर सड़ रहा है, बीकानेर की भी स्थिति बहुत खराब है, जोधपुर में भी सफाई व्यवस्था भी नगरपरिषदें कर नहीं पा रही है। इसको सुधारने के लिए स्वायत्त शासन मन्त्रीजी को एक विशेष अभियान चला कर हमारे शहरों की और नगरपालिका क्षेत्रों की सफाई करवाने के लिए आगे आकर काम करना चाहिये। कुछ ऐसी स्पेसिफिक

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

समस्याएं हैं। जैसे–बीकानेर में सूरसागर के बारे में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने विपक्ष में रहते हुए कई बार आवाज उठायी है, गिन्नाणी की समस्या को उठाया है। उसी तरीके से जयपुर के अन्दरुणी हिस्सों में जो बड़े–बड़े नाले हैं उनकी समस्याओं को उठाया है। विश्व बैंक से अथवा एल. आई. सी. से ऋण लेकर के सम्भागीय मुख्यालयों पर बड़े नाले हैं, बड़े तालाब हैं, जो गन्दे नालों के रूप में, तालाबों के रूप में विकसित हुए हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिये एक दीर्घकालीन 50–60 करोड़ का ऋण लेकर पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों और सम्भागीय मुख्यालयों में जो सफाई की अव्यवस्था है, सीवरेज की अव्यवस्था है उनका एक समयबद्ध कार्यक्रम बना करके दूर करना चाहिये ताकि शहरों में सफाई व्यवस्था कम से कम दुरुस्त हो सके। नगरपालिका के कर्मचारियों को बोनस देने की आपने घोषणा की, आज बहुत सी नगरपालिकाओं में उनको बोनस नहीं मिला है। एक वर्ष के अन्दर-अन्दर आप उनके बोनस को दें और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जब तक आप वित्तीय स्थिति को नहीं सुधारेंगे तब तक हमारी नगरपालिकाएं और नगर परिषदें सरकार के मोहताज रहेंगी और दूसरी नगरपालिकाओं से ऋण लेकर वे अपने काम को चलाती रहेंगी। इससे पूरा काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से यह निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रथम आपत्ति की है वह यह की है कि वार्डों का गठन जनसंख्या के आधार पर किया जाय और सन् 1991 की जनगणना हो चुकी है इसलिए उसके आधार पर किया जाय, यह आपने आपत्ति की है। आपने अमेण्डमेण्ट नहीं पढ़ा शायद। अमेण्डमेण्ट यही आया है कि जब तक 1991 की जनसंख्या की घोषणा नहीं आ जाती विधिवत उसके बीच में यदि चुनाव हों तो क्या करें?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अमेण्डमेण्ट मेरे पास नहीं पहुंचा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर आप क्या बहस कर रहे हैं? यह बिल नहीं मिला क्या आपको?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं मिला। यह तो विधान सभा सचिवालय की गलती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसमें संशोधन यही है कि जब तक जनगणना आ नहीं जाती है तब तक चुनाव करवा दें तो क्या करें। इसलिए यह अधिकार लिया है कि जब तक वह न आ जावे उसके पहले चुनाव कराने हों तो किस आधार पर करें यही तो प्रस्ताव है। आपकी बात को तो हमने पहले ही रख दिया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने

(श्री अध्यक्ष)

का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय मुनासिब समझें तो उनके बारे में उत्तर दे दें तो काफी समस्याओं पर समाधान हो जायेगा। लेकिन आज राजस्थान के अन्दर छोटी नगरपालिकाओं की जो दुर्दशा है उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री महोदय, का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज हालत यह है काफी बड़ी तादाद में छोटी नगरपालिका के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा हैं। आज उनकी हालत ग्राम पंचायतों से भी बदतर हो गयी हैं। सफाई की व्यवस्थ नहीं, कचरा भरा हुआ है, नालियां नहीं, वहां पर गलियों में खरंजें नहीं, सड़के नहीं। उस दुर्दशा को दूर करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। इसीलिए वित्त आयोग की मांग इन्होंने यहां पर की है कि नगरपालिकाओं को भी जिस प्रकार हमने मुख्य मंत्रीजी बार-बार वित्त आयोग के सामने अपने स्टेट का पक्ष रखते हैं या फिर अलग-अलग मुख्य मंत्रियों ने रखा। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं उसी आधार पर मेरा आपसे निवेदन है, श्रीमान् यहां भी नगरपालिकाओं के लिए और पंचायत राज संस्थाओं के लिए, कुल लोकल बॉडीज की बात कर रहा हूं कि इनको धन का आवंटन किस प्रकार हो। आप देते क्या हैं? पांच रुपया पर हैड अब बढ़ गया होगा तो 10 रुपये पर हैड हो गया होगा। आज जो तनख्वाह राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलती है वही उनके अधिकारियों कर्मचारियों को मिलती है। वहां हालत यह है कि तनख्वाह नहीं मिल रही है तो नगरपालिकायें कैसे चलें, वहां के नागरिकों का जीवन नारकीय हो रहा है। उसमें किस प्रकार से सुधार हो। इस बात के लिए सरकार के पास क्या ठोस उपाय हैं, क्या ठोस नीति है? इस बारे में मन्त्री महोदय कुछ बता सकें तो उनकी बहुत कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य? आप बोलें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस तरह से चुंगी का असामान्य करण है। उसमें सीकर भी अहम प्रश्न बना हुआ है। राजस्थान में जयपुर और झुन्झुनू में कपड़े की गांठ पर जो चुंगी दर है उसके बदले

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पर जो चुंगी की दर है उसके बदले सीकर में चुंगी की दर बहुत ज्यादा है। मैं तो आपसे यहां तक कहूं कि जहां जयपुर में चुंगी 10 रुपये लगते हैं वहां उसी कपड़े की गांठ पर सीकर में 150-200 सौ रुपये लगते हैं। इससे आप निश्चित जानिए कि सीकर के व्यापारी कम्पीटीशन में आपने आपको बहुत पीछे पाते हैं। मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन है कि यह जो चुंगी की असामान्य करण है इसको यदि असामान्य करण करके सीकर के व्यापारियों को भी यही सुविधा दिलाने की व्यवस्था करेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

साथ ही सीकर की सफाई व्यवस्था के बारे में भी माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। पिछली बार भी मैंने कई तरह से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था। जिसमें मैंने एक जगह पानी की निकासी, जिसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु होने की बात कही थी वह स्थिति आज भी बरकरार है। यदि समय रहते पानी के निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं हुई तो इस तरह की वारदातें फिर होती रहेंगी। वैसे मन्त्री महोदय ने हाल में ही नाटकीय उद्घाटन उस क्षेत्र में किया है जबकि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और तकनीकी किसी तरह की स्वीकृति नहीं है। फिर भी मन्त्री महोदय ने न जाने किन कारणों से राजनैतिक कारणों से नाटकीय उद्घाटन किया। इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। बशर्ते वास्तव में वह कम्पलीट हो, बशर्ते वास्तव में उस जगह वह निर्माण कार्य हो परन्तु 23 तारीख को यह शिलान्यास हुआ था उसकी आज तक नगर परिषद् को किसी तरह की सैंक्शन नहीं यदि समय रहते सैंक्शन नहीं पहुंची और बारिश की वजह से नाले के पानी की व्यवस्था बिगड़ी तो न केवल वहां के रहने वाले नागरिकों का नुकसान होगा वहां श्मशान घाट हिन्दुओं का है और कब्रिस्तान मुसलमानों का है, वहां यहां तक स्थिति हो जाती है कि आदमी नाले में से किसी का जनाजा तक ले जाने की स्थिति में नहीं हैं। तो ऐसी हालत है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान विशेष तौर से आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि उस पानी के निकास की समुचित व्यवस्था समय रहते कर सकें तो बड़ी कृपा होगी। साथ ही 50 हरिजनों के लिए मंत्री महोदय को कई बार निवेदन किया जा चुका है। उन्होंने कई दफा हां की थी लेकिन अब पता नहीं किन कारणों से ना कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि 50 हरिजनों की तत्काल वहां पर नियुक्ति की व्यवस्था करें। क्योंकि सीकर की जनसंख्या के हिसाब से हरिजनों की व्यवस्था है वह बहुत कम है। उससे जो पुराना सीकर है उसकी सफाई व्यवस्था होना ही बहुत मुश्किल है। जबकी सीकर शहर आसपास के इलाकों में बहुत बढ़ गया है। यदि 50 हरिजनों की व्यवस्था इस तरह नहीं कर सकें तो अस्थायी रूप से कुछ व्यवस्था अभियान के तहत करने की व्यवस्था कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री चम्पालाल जैन।

श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चुंगी की असमानता

256

(श्री चम्पालाल जैन)

के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अजमेर जिले में नसीराबाद, अजमेर और ब्यावर में अलग-2 चुंगी की दरें हैं। ब्यावर में चुंगी बहुत ज्यादा है इसलिए वहां का व्यापार चौपट हो रहा है चुंगी की दर ज्यादा होने से चोरी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि चुंगी की दर समान करने पर विचार किया जावे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो दो बात जो पहले बतायी थी उनका प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है। क्या स्वायत्त शासन विभाग राज्य की नगरपालिका/नगर परिषद को सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का विचार रखती है? दूसरा, चुंगी की दरें सामान्यीकरण कर समान बनाने के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री अध्यक्ष : श्री केदार जी।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : एक प्रश्न यह है कि चुंगी में आप समानता तो ला नहीं सकते हैं इसलिए आप सैल्स टैक्स पर सरचार्ज लगा दो और पापुलेशन में बांटकर सारे राजस्थान में यूनीफारमिटी कर दो। इसके अलावा नगर पालिकाओं का डवलपमेंट नहीं हो सकता है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, ड्रेनेज सिस्टम है उसमें बहुत बुरी हालत है या तो सेन्ट्रल से पैसा मिले या बोर्डर इम्प्रूवमेण्ट के नाम से स्टेट को पैसा मिले या अपने बलबूते पर करें वरना म्यूनिसपैलिटी की बूते की बात नहीं है कि वह ड्रेनेज की व्यवस्था करे। तीसरा, कन्वर्जन चार्जेज जो करना चाहें कर दें। बहुत लम्बे अर्से से पेण्डिग है और अवैध कब्जे के बारे में ला बना दें। यह तीन-चार बातें कर देंगे तो राजस्थान की म्यूनिसपैलिटीज में सुधार कर सकते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह जो बिल लिया गया है एक कर्मचारी ट्रान्सफर के मामले में कोर्ट में चला गया उस सम्बन्ध में आप लाये हैं। इससे सिद्ध होता है कि आप इन्टर ट्रान्सफर करेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि बहुत छोटी आय वालों को इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद आप उनका ट्रान्सफर नहीं करें।

दूसरी बात कहना चाहूंगी मंत्री महोदय से की मध्य प्रदेश में चुंगी माफी हुई है। वहां भी भा.ज.पा. की सरकार है, आपने उसको दिखवा लिया होगा क्या हम अपने यहां समाप्त कर सकते हैं?.... (व्यवधान)

मैं आपसे पूछकर थोड़े ही बोलूंगी या आपसे गाइडेड नहीं हो सकती। आप उन्हें गाइड कर दें। यहां के संगठनों ने भी सुझाव दिये थे कि सैल्स टैक्स की तरफ से एक बार में ही ले लें जितना आपका अब बनता है उससे चाहे ड्योढ़ी ले लें लेकिन ट्रकों को रोककर जिस तरह से जितना समय व्यर्थ जाता है और चुंगी एक सी नहीं है कहीं तो नग पर है, कहीं वजन पर है, आप इसको सोचें। आपने निश्चय किया होगा, उसके बारे में वहां बतलायें।

मैं कहना चाहूंगी जयपुर निगम की

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

घोषणा के लिए करने की बात थी निगम के चुनाव कराने की बात थी। कहीं धीरे से भी आवाज सुनायी पड़ जाती तो जो करने को कहा वह करेंगे यह हमारी भावना जाहिर हो जाती।

वार्ड्स के परिसीमन के बारे में आपने यह बात कही है, निश्चित रूप से आप करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप किस आधार पर वार्डों का परिसीमन करेंगे। आपने जो नामावलियां प्रकाशित हुई हैं उनके आधार पर करने की बात कही है। हमारे यहां कहीं तो जनसंख्या ज्यादा है और शहर की चार दीवारी के बाहर एरिया बहुत बड़ा है तो आप क्या आधार रखने वाले हैं यह निश्चित रूप से बतायेंगे। यहां यह बात कही जाती है कि मनोरंजन कर कैसे वापस करें। मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। हमारे जयपुर नगर में पहले पांच सिनेमा घर थे अब 13 हो गये। इसी अनुपात में सब जगह सिनेमा घर बढ़े हैं, वहां की आय भी बढ़ी है उनका आज तक दुबारा असेसमेण्ट नहीं हुआ। पता नहीं किस प्रकार से कुछ अंश नगर परिषदों को मिलता है तो मिलता हो लेकिन वास्तव में पर केपिटा नगर परिषद को देते हैं उससे कार्य नहीं हो पाता है। हमारी नगर परिषदों की आय बहुत कम है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वह मनोरंजन कर की राशि नगर परिषद को दे दें जिससे वह अपना कार्य सुचारू रूप से चला सकें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि दिक्कत कितनी है। कभी प्रश्न आता है तो कहते हैं कि हमारे यहां अपर्याप्त सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं लेकिन दिक्कत क्या है कि जयपुर नगर में भी जोरावरसिंह गेट के बाहर एक भी आदमी दिखायी नहीं देता है, चार दरवाजे बाहर एक भी सफाई कर्मचारी दिखायी नहीं पड़ता है, गंगापोल के बाहर एक भी दिखायी नहीं देता है। वहां हवा झाड़ू लगाती है पर वह नालियों को साफ नहीं कर सकती है। वहां आंकड़े उग गये हैं या उनमें काई लगी हुई है। नागरिकों को शौच के लिए खुले तहारत हैं। माननीय मंत्री महोदय जितने भी सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है और किसी भी चीज में कटौती करके आप सफाई कर्मचारियों की भर्ती करें जिससे कि बढ़ते हुए शहर की सफाई हो सके। एक दिक्कत और है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि इस बिल पर बोलने के लोभ के संवरण को न रोक कर आपसे बात करना चाहती हूं मेरे यहां ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट कभी लगा था, उसके लगाने से ना तो वहां ट्रीटेड पानी निकलता है, सारी गंदगी, खाद सुखायी जाती है, आस-पास के दो-ढाई किलोमीटर एरिया में सांस लेना दूभर है। आप उत्तरी क्षेत्र के ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट को दिखवा लें उसको कहीं अन्य शिफ्ट करें, शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो ऐसी व्यवस्था करें कि खाद वहां नहीं सुखायें, ट्रीटेड पानी जल महल में जाये। आप ऐसा करें, जो चार नाले जाते हैं उनको शामिल करें वह पानी जल महल में जाये। नगरपालिकाओं और नगर परिषदों की शक्तियां तो ले रहे रहे हैं लेकिन वह सुचारू रूप से कार्य कर पाये उसके लिए निवेदन किया है। धन्यवाद।

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं—

श्री अध्यक्ष : कहीं एक दूसरे को सुनकर तो विचार पैदा नहीं हो रहे हैं ?

श्री अर्जुनदास मदान : ऐसा नहीं है साहब ।

थोड़े दिन पहले राज्य सरकार ने कुछ नगरपालिकाओं को भंग कर दिया था यह कहकर कि यहां पर ग्राम पंचायतों का गठन होगा। वहां की नगर परिषदों ने उच्च न्यायालयों में जाकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये और आज वह विचाराधीन हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे कोटा जिले में चार नगरपालिकायें ऐसी हैं जो भंग कर दी गयी थीं यह कहकर कि पंचायत समितियों का गठन होगा, उनका सीमांकन होगा, चुनाव होगा और उसके बाद में गठन होगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस अन्तराल के बीच वह नगरपालिकायें आज की तारीख में आपके ही बच्चे हैं, उनकी पालना और परवरिश करने की जिम्मेदारी आपकी है। जब तक नगरपरिषदों को समाप्त न किया जांय और वापस ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो जाता है तब तक उनके उत्तरदायित्वों का निर्वहन सरकार करे। यह मेरी आपके माध्यम से याचिका है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं की जैसी स्थिति है वह सामान्य जानकारी है। हमारे सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि नगरपालिकायें, जिस प्रकार हम आशा करते हैं, उतना काम नहीं कर पा रही हैं। उसके कई कारण हैं। पिछले वर्षों में यदि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक रखने पर विचार किया होता और समय-समय पर सड़कों और नालियों का निर्माण किया होता तो आज जो यह बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है वह नहीं आती। (व्यवधान)

विधेयक पर भी आ रहा हूं।

यह बात सही है कि चुंगी के मामले में हमने घोषणायें की थी और आपको ध्यान होगा कि सरकार के बनने के बाद हमने चुंगी की दरें समान हों, और चुंगी के स्थान पर हम क्या व्यवस्था करें जिससे नगरपालिकाओं की स्थिति ठीक हो जाय। क्योंकि यह तो आप मानेंगे कि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा अगर कोई सम्बल है तो वह चुंगी है। यदि कोई ऐसा विकल्प आये कि जिससे नगरपालिकायें पंगू बन जायें या केवल सरकार की तरफ देखती रहें, ऐसी स्थिति नगरपालिकाओं की करने का सरकार का इरादा नहीं है। उनकी जो स्वायत्तता है वह सुरक्षित रहे, यह विचार है। इसलिए जो कदम हमने उठाये, सबसे पहले तो अगस्त महीने में हमने नगरपालिकाओं के चुनाव कराये जो वर्षों से चुनाव नहीं हुए थे। चुनाव के बाद हमने एक कमेटी का निर्माण किया। श्रीमान् मथुरादास जी माथुर जो अपने यहां मन्त्री भी रहे हैं, सदस्य भी रहे हैं, उनके जिम्मे यह काम लगाया है कि आप सरकार को सुझाव दें कि चुंगी की दरों के बारे में कैसे समानता लाई जा सकती है, या इसको समाप्त करने के बाद क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। मुझे आशा है कि जल्दी ही कोई ऐसी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

रिपोर्ट आयेगी और उसके आधार पर चुंगी के बारे में जो आपने प्रश्न, उठाये हैं उनके उत्तर मिल जायेंगे ।

वैसे भी कुछ नगरों में जब नागरिकों से हमने बातचीत की, चुंगी की दरों के बारे में तो हमने यह व्यवस्था की हुई है कि वहां के नागरिक प्रतिनिधि और व्यापारी जो भी चुंगी की दरें उनके यहां लागू हैं और जो संशोधन कराना चाहते हैं वह सब मिलकर संशोधन करके ले आयें तो राज्य सरकार उनकी यथावत् वैसी की वैसी स्वीकृति देगी । जयपुर में, जोधपुर में कई नगरों में इस प्रकार की व्यवस्था हमने की हुई है । केवल एक ही बात ध्यान में रखी है कि वह चुंगी की दरें और उनसे मिलने वाली आय इतनी कम न हो जाये कि हम वेतन भी न बांट सकें और छोटे-मोटे जो विकास के कार्य हैं वह भी रुक जायं । इस पैरा-मीटर में जितने भी मिले-जुले संशोधन आये हैं उन सबको हमने स्वीकृति दी है । बीकानेर में दी है और जोधपुर में दी है, जयपुर में भी दी है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर में तो बढ़ा दी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, बढ़ेगी भी । और घटेगी भी । क्या हुआ तो ? बीकानेर में तो जयपुर से बहुत कम है और यदि आप यह चाहते हो कि बीकानेर में जयपुर से कम है तो जयपुर की सारी लगा सकता हूं आपके । आप घोषणा कर दो । ये व्यापारी पकड़ेंगे आपको । नागरिक पकड़ लेंगे आपको ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, लगा दीजिए । जयपुर के बराबर कर दो, मंजूर है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभी कर दूंगा फिर । एक में ही थोड़े होगा, वह तो सारे होंगे आइटम ।

तो इसलिए चुंगी के मामले में सरकार ने जो घोषणा की है, निश्चित रूप से उस के बारे में चिन्तित है और माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने खुद व्यक्तिगत रूचि लेकर इस सम्बन्ध में बातचीत की है । कुछ निर्णय आने पर इसकी घोषणा की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र पारीक : निर्णय कब तक आ जायेगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जल्दी आ जायेगा ।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी सरकार जाने के बाद आयेगा या कोई निश्चित पीरियड है इसका ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं इतना लम्बा समय नहीं लगेगा । हमारी सरकार जायेगी, इतना समय नहीं लगेगा । अभी चार साल के पहले हो जायेगा यह तो । इतना आगे नहीं जायेगा । यह तो कुछ महीनों में हो जायेगा । आप ऐसे ही सुनते हो और ऐसे ही बोलते हो ।

दूसरा नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में भी लोग चिन्तित हैं, माननीय सदस्य चिन्तित है, बिल्कुल ठीक बात है । उसके लिये भी राज्य स्तर पर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कुछ अधिकारी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है और मैं समझता हूं कि उसके बाद ही यह ठीक हो सकेगा। बाकी जहां तक नगरपालिका के विकास की बात है, एक प्रस्ताव नगरपालिकाओं के सामने रखा हुआ है कि हुड़को नाम की जो संस्था है, वह इन विकास के कार्यों के लिए ऋण देती है। तो जो नगरपालिकाएं ऋण लेकर के विकास कार्य करना चाहती हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। उसमें एक ही दिक्कत रहती है कि उनकी गारण्टी कौन दे। तो सरकार ने यह फैसला किया है कि ऐसी नगरपालिकाएं जो ऋण लेकर के विकास करना चाहेंगी, उनकी गारण्टी सरकार देगी। कुछ की हमने दी है। नहीं, जो भी जिले में आयेगा, उसको देंगे।

अब हमने एक घोषणा की थी और मांग भी करते रहे थे कि जयपुर नगरपालिका को नगर निगम बनाया जायेगा। मैं आज आपकी इजाजत से यह घोषणा करता हूं कि अगला चुनाव जयपुर का नगर निगम के नाते होगा। जयपुर को नगर निगम बना दिया जायेगा। (व्यवधान)

अभी एक बार में एक का ही नम्बर आयेगा।

श्री अध्यक्ष : चुनाव और आगे बढ़ा दिये आपने।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब वह चुनाव आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे लेकिन नगरपालिका के चुनाव नहीं होंगे। अब जयपुर शहर का नगर निगम बना देंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : छोटा-मोटा निवेदन किया था, उसकी जानकारी भी दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सीकर में गन्दगी की बात की आपने।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, सीकर में नाले का शिलान्यास किया था, उसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सीकर में आपने गन्दगी की बात की, यह गन्दगी अभी पिछले चुनाव से शुरू हुई है और अभी उसी कारण से मैं गया था और जो मैं शिलान्यास करके आया हूं, वह योजना निश्चित रूप से बनेगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : टैक्नीकल और फाइनेन्शल सेंक्शन हो गई क्या उसकी ?

श्री भंवरलाल शर्मा : निश्चित बनेगी फाइनेंशियल सेंक्शन चाहे हो या नहीं हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : सेंक्शन हो गई क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, सब हो गई। बनेगी वह। वह पूरी होगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आज तक तो ऐसा कहीं नहीं हुआ कि बिना किसी सेंक्शन के आप शिलान्यास करें। कोई आपको

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सेंक्शन मिली नहीं-टैक्नीकल, फाइनेन्शल और एडमिनिस्ट्रेटिव और आपने वहां जाकर शिलान्यास कर दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप उसे बनवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, मैं तो बनवाना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो बनेगी। खत्म हुई बात।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके पास कुछ है ही नहीं, बनायेंगे क्या आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर भी बनायेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, बनायेंगे कहां से। आपके पास उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है, आप बनायेंगे कहां से ?

बिना पैसे के आप बनायेंगे कहां से ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वहां जाकर के इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया। इनके पास में किसी तरह की कोई सेंक्शन नहीं है। फिर बनायेंगे कहां से ? कम से कम यह तो स्पष्ट हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कांग्रेस मंत्रियों ने भी ऐसे ही शिलान्यास किये थे।

श्री राजेन्द्र पारीक : वह उसको छोड़िये मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। उसको छोड़िये, वर्तमान की क्या व्यवस्था है ? वह बताइये। उसको क्या करना है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : उसको बनायेंगे। यही करना है।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं बनायेंगे नहीं। वह सेंक्शन है नहीं तो क्या प्रोविजन है उसका ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो उत्तर देना था, वह दे दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना किसी सेंक्शन के वहां जाकर राजनीतिक कारणों से शिलान्यास कर दिया। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : पारीक साहब, आप वाद-विवाद करो, झगड़ा मत करो।

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि बिना ही मंजूरी के उसका शिलान्यास कर दिया गया। यह तो छोटी सी का किया होगा। आपको ताज्जुब होगा कि 1987 के अन्दर उस वक्त के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने सिद्धमुख कैनाल का शिलान्यास किया था जिसकी मंजूरी और अन्य किसी तरह की कोई बात ही नहीं थी। जिसकी कि प्लानिंग कमीशन से अब जाकर मंजूरी हुई है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : डूडी साहब, आप तो असत्य भाषण नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : अब तो वैसे ही इसकी हो जायेगी। हो जायेगी मंजूरी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय वन मंत्रीजी को शायद ध्यान नहीं है, आपने सिद्धमुख, कैनाल के लिए तत्कालीन मंत्री कमला बेनीवाल को धन्यवाद दिया था, सिद्धमुख कैनाल के लिए। आपको याद नहीं है, मुझे याद है, वह बात। हाउस में, आपने इसी सदन के अन्दर धन्यवाद दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धन्यवाद दिया था, उस समय जानकारी नहीं थी कि इसकी सैंक्शन नहीं हुई है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सैंक्शन हो गई थी।

श्रीमती सुमित्रासिंह : सैंक्शन के लिए धन्यवाद दिया था, इन्होंने। हां, आप तो अन्दर चले गये थे, सुना नहीं था आपने।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल मैंने प्रस्तुत किया है, संशोधन किसी भी माननीय सदस्य का नहीं है। सफाई कर्मचारियों के लिए मुझे जो निवेदन करना था, वह मैंने निवेदन कर दिया। अब मेरा निवेदन है कि इसको आप पारित करवायें।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से निवेदन किया था कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में जो भी निर्णय लेना हो, हां, ना का कम से कम जवाब तो दें। वैसे इन्होंने कई बार मेरे से हां कर ली है, घर पर कई बार हां कर चुके हैं। लेकिन यहां कम से कम हां, ना का जवाब तो दें। अध्यक्ष महोदय, कम से कम जवाब तो मिले।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी विधान सभा के बाद आप मुझ से मिल लेना।

विधेयक का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया गया।

वित्तीय समितियों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा की वित्तीय समितियों, अर्थात् जनलेखा 1991-92 एवं प्राक्कलन समिति (ख) 1991-92 के लिए निम्नांकित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

जनलेखा समिति वर्ष 1991-1992

1. श्री मोहम्मद माहिर आजाद।
2. श्री नत्थीसिंह।
3. श्री परसराम मदेरणा।
4. श्री हीरालाल देवपुरा।
5. श्री जनार्दन सिंह गहलोत।
6. श्री चम्पालाल बांठिया।
7. श्री गोपीराम जाट।
8. श्रीमती तारा भण्डारी।

9. श्रीमती रमा पायलेट।
10. श्री हरिशचन्द्र।
11. श्री रमाकान्त।
12. श्री अमृतलाल परमार।
13. श्री सांवरलाल।
14. श्री गणपत।
15. श्री गुलाबसिंह।

प्राक्कलन समिति (ख) वर्ष 1991-92

1. श्री प्रेमसिंह दहिया।
2. डा. चन्द्रभान।
3. श्री मनोहरसिंह इन्दा।
4. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता।
5. श्री सम्पतराम।
6. श्री इन्द्रसिंह पूनिया।
7. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।
8. श्री फूलचन्द।
9. श्री किशनाराम नाई।
10. श्री जीतमल जैन।
11. श्री रामकरणसिंह।
12. श्री किशनगोपाल कोगटा।
13. श्री अब्दुल हादी।
14. श्री गोपालसिंह।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 26-3-91 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.03 बजे दिनांक 26-3-91 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 115 की सूची

(अ) झुन्झनू जिले में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पदों का विवरण :—

क्र. सं.	स्थान औषधालय	स्वीकृत पद	रिक्त पद व माह जब से पद रिक्त है।
1.	मीकनसर	एक	मई, 1990
2.	झांझा	एक	जून, 1990
3.	सहड़	एक	जनवरी, 1991

(ब) झुन्झनू जिले के आयुर्वेद औषधालयों व चिकित्सालयों में नर्स/कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों का विवरण :—

1.	कालवा	एक पद स्वीकृत	अप्रेल, 1989 से रिक्त
2.	"अ" श्रेणी झुन्झनू	सात पद स्वीकृत	केवल एक पद नवम्बर, 1990 से रिक्त

(स) झुन्झनू जिले के आयुर्वेद औषधालयों में परिचारकों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के रिक्त पदों का विवरण :—

1. पिलानी
2. किठाना
3. जहाजमावता
4. जाबासर
5. बिसाऊ
6. रघुनाथपुरा
8. लोहार्गल
8. कोट
9. ढाढोत
10. बासियाल
11. दीपपुरा
12. जैतपुरा
13. चूडैला
14. मोईताल
15. घाण्डवा
16. सूजडोला
17. बाडलवास

इन सभी औषधालय में परिचारक का एक-एक पद स्वीकृत है। यह पद किस दिनांक से रिक्त है इस विषयक सूचना निदेशालय स्तर पर उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर

आई. आर. डी. पी. योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार

120. श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या एकीकृत ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1988-89 व 1989-90 में अजमेर जिले में आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत कितने परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था ? बैंकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बैंकर्स ने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या गत दो वर्षों के निर्धारित लक्ष्यों में से वंचित चयनित परिवार लाभान्वित किये जायेगें ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 12200 परिवार। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। मुख्य कारण साख नियंत्रण, साख सीमा स्वीकृत न होना तथा ऋण आवेदन पत्र विभिन्न कारणों से निरस्त करना/वापस लौटाना रहा है।

(3) जी हां। लाभान्वित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

121. श्री जुबेर खां (रामगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1991-92 में स्कूलों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

(2) स्कूलों के क्रमोन्नत करने का माप दण्ड क्या होगा ?

(3) क्या अलवर जिले की राजकीय माध्यमिक विद्यालय नौ गांवा को क्रमोन्नत करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?—

उत्तर

(1) जी हां।

(2) स्कूल क्रमोन्नति के समय ग्राम की जनसंख्या, भवन व्यवस्था, विद्यालय की छात्र संख्या, फिडिंग विद्यालय तथा जनप्रतिनिधियों की मांग आदि गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(3) विद्यालय क्रमोन्नति के समय अन्य प्रस्तावों के साथ अलवर जिले की राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नौ गांवा के प्रस्तावों पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

बाड़मेर–जैसलमेर जिलों के सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें

122. श्री अमीन खां (शिव) : क्या पंचायती मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री अमीन खां)

(1) जिला बाड़मेर जैसलमेर में कितने सरपंचों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं ? पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर-जैसलमेर में अनुसूचित जाति के कितने सरपंच हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में एक मात्र सरपंच जो अनुसूचित जाति का है उसे सस्पेन्ड किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर :

(1) जिला बाड़मेर में 14 सरपंचों व जिला जैसलमेर में एक सरपंच के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिला बाड़मेर में तीन सरपंच अनुसूचित जाति के हैं तथा जैसलमेर में एक कार्यवाहक सरपंच अनुसूचित जाति का है।

(3) जी नहीं। श्री फूसाराम सरपंच को निलम्बित किया गया है। परन्तु वह अनुसूचित जाति का एक मात्र सरपंच नहीं है।

जिला बाड़मेर में जिन सरपंचों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई है, उनकी सूची :–

पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	नाम सरपंच	विशेष विवरण
1. सिणधरी	कोसलू	श्री किरताराम	—
2. सिणधरी	दाखां	श्री भैंरूसिंह	—
3. सिणधरी	होडू	श्री कंवराराम चौधरी	—
4. सिवाना	पादरू	श्री प्रेमसिंह	—
5. सिवाना	बामसीन	श्री राजेन्द्र सिंह	—
6. सिवाना	कुण्डल	श्री मंगलसिंह	—
7. चौहटन	सरूपे का ताला	श्री चतरामल	—
8. चौहटन	बिजराड़	श्री वली मोहम्मद	—
9. चौहटन	नेतराड़	श्री खेमाराम	—
10. चौहटन	मीठे का तला	श्री भैरू खां	—
11. बाड़मेर	चाडी	श्री धूड़ाखां (भूतपूर्व सरपंच)	पुलिस अनुसंधान जारी है
12. बालोतरा	गोपडी	श्री आसीन खां	—
13. बायतू	खारड़ा भरतसिंह	श्री जलेखां	—
14. शिव	भणकली	श्री गेनसिंह	—

ह.
24-2-91
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, बाड़मेर

जहाजपुर में सैनिक विश्राम गृह

123. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सैनिक कल्याण राज्य मन्त्री द्वारा जहाजपुर में आयोजित भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन' में सैनिक विश्राम गृह बनाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं जहाजपुर में सैनिक विश्राम गृह का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ?

(2) जहाजपुर क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एवं रोजगार के लिए सरकार के पास क्या क्या योजनाएं हैं ? अब तक इस क्षेत्र के कितने भूतपूर्व सैनिक इन योजनाओं के तहत लाभान्वित किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । सैनिक विश्राम गृह जहाजपुर के निर्माण के लिये भूमि आवंटन हेतु जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को लिखा गया है । भूमि आवंटन पश्चात् अलगामटेड फण्ड की कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रकरण रखा जावेगा, बैठक के निर्णय प्रश्चात् निर्माण काय प्रारम्भ किया जावेगा ।

(2) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

जहाजपुर जिला भीलवाड़ा क्षेत्र के पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याणकारी एवं रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत की सूची ।

कल्याणकारी योजनाएं :—

1. पूर्व सैनिकों का पूर्ण नियोजन ।
2. **स्व-रोजगार**
   - (क) पेक्सम
   - (ख) सेम्फेक्स–प्रथम
   - (ग) सेम्फेक्स–द्वितीय
3. छात्रवृति
4. आवासीय भू-खण्ड आवंटन में 10 प्रति का आरक्षण ।
5. निर्मती मकानों के आवंटन में 2 प्रति. का आरक्षण ।
6. आर्थिक सहायता ।
7. चिकित्सा सहायता ।
8. उचित मूल्लों की दुकानों में 7 प्रति. का आरक्षण ।

9. कृषि उपज मंडी में 2 प्रति. का आरक्षण।

10. खान एवं खनिज क्षेत्र में 10 प्रति. का आरक्षण।

11. मिल्क वेंडिंग बूथ आवंटन में प्राथमिकता।

12. मेडिकल कालेजों में 3 स्थानों का आरक्षण।

13. इंजीनियरिंग कालेज में 21 स्थानों का आरक्षण।

14. किराये पर दिये गये मकान किरायेदार से खाली करवाने की सुविधा।

15. भूमि आवंटन की सुविधा।

16. कैंटीन सुविधा।

17. सैनिक विश्राम गृहों में अस्थाई आवासीय सुविधा।

लाभान्वित सैनिकों की संख्या

1. तहसील मुख्यालय जहाजपुर तहसील के सभी भू. पू. सैनिकों हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं।

2. अमलगमेटेड फंड से 47 सैनिकों/विधवाओं को मासिक सहायता प्रदान कराई।

3. 18 भू. पू. सैनिकों/विधवाओं को वृद्घावस्था पेंशन दिलवाने की कार्यवाही की गई।

4. 17 भू. पू. सैनिकों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कराई गई हैं।

5. युद्ध में वीरगति प्राप्त भू. पू. सैनिकों के आश्रितों को खान आवंटन।

6. 9 भू. पू. सैनिकों को कृषि भूमि आवंटन कराने की सिफारिश की गई।

7. 5 सैनिक विधवाओं को सिलाई मशीन दिलाई गई।

8. 327 भू. पू./विधवाओं के विभिन्न कल्याण कार्य निपटाने में सहयोग किया।

9. 8 भू. पू. सैनिकों को रोजगार दिलाया गया।

10. 35 भू. पू. सैनिकों को राजस्थान स्टेट एक्स सर्विसमेन वेलफेयर सोसाइटी के तहत नियोजन दिलाया गया।

11. 10 पूर्व सैनिकों को उद्योग लगाने एवं परिवहन हेतु ऋण दिलाने की कार्यवाही की गई।

12. 2 पूर्व सैनिकों को सरप्लस गाड़ी आवंटन कराई गई।

13. 40 सैनिक विधवाओं को स्व-रोजगार प्रशिक्षण दिलाया गया, एवं प्रशिक्षण काल में 350/- प्रतिमाह स्टाईपंड प्रदान किया।

सवाई माधोपुर स्थित जयपुर उद्योग

124. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार सवाई माधोपुर स्थित जयपुर उद्योग को चालू करने की दिशा में कुछ करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री जी ने कभी इसे चालू करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो घोषणा के बाद इस कारखाने को चालू करने में अब क्या रुकावट है ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर उद्योग लि. के पुनरुत्थान का प्रकरण बी. आई. एफ. आर. के विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित त्यागों, रियायतों एवं सुविधाओं के संबंध में सकारात्मक उत्तर आपरेटिंग ऐजेंसी व बी. आई. एफ आर. को भिजवा दिया गया है।

(2) जी हां। दिनांक 21-3-90 को मुख्य मन्त्री द्वारा विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि सरकार यह इच्छा है कि यह फैक्ट्री चले। राज्य सरकार के सुप्रयासों के फलस्वरूप मैसर्स गैनन डंकरले लि., द्वारा उक्त उद्योग को चलाने हेतु पुनर्चालन योजना प्रस्तुत की गई जिसको राज्य सरकार द्वारा आपरेटिंग ऐजेंसी व बी. आई. एफ. आर. के विचारार्थ अनुसंशा सहित प्रेषित की गई है। इस कारखाने का पुनर्चालन बी. आई. एफ. आर. द्वारा पुनर्स्थापन योजना स्वीकार करने पर ही सम्भव हो सकेगा, जिसके लिये राज्य सरकार प्रयासरत है।

नगर परिषद् टोंक की आर्थिक स्थिति

125. श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक नगर परिषद् की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद् की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण नगर परिषद् क्षेत्र में अंधकार, अतिक्रमण, टूटी-फूटी सडकें आदि में बढ़ोतरी हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं, तथा इनमें कितनी-कितनी राशि खर्च करने का विचार है ? यह राशि कब तक उपलब्ध होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपरिषद् की आय में वृद्धि करने तथा व्यय में कटौती करने के निर्देश दिये है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका/परिषदों हेतु बनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उन्हें राशियां उपलब्ध कराई गई है।

(2) नगरपरिषद् क्षेत्र में विद्युत पोलों पर लाईटें लगी हुई है एवं चालू है। अतिक्रमण हटाने के लिए परिषद् द्वारा कार्यवाही की जाती है। नगरपरिषद् अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विकास कार्य करवा रही है किन्तु नगरपरिषद् की आर्थिक स्थिति सुदृढ नहीं होने के कारण कुछ सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है। वर्ष 1989-90 व 1990-91 में विशेष अनुदान के रूप में दी गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

नगर परिषद, टौंक को वर्ष 1989-91 व 1990-91 में दी गई विशेष अनुदान की राशि का विवरण

वर्ष 1989–90		राशि
1.	निर्माण दुकानात	1,75,000
2.	फ्लश शौचालय	5,90,000
3.	वेतन भत्ते भुगतान हेतु	3,50,000
4.	ट्रेक्टर ट्रोली	1,00,000
5.	अग्निशमन उपकरण हेतु	1,50,000
6.	पानी बिल्स भुगतान समायोजन	1,03,000
	योग :—	14,68,000
वर्ष 1990-91		
नेहरु रोजगार योजना (राज्य सरकार द्वारा)		
	अरवन माईक्रो इन्टरप्राईजेज	1,42,000
	अरवन वेजेज एम्पोलायमेन्ट	1,00,000
	प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन व्यय	1,00,000
नेहरु रोजगार योजना केन्द्र (सरकार द्वारा)		
	अरवन माईक्रोइन्टर प्राइजेज	1,69,230
	अरवन वेजेज एम्पोलायमेन्ट	3,70,838
	अग्निशमन हेतु	75,000
	योग :—	9,57,068

कृष्णा मिल, ब्यावर

126. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कृष्णा मिल, ब्यावर को चालू करवाने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है और यह मिल कब तक चालू होने की संभावना है ?

उत्तर

बी. आई. एफ. आर द्वारा कृष्णा मिल ब्यावर को आर्थिक दृष्टि से ज़ीवक्षम्य नहीं मानते हुए मील के अवसायन आदेश पारित कर दिये गये थे। राज्य सरकार के सहयोग से कृष्णा मिल, ब्यावर के श्रमिकों द्वारा एक पुर्नस्थापन/पुन-चालन योजना बनाकर अपीलेट आथोरिटी में प्रस्तुत की गई तथा बी. आई. एफ. आर. द्वारा पारित अवसायन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया। अपीलेट आथोरिटी द्वारा बी. आई. एफ. आर. के आदेशों को स्थगित किया जाकर ओपरेंटिंग एजेन्सी को श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत योजना का परीक्षण कर पुन-संस्थापन योजना बनाने के निर्देश दिये गये। आपरेटिंग एजेन्सी द्वारा पुर्नरुत्थान पैकेज बनाया जा रहा है। इस पैकेज के स्वीकार होने पर ही मिल का पुनर्चालन हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी का विद्युतिकरण

127. **श्री रमाकान्त** (थानागाजी) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू वित्तीय वर्ष में थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतिकरण की योजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों को विद्युतिकरण हेतु स्वीकृति जारी की गई ?

(2) स्वीकृत गांवों में से कितने गांवों का विद्युतिकरण कर दिया गया ? कितने शेष रहे ?

(3) शेष गांवों का विद्युतिकरण क्यों नहीं हुआ ? अब कब तक करने का विचार है?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष में थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु लक्ष्य प्रस्तावित किये गये थे। गांवों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) वर्ष 1990–91 में विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत ग्रामों में से अब तक 9 ग्रामों का विद्युतिकरण कर दिया गया है तथा 4 ग्राम शेष हैं।

(3) शेष 4 ग्रामों में से 3 ग्रामों का विद्युतिकरण चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक कर दिये जाने की संभावना है। जवाहर रोजगार योजना की स्वीकृति मिलने में देरी के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है। ग्राम ऊमरी देवरी, राष्ट्रीय पार्क परियोजना (बाघ रिर्जव) के अधीन आने के कारण राज्य सरकार ग्राम वासियों को अन्यत्र बसाने का विचार कर रही है। अतः इस ग्राम को विद्युतिकरण किया जाना अभी संभव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के अन्तर्गत वर्ष 19990-91 में विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत ग्रामों की सूची ।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	टिप्पणी
1.	किशोरी	5/8/91	इन ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है।
2.	भीकमपुरा	93	
3.	सूरतगढ़	96	
4.	क्यारा	95	
5.	जैतपुरा ब्राह्मण	120	
6.	दौलतपुरा	94	
7.	गोविन्दपुरा	119	
8.	बामनवास चौगान	89	
9.	सीली बावड़ी	125	
10.	कालेडा	114	
11.	निटाटा	113	
12.	लाहा का बास	105	
13.	उमरी देवी	5/9/32	

श्रम न्यायालय, बीकानेर में विचाराधीन औद्योगिक विवाद

128. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लेबर कोर्ट बीकानेर में कितने औद्योगिक विवाद विचाराधीन हैं, उनमें से कितने विवाद श्रीगंगानगर जिले के हैं ?

(2) श्रम न्यायालय बीकानेर के केम्प कोर्ट एक माह में किस-किस जगह, कब-कब लगते हैं ?

(3) वर्ष 1990 में श्रीगंगानगर जिले में कितनी बार, कब--कब केम्प कोर्ट लगी और उसमें कितने विवादों का निपटारा किया ?

(4) श्रीगंगानगर जिले में केम्प कोर्ट के आने--जाने की क्या व्यवस्था है ? आवागमन हेतु कितना बजट प्रति वर्ष रखा जाता है ? वर्ष 1990 में उस पर कितना व्यय हुआ ?

उत्तर

(1) वर्ष 90 के अन्त तक 850 औद्योगिक विवाद विचाराधीन थे जिसमें से 349 विवाद श्री गंगानगर जिले के हैं ।

(2) श्रम न्यायालय बीकानेर द्वारा एक माह के कोर्ट केम्प निम्न स्थानों पर लगाये गये हैं :—

क्र. सं.	माह	स्थान	तारीख
1.	जुलाई	सूरतगढ़	17-7-90
2.	सितम्बर	,,	24-9-90
3.	,,	नागौर	15-9-90
4.	अक्टूबर	श्री गंगानगर	15-10-90
5.	,,	सूरतगढ़	29-10-90
6.	,,	रतनगढ़	22-10-90
7	नवम्बर	श्रीगंगानगर	12-11-90
8.	,,	सूरतगढ़	26-11-90
9.	,,	रतनगढ़	19-11-90

(3) श्री गंगानगर जिले में वर्ष 90 में 6 बार (जून से दिसम्बर 90 तक) कैम्प कोर्ट लगाया गया जिसमें 62 मुकदमों का निस्तारण किया गया ।

(4) बीकानेर से श्री गंगानगर जाने हेतु विभाग के पास अलग से वाहन उपलब्ध नहीं है । बस एवं रेल सेवा उपलब्ध है, रेल से यात्रा करने पर बड़ी लाईन से छोटी लाईन की गाड़ी बदलनी पड़ती है । वर्ष 1990-91 में यात्रा व्यय के लिए 18,000 रुपये आवंटित किया गया जिसमें से दिनांक

(श्रम राज्य मंत्री)

31-1-91 तक 10,428/- रुपये व्यय हुआ है।

आयुर्वेद औषधालयों को बजट आवंटित

129. **श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा)** : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एक आयुर्वेद औषधालय में स्टाफ एवं दवाइयों पर कितना-कितना बजट आवंटित किया जाता है ?

(2) क्या राज्य में ऐसे भी औषधालय हैं जहां गत एक वर्ष में दवा ही नहीं भेजी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) राज्य में ऐसे कितने आयुर्वेद औषधालय हैं जो किराये के भवनों में चलते हैं ? क्या सरकार उनके लिये सरकारी भवन बनाने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार उप खण्ड स्तर पर "अ" श्रेणी का आयुर्वेद औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या छबड़ा में "अ" श्रेणी का आयुर्वेद औषधालय खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विभागीय औषधालयों को चिकित्सा हेतु उनकी गत वर्ष की उपलब्ध वार्षिक रोगी संख्या के आधार पर निम्न मानदण्ड के अनुसार निर्मित औषध वितरण करने हेतु औषध बजट आवंटित किया जाता है :—अन्तरंग विभाग-- 3.00 रु. प्रतिरोगी प्रतिदिन, बहिरंग विभाग--1.00 रु. प्रतिरोगी प्रतिदिन औषधालयवार स्टाफ के वेतन अथवा अन्य भत्तों के लिये बजट जिलेवार आवंटित किया जाता है।

(2) प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा कोई औषधालय नहीं है जिसे गत एक वर्ष में दवा न भेजी गई हो।

(3) प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में 90 आयुर्वेद औषधालय किराये के भवनों में संचालित हैं।

जी नहीं।

(4) आठवीं पंचवर्षीय योजना में उप-खण्ड मुख्यालय स्तर पर "अ" श्रेणी चिकित्सालय खोलना विचाराधीन नहीं है।

छबड़ा में "अ" श्रेणी बिना शैय्या-वाला औषधालय पूर्व से ही संचालित है।

उपनिदेशक, कृषि विस्तार (अलवर) द्वारा मारे गये छापे

130. **श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उप निदेशक, कृषि विस्तार अलवर ने 6 उर्वरक विक्रेताओं एवं खाद्य संरक्षण दवा विक्रेताओं की दुकान पर छापे मार कर उनका अनुज्ञा-पत्र निरस्त किया है ? यदि हां, तो उनकी दुकानों पर क्या-क्या दवा व खाद्य नकली पाई गई क्या उसकी प्रयोगशाला में जांच

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

कराई गई है ? नकली पाई गई दवा एवं खाद्य विक्रेता के नाम सहित विवरण एवं जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उन दुकनदारों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उप निदेशक कृषि विभाग ने आदेश दिये थे कि उपलब्ध स्टाक 30 दिन के अन्दर विक्रय किया जावेगा, अन्यथा शेष उर्वरकों को जप्त कर लिया जावेगा ?

(4) क्या उप-निदेशक के आदेश की पालना की गई ? यदि नहीं तो क्या उनका शेष उर्वरक जप्त किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। उप निदेशक कृषि (विस्तार) अलवर ने 6 उर्वरक व पौध संरक्षण दवाई विक्रेताओं के यहां निरीक्षण कर दोषी पाये जाने पर उन विक्रेताओं के अनुज्ञा पत्र निरस्त किये। इन दुकानों पर नकली पायी गई दवाओं व खाद की सूची परिशिष्ट-1 पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

इन दुकानदारों के यहां से उर्वरक एवं दवाईयों के नमूने लिए जाकर प्रयोगशाला से जांच कराई गई। नकली पाई गई दवा एवं खाद की जांच रिपोर्ट परिशिष्ट 2 व 3 पर सदन की मेज पर रख दी गयी है। विक्रेताओं के नाम व पते की सूची परिशिष्ट-4 पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है।

(3) जी हां, । उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के क्लाज 31 (1) के तहत नकली खाद, को निरीक्षण के समय ही जब्त कर लिया गया था। मानक स्तर के शेष उर्वरकों को नियमानुसार 30 दिन में बेचने की अनुमति दी गई।

(4) जी हां। चूंकि पालना कर दी गई, इसलिये जब्ती की आवश्यकता नहीं पड़ी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

रासायनिक प्रयोगशालाओं का स्थानांतरण

131. **श्री सांवरलाल जाट (भिनाय)** : क्या भू जल राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री पी. सी. जैन, मुख्य अभियन्ता ने रासायनिक प्रयोगशालाओं जिनमें पानी की निःशुल्क जांच की जाती है बिना वित्त विभाग की स्वीकृति लिये अलवर व कोटा से जयपुर एवं अजमेर से उदयपुर तथा नागौर से जोधपुर स्थानान्तरित कर दी ?

(2) क्या यह सही है कि इस स्थानान्तरण से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़ आदि जिलों

(श्री सांवरलाल)

के किसानों के पानी की निःशुल्क जांच समाप्त हो गयी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु विभिन्न विधायकों द्वारा समय-समय पर पत्रों एवं व्यक्तिगत रूप से मुख्य अभियन्ता को अवगत कराया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस पर पुर्नविचार करना चाहेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रयोगशालायें स्थानांतरित की हैं किन्तु इस स्थानान्तरण के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक नहीं है।

(2) जी नहीं। रसायनिक प्रयोगशालाओं द्वारा अलग-अलग किसानों के कुओं के पानी की जांच का कोई प्रावधान ही नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि किसानों के जल एवं भूमि के नमूनों का विश्लेषण कृषि विभाग द्वारा किया ही जाता है, जिसकी उनके यहां पूर्ण व्यवस्था यथावत है।

(3) जी हां। सम्बन्धित विधायकों को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

(4) जी नहीं।

चूरू केन्द्रीय कारागृह का भवन

132. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला मुख्यालय की केन्द्रीय कारागृह की इमारत जेल मैन्युअल के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार कारागृह, चूरू को दूसरी इमारत में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि चूरू में केंद्रीय कारागृह की इमारत का निर्माण कार्य पिछले एक वर्ष से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार चूरू जेल निर्माण हेतु बजट आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कितना व कब तक ?

उत्तर

(1) चूरू जिला मुख्यालय में कोई केन्द्रीय कारागृह सचालित नहीं है, अपितु "बी" श्रेणी जिला कारागृह है जिसका भवन सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है। केंन्द्रीय कारागृह का तो नहीं, अपितु जिला कारागृह "बी" श्रेणी चूरू का नवीन भवन अवश्यमेव निर्माणाधीन है, जिसका कार्य चालू है।

(2) जी नहीं। जिला कारागृह, चूरू के भवन का निर्माण कार्य चालू है। बजट आवण्टन भी किया हुआ है।

पुलिस थानों में लेखन सामग्री

133. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(277)

(श्री मदन दिलावर)

(1) क्या सरकार पुलिस थानों में स्टेशनरी उपलब्ध करवाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार पुलिस थानों में स्टेशनरी के नाम पर भ्रष्टाचार पनपता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने का प्रयास करेगी ?

(3) क्या सरकार पुलिस थानों को स्टेशनरी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पुलिस थानों को नियमानुसार स्टेशनरी समय-समय पर उपलब्ध करवाई जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) पुलिस थानों को स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाती है।

सपोटरा क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों के पद

134. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि सपोटरा क्षेत्र की सैकेण्डरी स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्षों के पद नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इन स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सपोटरा क्षेत्र की 16 विद्यालयों के विरुद्ध 5 विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों के पद स्वीकृत नहीं हैं।

(2) जी हां, राज्य सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर पद स्वीकृत कराये जायेंगे।

विभागीय पदोन्नती समिति की बैठकें

135. **श्रीमती मदन कौर** (गुढ़ामालानी) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अधीनस्थ वन सेवा नियमों के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु गत वर्षों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें कब-कब आयोजित की गई थी ?

(2) इन विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की नियमों के अन्तर्गत कब-कब पदोन्नतियां हुई ?

(3) इस प्रकार नियमित रूप से पदोन्नत प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधीनस्थ वन सेवा नियमों के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु गत 5 वर्षों में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

तिथि परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति के बैठक के निर्णय के आधार पर गत पांच वर्षों में की गई पदोन्नतियों की दिनांक परिशिष्ट "क" में दर्शा दी गई हैं।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के निर्णय के अनुसार पदोन्नत कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" के अनुसार रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के करण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पंचायतों के अधिकारों को सीमित करने बाबत

136. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार पंचायतों से उच्च प्राथमिक शिक्षा, आयुर्वेद और अन्य सौंपे गये कार्यों को वापिस लेने जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस विषय पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है ? यदि हां, तो इस समिति ने राज्य सरकार को क्या सिफारिशें कीं ?

(3) क्या राज्य सरकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने की नीति से पीछे हट रही है ? जबकि वर्तमान सरकार के सिद्धांतों एवं लक्ष्यों में पंचायत राज को सुदृढ़ बनाने और सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने का आश्वासन है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(2) जी हां। समिति का गठन किया गया था। समिति ने उक्त विषयों को पंचायत राज व्यवस्था में रखने की सिफारिश की है।

(3) जी नहीं।

सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाईमाधोपुर

137. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री में कुल कितने मजदूर कार्यरत हैं ?

(2) इस फैक्ट्री को चलाने के लिए सरकार ने वर्ष 1991 में क्या प्रयास किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इसे चलाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर में दिनांक 1–1–91 को 121 अधिकारी तथा 2823 श्रमिक कार्यरत थे।

(2) राज्य सरकार के सुप्रयासों के फलस्वरूप मैसर्स गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी लि. द्वारा उद्योग के पुर्नचालन में रूचि दर्शाते हुये योजना प्रस्तुत की गई। उक्त योजना को राज्य सरकार द्वारा अपनी अनुशंसासहित बी. आई. एफ. आर. व ओपरेटिंग एजेन्सी को प्रेषित करते हुये पुर्नचालन योजना को अन्तिम रूप देने हेतु निवेदन किया गया। बी. आई. एफ. आर. द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 26–9–90 में भी राज्य सरकार के प्रतिनिधि द्वारा भाग लिया गया। किये गये प्रयासों के विवरण की सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार सीमेन्ट फैक्ट्री के पुर्नस्थापन/पुर्नचालन हेतु निरंतर प्रयासरत है। पुर्नचालन योजना बी. आई. एफ. आर. के विचाराधीन है। अतः फैक्ट्री का पुर्नचालन बी. आई. एफ. आर. द्वारा योजना स्वीकार करने पर सम्भव हो सकेगा।

सूची 'क'

राज्य सरकार द्वारा मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड के पुनर्संस्थापन/पुनर्चालन हेतु वर्ष 1990 में किये गए प्रयासों का विवरण

बी.आई.एफ.आर. द्वारा अपीलेट आथोरिटी के निर्णयानुसार आई.आर.बी.आई. (आपरेटिंग ऐजेंसी) से संशोधित रिपोर्ट तैयार करवायी गयी। तैयार करवायी गयी रिपोर्ट के आधार पर कम्पनी को अवसायन में ले जाने का तदर्थ रूप से निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के प्रयासों से निरन्तर सुनवाई की तिथियां स्थगित करवायी गयी। प्रयासों के फलस्वरुप बी.आई.एफ.आर. द्वारा 2-9-90 तक का समय दिये जाने की सहमति दी गयी।

2. इसी अवधि में श्री यू.एन. मण्डारी, ऐडवोकेट, उच्चतम न्यायालय को जयपुर उद्योग लिमिटेड के पुनर्चालन/पुनर्संस्थापन के सम्बन्ध में प्रारूपन करने तथा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अभिभाषकों से विचार विमर्श कर सम्मति देने हेतु नियुक्त किया गया।

3. राज्य सरकार द्वारा उक्त फैक्ट्री को चलाने हेतु कई पार्टियों से सम्पर्क किया गया। राज्य सरकार के सुप्रयासों के फलस्वरुप इस सम्बन्ध में ठोस सुझाव/प्रस्ताव मैसर्स गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त प्रस्तावों का परीक्षण कर राज्य सरकार से अपेक्षित त्याग/सुविधाएं--रियायतें के सम्बन्ध में बी.आई.एफ.आर. व आपरेटिंग ऐजेंसी को सकारात्मक उत्तर दिनांक 5-9-90 को प्रेषित किये गये।

4. बी.आई.एफ.आर. में दिनांक 26-9-90 को नयी दिल्ली में आयोजित अनौपचारिक बैठक में उद्योग सचिव द्वारा भाग लिया गया। दिनांक 16-10-90 को मैसर्स गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी लि., को जयपुर उद्योग लिमिटेड के श्रमिक संगठनों से समझौता निष्पादित करने हेतु लिखा गया। दिनांक 14-11-90 को मैसर्स गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी लि., के आवेदन पर सचिव, श्रमिक विभाग को नये प्रवर्तक तथा श्रमिकों के मध्य समझौता कराने में पूर्ण सहयोग देने हेतु निवेदन किया गया। इसके फलस्वरुप नए प्रवर्तकों तथा श्रमिक संगठनों के मध्य समझौता निष्पादित हो गया है। उप सचिव उद्योग द्वारा दिनांक 11-12-90 को आपरेटिंग ऐजेंसी द्वारा आयोजित संयुक्त बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया गया।

जोधपुर जिले में बेरोजगारों को खनन पट्टे

138. **श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास** (जोधपुर): क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर जिले में कितने शिक्षित बेरोजगारों को खदानें दी गई ? कृपया नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में गत पांच वर्षों में शिक्षित बेरोजगारों के खनन पट्टे बाबत कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने प्रार्थियों को खनन पट्टे वितरित किये ? यदि नहीं किये गये तो क्या कारण थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में 21 शिक्षित बेरोजगारों को खनन पट्टे दिये गये हैं, जिनका विवरण मय नाम व पते सहित सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(2) जोधपुर जिले में गत 5 वर्षों में शिक्षित बेरोजगारों के नाम से खननपट्टों के 41 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 21 को खननपट्टे स्वीकृत किये गये। जो आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये, उनका मुख्य कारण आवेदित क्षेत्र के वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न होना है।

(282)

परिशिष्ट-"क"

शिक्षित बेरोजगारों को स्वीकृत खननपट्टों की सूची

क्र. सं.	पट्टाधारी का नाम व पता	खनिज	क्षेत्र	स्थान	स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह बलारा, प्लोट नं. 328, कमला नेहरु नगर, चौपसनी रोड़, जोधपुर	ग्रेनाइट	100 × 100 मी.	रवाणिया ग्राम	18-5-89
2.	रमेशकुमार पुत्र श्री चौथमल जी शर्मा, चौथमल बिल्डिंग, सांगी मोटर्स, जोधपुर	मैसेनरीस्टोन	,, ,,	बासनीतम्बोलिया	14-8-89
3.	पंकज पुत्र श्री तुलसीराम भाटी, 199 ए, सुभाष चौक, रातानाडा, जोधपुर	रोयलाइट	,, ,,	कांकांणी	21-11-89
4.	सुरेश पुत्र श्री छैलसिंह गहलोत, 22/सी, भगतसिंह रोड, नागौरीगेट के बाहर, जोधपुर	लाइमस्टोन	300 × 300 मी.	गुर्जरो की ढाणी, हरियाढाणा	11-9-89
5.	रमेश पुत्र श्री माधोसिंह चारण, एन–1, लक्ष्मीनिवास पावटा बी रोड, जोधपुर	ग्रेनाइट	100 × 100 ,,	गढसूरिया	26-5-89
6.	सुनिलदत्त पुत्र श्री शिवदत्तदाधीच, नागौरीगेट के अन्दर, विजयचौक, जोधपुर	,,	,, ,,	मादलिया	28-6-89

1	2	3	4	5	6
7.	अनिलसिंह पुत्र श्री जयसिंह कविराज, कविराज मकान पावटी बीरोड, जोधपुर	ग्रेनाइट	100 × 100 मी.	रवाणिया	31-3-90
8.	नटवरसिंह पुत्र श्री खिवसिंह शेखावत, ग्राम पोस्ट, रवाणिया, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर	,,	,, ,,	,,	31-3-90
9.	भंवरलाल पुत्र श्री गोकुलराम चौधरी, ग्राम पोस्ट रवाणिया तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर	,,	,, ,,	जालीवाडाकीढाणी	31-3-90
10.	बाबूलाल पुत्र श्री किसनाराम, जाति विश्नोई, ग्राम पोस्ट तिलवासनी तह. बिलाडा, जिला जोधपुर	,,	,, ,,	,,	31-3-90
11.	हनुमानसिंह पुत्र श्री धनसिंह राजपूत, जोधा की ढाणी खांगटा, भोपालगढ़, जोधपुर	,,	,, ,,	,,	31-3-90
12.	महेन्द्रसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह राजपूत, क्वार्टर, नं. 1 गोरमेंट होस्पीटल, पीपाडसिटी।	,,	,, ,,	,,	31-3-90
13.	तारासिंह पुत्र श्री मोहनसिंह कच्छवाहा, रणजीत भवन, जसवंत होस्टल के पास, रातानाडा, जोधपुर	,,	,, ,,	पिटकासनी	9-3-90
14.	सोनाराम पुत्र श्री सांवतराम हरिजन, नवन हरिजन-बस्ती गीता भवन के पीछे, जोधपुर	मेसेनरीस्टोन	,, ,,	खोखरिया (लीलपाभाखर)	29-10-90

283

1	2	3	4	5	6
15.	राजेन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिंह बलारा, 328 लाइट-स्कीम, कमला नेहरू नगर, जोधपुर	ग्रेनाइट	100×100	खेजडली	31-3-90
16.	श्री विजय प्रकाश पुत्र श्री देवकिशन छंगाणी	मारबल ,,	,, ,,	देशोक	4269/5-10-88
17.	श्री हरीश जोशी पुत्र कन्हैयालाल	,,	,, ,,	,,	4264/5-10-88
18.	श्री विजय प्रकाश पुत्र श्री देवकिशन छंगाणी	मारबल	9,965 वर्ग मीटर	,,	4660/2-11-88
19.	श्री राजेन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री कन्हैयालाल	,,	9,400 वर्ग मीटर	,,	4655/2-11-88
20.	श्री बालूराम पुत्र श्री मूराराम धाकड़	,,	10,000 ,, ,,	मोरियामुसासर	834/26-7-89
21.	श्री सुनील मेहता पुत्र श्री स्वतन्त्र मेहता	,,	10,000 ,, ,,	,,	608/12-5-89

(२८५)

चूरू जिले के ग्रामों की पेयजल समस्याएं

139. **श्री रामस्वरूप** (रायसिंह नगर): एवं

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू तहसील में ऐसे कितने गांव हैं जिनके ग्रामवासियों को 20 एल. पी. सी. डी. से कम पेयजल उपलब्ध होता है ? सरकार इन ग्रामों में कब तक 70 एल. पी. सी. डी. पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(2) चूरू जिले में कितने संकटग्रस्त ग्राम ऐसे हैं जिनको वर्ष 1990 में टैंकरों से पानी पहुंचाया गया ? क्या गांवों की संख्या देखते हुए टैंकरों की संख्या पर्याप्त थी ? सरकार इन संकटग्रस्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की क्या कोई योजना रखती है ?

(3) चूरू जिले के कितने गांवों को गन्देली साहाबा की द्वितीय पारी से लाभान्वित करने की सरकार की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) चूरू तहसील के कितने गांव ऐसे हैं, जो गन्देली साहाबा योजना से लाभान्वित तारानगर तहसील के गांवों से, 5 कि. मी. से कम दूरी पर स्थित है ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या गन्देली साहाबा योजना से लाभान्वित गांव से 5 कि. मी. की दूरी तक के गांवों को इस योजना से लाभान्वित करने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) गन्देली साहाबा से पूर्व में लाभान्वित चूरू तहसील के कितने गांवों को अभी तक पानी उपलब्ध नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) इन गांवों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने कब से इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित माना है ? क्या सरकार ने इन लाभान्वित गांवों को अभी तक पाइप लाइन से नहीं जोड़ा है क्या उनको जोड़ने की योजना रखती है ?

उत्तर

(1) संदर्भित तहसील में पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ऐसे कोई ग्राम नहीं हैं।

(2) संदर्भित तहसील में 8 ग्रामों एवं सत्रह मील के निकट ढाणियों को वर्ष 1990 में टैंकरों से जलापूर्ति की गई। टैंकरों की संख्या अपर्याप्त थी। इन 8 ग्रामों हेतु गंधेली साहवा द्वितीय चरण की योजना का कार्य प्रगति पर है।

(3) चूरू जिले के 270 ग्रामों व दो कस्बों को गन्धेली साहवा योजना के द्वितीय चरण से लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है। इन ग्रामों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(4) चूरू तहसील का ऐसा कोई ग्राम नहीं है जो तारानगर तहसील में गन्धेली साहवा योजना के लाभान्वित ग्राम से 5 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित हो।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(5) गन्धेली साहवा से चूरू तहसील के चार अन्तिम छोर के ग्राम ऐसे हैं जहां जल वितरण अनियमित है। ये ग्राम जोडी पट्टा साल्यू, जोडी पट्टा लोहसना, जोडी पट्टा चारनाण एवं कोटवाद टिब्बा है।

(6) उपरोक्त चार ग्रामों में से तीन ग्राम सितम्बर, 1989 से तथा एक ग्राम अक्टूबर, 1989 से आंशिक लाभांवित है। पूर्व में अन्य स्रोतों से लाभांवित ग्रामों को पाइप लाइन से जोड़ने का कार्य तकनीकी उपयुक्तता व धन उपलब्धता के आधार पर लिये जाने पर विचार किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

विद्युत मण्डल द्वारा टोंक जिले में मजदूरों की स्वीकृति का आधार

140. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले में विद्युत मण्डल द्वारा कितने मजदूरों की स्वीकृति है, व कुल कितने मजदूर जिले में कार्यरत हैं ?

(2) मजदूरों की स्वीकृति का आधार क्या है ? क्या जिले में इस आधार पर ही मजदूरों की संख्या स्वीकृत की गई है ? क्या अन्य जिलों में भी इसी आधार पर मजदूरों की संख्या स्वीकृत की गई है यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या जीप, ट्रक व अन्य उपकरण भी स्वीकृत करने का कोई आधार है ? क्या ऐसे आधार को मान कर ही विभिन्न जिलों में साजो-सामान व उपकरण स्वीकृत किये हुए हैं ?

उत्तर

(1) मण्डल के टोंक संभाग के अन्तर्गत वर्तमान में 494 मजदूरों की स्वीकृति है और इतने ही कार्यरत हैं।

(2) मण्डल में मजदूरों की स्वीकृति का आधार इसका कार्यभार है और यही नियम टोंक जिले में मजदूरों की संख्या स्वीकृति का रहा है। अन्य जिलों में भी मजदूरों की संख्या की स्वीकृति का यही आधार रहा है।

(3) जीप, ट्रक व अन्य उपकरण कार्य की आवश्यकता व संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये ही स्वीकृत किये जाते हैं। इस ही आधार पर विभिन्न जिलों में इनकी उपलब्धि कराई जाती है। साधनों की कमी के कारण पर्याप्त वाहन खरीद नहीं किये जा सकते हैं। इसके लिये विभिन्न स्थानों पर पूल बनाकर मितव्ययता की जा रही है तथा ट्रान्सपोरटेशन कम्पनीज के माध्यम से भी परिवहन कराना प्रारम्भ किया है।

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में आयुर्वेद औषधालय

141. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(1) क्या यह सही है कि जैतारण निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे गांव हैं, जिनमें आयुर्वेद औषधालय के लिये निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आबादी होते हुए भी औषधालय नहीं खोले गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या वित्तीय वर्ष 1991-92 में इस क्षेत्र में औषधालय खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कितने व कब तक ?

(3) इस क्षेत्र में जहां-जहां औषधालय हैं, क्या उनमें स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो उनमें स्टाफ की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। नवीन औषधालय खोलने के लिये स्थानों का चयन करते समय जनसंख्या के अलावा अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे–वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, अन्य उपलब्ध चिकित्सा सुविधा की दूरी, भवन व्यवस्था आदि।

(2) वर्ष 1991-92 में राज्य में 25 नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित हैं। स्थानों का चयन करते समय जैतारण निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी विचार कर लिया जावेगा।

(3) जैतारण विधान सभा क्षेत्र में 15 आयुर्वेदिक एवं एक होम्योपैथिक औषधालय संचालित हैं। इनमें चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचालक के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण (परिशिष्ट-"क") सदन के पटल पर रख दिया गया है। चिकित्सकों एवं नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र ही की जा रही है। परिचारक के पदों को सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि के अधिशेष कर्मचारियों से भरने की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट-- "क"

विधान सभा क्षेत्र जैतारण जिला पाली में संचालित औषधालयों/चिकित्सालयों की सूची एवं इनमें स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण

क.सं. स्थान औषधालय	स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण		
	चिकित्सक	नर्स/कम्पउण्डर	परिचारक
आयुर्वेदिक औषधालय			
1. जैतारण	पदस्थापित	पदस्वीकृत नहीं	पदस्थापित
2. आनन्दपुर कालू	पदस्थापित	पदस्वीकृत नहीं	पदस्थापित
3. रास	पदस्थापित	पदस्वीकृत नहीं	पदस्थापित
4. रानीवाल	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
5. लाम्बिया	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
6. चावन्डिया	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
7. देवरिया	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
8. धनेरिया	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
9. बहेड कलां	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
10. निम्बेडा खुर्द	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
11. बिरोल	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
12. लाटोती	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
13. कवालिया खुर्द	रिक्त	पदस्थापित	पदस्थापित
14. केकीन्दडा	पदस्थापित	पदस्थापित	रिक्त
15. मोहराई	पदस्थापित	पदस्थापित	रिक्त
होम्योपैथिक औषधालय			
1. सुमेल	पदस्थापित	पदस्थापित	रिक्त

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 183 की सूची

क्र.सं.	नाम	ब्लाक नं.	पता	प्रार्थना पत्र क्रमांक	विशेष
1.	श्री मदनमोहन जैन एण्ड सन्स	ब्लोक नं. 3- प्लाट नं. 5-ए	सैन्ट्रल स्कूल के सामने नाहरसिंह हरिसिंहजी की सम्पत्ति	36/91	दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया 7-2-91
2.	श्री एस. पी. बी. पिल्लाई पुत्र पदमास्था	प्लाट नं. 14 प्लाट नं. 2	,, ,,	426/90	प्रार्थी द्वारा प्लान वापस ले जाये गये।
3.	श्री नारायणलाल पुत्र सुल्तान चन्द्र	ब्लोक नं. 16 प्लाट नं. 16-ए	,, ,,	438/90	मानचित्र वापस लौटाये 15-12-90
4.	श्री गणपतसिंह पुत्र भंवरसिंह	ब्लोक नं. 15 प्लाट नं. 3	,, ,,	354/90	स्वीकृत के सम्बन्धी कार्यवाही विचाराधीन है।

289

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 192 का विवरण

दिनांक 12-11-90 को मुकदमा मुस्तगीस श्री चान्द मल पुत्र श्री धन्नालाल सांखला निवासी सूरजपोल गेट, ब्यावर ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीर रिपोर्ट इस अमर की पेश की कि ब्यावर शहर में भारत इंटर प्राइजेज कम्पनी जो कि एक धोखा है जो ब्यावर के नागरिकों की खून पसीने की कमाई लेकर फरार हो जायेगी ऐसा इस आधार पर कह सकते हैं कि ऐसी ही कम्पनी जो कि जुलाई- 1989 में दिल्ली से लाखों रुपये जनता के लेकर फरार हो गये हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गये इस दिल्ली वाले कम्पनी की वर्तमान में ब्यावर शहर में चल रही भारत इन्टरप्राइजेज की कार्य प्रणाली एक ही है। यह कम्पनी पहले जनता को 100/-रुपये की वस्तु 32/- रुपये में देने का प्रलोभन देकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वस्तुतः चन्द लोगों को शुरू शुरू में सामान देते भी है और ज्योंही जनता का लाखों रुपया इकट्ठा हो जाता है यह लोग रातों रात फरार हो जाते हैं व जनता रोती रह जाती है। अब यह भारत इन्टरप्राइजेज कम्पनी कल दिनांक 11-11-90 को जनता का लाखों रुपया लेकर फरार हो गई है आदि उक्त रिपोर्ट पर मु. नं. 269/90 धारा 406/420 ता. हि. कायम किया जाकर तफतीश प्रारम्भ की गई। तुरन्त ही मौके पर पहुंच कर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया व मकान श्री घनश्याम दास सिंधी जटिया कॉलोनी ब्यावर जो कथित कबीर नाम के आदमी द्वारा एक पोर्शन किराये पर लिया गया था की तलाशी ली गई तो छुपे हुये पर्चे, शील जे भारत इन्टर प्राईजेज के नाम की रसीद बुक कूपन कापियां मिली इसके अलावा बर्तन जिसमें गिलास, थाल, कटोरियां, बाल्टी, टिफन आदि तथा दो टी. वी. वाशिंग मशीन, एक फ्रीज, कूलर वगैरहा को बतौर वजह सबूत कब्जे पुलिस में लिया गया तत्पश्चात् शहर के दिगर व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग रकम सामान प्राप्ति हेतु जमा कराना बाबत दरख्वास्त पेश की गई मुलजिमान की तलाश में तमाम थाना अधिकारियों व राजस्थान के समस्त थाना अधिकारियों को जरिये वायरलेस मैसेज निवेदन किया गया पुलिस पार्टी जयपुर थाना जवाहर नगर मुलज़िमान की तलाश में पहुंची तो थाना गांधी नगर के क्षेत्राधिकार में भी इस प्रकार की एक संस्था वी. रामचन्द्रन के नेतृत्व में आर. के. पी. होमली एम्पालइसेन्ज के नाम से चला रखी थी वी. रामचन्द्रन के अलावा उसके पांच सहयोगियों को थाना जवाहर नगर पर तफतीश के लिये तलब कर रखा था जिनसे मुकदमा हाजा में तफतीश की गई मगर मुकदमा हाजा के मुलजिमान के बारे में कोई काम्याबी हासिल नहीं हो सकी तत्पश्चात थाना हाजा से पुलिस पार्टी अहमदाबाद मुल्जिमान की पतारसी में भेजी गई। जहां आज होटल व दिगर स्थानों में पतारसी की गई मगर कोई सुरागरसी नहीं चल सकी इसके अलावा पुनः पुलिस पार्टी शिवपुरी (एम. पी.) में मुलजिमान की पतारसी बाबत भेजी गई जहां पर इस प्रकार की एक

संस्था एस. डेविड नामक व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही थी जो पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने पर बन्द कर दी गई थी वहां के आदमी चले गये तथा मकान बन्द पाया गया।

अब तक की तफतीश से ज्ञात हुआ कि तामिलनाडु स्टेट के तन्जानूर जिले के सभी व्यक्ति आस पास के रहने वाले हैं जो उत्तरी भारत में हिन्दी भाषी प्रदेश में अलग--अलग स्थानों पर अलग-अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में पार्टियां जाती हैं जो वहां स्थानीय लोगों से अपना प्रभाव जमा कर संस्था खोल लेते हैं व वहां के लोगों को प्रलोभन देकर व प्रारम्भ में कम कीमत के सामान का जिसकी कीमत 100/-- रुपये हो को 32/- रुपये में देकर प्रभाव जमा कर बड़ी रकम जमा कर मौका पाकर फरार हो जाते हैं मुकदमा हाजा के मुल्जिमान के कबीर व हारून मोहम्मद का पर्चा "ब" दिनांक 9-11-90 को चाक किया जाकर थाना अधिकारी असलान्द्र नगर जिला तन्जौर तमिलनाडु भेजा गया था जो बाद तस्दीक आज दिन तक प्राप्त नहीं हुआ है। मुकदमा हाजा में मुलजिमान की तलाश बाबत पुलिस पार्टी शिघ्र ही मद्रास व तन्जौर जिला व तमिलनाडु भेजी जा रही है व हर संभव मुलजिमान की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। मुलजिमान के निवास स्थान से कुछ टेलीग्राम की रसीदें आदि प्राप्त हुई हैं। जिसके आधार पर जिस चित्मबल्लभ स्थान जो तन्जौर जिला तमिलनाडु में हैं पर पतारसी करने पर मुलजिमान का पता चलने की प्रबल संभावना है जो पुलिस पार्टी शीघ्र ही भेजी गई, लेकिन पुलिस पार्टी मद्रास जाने पर भी उसका कोई पता ठिकाना अब तक नहीं लगा है।

अब तक निम्नलिखित व्यक्तियों ने इस फर्जी कम्पनी द्वारा उनके साथ धोखादड़ी के करने बाबत अपने दस्तावेज व बयान दिये हैं :—

1.	श्री रमेश माथुर	8699.60	7.	श्री पी. डी. शर्मा	16018.10
2.	श्री सुबरिम आर्य	8509.00	8.	श्री एस. आर. गहलोत	4100.00
3.	श्री ज्ञानचन्द दादिया	4094.20	9.	श्री सुरेश चौहान	475.00
4.	श्री रतनलाल गोयल	6050.00	10.	श्री एस. आर. डाबिया	418.00
5.	श्री जे. के. सोनी.	17486.00	11	श्री त्रिलोकीनाथ	2047.10
6.	श्री चिराग माथुर	7150.00	12.	श्री हस्तीमल जांगिड़	11230.00

उपरोक्त के अलावा कुछ और भी व्यक्तियों के साथ धोखादड़ी की गई है लेकिन वे अब तक पुलिस को अपना रिकार्ड व ब्यानात नहीं दे पाये हैं।

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 197 का विवरण

सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के सीनियर हायर सैकण्डरी व सैकण्डरी विद्यालयों में विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पद		
		I ग्रेड	II ग्रेड	III ग्रेड
1.	रा.सी.उ.मा.वि., सपोटरा	2	—	—
2.	मा.वि., रोधई	—	2	—
3.	मा.वि., करणपुर	—	1	—
4.	मा.वि., डावरी	—	—	1
5.	मा.वि., हाड़ोती	—	1	—
6.	मा.वि., मंडरायल	—	1	—
7.	मा.वि., इनायती	—	—	1
8.	मा.वि., बालोती	—	2	—
9.	मा.वि., समरदाअस्थल	—	—	1
10.	मा.वि., अडूदा	—	2	—
11.	रा.बा.मा.वि., मंडरायल	1	—	—
		3	9	3

सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के सीनियर हायर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी विद्यालयों के अपर्याप्त भवन वाले विद्यालयों का विवरण

क्र.सं.	नाम विद्यालय
1.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, मंडरायल
2.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भांकरी
3.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, करणपुर
4.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हाड़ोती
5.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चौडा गांव
6.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डाबरा
7.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सलेमपुर
8.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खेडला
9.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रोधई
10.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सेमदाअरथल
11.	राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, नोरोलीडांग

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 201 का विवरण

ANNEXUR-2

To,

The Administrator,
Municipal board,
Madanganj Kishangarh.

Through Proper Channel

The Secretory
Zila Sainik Board,
Ajmer.

Sub:—**Allotment of residencial, plot No. 14 (60'×45') at Shivaji nagar Madanganj Kishangarh to Ex.cpl L. N Gupta (247419) Madanganj Kishangarh.**

Sir,

with humble submission I beg to state few facts for your kind pearsal and consideration.

1. That I Ex.cpl L.N.Gupta had served in the India Air Force wef 25-1-63 to 24-10.78 as a segular member of Indian Air Force.

2. That I have been ratired from service, since than, I am engaged in my private profession and residing at Madanganj Kishangarh.

3. That I do not have any residential plot on my name. I have occapied the plot No. 14 at Shivaji Nagar, which is lying vacant, I request your honour to allot me that plot at the prescribed-municipal rates.

4. That I sabmit photo state copy if my discharge certificate.

5. That I submit an affidavit in sapport of my statement that I do not have any land for residential plot up bill now.

6. Then fore, I approach to reshest your honour to forward the application at Municipal board Madanganj Kishangarh for necessary and farourable aotion.

Dd. 15-4-82.
Sd./-
16-4-82
Recommended & forwerded by
Secretory
Zila Sainik Board, Ajmer
Presented to S.D.O. Kishangarh
17-4-82

Your's faithfully
Sd/—
Ex.cpl (L. N. Gupta)
Advocate
Patani Bhawan
Jaipur Road
Madanganj Kishangarh.

साधारण सभा दिनांक 27/11/90

प्रस्ताव 1 :—

माननीय श्री प्रेमराज ने सभापति महोदय कि आज्ञा से निवेदन किया कि वार्ड व्यवस्था की तरह रोशनी की व्यवस्था को भी ठेके पर दे दिया जाना चाहिए जिससे परिषद् को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

मा. पाचूलाल जी ने मैन चौराहे पर पांच, नयाशहर पांचबती कुननों के वेरे के पास दरवाजे पर रोड लाइटे बन्द पड़ी है उन्हे सौंदर्यकरण के आधार पर ठीक कराने की मांग की। इन्होंने मांग की कि गुमानसिंह, नयाशहर, पुराना शहर, मृत्यमार्ग, श्मशान घाट व कब्रिस्तान व पंचमुखी हनुमान के यहां विद्युत बन्द है अतः शीघ्र ठीक कराई जावे।

इसी प्रकार पिछडे वार्ड/अनु. जाति के वार्ड से समाज कल्याण से स्वीकृत पैरों के अनुसार विद्युत व्यवस्था सुधारी जावे। विद्युत व्यवस्था सुधार हेतु श्री परमेश्वरी देवी एवं श्री रामलाल सैन ने भी लिखित मांग की। माननीय मीणा जी ने वार्ड 7 में अंधेरी नगरी की चर्चा करते हुए शीघ्र विद्युत व्यवस्था की मांग की। माननीय सभापति महोदय ने सभी पार्षदों द्वारा दिये गये सुन्दर एवं सकारात्मक विचारों की सराहना करते हुए सुझावानुरूप कार्यवाही करने के निर्देश शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया।

प्रस्ताव संख्या 2 :—

परिषद् की आय बढ़ाने के लिए विचार विमर्श—

सभापति महोदय ने इस पर चर्चा करने हेतु निवेदन किया जिस पर माननीय इनानी, महन्त जी, धरमचन्द जी, छाबडा जी, विष्णुजी, रामलालजी मीणा, श्री प्रेमराज जी, काबराजी, न इसे अनून मुद्दा बताते हुए समयाभाव के कारण इस हेतु पृथक से मीटिंग बुलाने की मांग करते हुए इस प्रस्ताव को स्थगित कर प्रस्ताव संख्या तीन पर चर्चा करने का निवेदन किया।

अतः सर्वसम्मिति स्वीकृति से सभापति महोदय ने 1/12/90 को प्रातः 11.00 बजे प्रस्ताव सं. 02 पर चर्चा करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 3 :—

अन्य प्रस्ताव सभापति महोदय की अनुमति से—

मा. सभापति महोदय ने प्रस्ताव संख्या तीन पर चर्चा करने हेतु स्वीकृति प्रदान की।

जिस पर माननीय विष्णुजी राठी ने श्री राधेश्याम वर्मा एवं महेन्द्र जी अग्रवाल को ग्राम निलामी में विक्रय किये गये दिनांक 8–4–82 के उपरोक्त प्लाटों को तत्कालीन प्रशासक ने गलत ढंग से निलामी निरस्त कर दी थी उसको हम वोर्ड को अधिकृत मानते हुए उन प्लाटों की निलामी को पुनः बहाल करते हुए भूखण्डों को विक्रय हुआ मानकर नियमित करने का प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन श्री ईनानी ने किया। उन्होंने कहा कि जब निलामी से भूखण्ड विक्रय किये गये हैं तो निलामी स्वीकृत करने का अधिकार वोर्ड को है अतः वोर्ड कोर्ट में चल रहे इस मामलों में आपसी राजीनामे के द्वारा नियमित किये जावे।

इसी प्रकार का प्रस्ताव श्री ओमप्रकाश छाबडा ने प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन श्री प्रेमराज ने किया। उन्होंने प्रस्ताव में ग्राम निलामी से जिसे 1/4 राशि परिषद् मे जमा हो चुकी है उसे नियमित करने का प्रस्ताव पेश किया। इसी प्रकार का प्रस्ताव श्री धरमचन्द दरडा ने कर प्रस्तावानुसार बताया कि न्यायालय से लम्बित वादों को आपसी समझौते से निस्तारण किया जावे जिसमें राधेश्याम वर्मा एवं श्री महेन्द्र गंगवाल के निलामी के प्रकरणों का आंकन किया गया है तथा भूतपूर्व सैनिको को भी नियमानुसार व राज्य देश के तहत दिये जाने वाले भूखण्डों के विवाद को भी शीघ्र निपटा दिया जावे। ऐसे 1–2 केस ही होंगे जिसके लिए जिला कलक्टर ने भी अनुमोदन कर दिया है। इसी प्रकार का प्रस्ताव श्री महेन्द्र जी प्रस्तुत किया कि आपसे समझौते एवं समन्वय से मुकदमों का निपटारा किया जावे।

उक्त सभी प्रस्तावों पर चर्चा होने के वाद कानूनी राशि प्राप्त कर आपसी समझौते द्वारा वादों को निस्तारण करने व जमा चौथाई राशि के निलामी के प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण करने का सर्व सम्मिति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या–4

श्री रामलाल जी मीणा ने सभापति महोदय की अनुमति से अनुरोध करते हुए 1991 के कच्ची बस्ती के नियमनो को पुनः सर्वे कराने का अनुरोध करते हुए विशेष विकास व्यय करने का प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन श्री विष्णुबाछर ने किया।

इस प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से अनुमति प्रदान की गई एवं सन् 1981 के कच्ची बस्ती के सर्वे का पुनः निर्धारण करने हेतु कलक्टर महोदय को बोर्ड के प्रस्ताव को भिजवाकर पुनः निर्धारण कराने के लिए निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव–5

सभापति महोदय की अनुमति से सा. श्री धरमचन्द से नगर परिषद् द्वारा दी गई दूकानों के असली किरायेदारों से मूल किटनेनट से सब लेट कर दी गई है जिसके परिषद् की मिल्कीसंत को नुकसान व आधार में कमी हो रही है अतः काबिज किरायेदारों से बातचीत कर विवादों का निस्तारण कराया जावें ताकि परिषद् की आय में बढ़ोतरी हो।

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 202 का विवरण

परिशिष्ट–"अ"

बांध जग्गर के आवश्यक मरम्मत कार्यों के वर्क आॅर्डर का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्य	वर्क आर्डर नम्बर	वर्ष	कार्य प्रारम्भ करने का दि.	कार्य पूर्ण करने का दिनांक	आॅवटन राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मरम्मत कार्य मुख्य नहर चैन 205 से 285 जग्गर बांध	2	90-91	24-09-90	04-10-90	9996/-	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2.	मरम्मत कार्य ढिढोरा माइनर चैन 0 से 40 जग्गर बांध	3	90-91	11-10-90	25-10-90	9989/-	——,,——
3.	आवश्यक मरम्मत कार्य वर्कइज चैन 0 से 33 जग्गर बांध	4	90-91	11-10-90	25-10-90	9667/-	——,,——
4.	आवश्यक मरम्मत कार्य तारपुर चैन 0 से 40 जग्गर बांध	5	90-91	11-10-90	25-10-90	9987/-	——,,——

299

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	आवश्यक मरम्मत कार्य मुख्य नहर चैन 430 से 470 जग्गर बांध	7	90-91	11-10-90	25-10-90	9297/-	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
6.	आवश्यक मरम्मत कार्य सूरोठ माइनर चैन 0 से 90 जग्गर बांध	8	90-91	11-10-90	25-10-90	9928/-	——,,——
7.	आवश्यक मरम्मत कार्य पाली माइनर चैन 0 से 19 जग्गर बांध	9	90-91	11-10-90	25-10-90	9570/-	——,,——
8.	आवश्यक मरम्मत कार्य धावली माइनर चैन 0 से 70 जग्गर बांध	10	90-91	11-10-90	25-10-90	9919/-	——,,——

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 204 की सूची

छमाही बजाज सागर परियोजना के अन्तर्गत लिफ्ट योजनाओं की सूची

क्र. सं.	नाम लिफ्ट योजना	कहां से प्रस्तावित है।	प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र है. में।	अनुमानित लागत प्रारूप अनुसार रुपया लाखों में।	लाभान्वित कृषक
1	2	3	4	5	6
(क) माही बांध के भराव क्षेत्र से निकलने वाली लिफ्ट योजनाऐं					
1.	नाथपुरा लिफ्ट योजना	नाथपुरा ग्राम के पास से	1000	140.00	लाभान्वित कृषकों की संख्या ज्ञात करना शेष है।
2.	बदरेल लिफ्ट योजना	पुराने खान्दू ग्राम के पास से	1000	142.00	,,
			2000	282.00	
(ख) बांई मुख्य नहर से निकलने वाली लिफ्ट योजनाऐं :					
1.	पनियाला भूपेल	आर. डी. 8850 मी. बा. मु. न.	320	41.00	
2.	गरनावट सांगा	आर. डी. 13490 मी. बा. मु. न.	214	21.88	
3.	करजी नवाटापरा	आर. डी.18450 मी. बा. मु. न.	580	68.00	5000
4.	इटाउवा	आर. डी. 23250 मी. बा. मु. न.	856	92.69	
5.	रखेलपाडा	आर. डी. 657 मी. छींछ वितरिका	301	16.48	
6.	बोडीगामा	आर. डी. 270 मी. आरथुना वितरिका	1420	100.50	

1	2	3	4	5	6
7.	मापोर	योजना बनाना शेष है।	170	15.68	
8.	राख	—	196	18.08	
9.	पिपलोद नागावाड़ा	—	578	53.33	
10.	कुशलगढ़	आर. डी. 30970 मी. बांई मुख्य नहर	16000	3800.00	लाभान्वित कृषकों की सं. ज्ञात करना शेष है।
			20635	4227.64	
		क एवं ख का योग :—	22635	4500.64 लाख	

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 205 का विवरण

INCOMPLETE WORKS OF TEHSIL JHADOL

S. No.	Name of Scheme	No &Date of Sanction	Sanction Amount	Expenditure incurred Upto 3/90	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	**Anicut**				
1.	Ambavi Anicut	23-2-87	9.79	0.79	
2.	Utwal Anicut	31-12-86	N.A.	N.A.	
3.	Dhamani ka Naka	14-12-87	7.05	2.05	
4.	Gorana Anicut	19-10-87	9.94	4.94	
5.	Garanwas Anicut	15-4.88	5.42	0.42	
6.	Jaman Ka Naka & Tank	31-12-86	8.64	3.64	
7.	Jawali Ka Naka	14-12-87	5.96	0.96	
8.	Nala Anicut	15-4-88	5.64	0.64	
9.	Kaliyadra Anicut	3-4-87	2.97	2.00	
10.	Godimari Anicut	29-4-87	7.67	2.67	
11.	Som Anicut	14-12-87	4.35	2.00	

1	2	3	4	5	6
12.	Uprata Anicut	14-12-87	5.46	2.46	
13.	Bhim Sagar Tank	31-12-86	5.80	2.80	
14.	Lakla Gunda Anicut	3-4-87	5.84	2.84	
15.	Dhamri Ka Naka	3-4-87	7.05	2.05	
16.	Baran Pada Anicut	31-12-86	2.25	1.50	
17.	Nainbara Anicut	31-12-86	4.65	1.65	
18.	Amalia Ka Naka (Ambase)	14-12-87	5.20	2.20	
19.	Khejari Anicut (Jekra)	15-11-88	5.56	0.56	

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 208 का विवरण

उत्तर

क्र. सं.	कार्य का नाम	पूर्ण कार्य का प्रतिशत	बाकी रहे कार्य का प्रतिशत	योजना जिसमें पूर्ण होना है।
1	2	3	4	5
(अ) फतेहपुरा :–				
1.	बाईवाश क कार्य	75%	25%	जवाहर रोजगार योजना में कार्य प्रगति पर है।
2.	बंध का कार्य	चैन 4.25 से चैन 10.00 तक का कार्य	चैन 25 से चैन 52 तक	
3.	ट्रेंच खुदाई व भराई	100%	—	
4.	बांध की मोरी का कार्य	100%	—	
5.	नहर का कार्य	—	100%	
(ब) दीपावास :—				
1.	बांध का कार्य	चैन 5.50 से चैन 10 व चैन 10.45 से चैन 15	चैन 10 से चैन 10.45 तक (बालापोरशन)	कार्य जवाहर रोजगार योजना में प्रगति पर है।
2.	मोरी का कार्य	100%	—	
3.	बांध की नहर का कार्य	—	अपूर्ण	
4.	बाई वाश एवं वेस्ट वीयर एवं विंग वाल	—	अपूर्ण	

1	2	3	4	5
	(स) मांकडी बांध : –			
	1. बांध का कार्य	100%	—	डी. डी. पी. मद में बकाया नहर कार्य को पूरा करने के लिए बजट की मांग की गई है।
	2. मोरी का कार्य	100%	—	
	3. बाईवाश का कार्य	100%	—	
	4. नहर का कार्य	चैन 0 से चैन 26 तक	चैन 26 से चैन 100 तक	

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 218 की सूची

सूची "अ"

विधान सभा क्षेत्र फागी के वर्ष 1990-91 के वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में प्रस्तावित ग्रामों की सूची।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	पं.स.	स्वीकृत ग्राविनि. योजना का नाम	योजना स्वीकृति वर्ष
1.	टीकेल नरूकान	8-13-25	फागी	प.स. फागी ओ. बी.	1985-86
2.	झोडिन्दा मोजपुरा	32	"	"	"
3.	पिनाच	28	"	"	"
4.	हीरापुरा बास जाबड	44	"	"	"
5.	छापरी	63	"	प.स. फागी ओ.बी.	89-90
6.	घटियाली	66	"	"	"
7.	कनकटा उर्फ रघुनन्दनपुरा	8-14-192	चाकसू	प.स. चाकसू ओ.बी.	89-90

307

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 224 की सूची

औद्योगिक क्षेत्र नीम का थाना (सीकर) में सहायता प्राप्त इकाइयों की सूची

क्र.सं.	इकाई का नाम	स्थान	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	मै. अग्रवाल इंजिनियरिंग इण्ड.	नीम का थाना	—
2.	मै. आशीर्वाद ग्रेनाइट इण्ड.	,,	अधिग्रहण में
3.	मै. चेतानी मिनरल एण्ड ग्राइंडिंग वर्क्स	,,	
4.	मै. चेतानियां उद्योग	,,	
5.	मै. चौबीसिया ग्रेनाइट्स	,,	
6.	मै. डी.आर.वी. सर्जिकल्स	,,	
7.	मै. निवेश इले. वुडन एण्ड आयरन इण्ड.	,,	बन्द है
8.	मै. डिलक्स इण्ड.	,,	
9.	मै. गुरु दर्शन इण्ड.	,,	बन्द है
10.	मै. गोयल ग्रेनाइट्स इण्ड.	,,	
11.	मै. हरियाणा ग्रेनाइट इण्ड.	,,	
12.	मै. ज्वालामुखी इंजिनियरिंग वर्क्स	,,	
13.	मै. जाखड़ आयल मील	,,	
14.	मै. जे.के. आयल मील	,,	
15.	मै. कृष्णा इन्योलेट-र एण्ड मिनरल ग्राइंडिंग वर्क्स	,,	अधिग्रहण में
16.	मै. अम्बिका मिनरल एण्ड ग्राइंडिंग वर्क्स	,,	
17.	मै. किरण उद्योग	,,	
18.	मै. क्वालिटी ग्रेनाइट्स	,,	अधिग्रहण में
19.	मै. ईश्वर इण्ड.	,,	अधिग्रहण में
20.	मै. मिनाक्षी प्लास्टिक इण्ड.	,,	अधिग्रहण में
21.	मै. महालक्ष्मी ग्रेनाइट्स	,,	
22.	मै. महाजन ग्रेनाइट्स	,,	
23.	मै. नेशनल पाइप फैक्ट्री	,,	
24.	मै. नीकि कन्फैक्शनरी	,,	अधिग्रहण में
25.	मै, गणेश टायर रिट्रेडिंग वर्क्स	,,	
26.	मै. ए.के. इण्ड.	,,	बन्द है

1	2	3	4
27.	मै. राजेश चौरासिया एग्रो इम्पलीमेंटस इण्ड.	,,	बन्द है
28.	मै. रेलेक्स रबर प्रोडक्ट्स	,,	
29.	मै. टोनिका उद्योग	नीम का थाना	
30.	मैं. तापकेश्वर नाम सोप फैक्ट्री	,,	अधिग्रहण में
31.	मै. विनस उद्योग	,,	
32.	मै. प्रकाश मारबल	,,	
33.	मै. रतन पावरलूम इण्ड.	,,	
34.	मै. स्वदेशी रबर प्रोडक्ट्स	,,	अधिग्रहण में
35.	मै. शान ए-इमारत	,,	
36.	मै. एम.आर.टी. ग्रेनाइटस	,,	
37.	मै. विजय लक्ष्मी कैमीकल्स इण्ड.	,,	बन्द है
38.	मै. विष्णु इण्ड.	,,	
39.	मै. वर्धमान ग्रेनाइट्स	,,	
40.	मै. वैष्णव ग्रेनाइट्स	,,	
41.	मै. मोर्य चर्म लेदर इण्ड.	,,	अधिग्रहण में
42.	मै. ओम काटेज इण्ड.	,,	
43.	मै. हिंद ग्रेनाइट्स	,,	
44.	मै. गुप्ता ग्रेनाइट्स	,,	
45.	मै. त्रिपति ग्रेनाइट्स	,,	
46.	मै. रवी इण्ड.	,,	

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 226 की सूची

राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि., जयपुर

पाली जिले में राजस्थान हाथकर्घा परियोजना मण्डल द्वारा दिये गये कर्घो की सूची :-

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	दिये गये कर्घो की संख्या	विशेष विवरण
1.	रायपुर	119	—
2.	जैतारण	36	—
3.	सोजसिटी	13	—
4.	पाली	20	—
5.	मारवाड़ जंक्शन	26	—
6.	सुमेरपुर	—	कोई कर्घे वितरित नहीं किये गये।
7.	देसूरी	—	" "
8.	बाली	—	" "
	योग :—	214	

310

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 228 की सूची

पाली जिले में पंचायत समितिवार खोले गये शिक्षा केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	पं. शिक्षा केन्द्र का नाम	क्र. सं.	पं. शिक्षा केन्द्र का नाम
	पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन	2.	करमा वास (कन्या)
1.	राजकियावास कलां	3.	केरखेडा
2.	रेवडिया	4.	राईकों की ढाणी (बगड़ी)
3.	पारड़ी	5.	श्रासन
4.	समदडी (कन्या)	6.	भूपेलाव
5.	बेरा बिजालिया (दूदोड)	7.	गुडा कला (कन्या) भंवरभाटा
6.	बेरा जालिया (फूलिया)	8.	सरदारसमन्द
7.	सेहवाज (कन्या)	9.	खारियानीव
8.	सूरावास (कन्या)	10.	झालियामाता
9.	डालिया की ढाणी	11.	घिनावास (कन्या)
10.	सड़क मालिया कंटालिया	12.	चन्दलाई
11.	नावा गुडा (चौकडिया)	13.	राईकों की ढाणी (संस्कृत)
12.	खजडा की ढाणी (सबराड)	14.	सारंगवास
13.	धंचियों की निम्बाडिया की ढाणी	15.	हरिया माली (कन्या)
14.	बेडा श्रम्बा की ढाणी	16.	गंडा कला (कन्या)
15.	दूदोड (कन्या)	17.	बेरा जोलिया माताजी
16.	चोपारी (कन्या)	18.	श्रटपडा
17.	पाचेटिया (कन्या)	19.	कांकडिया बेरा
	पंचायत समिति रोहत	20.	केलवाद
1.	गढ़वाड़ा	21.	सुरावा की ढाणी
2.	सेदरिया	22.	हनुमान सागर
3.	वायद	23.	रूपावास (कन्या)
4.	चेण्डा	24.	चाड़वास (कन्या)
5.	दिवान्दी	25.	राजोला कलां (कन्या)
	पंचायत समिति सोजत	26.	बेरा खारचिया
1.	लाखो का खेत	27.	गुडा कलां

क्र. सं.	पं. शिक्षा केन्द्र का नाम	क्र. सं.	पं. शिक्षा केन्द्र का नाम

पंचायत समिति रायपुर

1. ओंडा नगरा (पचनापुरा)
2. कन्या पीपलिया वाडिया
3. बंना की नाडी
4. सालरिया बेरा (झूठा)
5. बेरा अनूतिया (निम्बेडा कलां)
6. कन्या गिरी
7. सेन्दड़ा गांव
8. कन्या काणजा
9. नाहर खेडा (चिताड)
10. देवली खुर्द (रेलडा)
11. नाडी (कलालिया)
12. कवंरजी वाली की ढाणी (देवली कला)
13. इकारा बेरा (झूठा)
14. जोगेश्वर बेरा (मोहरा कलां)
15. धामाता (चिताड़)
16. करणपुरा (सुमेल)

पंचायत समिति, बाली

1. रेलो की ढाणी बेड़ा
2. बराडिया नाना
3. मालदार की ढाणी मालनू
4. पाटरियों की ढाणी कोयलवाव
5. कन्या बारवा
6. कन्या खिमेल
7. कन्या मीटवाडा
8. कन्या फलना गांव
9. सींगटा माटा कोयलवाव
10. उरणा मीमाणा
11. रमणिया गुडा लास
12. न्यूकोलोनी लूणावा
13. कोरटा बोया
14. सिरवियों का गुडा सेवाडी
15. गोरधनपुरा
16. जूना बेडा
17. पनेतरा बेडा
18. सांकडा काकराडी
19. केरापुरा कोट
20. रबारियों की ढाणीकोट बालियान
21. कपीधरस (गोरिया)
22. गुडा लास (कन्या)
23. तणी मीमाणा
24. शिवतलाव पेचगा मोहल्ला
25. मुण्डारा, किसान बस्ती, चामुण्डा मार्ग
26. श्री सेला कन्या

पंचायत समिति, रानी स्टेशन

1. गजनीपुरा (कन्या)
2. इटन्दड़ा चारणान (कन्या)
3. सिवास (बालिया)
4. रेलवे स्टेशन भगवानपुरा
5. बामणिया बेरा ढाणी सेपटावा
6. सवाईपुरा ढाणी खांड
7. जीवन्दकलां बालिका
8. कोरवा बालिका
9. भूपा सालरिया
10. गुड़ा गांगाना

पंचायत समिति, पाली

1. धाधडी (वाचनवास)
2. रूपावास (कन्या)

क्र.सं.	पंचायत शिक्षा केन्द्र का नाम
3.	लाम्बिया
4.	डेण्डा
5.	ठाकूरला (कन्या)
6.	सुभाष नगर (सोडावास) संस्कृत

पंचायत समिति, सुमेरपुर

क्र.सं.	पंचायत शिक्षा केन्द्र का नाम
1.	बड़गांवडा
2.	नोवी (कन्या)
3.	खिमाड़ा (कन्या)
4.	बलाना (कन्या)
5.	धरणा (कन्या)
6.	बामनेरा (कन्या)
7.	भारून्दा (कन्या)
8.	नाया बलूपुरा (कन्या)
9.	चाणोद अतिरिक्त (कन्या)
10.	कोसेलाव (कन्या)
11.	साण्डेराव (कन्या)
12.	चाणींद (कन्या)
13.	पावा (भाटा की आबादी)
14.	बिरामी (कन्या)
15.	जाखा नगर वार्ड नं.
16.	बकमपुरा नई आबादी पुराना नगर संस्कृत

पंचायत समिति, देसूरी

क्र.सं.	पंचायत शिक्षा केन्द्र का नाम
1.	गुडा खोबा
2.	बेरा आगला अस्ट सिवास
3.	ढाणी दादाई
4.	अलसीपुरा माण्डीगढ़
5.	रबाडियों का ढाणी नारलाई
6.	देसूरी (नगर कोलोनी)
7.	बावरियों का भुपा नारलाई
8.	मेघवाल नगर (नाडोल)
9.	सिवास (कन्या)

पंचायत समिति, जैतारण

क्र.सं.	पंचायत शिक्षा केन्द्र का नाम
1.	सीणला की ढाणी (डिगरान)
2.	डिगरना (कन्या)
3.	माल (कुडकी)
4.	कोठीया (कुडकी)
5.	रूपनगर (रास)
6.	प्रतापगढ़ (रास)
7.	रास (कन्या)
8.	रेलडा बेरा (बलुन्दा)
9.	कन्साजी की ढाणी (आनन्दपुर कालू)
10.	लखासनी (रास)
11.	गांगलिया (लाम्बिया)
12.	रावतों की ढाणी (भूम्बलिया)
13.	गढ गांव (धनेरिया)
14.	निम्बाहेडा
15.	छालियों की बाड
16.	डोडा बेरा
17,	जोधावास
18.	फीडर स्कूल बलून्दा
19.	तोगरा
20.	राईकों की ढाणी
21.	हेमडाई
22.	देविया राजपूतान
23.	गणेशपुरा
24.	लखासनी
25.	विजयगढ़ निम्बेडा
26.	लाम्बिया (कन्या)
27.	खेडा (संस्कृत)
28.	कुडकी (कन्या)

313

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 234 की सूची

प्रपत्र-1

सहायक अभियन्ता कृषि (भू-संरक्षण) सिवाना द्वारा वर्ष 89-90 में करवाए भू-संरक्षण कार्यों की सूची।

क्र.सं.	नाम कार्य		गांव का नाम जहां कार्य करवाया गया
अ-	**पुराने कार्य (89-90)**		
1.	अजीत I	खण्डीन कार्य	अजीत
2.	मोंगला II	,,	मोंगला
3.	खण्डप	,,	खण्डप
4.	मोंकलसा I	,,	मोंकलसा
5.	जैठन्तरी	,,	जैठन्तरी
6.	राखी	,,	राखी
7.	डबली	,,	डबली
8.	मैली	वाटर शैड	मैली
9.	रमनीया	,,	रमनीया
	योग 9 कार्य		
ब-	**नये कार्य वर्ष (89-90)**		
1.	मैली	खण्डीन कार्य	मैली
2.	मवडी	,,	मवडी
3.	अजियाना	,,	अजियाना
4.	गुढा	,,	गुढा
5.	मोंगला II	,,	मोंगला
6.	अजीत II	,,	अजीत
7.	मोकलसा II	,,	मोकलसा
8.	महीलावास	,,	महीलावास
9.	अस्थन्डी	,,	अस्थन्डी
10.	रातडी	,,	रातडी
11.	कोटडी	,,	कोटडी
12.	कर्मावास	,,	कर्मावास
13.	कुम्पावास	,,	कुम्पावास
	योग:- 13 कार्य		
स-	**बचत के विरुद्ध कार्य (89-90)**		
1.	महीलावास	खण्डीन कार्य	महीलावास
2.	थापन	,,	थापन
	योग:- 2 कार्य		

महायोग अ + ब + स = 24 कार्य

प्रपत्र–2

सहायक अभियन्ता कृषि (भू-संरक्षण) शिवाना द्वारा वर्ष 90--91 में करवाये जा-रहे कार्यों की सूची

क्र.सं.	नाम कार्य		गांव का नाम जहां कार्य करवाया गया।
1	2		3
अ पुराने कार्य (89--90)			
1.	मैली	वाटर शेड	मैली
योग: 1 कार्य			
ब— नये कार्य वर्ष (90—91)			
1.	अजीत III	खण्डीन कार्य	अजीत
2.	झालरों का बाडा	,,	झालरों का बाडा
3.	ललाना	,,	ललाना
4.	देवरा	,,	देवरा
5.	फूलन	,,	फूलन
6.	अजियाना	,,	अजियाना
7.	सेवाली	,,	सेवाली
8.	मंजल	,,	मंजल
9.	राखी	,,	राखी
10.	खाखरलाई	,,	खाखरलाई
11.	अजियाना	वाटर शेड	अजियाना
योग:– 11 कार्य			
स– अतिरिक्त नये कार्य वर्ष (90–91)			
1.	देवलयाली	खण्डीन कार्य	देवलयाली
2.	आम्बों का बाडा	,,	आम्बों का बाडा
3.	पालड़ी	,,	पालडी
4.	पनीदेशीपुर	,,	पनीदेशीपुर
5.	राखी	,,	राखी
6.	मोकलसा III	,,	मोकलसा
योग:— 6 कार्य			

महायोग:– अ + ब + स = 18 कार्य

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या-235 की सूची

वर्ष 89-90 में प्राप्त बीज के अमानक नमूनों की तालिका (क)

1.	दी मैनेजर कोपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि, नागौर	बाजरा
2.	मैसर्स सरस्वती बीज भण्डार, नागौर	बाजरा
3.	मैसर्स नेशनल सीडस कार्पोरेशन, श्रीगंगानगर	कपास
4.	मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति, रेलमगरा	ज्वार
5.	मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति, मादरा	ज्वार
6.	मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति, मदारा	ज्वार
7.	जिला भू-संरक्षण अधिकारी, इ. गा. न., हनुमानगढ़	कपास
8.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, रेलमगरा	मक्का
9.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, रेलमगरा	मक्का
10.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, मदरा (काकरौली)	मक्का
11.	ग्राम सेवा सहकारी समिति मदरा (काकरौली)	मक्का
12.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बामनिया कलां	कपास
13.	मैसर्स पुरुषोत्तम दास गोपाल कृष्ण, मेड़तासिटी	बाजरा
14.	कोटा कापरेटिव मार्केटिंग सोसायटी, जिला कोटा	सोयाबीन
15.	किसान एग्रो सर्विस सेन्टर घरसानद, श्रीगंगानगर	कपास
16.	राजस्थान बीज भण्डार, सीकर	बाजरा
17.	ग्रामीण कृषि भण्डार, कोटपुतली	बाजरा
18.	सांघी लक्ष्मी चन्द अमृत लाल शिवगंज, सिरोही	बाजरा
19.	जनकलाल एण्ड कम्पनी, सुरतगढ़	धान
20.	महादेव कृषि केन्द्र, पाली	तिल
21.	महादेव कृषि केन्द्र, पाली	बाजरा
22.	भगवानदास धनराज, सुरतगढ़	कपास
23.	जगदीश चन्द देवेन्द्र कुमार पीली भण्डार, श्रीगंगानगर	कपास
24.	महावीर बीज भण्डार, खाजूवाला, बीकानेर	कपास
25.	श्री पुरुषोत्तम दास गोपाल कृष्ण सोनी, मेडतासिटी	बाजरा
26.	श्री चौधरी खाद बीज भण्डार, नागौर	बाजरा

27.	श्री अन्नपूर्णा कृषि केन्द्र जैतारण (पाली)	बाजरा
28.	क्रय-विक्रय सहकारी समिति, बान्दीकुई	बाजरा
29.	चतरभुज खाद बीज भण्डार, मारवाड जंक्शन	ग्वार
30.	कुमावत बीज भण्डार लि. लक्ष्मणगढ, सीकर	बाजरा
31.	राजस्थान स्टेट सीड कार्पोरेशन, जयपुर	जौ
32.	सांघी लक्ष्मीचन्द अमृत लाल शिवगंज, सिरोही	सरसों
33.	सांघी लक्ष्मीचन्द अमृत लाल शिवगंज, सिरोही	सरसों
34.	सांघी लक्ष्मीचन्द अमृत लाल शिवगंज, सिरोही	सरसों
35.	सांघी लक्ष्मीचन्द अमृत लाल शिवगंज, सिरोही	सरसों